राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक २ | तृतीय विधान सभा के द्वितीय सत्र, १९६२ का १६वां दिवस | संख्या १२

गुरुवार, दिनांक २५ अक्टूबर, १९६२

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.६ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[स्वायत्त शासन, सिंचाई, चिकित्सा, विद्युत्, शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण, यातायात, उद्योग, बीमा, सामान्य प्रशासन, पंचायत]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या ३९१

श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : प्रश्न संख्या ३९१।

श्री अध्यक्ष : श्री मथुरेशबिहारी।

दौसा म्युनिसिपल बोर्ड की अनियमिततताएं

३९२. **श्री मथुरेश बिहारी** (बांदीकुई): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) दौसा म्युनिसिपल बोर्ड की अनियमितताओं के विषय में क्या कोई ऑडिट् रिपोर्ट व जांच रिपोर्ट एस. डी. ओ. दौसा द्वारा विभाग एवं कलेक्टर को पेश की गई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(२) क्या यह सही है कि दौसा म्युनिसिपल बोर्ड में चुंगी दरें जो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत हुई है उन में नियम विरुद्ध बिला सरकार की स्वीकृति प्राप्त किये संशोधन किये गये हैं और उन संशोधन कृत दरों व चीजों पर चुंगी वसूल की गई है ? यदि हां, तो उनकी कितनी आय हुई ?

(३) इस विषय में अब तक क्या कार्यवाही हुई है और उसकी जिम्मेवारी गलत वसूली के लिये किस की है और सरकार उस पर क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(४) दौसा म्युनिसिपल बोर्ड में क्या नियम विरुद्ध बिला नीलाम के कोई प्लॉट दिये गये हैं ? उनकी सूची देने की कृपा करें। क्या जिन व्यक्तियों की चौथ प्लाट्स की खरीद के बाद मन्सूख हो चुकी थी उन्हीं व्यक्तियों को बिना नीलाम दुबारा ये प्लॉट दे दिये गये और उससे जो हानि हुई इसका कौन जुम्मेवार है व क्या कार्यवाही की जा रही है ?

Page No 2

(श्री मथुरेश बिहारी)

(५) क्या यह सही है कि दौसा म्युनिसिपल बोर्ड की दो महिला सदस्या निर्धारित समय से अधिक बोर्ड की मिटिंगों से गैरहाजिर रही है और नियम विरुद्ध गैरहाजरी के बहुत समय बाद उनकी छुट्टी मन्जूर करके उसको दबाया गया है ?

(६) क्या यह सही है कि दौसा म्युनिसिसिपल बोर्ड में बजट से अधिक व्यय हजारों रुपयों का सन् १९६१-६२ में कियां गया है और नौकर रखे गये हैं उस पर क्या कार्यवाही की जाकर किसकी जिम्मेवारी अधिक व्यय की मानी गई है ?

(७) क्या यह सही है कि दौसा म्युनिसिपल बोर्ड में बिजली के सामान की असल खरीद को रकम मुताबिक बिल रोकड़ में दर्ज कराकर अधिक रुपया लिया गया है और रसीदों में जो रकम दर्ज है उससे कम रकम रोकड़ में जमा कराकर बोर्ड के रुपये का दुरुपयोग व गबन किया गया है ?

(८) क्या यह भी सही है कि ऑडिट रिपोर्ट का गत तीन माह में चेयरमैन से जवाब मांगा गया और उसने जवाब नहीं दिया फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

(९) क्या इन अनियमितताओं को देखते हुए बोर्ड में एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करके बोर्ड को खत्म करने को सरकार तैयार है या गल्ती करने वालों को सदस्यता से पृथक करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, वित्त (श्री चन्दनमल वैद): अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब नहीं आ पाया है। क्वश्चन बहुत लम्बा है।

श्री मथुरेश बिहारी : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल मैंने १० तारीख को दिया था। यह सवाल ऑडिट रिपोर्ट और एस. डी. ओ. की रिपोर्ट पर बेस्ड है उसी से ताल्लुक रखने वाला है। समय नहीं मिला यह सही नहीं है।

श्री चन्दनमल वैद : इस बारे में अर्ज कर चुका हूं कि १४ तारीख को यह क्वश्चन आया। १५ दिन का नोटिस भी पूरा नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : आप लिखित उत्तर भेज दें।

श्री चन्दनमल वैद : भेज दिया जावेगा।

प्रश्न संख्या ३९३

श्री अध्यक्ष : श्री आनन्दसिंह कछवाहा।

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह।

हनुमानगढ़ टाउन से एस. डी. एम. तथा तहसीलदार के कोर्ट्स हटाना

३९४ **श्री श्योपतसिंह** (हनुमानगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सरकार ने किस आधार पर हनुमानगढ़ टाउन से एस. डी. एम. और तहसीलदार कोर्ट हनुमानगढ़ जंक्शन पर लाने का फैसला किया है ?

(२) क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ टाउन के वकीलों और अर्जीनिवीसों को रोज १० मील का सफर करना पड़ता है ?

Page No 3

(श्री श्योपतसिंह)

(३) क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ की मंडी अब तब बिल्कुल गैरआबाद है और बेंक व मुन्सिफ कोर्ट हनुमानगढ़ टाउन में ही है।

(४) क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ में के लोगों ने सरकार के पास में इसके विरोध में प्रार्थना-पत्र दिये हैं कि उन्हें भारी तकलीफ है? यदि हां, तो सरकार उनकी प्रार्थना पर क्या विचार कर रही है?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) प्रशासनिक सुविधा एवं मंडी को प्रोत्साहन मिलने की दृष्टि से।

(२) जी हां। ५ मील आने में एवं पांच मील जाने में।

(३) जी हां। किन्तु मण्डी को आबाद किये जाने हेतु कदम उठाये जा रहे हैं तथा ऐसी सूचना मिली है कि बैंक की शाखा भी मंडी में आ जावे।

(४) कतिपय वकीलों की ओर से प्रार्थना-पत्र पहुंचे हैं जिन पर प्रशासनिक दृष्टि से विचार किया जा रहा है।

श्री श्योपतसिंह : जो चपरासी और छोटे छोटे सरकारी मुलाजिम हनुमानगढ़ जंक्शन पर आते हैं जिनका दस मील का फासला आपने मंजूर किया है उनको अधिक आने-जाने में किराया खर्च हो जाता है जब कि उनको कम तनख्वाह मिलती है तो क्या सरकार उनको भत्ता देने की सुविधा की सोच रही है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह प्रश्न पैदा नहीं होता है। जहां पर कार्यालय होते हैं वहां के कर्मचारियों और चपरासियों को वहां रहना चाहिये।

श्री श्योपतसिंह : हनुमानगढ़ जंक्शन मंडी पर कोई नये प्लॉट्स डालकर वे रहें तो दूसरी बात है क्यों कि सरकार की ओर से कोई क्वार्टर्स नहीं है। ५०) रु० तनख्वाह मिलती है और ३०) रु० किराया में खर्च कर देते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : साइकिल से आते हैं।

श्री श्योपतसिंह : साइकिल के २००) लगते हैं।

प्रश्न संख्या ३९५

श्री अध्यक्ष : श्री मोतीलाल चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री कुमारानन्द :

अजमेर का मेडिकल कॉलेज

३९६. श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : Will the Minister for Medical be pleased to reply:—

Has the Government any plan to start now Medical College or Colleges in Rajasthan? If so, do the Government propose to start a Medical College in Ajmer.

उप-मंत्री, चिकित्सा (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : Yes. The matter is under consideration of the Government.

As regards the location of Medical College at Ajmer is concerned this has not so far been decided.

Page No 4

श्री कुमारानन्द : Is it a fact that a committes was appointed to r port which is a suitable place for a Medical College and will the Rajasthan Government place the report on the table.

श्रीमती प्रभा मिश्रा : हां यह सच है कि एक कमेटी बिठाई गई थी उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। वह कॉन्फिडेंशियल नेचर की होने के कारण टेबल पर नहीं रखी जा सकती है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : कौनसी कॉन्फिडेन्शियल है? क्या दिक्कत आवेगी सरकार को ?

श्री अध्यक्ष : प्रशासनिक दिक्कत आवेगी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : रिपोर्ट रखने से शासन में क्या हो जावेगा ?

श्री मुरलीधर व्यास : (बीकानेर) : शायद रिपोर्ट से शासन में झगड़ा हो जावेगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप जवाब मत दीजिये। आपका क्या ताल्लुक है इससे ?

श्री कुमारानन्द : जवाब मिला नहीं।

श्री अध्यक्ष : जवाब तो मिल गया हैं, लेकिन आपको संतोष नहीं हुआ है।

प्रश्न संख्या ३९७

श्री रघुवीरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री श्योपतसिंह।

हनुमानगढ़ तहसील में भाखरा की बिजली

३९८ **श्री श्योपतसिंह** (हनुमानगढ़) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) हनुमानगढ़ तहसील के कितने गांवों में भाखरा की बिजली दी गई है ?

(२) सन १०६२-६३ में सरकार की कितने गांवों में बिजली देने की योजना है ?

उप मंत्री विद्युत (श्री परसराम मदेरणा): (१) ७ गावों को भाखरा की बिजली दी गई है।

(२) अभी कोई योजना नहीं है।

प्रश्न संख्या ३९९

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री श्योपतसिंह।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : प्रश्न संख्या ४००

उप मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि सूचना प्राप्त नहीं हुई है। सूचना प्राप्त होते ही उनका उत्तर माननीय सदस्यों के पास राइटिंग में भेज दूंगा और वे क्वश्चन हैं ४००, ४०५, ४१४, ४२४।

(तारांकित प्रश्न संख्या ४००, ४०५ ४१२ के लिये कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

(प्रश्न संख्या ४२४ के लिये कृपया आगे देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण !

तहसील निवाई के झिलाय कस्बे में हायर सेकेन्डरी स्कूल

४०१. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार तहसील निवाई के झिलाय कस्बे के मिडिल स्कूल को हायर सैकेन्डरी स्कूल में बदलना चाहती है ?

(२) क्या यह सही है कि इस तहसील में हायर सैकेन्डरी स्कूल नहीं है ?

(३) क्या यह सही है कि कस्बा झिलाय में हायर सैकेन्डरी स्कूल के उपयुक्त भवन मौजूद है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या विचार रखती है ?

उप-मंत्री शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी नहीं।

(२) जी हां।

(३) जी हां। ६३-६४ में माध्यमिक स्कूल को उच्चतर माध्यमिक शाला में परिवर्तित करने का प्रावधान नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या यह सही है कि निवाई तहसील में एक भी हायर सैकेन्डरी स्कूल नहीं है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने नं० १ में निवेदन किया कि जी नहीं।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैंने यह पूछा है कि निवाई तहसील में एक भी हायर सेकेन्डरी स्कूल नहीं है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने आपको एक में जी नहीं कहा। दूसरे में जी हां कह दिया।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या यह महसूस नहीं करती है सरकार कि पड़ोस में दो दो मील पर हाई स्कूल हों और उस तहसील में एक भी हायर सेकेन्डरी स्कूल नहीं हो।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सरकार बहुत विचार करती है और महसूस भी करती है लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण मजबूर है।

श्री जयनारायण सालोदिया : एक तहसील में जहां चार चार हायर सेकेन्डरी स्कूल हों वहां तो आपकी आर्थिक स्थिति खराब नहीं होती और जहां एक भी हायर सेकेन्डरी पूरे तहसील भर में न हो वहां आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : कांग्रेस के क्षेत्र होंगे।

श्री जयनारायण सालोदिया : मालपुरा में तीन तीन हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : वहां ससुराल है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मुगलों का नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपकी सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है यह हम मानते हैं लेकिन एक तहसील में चार चार हायर सेकेन्डरी स्कूल और पड़ोसी तहसील में एक भी नहीं और उस पर विचार भी नहीं करते हैं और कहते हैं आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है।

Page No 6

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या किया जाय है तो। इस वक्त तो विवशता है ना।

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

स्वास्थ्य विभाग के रिटायर्ड कर्मचारियों के के पेन्शन केसेज

४८२. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवा-महल, जयपुर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) क्या स्वास्थ्य विभाग में सन् १९५६ से रिटायर होने वाले कर्मचारियों के पेंशन के मामले अब तक विचाराधीन ही पड़े हैं ? यदि हां, तो इस प्रकार के कितने मामले विचाराधीन है ? ब्यौरा सदन के समक्ष रखने का कष्ट करें।

(२) क्या बहुत से मामले ऐसे भी है जिनमें एन्टीसीपेटरी पेन्शन भी कर्मचारियों को नही दी गई है ? यदि हां, तो इस प्रकार पेन्शन नहीं देने के क्या कारण है ?

(३) क्या ५५ वर्ष की आयु के पश्चात् सेवा काल की अवधि में सरकार द्वारा वृद्धि किये जाने के आर्डर देने के पश्चात् भी डाइरेक्टर ऑफ मेडिकल एन्ड हैल्थ सर्विसेज इस प्रकार की गई कालवृद्धि को मान्यता नहीं देते ? यदि हां, तो किन किन कारणों से ?

(४) क्या रिविज़न ऑफ पे से उत्पन्न होने वाले फिक्सेशन के मामलें सन् १९५० से अब तक भी पेन्डिग हैं तथा इसमें बहुत से मामले ऐसे व्यक्तियों के भी हैं जिनका रिटायर-मेन्ट भी हो चुका है ? यदि हां, तो इस प्रकार के कितने मामले हैं ? कृपया विवरण देने का कष्ट करें।

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (१) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां। कारण सूची में बता दिये गये हैं।

(३) जी नहीं।

(४) जी हां। ऐसे सात मामले हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह जो सूची दी गई है उसके लिए मेरा निवेदन करना यह है कि सूची में आदमी बताये गये हैं और भी ऐसे आदमी रह गये हैं जिनका नाम सूची में अंकित नहीं किया गया है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जो कुछ भी सूची है वह आपके सामने पेश कर दी।

श्री दुर्गालार बाढ़दार : ५६, ५७, ५८, ५९, ६० और ६१ तक के मामले अभी तक पैन्डिग है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता था कि एक आदमी सरकारी मुलाजिम है, ५७ में रिटायर कर दिया हो, सात आदमी ऐसे बताये गये हैं उनको पेन्शन देते हुए। अब क्या परेशानी होती है ? ए० जी० से कारण आये और सर्विस रेकॉर्ड सरकार से वेरिफाई न हो सका ऐसी यूनिफोर्मिटी और सिक्योरिटी उनकी होनी चाहिये कि नौकरी के बाद उनको समय पर तो पेन्शन मिल जानी चाहिये। लिस्ट दी है। Such a big number of employees after retirment, they are not getting their pensions and they are wandering like a shuttle cock. If this is the position of the State Government, will the State Government realise it ?

मैं ऐसी आशा करता हूं कि इस विषय पर कोई कदम उठाया जाना चाहिये।

Page No 7

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश की जा रही है।

श्री ज्वालप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : क्या यह सही है कि उनके रिटायरमेन्ट की डेट निश्चित होती है और उसके पहले सरकार इन मामलों को तय नहीं करती है ?

श्री अध्यक्ष : बाद में भी नहीं करती हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : रिटायरमेन्ट का सन् निश्चित होता है और पेन्शन की व्यवस्था जिस दिन सरकारी मुलाजिम रिटायर हो उसी दिन कर दें, ऐसा विचार करेगी सरकार ?

श्री अध्यक्ष : जरूर करेगी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह तो आपकी तरफ से अन्डर टेकिंग हो गई।

श्री अध्यक्ष : मैं भी आपके साथ हूं।

(विराम)

श्री श्योप्तसिंह !

हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ तथा संगरिया मंडी तक सड़क

४९३. **श्री श्योपतसिंह** (हनुमानगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ से सांगरिया मंडी तक जाने वाली सड़क कब तक तैयार हो जायेगी ?

उप-मंत्री सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानी शंकर नंदवाना) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री श्योपतसिंह : कब आवेगा ?

श्री अध्यक्ष : लिखित आ जावेगा।

(उत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

एक माननीय सदस्य : सप्लीमेन्टरी भी लिखित ही पूछ लेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री कुमारानन्द !

ब्यावर में लड़कियों के लिये हायर सेकेन्डरी स्कूल

४०४. **श्री कुमारानन्द** (ब्यावर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) ब्यावर में लड़कियों की शिक्षा के लिये कितने हायर सेकेन्डरी स्कूल हैं ?

(२) क्या स्कूल में अभी जितने कमरे हैं वे लड़कियों के बैठने के लिए पर्याप्त है ?

उप-मंत्री शिक्षा : (श्री निरंजननाथ आचार्य) (१) १.

(२) जी हां।

श्री अध्यक्ष : श्री कुमारानन्द।

(प्रश्न संख्या ४०५ के लिये कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

राजस्थान स्टेट रोडवेज के अधीन पंजीयित ट्रेड यूनियन्स

४०६. श्री कुमारानन्द (ब्यावर) Will the Minister fer Transport be pleased to state :—

(1) What is the number of registered trade unions of employees in the undertaking of Rajasthan State Road-ways ? Please give full particulars about the number and date of their registration, membership claimed and name of the All India Trade Union Organisation, to which they are affiliated ?

(2) Which of them has been given voluntary recognition under the code of Disipline ?

(3) If none, why and when the same will be given ?

उप-मंत्री स्टेट एन्टरप्राइजेज (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) Three Trade Unions were formed by the employees of Rajasthan State Roadways viz:—

	Regn. No.	Date.
(i) Rajasthan Rajya Roadways Karamchari Sangh, Jaipur.	110/60	21-10-60
(ii) State Roadways workers Union, Jaipur.	113/60	4-11-60
(iii) Rajasthan Rajya Roadways Karamchari Sangh, Jaipur.	22/62	6-7-62

The Registration of Rajasthan Rajya Roadways karamchari Sangh was cancelled with effect from 1-8-1961 by the Labour Commissioner. There are, therefore, only two unions in existence now. One of them is registered since 1960 while the other is registered since 6-7-1962.

Affiliation of these Unions to All India Trade Union Organisations or membership claimed has not been intimated by these unions.

(2) None of them has so far been given voluntary recognition by the Department.

(3) The matter is under examination.

श्री कुमारानन्द : Is it a fact that the press Union was recognised by the Government and then why these Unions are not recognised ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : Pardon, I could not understand your statement.

श्री कुमारानन्द : Is it a fact that the Government Prass Union was registered overnight ? then why these unions are not recognised now ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : No This is not a fact.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : Is it a fact that inspite of this fact that the second union was registered only in 1962, still that union is being patroniesd by the P. W. D. Minister and he addressed them and even tried to organise, where as the first Union which was organised two years back is not being recognised even after two years when the Code of conduct say that after one year such union should be recognised.

Page No 9

श्रीमती कमला बेनीवाल : जैसा कि मैंने बताया किसी भी यूनियन को रिकॉग-नाइज्ड नहीं किया। दोनों यूनियन के केसेज़ अन्डर एक्जामिनेशन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दूसरी यूनियन जो ६२ में रजिस्टर्ड हुई उसकी मिटिंग में पब्लिक वर्कस मिनिस्टर गये थे ?

श्री अध्यक्ष : पहली यूनियनों वालों ने बुलाया ही नहीं था।

श्रीमती कमला बेनीवाल: गवर्नमेन्ट ने किसी को रिकग्नाइज नहीं किया केवल मिनिस्टर द्वारा मिटिंग एड्रेस करने से रिग्कनीशन नहीं हो जाता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कोई भी एम्प्लॉईज की युनियन्स जिसका एग्जिस्टेंस हुए एक वर्ष से अधिक समय नहीं हो गया होगा, किसी भी प्रकार से प्रोत्साहित नहीं करेंगे This is the Code of Conduct which has been agreed to by the Labourers and the Government.

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय मंत्री महोदय ने जो मिटिंग एड्रेस की थी उसमें लेबरर्स को एफीशियेन्टली वर्क करने के लिये सलाह दी थी उसको अन-नेसेसरी पेट्रोनाइज किया हो, यह बात नहीं।

श्री कुमारानन्द : पी० डब्लू० डी० में कोड ऑफ कन्डक्ट लागू है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

चौकड़ी पुरानी बस्ती में प्लाट वितरण स्कीम व नल बिजली और ड्रेनेज सुविधा

४०७. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या जयपुर नगर चौकड़ी पुरानी बस्ती में नदी में प्लॉट काटे जाने की स्कीम सरकार क्रियान्वित करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(ख) क्या चौकड़ी पुरानी बस्ती नदी में वर्तमान में मकानात बन गये हैं ? यदि हां, तो क्या नगरपालिका ने नल बिजली और ड्रेनेज की सुविधा का इस नव-निर्मित बस्ती में ध्यान रखा है ?

उप मंत्री उद्योग (श्री चन्दनमल वैद): (क) चौकड़ी पुरानी बस्ती नदी क्षेत्र में नगर परिषद द्वारा स्लम क्लियरेन्स स्कीम के अन्तर्गत प्लॉट काटे जाने की योजना बनाई गई है और प्लॉट वितरण की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

इस समय तक अनुसूचित जाति के लोगों को बालानन्दजी के मन्दिर से हाथी टीबा तक के नदी क्षेत्र में १८४ प्लॉट प्रोवीजनली अलॉट किये जा चुके हैं।

(ख) चौकड़ी पुरानी बस्ती में मकानात बन रहे हैं। स्कीम बनाने में नल, बिजली और ड्रेनेज की सुविधा का ध्यान रखा गया है।

श्री दुर्गालाल बाढदार : हाथी टीबे के जो मकानात बने हैं उन मकानों के बारे में जवाब में हवाला दिया गया है उसमें यह बताया जाता है कि किस व्यवस्था में वह चल रहे हैं बालानन्दजी की मोरी के मकानात हैं जिसमें नदी का बहुत बड़ा एरिया है, सैकड़ों मकान ऐसे बन चुके हैं वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। आप इसी वक्त मेरे साथ चल कर देख सकते हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : मैंने खुदने कहा है, १८४ प्लॉट प्रोवीजनली अलॉट् किये हैं।

श्री दुर्गालाल बाढदार : मकानात वहां बन चुके हैं लेकिन वहां कोई व्यवस्था नहीं की गई है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रशिक्षणार्थियों की आयु का निर्धारण

४०८. **श्री कुमारानन्द** (ब्यावर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि अध्यापकों के लिये बी० एड० का प्रशिक्षण प्राप्त करने की आयु सीमा ४५ वर्ष है ?

(२) क्या शिक्षा विभाग ने पूर्ण वेतन पर बी० एड० में भेजे जाने वालों कि आयु सीमा केवल ३५ वर्ष ही नियत की है ?

(३) क्या इस कारण कई योग्य शिक्षक उक्त प्रशिक्षण से राज्य उनकी योग्यता का उपयोग करने से वंचित रह जाते हैं ?

(४) क्या सरकार शीघ्र ही विभाग द्वारा पूर्ण वेतन पर बी० एड० प्रशिक्षण में भेजे जाने वाले शिक्षकों की आयु सीमा ३५ वर्ष से बढ़ा कर ४५ वर्ष नियत करने का विचार रखती है ?

(५) क्या पंचायत शिक्षकों को भी इस क्षेत्र में समान अवसर देने का सरकार का इरादा है ?

(६) यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मंत्री शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) अध्यापकों के लिये बी० एड० प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये आयु की सीमा ३५ वर्ष है। परन्तु विशेष परिस्थितियों में प्रति रेन्ज से २ अध्यापक ४० वर्ष की आयु वाले भी भेजे जाते हैं। ४५ वर्ष की आयु वाले केवल अपने व्यय पर ही जा सकते हैं।

(२) पूर्ण वेतन व स्टाईपेन्ड पर भेजे जाने वालों की आयु सीमा ३५ वर्ष है।

(३) विशेष परिस्थितियों में ४० वर्ष तक के अध्यापक भी भेजे जाते हैं परन्तु इसके अलावा ४५ वर्ष की आयु तक के अध्यापक भी यदि वे अपने खर्चे पर जाने चाहें तो भेजे जाते हैं और उन्हें अर्न्ड लीव का लाभ भी दिया जाता है। अतः इसके उपयोग से कोई वंचित नहीं रहता।

(४) वर्तमान में ऐसा कोई विचार नहीं है।

(५) सामान्य पंचायत शिक्षकों में बी० एड० प्रशिक्षण में जाने वाले नहीं होते।

(६) प्रश्न ही नहीं होता।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : पूर्ण वेतन पर ३५ वर्ष से अधिक की आयु के कितने अध्यापक बी० एड० के प्रशिक्षण पर भेजे गये ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह लेखा मेरे पास नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने कहा विशेष योग्यता वालों को विशेष सुविधा देते हैं, सामान्य तौर पर ३५ वर्ष से अधिक आयु वालों को तो कितने लोगों को विशेष सुविधा दी गई, पूर्ण वेतन पर भेजा गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ३५ वर्ष तो सामान्य अवस्था है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ४० वर्ष के कितने गये ३५ और ४५ वर्ष के बीच के कितने लोगों को भेजा गया इसके आंकड़े बता सकते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ३५ से अबाउ एज है उनको पूर्ण वेतन पर भेजा गया। अगर आप जो आंकड़े मांग रहे है उनके लिये अलग सवाल कर लेते तो मैं सब के आंकड़े मंगा लेता आप सारे राजस्थान स्तर पर कर रहे हैं।

श्री मोहनराज (बाली) : नं० २ के उत्तर में बताया गया, जिनके अन्दर ३५ से ४० वर्ष तक की आयु को विशेष अवस्था बताई है। परन्तु विशेष परिस्थितियों में इससे अधिक आयु वाले भी भेजे जा सकते हैं। इन विशेष परिस्थितियों का निर्णायक कौन होता है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : गवर्नमेन्ट ही निर्णायक है हर रेन्ज से हम दो अध्यापक लेते हैं। इसके अलावा विशेष परिस्थितियां जो हो सकती हैं यह विभाग के डिसक्रीशन पर है बहुत योग्यता वाले अध्यापक हैं जिनको अध्यापन कार्य की बहुत इच्छा हो उसमें लीनियेन्ट व्यू ली जाती है, रेन्ज के स्तर पर दो ही लेते हैं।

श्री मोहनराज : विशेष परिस्थितियों का निर्णायक कौन है, विशेष योग्यता कौन सी है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : शिक्षा विभाग।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि बड़े एज्यूकेशनिस्ट ने यह सलाह दी है कि ३५ से अधिक की आयु वाले अध्यापकों पर इस प्रकार से इनवेस्टमेन्ट न किया जाय क्योंकि आगे सरविसेज में वे थोड़े ही अरसे के लिये रहते हैं। ४५ वर्ष वाले के लिये यह खर्च करते हैं तो उसकी सेवा हमें केवल आगे दस वर्ष तक ही मिलेगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसे कौन से एज्यूकेशनिस्ट हैं उनका नाम मैं जानना चाहता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अन्य प्रान्तों में इस प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

बीकानेर के वाटर वर्क्स स्टाफ को उपार्जित अवकाश

४०९ **श्री कुमारानन्द** (ब्यावर) : Will the Minister for P. W. D. be pleased to state :—

(1) Is it a fact that the water works Staff at Bikaner is not being allowed leave earned by them prior to the enforcement of the Factories Act because of the alleged non-availability of the authentic records?

(2) If so, does the Government intend to issue instructions to treat the records whatever available as genuine so as to mitigate the hadship to the workers ?

उप-मंत्री सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) yes.

(2) It is under Consideration

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : आपने जो प्रथम प्रश्न के उत्तर में कहा है कि खो गया। तो अनग्रोथेन्टिक रिकार्ड खो जाने की जिम्मेदारी जिन पर है उनके खिलाफ आपने आज तक कार्यवाही की है?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह पॉवर हाउस से सम्बन्धित है। उनसे रिकार्ड मंगाया गया है और सम्बन्धित अधिकारी को लिख दिया है कि जल्दी रिकार्ड प्राप्त करा दिया जावे।

श्री अब्दुल जब्बार : कितने सालों से रिकार्ड वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है, किस तारीख से अवेलेबल करने के लिये लिख रहे हैं और कितने साल से वे नहीं दे रहे हैं?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अब जल्दी ही एक दो महीनों में हो जावेगा।

जयपुर नगरपालिका में हरिजन कर्मचारियों के लिये विशेष पद शाखा

४१०. **श्री दुर्गालाल बाढदार (हवामहल, जयपुर)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या जयपुर नगरपालिका में हरिजन कर्मचारियों के लिये एक विशेष पद शाखा खुली हुई है? यदि हां, तो इसमें हरिजन कर्मचारी कितनी संख्या तक भर्ती किये जा सकते हैं?

(ख) क्या यह सत्य है कि हरिजन कर्मचारियों की पोस्ट्स पर गैर हरिजन कर्मचारियों की भर्ती की हुई है। यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है और किन कारणों से इस प्रकार की भर्ती की गई है?

उप-मंत्री, वित्त (श्री चन्दनमल वैद) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : Was it a reply to Question no. 409?

श्री अध्यक्ष : We will take it again.

श्री दुर्गालाल बाढदार : मेरा पहला प्रश्न यह है कि जयपुर कि नगरपालिका में हरिजन कर्मचारियों के लिये विशेष पदशाखा खुली हुई है इसका जवाब क्या दिया?

श्री चन्दनमल वैद : स्पेसिफिक ब्रान्च नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढदार : क्या विशेष शाखा नहीं है?

श्री चन्दनमल वैद : जी हां।

श्री दुर्गालाल बाढदार : मैं विशेष पद शाखा के बारे में एक्सप्लेन कर दूं।

श्री अध्यक्ष : अब क्या मतलब है, आप सवाल ही उस तरह का पूछते।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या हरिजनों को क्लेरिकल जोब देने की व्यवस्था है म्युनिसिपैलिटी में?

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा।

गंगानगर में बाट व माप बनाने की अनुमति

४११. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : Will the Minister for Industries be pleased to state:—

1. What are the names of the persons who have been granted permission to manufacture weights and measures at Ganganagar ?

2. Is it a fact that the weights and measures manufactured at Ganganagar have been recognised by the Government?

3. Did the Government while bestowing recognition prescribe sale prices of such weights and measures?

4. Is it a fact that traders at Ganganagar were asked not to import weights and measures manufactured in Punjab and duly recognised and certified by the Punjab Government?

5. Is it a fact that the Punjab price of set of weights and measures is very much below the prices at which the Ganganagar menufacture sets are sold?

6. Would the Government make an enquiry and take suitable action in this connection?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद):

1 (i) M/s Muktsar Iron Store, Shri Ganganagar.
(ii) M/s Dalmia Iron Industries Shri Ganganagar
(iii) M/s Azad Trunk Factory Shri Ganganagar
(iv) M/s Janta Foundry Works Shri Ganganagar
(v) M/s Ganganagar Sugar Mill, Shri Ganganagar

2 Weights & Measures manufactured at Ganganagar and conforming to standard specification are recognised and stamped.

3. No, Sir.

4. No specific instructions were issued in this respect but weights and measures manufactured in Punjab and certified by Punjab Government are not valid for use by traders in Rajasthan, and should not be imported.

5. No, Sir. It is not known.

6. There is no point in making an enquiry since weights can be imported from Punjab and if the price there is lower that can be imported and got stamped in this State according to Rules.

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने पांच के उत्तर में कहा है कि जानकारी नहीं है। पर प्रश्न यह है कि आपको जानकारी होनी चाहिये, आपको जानकारी करनी चाहिये पंजाब से जो वेट्स और मेजर्स इम्पोर्ट होते हैं वे कितने हैं, आपने कह दिया कि नहीं। आपने जानकारी क्यों नहीं की ?

श्री चन्दनमल वैद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो छः नम्बर का जवाब है उससे यह प्रश्न उठता नहीं है। पंजाब में कीमतें कम हैं तो बेचा जा सकता है, इसके लिये सुविधाएं दी जा रही हैं और जैसे दो मैन्युफेक्चरार्स को सुविधाएं दी है।

Page No 14

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर): पंजाब के वेट्स के आने देने में क्या दिक्कत है?

श्री चन्दनमल वैद : कोई दिक्कत नहीं है। स्टाम्प खरीद लें तो।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पंजाब में स्टाम्प लगावें और यहां भेज दें तो क्या दिक्कत है? पास तो दोनों जगह एक ही सा होगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : वेट्स और मेजर्स देश के किसी भी हिस्से में बने हों सस्ती कीमत पर, अगर वे कहीं भी मिलते हैं तो इसका लाभ कज्यूमर्स को मिलना चाहिये। राजस्थान सरकार को यहां के कुछ मैन्यूफेक्चरर्स को अनावश्यक संरक्षण और रियायत देने के लिये उनके आगमन पर इस तरह से रोक नहीं लगानी चाहिये। वे चाहें तो यहां की मोहर लगा लें चाहे पंजाब की लगवा लें। किसी भी सरकार की लगी हो, मोहर लग जानी चाहिये। फिर देश के किसी भी हिस्से में वे लेजा कर बेचें, उस पर अनुचित प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिये और उसका प्रचलन हर जगह मन्जूर किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिह।

ब्यावर में कपड़े पर चुंगी कर

४१२. **श्री भैरोंसिह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

[१] ब्यावर में कपड़े पर चुंगी कर क्या है?

[२] क्या यह सही है कि जयपुर, जोधपुर, पाली, किशनगढ़, सोजत आदि आसपास की नगरपालिकाओं में ब्यावर से कम चुंगीकर लगा हुआ है? यदि हां, तो उनसे कितना कितना कम है?

[३] क्या यह सही है कि चुंगीकर अधिक होने के कारण ब्यावर में कपड़े के व्यापार को काफी क्षति पहुंची है?

[४] क्या यह सही है कि 'दी क्लॉथ मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, ब्यावर' ने पिछले वर्ष तक प्रार्थना-पत्र तारीख १२-६-६१ को सरकार को दिया था यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उप-मंत्री, वित्त (श्री चन्दनमल वैद) : (१) ७५ नये पैसे प्रति शत।

(२) जयपुर, जोधपुर, पाली, किशनगढ़, सोजत आदि में चुंगीकर की दरों की तुलनात्मक तालिका निम्न प्रकार से है :—

१.	जयपुर	५० नये पैसे प्रति मन।
२.	जोधपुर	३७ नये पैसे प्रति मन।
३.	पाली	तीन आने प्रति मन।
४.	किशनगढ़	एक रुपया प्रति शत।
५.	सोजत	२५ नये पैसे प्रतिशत।
६.	ब्यावर	७५ नये पैसे प्रतिशत।

(३) जी हां। कुछ सीमा तक सही है।

(४) जी हां। इसी आधार पर तथा नगरपालिका परिषद् ब्यावर की सिफारिश पर चुंगी की दर १-२५ नये पैसे प्रतिशत के स्थान पर ७५ नये पैसे प्रतिशत कर दी गई।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : क्या यह सही है कि गवर्नमेन्ट के पास रिप्रेजेन्ट किया है वहां के लोगों ने और उस पर गवर्नमेन्ट ने इस दिशा में क्या किया है ?

श्री चन्दनमल वैद : आपका आशय अगर इसी से है तो हमने उस पर १.२५ नये पैसे से घटाकर ७५ नये पैसे प्रतिशत कर दिया है ।

श्री कुमारानन्द : क्या ७५ नये पैसे भी ज्यादा नहीं है इन कम्पेरीजन टू अदर्स ?

श्री चन्दनमल वैद : यह तो ब्यावर नगर परिषद् के सोचने की बात है । जैसा उसने हमसे कहा, हमने कर दिया ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : क्या सरकार सभी को इसके लिये एड्वाइज नहीं कर सकती कि सब जगह एक सी दरें जायं ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : १.२५ नये पैसे से ७५ पैसे जो किये हैं और इससे जो वहां की नगर परिषद् को घाटा हुआ उस घाटे को लाने में तो सरकार का हाथ है, पर उससे घाटा हुआ उसकी पूर्ति आप करेंगे क्या ?

श्री चन्दनमल वैद : ब्यावर म्युसिसिपल कौंसिल के प्रस्ताव पर ही ऐसा किया गया है ।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : आप यहां से वहां तक एक से नियम नगरपालिकाओं में रखना चाहते हैं तो क्या चुंगी की दरों में भी यूनीफार्मिटी लाना चाहते हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : यह प्रस्ताव अच्छा है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : पिछले सदन में यह आश्वासन दिया गया था सरकार की तरफ से कि इन सबका एकीकरण किया जावेगा । क्या अब आप इसके विरुद्ध हैं ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

बीकानेर वाटर वर्क्स कर्मचारियों को ओवर टाइम वेजेज

४१३ **श्री कुमारानन्द** (ब्यावर) : Will the Minister for P. W. D. be pleased to state :—

(1) Is it a fact that the Water Works Staff at Bikaner has not been paid overtime wages in lieu of paid National and Festival Holidays for the years 1953 to 1956 so for ?

(2) If so, what steps are being taken to make payments to them early ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : यह मामला सरकार के विचाराधीन है और जल्दी ही पेमेन्ट कर दिया जावेगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : कितने समय में ? ५६ का बकाया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैंने कहा न कि जल्दी से जल्दी ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह "जल्दी से जल्दी" कुछ नहीं होती है । आप समय बताइये ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : कौनसी योजना में ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : दो महीने के भीतर।

प्रश्न संख्या ४१४

श्री अध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह।

(अनुपस्थित–कृपया इसके लिये परिशिष्ट १ देखिये)

बास बदनपुरा व डूंगरी फकीरान बस्ती, जयपुर में बिजली व नल योजना

११५. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या बास बदनपुरा व डूंगरी फकीरान की बस्तियां जयपुर में बहुत पुरानी बस्तियां हैं यदि हां, तो कुल कितनी बस्तियां हैं और इनमें कितने कितने घरों की आबादी है ?

(२) क्या इन बस्तियों में पानी के नल की व्यवस्था है और बिजली भी लगी हुई है ? और यदि ऐसा है तो किस बस्ती में कितनी कितनी बत्तिया व नल लगे हुए है, कृपया सदन की मेज पर विवरण प्रस्तुत करें।

(३) क्या इन बस्तियों के विकास व विस्तार की कोई योजना सरकार के पास है और यदि है तो सरकार इस योजना को कब तक क्रियान्वित करना चाहती है ?

उप मंत्री वित्त (श्री चन्दनमल वैद) : (१) जी हां। इनमें लगभग २१३ घर स्थित हैं।

(२) बास बदनपुरा में लक्ष्मण डूंगरी रोड़, मोहल्ला रेगरान, मोहल्ला हमाम चौक मस्जिद इवानढान दरगाह कदम रसूल में १० बिजली की बत्तियां लगी हुई हैं। पानी का नल नहीं है। फकीरों की डूंगरी में २ बिजली की बत्तियां व एक पानी का नल लगा हुआ है।

(३) जी नहीं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : लिस्ट के लिये निवेदन किया तो ऐसी कोई लिस्ट नहीं है। बीस और दो बिजली की बत्तियां बताई हैं। पानी का एक नल बताया। इतनी बड़ी बस्ती में एक नल से क्या होता है। जो है उनकी हालत यह है कि दस दस फीट मिट्टी में जज्ब हो गये, कुओं में पानी खतम हो गया। पीने का पानी नहीं मिलता उनको। इसकी भी व्यवस्था वहां नहीं है और कैफियत यह है कि ये सबसे पुरानी बस्तियां हैं। बरसात में और भी बुरी हालत हो जाती है। आप स्वयं मुलाहिजा फरमा कर देख लीजिये वहां की हालत को।

श्री चन्दनमल वैद : I have stated the fects.

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : No list has been provided, then how to know the fect ?

एक माननीय सदस्य : किसी तरह की व्यवस्था नहीं है, जनता बहुत ही दुखी है वहां।

बीमा विभाग में सस्पेन्स की रकम

४१६. **श्री भेरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) बीमा विभाग में कितनी कितनी रकम किस किस वर्ष से सस्पेन्स में पड़ी है और क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि कुछ पॉलिसी होल्डर्स को विभाग द्वारा यह कहा जा रहा कि उनका प्रीमियम दुबारा लिया जावेगा जब कि पॉलिसी होल्डर इस प्रकार का प्रीमियम जमा करना बतला रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों और ऐसे कितनी रकम के कितने मामले है ?

श्री उप मंत्री शिक्षा (श्री निरंजननाथ-आचार्य) : (१) सस्पेन्स में डाली गई रकम का सालाना विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है । इसके निम्न कारण हैं :—

(१) बीमा विभाग द्वारा चाही गई सूचनाओं का प्राप्त न होना ।

(२) बिना विवरण दिये एक मुश्त बीमा की रकम का फण्ड में जमा कराया जाना ।

(३) बीमा विभाग द्वारा आवश्यक ऑथोरिटी पत्र जारी कर दिये गये परन्तु सम्बन्धित विभागों द्वारा रकम का भुगतान नहीं किया गया ।

(४) रिकवरी शिड्यूल में विभागों द्वारा पॉलिसी संख्या का दर्ज न करना या गलत पॉलिसी संख्या दर्ज करना ।

(२) यह सही नहीं है कि कुछ पॉलिसी होल्डर्स को बीमा विभाग द्वारा यह कहा जा रहा है कि उनसे प्रीमियम दुबारा लिया जावेगा जब कि पॉलिसी होल्डर्स इस प्रकार का प्रीमियम जमा कराना बतला रहे हैं ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह जो ऑथोरिटी लेटर इश्यू किया है यह किन को किया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : Pardon

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जो ऑथोरिटी लेटर इश्यू किया है, यह किनको किया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : to withdraw the amount.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह पॉलिसी होल्डर को दिया गया क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जी हां पॉलिसी होल्डर व्यवस्था विशेष में to withdraw the amount from the treasury.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: संबंधित विभाग ने भुगतान नहीं किया उस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जो सस्पेन्स में रकम है उसके लिए ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितनी सस्पेन्स में रकम हर साल रखी है ? ५४ से ६१ तक १० लाख ८० हजार के करीब है।

Page No 18

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह व्यवस्था विशेष रूप से दी है और हम यह विश्वास रखते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको सक्रिय रूप से लिया जावेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : विवरण नहीं दिया जाता तो रकम कैसे जमा होती है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कारणों पर हम काबू पा रहे हैं। जैसे कोई रकम पंचायत समिति से आई और उसके ऊपर पॉलिसी नम्बर नहीं आया या और दूसरा विवरण नहीं आया, इसलिए वह रकम कन्सोलिडेटेड पड़ी रहती है। अब सारी स्थिति का अध्ययन करके काबू पा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : इस सस्पेन्स की रकम के अलावा इसमें वह रकम भी शामिल है जो कि प्रीमियम के रूप में शामिल हुई है और उनको पॉलिसी नहीं दी गई है?

श्री निरंजननाथ अचार्य : प्रीमियम के रूप में जमा होने का प्रश्न इसलिए पैदा नहीं होता कि यह रकम विवरण सहित आती तो हमारे खाते में जमा हो जाती। इसलिए सस्पेन्स में वही रकम आती है जिसको हम समझ नहीं पाते।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर क्या ऐसा समझें कि जितनी सस्पेन्स में आई है उसमें पॉलिसी नहीं दी?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह समझना ठीक है। जब तक हम इस पर विवरण नहीं देख लें, खाते में जमा नहीं हो जावे तब तक पॉलिसी इश्यू नहीं हो सकती। जिनकी पॉलिसी इश्यू हो जाती है उनकी भी रकम सस्पेन्स में पड़ जाती है क्योंकि वह पूरा विवरण नहीं देते।

अलवर-तिजारा रूट पर बसों में अधिक सवारियों से यात्रियों को असुविधा

४१७. **श्री हरिराम चौहान** (तिजारा): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि अलवर-तिजारा रूट पर चलने वाली बसें आम तौर पर ओवरलोड होती हैं ?

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि उन बसों का आम तौर पर कोई चैकिंग नहीं होता है ?

(ग) क्या यह सही है कि ओवर लोडेड चलने से जनता को बड़ी असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस रूट पर और बसें चलवाने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, यातायात (श्री भीमसिंह) :

(१) जी नहीं।

(२) यह सही नहीं है कि उक्त गाड़ियों का चैकिंग नहीं होता।

(३) जी, यह सही नहीं है, अत: और बसें चलाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्योपतसिंह : चैकिंग नहीं होता तो पिछले साल में कितने चालान हुए ?

श्री हरिराम चौहान : यह जो सूचना आपके पास है, यह गलत है कि ओवरलोडिंग गाड़ियां नहीं चलती। काफी ओवरलोडिंग चलती है। वहां पर इस बात की जरूरत है कि दूसरी बसें और लगाई जायें। अगर आप परमिट नहीं दे सकते तो सरकार अपनी बसें लगायें उसके बारे में क्या ख्याल है ? उससे सरकार को आमदनी भी हो सकती है।

श्री भीमसिंह : जिन रूट्स पर सरकार की योजना बसें लगाने की है उन पर लगाने के बाद इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : इस रूट पर कितने चालान हुए हैं पिछले वर्ष?

श्री भीमसिंह : यह अलग प्रश्न है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : ओवरलोडिंग हैं या नहीं, इसकी जानकारी का क्या आधार रखा है आपने ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा।

एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के अन्तर्गत पावर लूम्स उद्योग के लिए प्रार्थना-पत्र

४१८. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान में निर्यात-उन्नति योजना (एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम) के अन्तर्गत पॉवर लूम्स उद्योग के लिए कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए और कितने राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किए जा चुके हैं और कितने प्रार्थना-पत्र स्वीकृत होकर आ चुके हैं ?

उप-मन्त्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वेंद) : राजस्थान में निर्यात उन्नति योजना के अन्तर्गत दो प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए और दोनों पर सिफारिश की गई, परन्तु टैक्सटाइल कमिश्नर बम्बई ने यह सिफारिश स्वीकार नहीं की।

श्री मानिकचन्द सुराणा : टैक्सटाइल कमिश्नर ने किस तारीख को अस्वीकृत करके आपके पास भेजा है ?

श्री चन्दनमल वेंद : १२-९-६२ को।

श्री मानिकचन्द सुराणा : किस आधार पर अस्वीकृत किये गये और आपने भी उस सम्बन्ध में क्या कोई कार्यवाही की है।

श्री चन्दनमल वेंद : वापिस उनको लिखा जा रहा है कि ये स्वीकार कर लिए जावें।

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल।

राजस्थान हिन्जेज तथा बकेट्स वर्क्स कोटा को लोहे का परमिट

४१९. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (टोंक) : **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार जयपुर द्वारा पूछा गया) क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या कोटा नगर में एम० के० मूसाभाई को राजस्थान हिन्जेज एण्ड बकेट्स वर्क्स के नाम पर ५०० टन लोहे का कोटा दिया गया है ? अगर हां, तो कब व किसके द्वारा कोटा दिया गया है ?

(२) क्या यह सत्य है कि कोटा नगर में उक्त नाम की कोई फैक्ट्री नहीं है और न उपरोक्त पांच सौ टन का कोटा, कोटा नगर में ही आया है ?

उप-मन्त्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वेंद) कोटा नगर में राजस्थान हिन्जेज और बकेट्स वर्क्स को सिर्फ १५ टन का लोहे का कोटा सन् १९५८ और १९५९ में दिया गया है यह कोटा डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज द्वारा जिला उद्योग अधिकारी की सिफारिश पर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह १५ टन माल अभी तक पार्टी के पास नहीं पहुंचा है।

(२) उक्त नाम की कोटा नगर में अब कोई फैक्ट्री नहीं है, यह जानकारी प्राप्त हुई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है कि जब १९५८ और १९५९ में जिला उद्योग अधिकारी की सिफारिश पर कोटा दिया गया तो उनको नहीं मिला है और यह फर्म भी है या नहीं ?

Page No 20

श्री चन्दनमल बैद : यह प्रपोज्ड इन्डस्ट्री थी। हो सकता है, उन्होंने विचार छोड़ दिया हो और कहीं चले गये हों और उनको कोटा अभी तक मिला साबित नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिराम चौहान।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा)। मिनिस्टरों का नम्बर लग गया ४२०।

तिजारा तहसील में विद्युत् कार्य

४२०. **श्री हरिराम चौहान** (तिजारा): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) क्या यह सही है कि अभी तक तिजारा तहसील में बिजली का कार्य कहीं भी पूरा नहीं हुआ है ?

(ख) क्या यह सही है कि कोटकासिम में तो बिजली का कार्य शुरू भी नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक यह कार्य पूरा होगा ?

(ग) क्या यह सही है कि बिजली टपूकड़ा, शिवाना और तिजारा को ही दी जा रही है ? बाकी गांवों को बिजली कब तक मिल जावेगी ?

उप-मन्त्री, विद्युत (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी नहीं।

(२) जी हां।

(३) जी हां, बाकी गांवों का कोई प्रोग्राम नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : Is the reply same as the question number is ?

श्री परसराम मदेरणा : Yes.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्वेश्चन नंबर ४२० है। जवाब भी ४२० है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज एक्ट के अधीन सेवा नियम

४२१. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) राजस्थान टाउन म्युनिसिपैलिटीज एक्ट के अनुसार म्युनिसिपल सर्विसेज को रेगुलेट करने की दिशा में सरकार ने अब तक क्या क्या कार्यवाही की है ? इस संबंध में बनाये गये नियम, उप-नियम, परिपत्र, आदि कुछ हों तो कृपया उनकी एक एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) सरकार इस संबंध में अब आगे क्या कार्यवाही करना चाहती है और कब तक ?

उप-मंत्री, वित्त (श्री चन्दनमल बैद) : ये १९५९ में रिवीलि हो चुके हैं, अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न संख्या ४२२ श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

(अनुपस्थित)

श्री हरिराम।

अलवर-तिजारा, तिजारा-खैरथल पर पुरानी बसें

४२३. **श्री हरिराम चौहान** (तिजारा): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सही है कि अलवर-तिजारा और तिजारा-खैरथल जो बसें चलती हैं उनमें से कुछ बसें पुराने मॉडल की हैं और उनकी हालत बहुत ही खराब है ?

(ख) क्या यह सही है कि इसकी सूचना दिनांक २८-६-६२ को संबंधित अधिकारियों को दी जा चुकी है ? यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) जो बसें अलवर--तिजारा व तिजारा-खैरथल रूट पर चलती हैं उनका नम्बर व मॉडल संलग्न है। यह सही नहीं है कि उक्त बस की हालत खस्ता है क्योंकि उक्त बसें मैकेनिकल इन्सपेक्टर द्वारा पूरी जांच के बाद फिट करार दी जाती हैं ।

(२) कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(कृपया परिशिष्ट ५ में देखिये)

श्री हरिराम चौहान : क्या यह सही है कि उन बसों के मालिकों को नोटिस दिया गया सरकार द्वारा कि वे बसें खराब हैं और इनकी जगह दूसरी बसें लगाई जायें ?

श्री भीमसिंह : इसकी कोई सूचना नहीं है ।

श्री हरिराम चौहान : फिर अधूरी सूचना से कोई फायदा नहीं होता । आपके पास यह सूचना नहीं है कि डिपार्टमेन्ट को लिख कर भेजा गया और यह सूचना नहीं कि उनको नोटिस दिया गया है तो इस सवाल के जवाब का कोई फायदा नहीं। ठीक तरह से इसको जांच होनी चाहिये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह सूचना नहीं, तो जवाब किस आधार पर दिया गया ?

श्री भीमसिंह : उनके अनफिट होने की सूचना नहीं दी गयी । एक मॉडल पुराना है उसका नोटिस नहीं दिया गया आप दोनों को मिक्स-अप कर रहे हैं ।

श्री हरिराम चौहान : उन बसों की हालत बहुत खराब है, सीटें खराब हैं। उनकी जो चद्दर है वह टूटी पड़ी है, पुराने मॉडल की बसें हैं और उनकी मशीनें खराब होने से दिक्कत पैदा करती हैं । इस तरह बसें हैं उनकी अच्छी तरह देखभाल करें तो अच्छा रहे ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ?

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न संख्या ४२४ ।

राजस्थान सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक ऑफ इन्डिया से ओवर ड्राफ्ट

४२४. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) राजस्थान सरकार द्वारा इस समय रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया के से कितना ओवर ड्राफ्ट लिया हुआ है ?

(ख) राज्य सरकार ने सन् १९६१ से लेकर अब तक ओवर ड्राफ्ट के एडजेस्टमेन्ट के लिये भारत सरकार से कितना ऋण किन शर्तों पर तथा कितना Wage and means advance लिया है और कब २ ?

(ग) इस ओवर ड्राफ्ट लेने के क्या कारण हैं ?

उप-मंत्री शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : Then, Sir, my prayer is to postpone it as the question is important......

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सवाल हिन्दी में हैं हिन्दी में जवाब दें।

श्री भैरोंसिंह (किशननोल, जयपुर) : कह क्या रहे हैं सुना नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह प्रश्न बड़े महत्व का है, बड़ा कॉम्पलीकेटेड है। फाइनेन्स मिनिस्टर साहब रुग्णावस्था में हैं और वही इसका उत्तर दे सकते हैं, क्षमता रखते हैं, इसलिए इसको मुल्तवी फरमाया जाये।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह कोई कारण नहीं है। कई बार ऐसा कह देते हैं कि मंत्री महोदय नहीं हैं तो उप मंत्री अधिकृत हैं और सशक्त हैं कई बार ऐसा भी कह देते हैं कि शिक्षा मंत्री से ज्यादा जानकारी मैं दे सकता हूं, लेकिन यह विधि का प्रश्न महत्वपूर्ण है, काम्प्लीकेटेड है तो आपको जवाब देना चाहिए। उनकी रुग्णावस्था है तो वे न आवें लेकिन आपको तो जवाब देना चाहिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस हमदर्दी का तो मै कभी ख्याल ही नहीं करता था आपकी ओर से, वे नहीं आये यहां तक आपकी तमन्ना है। मैंने शुरु में यही कहा है कि इसको मुल्तवी फरमाया जाय। मेरा ख्याल है कि आपको इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट के पास जो रेडिली इन्फोर्मेशन अवेलेबल है उसको तो दे दें हां, सप्लीमेन्टरी क्वेश्चन्स का जहां तक ताल्लुक है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं नहीं पूछूगा।

श्री अध्यक्ष : उप-मंत्री जी कल उत्तर देने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष : हरिकिशन।

राजगढ़ में डिग्री कॉलेज

४३५. **श्री हरिकिशन** (राजगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि सन् १९५९ से राजगढ़ (अलवर) तहसील की जनता कस्बा राजगढ़ में डिग्री कॉलेज खोले जाने के बारे में सरकार से बराबर मांग करती आ रही है तथा राजगढ़ के कस्बे के आस पास ३०-४० उच्चतर हायर सैकन्डरी माध्यमिक शालायें और हाई स्कूलें स्थित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार राजगढ़ में कॉलेज खोले जाने की योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वहां कब तक डिग्री कॉलेज खोल दिया जावेगा ?

उप-मंत्री शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : राजगढ़ के ३०-४० मील की परिधि में केवल २० हाई व हायर सैकन्डरी स्कूल्स हैं। इस तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में राजगढ़ में डिग्री कॉलेज खोलना सम्भव नहीं है।

श्री हरिकिशन : माननीय अध्यक्ष, क्या यह सही है कि अलवर जिला एज्यूकेशनली एड्वान्स्ड होने के कारण वहां पर केवल एक ही कॉलेज रहने से ज्यादा रश रहता है और इस साल ३०० लड़कों को एड्मिशन नहीं मिल सका, तो क्या राजस्थान सरकार इस समस्या को हल करने के लिए दूसरा कॉलेज खोलने के लिए तैयार है तृतीय पंचवर्षीय योजना में ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : तीसरी पंच-वर्षीय योजना में १० कॉलेजेज़ खोलने का प्रावधान था। उसके बाद कम हो गया, ८ हो गये और ८ के बाद भी चार कालेजेज़ जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर यह ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां कि कालेजेज़ हैं ही नहीं। उसके बाद दो गर्ल्स कालेजेज़ को हम प्रिफेरेन्स दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में कहां खोले जायेंगे कह नहीं सकते, लेकिन गर्ल्स कालेजेज़ ही खोले जायेंगे। कौन पिछड़ा हुआ है और कौन एड्वान्स्ड है शिक्षा के क्षेत्र में वह सभी जानते हैं।

कुमारी उमा माथुर (रामगढ़): (अश्रव्य)

श्री निरंजननाथ आचार्य : माननीय सदस्या और माननीय सदस्य दोनों को संतोष होना चाहिए कि ऐसी स्थिति भी हो सकती है।

एक माननीय सदस्य : क्या आप पिछड़े हुए इलाकों को उठाने के लिए हमदर्दी रखते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : बड़ी हमदर्दी है लेकिन एक साधन के कारण उस पर काबू पा रखा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): प्लान कट को देखने पर व पता लगेगा कि कितनी हमदर्दी है।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा): अलवर वाले बिल्डिंग के लिए सहायता करें या और किसी तरह से सहयाता करें तो क्या गवर्नमेंट विचार सकती है ?

निरंजननाथ आचार्य : बिल्डिंग को उत्तरोत्तर बढ़ते रहने दीजिये कभी मौका आ जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिराम चौहान !

कोटकासिम से नन्दरामपुर बास सडक योजना

४२६ **श्री हरिराम चौहान** (तिजारा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि कोटाकासिम से नन्दरामपुर बास तक पक्की सड़क बनाने का सरकार का तृतीय पंचवर्षीय योजना में इरादा है ?

(ख) क्या यह सही है कि उस सड़क का कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है ?

(ग) क्या सरकार इस साल उस सड़क का कार्य शुरू कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक कार्य प्रारम्भ होगा ?

उप-मंत्री सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानी शंकर नन्दवाना): (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

कस्बा पीपलू (तहसील टोंक) में हायर सेकेन्डरी स्कूल

४२७ **श्री जयनारायण सलोदिया** (निवाई): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार कस्बा पीपलू (तहसील टोंक) के मिडिल स्कूल को हायर सेकेन्डरी स्कूल में बदलना चाहती है ?

(२) क्या यह सही है कि हायर सेकेन्डरी स्कूल के उपयुक्त एक भवन कस्बे की जनता की मदद से बन कर तैयार है ?

(३) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र के आस पास में हायर सेकेन्डरी स्कूल न होने से उक्त क्षेत्र की जनता परेशान है ? यदि हां तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

Page No 24

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य :--(१) जी नहीं।

(२) जी हां। लेकिन यह भवन हायर सैकन्डरी स्कूल के लिये उपयुक्त नहीं है।

(३) अर्थाभाव के कारण किसी भी स्कूल को १९६३-६४ में हायर सैकन्डरी में बदलने का प्रावधान नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : आप हर बात में हां या ना में उत्तर देते हैं तो यह तो हम निर्माण मंत्रीजी से ही उम्मीद करते हैं, आपने भी शायद उनका अनुकरण किया है। एक तरफ तो आप यह चाहते हैं कि एज्यूकेशन को इतनी सबल और सफल बनायें कि उसको अनिवार्य करें और दूसरी तरफ आप केवल हां या ना का उत्तर देते हैं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : प्रश्न नहीं आ रहा हैं, अध्यक्ष महोदय, उपदेश आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : उसकी भी आवश्यकता है।

श्री जयनारायण सालोदिया : स्कूल का भवन जो बन रहा है वह आपके एप्रूव्ड नक्शे का बन रहा है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आपकी मन्शा का मैंने संकेत ले लिया है।

श्री जयनारायण सालोदिया : उप-शिक्षा मंत्रीजी मुझे सुन तो लीजिये। स्कूल का जो भवन बन रहा है वह आपके एप्रूव्ड नक्शे के अनुसार बन रहा है और आप कहते हैं कि स्कूल उपयुक्त नहीं है तो आपको क्या जानकारी हैं ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आपका आधार और शिक्षा विभाग का आधार जो है उसमें बड़ा फर्क है। कौनसा भवन उपयुक्त है और कौन सा नहीं इसके बारे में यहां पर कई बार कह चुका हूं।

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवामहल, जयपुर) : भवन कैसा होना चाहिए, क्या राज्य सरकार ने इसकी कोई रूपरेखा बना रखी है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : जी हां

श्री दुर्गालाल बाढदार : यदि है तो वह रूपरेखा जनता के सामने व्यक्त कर दी जाय ताकि जनता जहां चाहे उस रूपरेखा के अनुसार भवन बना दे तो यह क्वेश्चन नहीं उठे। यदि रूपरेखा व्यक्त नहीं की है.......

श्री निरन्जननाथ आचार्य : जो स्कूल खुलवाने की मांग करते हैं उनको अवगत शिक्षा विभाग कराता है कि ऐसे स्तर के बनाये जाएं। मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और हायर सैकेन्डरी स्कूल की इमारतों के लिए क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, और उस व्यवस्था के मुताबिक ही अगर वे एकोमोडेट कर सकेंगे विद्यार्थियों को तो खोलने में सहूलियत दी जा सकती है। इसकी व्यवस्था है।

श्री दुर्गालाल बाढदार : अभी तक इसी विश्वास से खोले गये हैं कि पेड़ के नीचे और नीम के नीचे भी बच्चों को शिक्षा देंगे लेकिन जनता भवन बनाकर देती है तो आप यह कहते हैं कि रूपरेखा के मुताबिक स्कूल की बिल्डिंग तैयार नहीं की गई; तो यह विरोधाभास क्यों है ? इस पर विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री मुकुटबिहारीलाल (बैर) : प्रश्न संख्या ४२८।

श्री जयनारायण सालोदिया : स्कूल भवन जो बना है वह आपके नक्शे के मुताबिक बना है यह मैं आपको डेफिनिट कह रहा हूं और शिक्षा विभाग को लिखा हुआ है और शिक्षा विभाग की तरफ से निरीक्षण होता है और आप यह कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको जानकारी नहीं है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आपके नापतौल और शिक्षा विभाग के नापतौल में फर्क है।

श्री जयनारायण सालोदिया : उसके उद्घाटन के लिए मैं आपको ले चलूंगा। (हंसी)

श्री रामानन्द अग्रवाल : शिलान्यास किस से करवाया है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : शिलान्यास तो माननीय सदस्य ने स्वय ने किया था।

प्रश्न संख्या ४२८

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिह।

बी० एस० टी० सी० स्कूल की सुजानगढ़ इमारत

४२९. **श्री भैरोंसिह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि बी० एस० टी० सी० स्कूल, सुजानगढ़ एक रेजिडेन्शियल स्कूल है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि उक्त कार्य में सम्बन्धित इमारत छोटी पड़ती है ?

(ग) क्या यह सत्य है कि इमारत की कमी के कारण वहां के विद्यार्थी उक्त इमारत में बने रसखाने में रहते हैं ?

(घ) क्या यह सत्य है कि उक्त इमारत के अच्छे अच्छे कमरे सार्वजनिक निर्माण विभाग सर्किट हाउस के उपयोग में ले रहा है ?

(ङ) यदि हां, तो कितने और क्यों ?

(च) क्या यह सत्य है कि उक्त सर्किट हाउस में मूविंग कोर्ट्स भी लगते हैं ?

(छ) क्या यह सत्य है कि उक्त सर्किट हाउस यदि वहां से हटा दिया जाय तो इमारत स्कूल के लिये पर्याप्त हो सकती हैं ?

(ज) यदि हां, तो इस विषय में सरकार क्या सोच रही है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य : The facts of this question have not been ascertained, Sir, inspite of the efforts that I had made in the direction.

श्री अध्यक्ष : Next.

विकास अधिकारी बनेड़ा का स्थानान्तरण

४३०. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :–

(क) क्या यह सही है कि बनेड़ा पंचायत समिति के तत्वावधान में विकास अधिकारी की आज्ञा से अध्यापकों ने तारीख २३-८-६१ को एक नाटक बनेड़ा में खेला था ?

(ख) क्या यह सही है कि उस नाटक में पंचायती राज्य की मखौल उड़ाई गई ? अतः वहां के प्रधान ने एक पत्र लिख उसकी जांच की मांग की थी तथा कलेक्टर भीलवाड़ा ने उसकी जांच भी की ?

(ग) क्या यह सही है कि जांच के बाद विकास अधिकारी का स्थानान्तरण किया गया, परन्तु तीन दिन के बाद ही उनका स्थानान्तरण वापस स्थगित किया गया ?

(घ) क्या यह सही है कि स्थानान्तरण के ऑर्डर के साथ यह भी आॅर्डर था कि २४ घन्टे में चार्ज दे दिया जावे और इस पर भीलवाड़ा से एडीशनल कलेक्टर ने बनेड़ा आकर चार्ज २४ घन्टे में दिलाया ?

(ङ) क्या यह सही है कि आज भी वही विकास अधिकारी बनेड़ा में है ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (क) जी हां। किन्तु यह सही नहीं है कि विकास अधिकारी की आज्ञा से नाटक खेला गया था।

(ख) ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी कि उक्त नाटक में पंचों का व्यंगात्मक चित्र दर्शाया गया था। इस पर कलेक्टर द्वारा जांच की गई थी।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं।

(ङ) जी नहीं।

श्री उमरावसिंह : यह जो आपने उत्तर दिया है कि ट्रान्सफर किया गया है और तीन दिन के बाद केन्सल नहीं किया गया तो इसका जवाब आपने "जी नहीं" का दिया, यह बिल्कुल गलत है। मैं इत्मिनान के साथ कहना चाहता हूं और आॅर्डर्स मैं आपके सामने पेश करूंगा।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : आपने चार्ज देने का एडिशनल कलेक्टर का उसमें लिखा है तो एडिशनल कलेक्टर ने चार्ज नहीं लिया। ट्रान्सफर हुआ था लेकिन वापिस मुन्तकिल हो गया था।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : एडिशनल कलेक्टर ने चार्ज दिलवाया है उसकी भी कापी मेरे पास है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अगर आपके पास है तो बता दें।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : उसके बाद आप क्या कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप बताएं तो सही।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जो भी नियमानुसार कार्यवाही होगी वह की जायगी।

यूनिफाइड पे-स्केल्स में कर्मचारियों का फिक्सेशन

४३१. **श्री रामानन्द अग्रवाल :** (अलवर) Will the P.W.D. Minister be pleased to state:—

1. Whether the fixation of the Jodhpur Water Works Staff in the Unified Pay Seles w. e. f. 1950 has not yet been finalised ?

2. If so, what steps the Government propose to take to finalise the same without further delay ?

उप मंत्री सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानी शंकर नन्दवाना) :- (1) The Provisional fixation has been finalised.

2. The Proposals pertaining to the constitution of a Committee for deciding representations against preliminary fixation and principles of fixation are under examination of the Government.

श्री रामानन्द अग्रवाल :—कब तक पूरा हो जायगा यह कार्य ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जल्दी ही पूरा हो जायगा। एक कमेटी बनाई जा रही है और वह कमेटी सारे मामलों को तय कर देगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जल्दी का मतलब दो महीना, इसके लिए कह दें।

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : इतना ही मान लें।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिराम।

तिजारा में नल योजना का कार्य

४३२. **श्री हरिराम चौहान** (तिजारा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सही है कि तिजारा में नल योजना का कार्य बीच में ही बन्द पड़ा है ?

(ख) क्या यह सही है कि मेन लाइन भी अभी तक पूरी नहीं हुई है ?

(ग) क्या सरकार का इरादा तमाम कस्बे में लाइन डालने का है ? यदि है तो कब तक यह काम पूरा किया जावेगा और कब तक ग्राम लोगों को पानी मिल पावेगा?

उप-मंत्री, वित्त (श्री चन्दनमल बैद) : (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) हां, योजना के अनुसार पूरे कस्बे में लाइन डाल दी गई है। बिजली मिलने के बाद करीब दो माह में पानी मिल सकेगा।

प्रश्न संख्या ४३३

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित)

श्री रामानन्द **अग्रवाल।**

(१२.०० मध्याह्न)

Page No 28

राज्य कर्मचारियों के वेतन स्तर का पुनरीक्षण एवं उनमें असन्तोष

४३४. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): Will the Chief Minister be pleased to state:—

(1) Is the Government aware that the Government servants are not satisfied with the recent Revision of Pay Scales done unilaterally by the Government and that there is simmering discontentment among them ?

(2) Will the Govenment appoint a Pay Revision Committee before which they can appear and submit memoranda as has been done in most of the States so as to satisfy them ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहन लाल सुखाड़िया):

(1) Government is not aware of any discontentment generally among the Government servants in respect of revision of pay scales. The pay scales have been revised from time to time keeping in view the financial position of the State.

(2) In view of reply to (1) this question does not arise

श्री रामानन्द अग्रवाल : When other States have appointed Pay Commissions why should not our State also appoint such a Commission where the employees may have an opportunity to represent their difficulties and put their demands ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : It is not in the notice of the Government that all other States have appointed Pay Commissions. So the question does not arise-

श्री रामानन्द अग्रवाल : Whatever has been done, has been done unilaterally by the Government without hearing the employees. Will it not be desirable that the employees are given an opportunity to represent their case and then the Government takes a decision ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : We know their difficulties, but the question is limitation of our resources.

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या यह सही है कि रावत कमेटी की रिपोर्ट के बाद में अभी तक करीब ११५ अमेन्डमेन्ट्स हो चुके हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे तादाद का पता नहीं है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या करीब १०० अमेन्डमेन्ट्स हुए हैं क्या आपको यह मालूम हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जहां एनामोली मालूम हुई चेन्जेज किये गये थे ।

Page No 29

गंगानगर कोर्ट्स में पिटिशन राइटर्स के लिए शेड

४३५. **श्री भैरोंसिह** (किशनपोल, जयपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि गंगानगर कोर्ट्स में पिटिशन राइटर्स के बैठने के लिए एक शेड बनाया गया है ? यदि हां तो उस पर कुल कितना खर्चा हुआ ?

(ख) इस शेड में पिटिशन राइटर्स को कब से बैठने की अनुमति मिली ?

(ग) क्या यह सही है कि यह शेड कई स्थानों से क्रेक हो गया है ? यदि हां, तो इस नयी बिल्डिंग में इतने जल्दी क्रेक होने के क्या कारण हैं ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानी शंकर नन्दवाना) : (१) सही है। ६१३६) रु० ।

(२) इस विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है ।

(३) यह सही नहीं है। इस शेड में को क्रेक नहीं है ।

श्री भैरोंसिह : क्या सरकार जांच कराने को तैयार है ?

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : जी हां, तैयार है ।

(प्रश्न संख्या ४३६)

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास ।

खनिज विभाग में असिस्टेन्ट इंजीनियर की नियुक्ति

४३७. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या खनिज विभाग में कोई नई नियुक्ति असिस्टेन्ट इंजीनियर की की जा रही है ?

(ख) क्या यह सही है कि इसके लिए एक विशेष व्यक्ति को लेने के लिए विशेष नियम बनाये गए हैं ?

(ग) क्या इस विभाग में कोलम्बो स्कीम के तहत ट्रेनिंग प्राप्त इंजीनियर हैं अगर हां तो कितने ? क्या उनमें से किसी को इस जगह पर नहीं नियुक्त किया जा सकता है ?

उप-मंत्री, खनिज (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (क) जी नहीं। सहायक खनिज अभियन्ताओं के ५-६ स्थायी एवं अस्थायी रिक्त स्थानों पर कुछ दिन पूर्व अस्थायी तौर पर नियुक्तियां की गई हैं ।

(२) जी नहीं । रिक्त स्थानों पर नियुक्तियां राजस्थान माइनिंग एण्ड जिलोलोजिकल सर्विस रूल्स के अन्तर्गत ही की जाती है, अतः नये विशेष नियम बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(३) कोलम्बो स्कीम के अंतर्गत ट्रेनिंग प्राप्त कोई इंजीनियर नहीं है ।

Page No 30

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तरों के लिये कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री ब्रज सुन्दर शर्मा।

श्री मथुरेश बिहारी (बांदीकुई) : जो अतारांकित प्रश्न हैं उनका रिटन रिप्लाई का टाइम नियत कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : रिटन रिप्लाई अवश्य मिलेगा।

श्री मथुरेश बिहारी : रिटन रिप्लाई की टाइम लिमिट दे दी जाय।

श्री अध्यक्ष : जैसा प्रश्न है वैसे रिप्लाई जल्दी दी जायगी।

श्री मथुरेश बिहारी : १५ दिन, २० दिन या महीने भर की लिमिट दे दी जाय।

श्री अध्यक्ष : मेरे ख्याल से १५ दिन से ज्यादा नहीं लगना चाहिये।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर शहर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन भवन

१. **श्री वैद्य गोविन्द सहाय** (गंगापुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) जयपुर शहर की चार दीवारी के अन्दर सार्वजनिक निर्माण विभाग के नियन्त्रण में कौन २ सी इमारतें हैं और उनमें कौन २ व कब से रह रहे हैं और कितनी खाली पड़ी हुई हैं। इनमें कितनों में कौन से सरकारी महकमें काम कर रहे हैं?

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

बड़े उद्योगों हेतु प्रदान किये गये लाइसेन्स

२. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान के निर्माण से अब तक कुल कितने बड़े उद्योगों के लिए किन किन व्यक्तियों, फर्मों अथवा सहकारी संस्थाओं को नये अथवा पुराने उद्योगों में वृद्धि अथवा नवीनीकरण हेतु किन २ स्थानों के लिए लाइसेन्स दिये अथवा दिलाये गये हैं?

उत्तर

सन् १९५७ के पश्चात् ५७ नये उद्योगों तथा २० पुराने उद्योगों मे वृद्धि के लिए लाइसेन्स जारी किए गए।

तालिका संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

राजस्थान की क्रय-विक्रय सहकारी समितियों को दी गई धन-राशि

३. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में कुल कितनी क्रय-विक्रय सहकारी समितियां हैं? प्रत्येक को कितनी कितनी धनराशि किस २ कार्य के लिए सरकार अथवा अन्य स्रोतों से उधार दी हुई है? उक्त राशि में से कितनी कितनी राशि प्रत्येक समिति के जिम्मे ओवरड्यू है और कब से है? तथा सरकार उक्त ऋण की वसूली के लिये क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

(१) १२५ क्रय-विक्रय सहकारी समितियां हैं। अन्य सूचनायें संलग्न परिशिष्ट (क) में उपलब्ध है।

(कृपया परिशिष्ट ९ देखिये)

Page No 31

विभिन्न उद्योगों के लिये दी गई धनराशि एवं उनसे काम

४. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

राजस्थान राज्य की कितनी धनराशि किन २ उद्योगों में (स्टेट एन्टर प्राईजेज को छोड़कर लगी हुई है तथा उन प्रत्येक उद्योगों से प्रतिवर्ष कितना प्रतिशत लाभ मिलता रहा है ?

उत्तर

राजस्थान राज्य की विभिन्न उद्योगों में दिनांक ३१-३-१९६२ को दो करोड़ छियालीस लाख अड़सठ हजार चार सौ पैंतीस रुपये उन्यासी नए पैसे (रु० २,४६,६८,४३५.७९ न० पै०) की धनराशि नियोजित, (Invested) थी। उसका ब्यौरा बजट मेमोरेन्डम १९६२-६३ के नियोजन विभाग (Investment section) की पृष्ठ संख्या ५, ६ ७, पर क्रम संख्या १ से ४३ तक दिया गया है। जिन २ उद्योगों से राजस्थान राज्य को लाभ मिलता रहा है उसके प्रतिशत की एक तालिका संलग्न है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में सड़कों के निर्माण सम्बन्धी प्रावधान

५. **श्री भीमसेन** (लूनकरणसर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बीकानेर जिले में तीसरी योजना के प्रारूप में कौन २ सी सड़कें प्रस्तावित की गई थीं ? उपरोक्त सड़कों में अब कौन २ सी सड़कें तीसरी योजना में बनाई जायगी ? उन सड़कों का फेज्ड प्रोग्राम क्या है ?

उत्तर

तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव विचाराधीन है !

बीकानेर डिविजन की क्रय-विक्रय सहकारी समितियों द्वारा अवैधानिक कार्य

श्री भीमसेन (लूनकरणसर): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बीकानेर डिविजन में कुल कितनी क्रय विक्रय सहकारी समितियां हैं ? उनमें से कौन २ सी समितियों अपने उपनियमों के अनुसार अपनी कार्य-कारिणी और बोर्ड ऑफ डाईरक्टरर्स का तथा अपना वार्षिक अधिवेशन करती है ? जिन समितियों ने ऐसा नहीं किया है उनके विरूद्ध विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है ?

उत्तर

२६ क्रय-विक्रय सहकारी समितियाँ हैं। अन्य सूचनायें संलग्न सूची परिशिष्ट (क) में दी हुई है।

(कृपया परिशिष्ट ११ देखिये)

बीकानेर में देवस्थान विभाग की ओर से दी गई विभिन्न आर्थिक सहायताएं

श्री भीमसेन (लूनकरणसर): क्या मंत्री, देवस्थान विभाग बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला बीकानेर में देवस्थान विभाग की ओर से कुल कितनी वार्षिक या मासिक सहायता पिछले वर्ष दी गई ? कृपया सहायता पाने वालों के नाम मय पूरे पते के बतलाये जावें ?

Page No 32

(श्री भीमसेन)

(२) उपरोक्त सूची में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति को सहायता कब से दी जा रही है तथा सहायता दिये जाने के क्या आधार हैं ?

उत्तर

जिला बीकानेर में देवस्थान विभाग की ओर से पिछले वर्ष जो सहायता दी गई उसकी सूची संलग्न है।

यह सूचना उक्त सूची में उपलब्ध है। सहायता किये जाने के नियमों की प्रतिलिपि संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट १२ देखिये)

बीकानेर जिप्सम कम्पनी जामसर एवं सरकार के बीच जिप्सम एवं सेलोलाइट सम्बन्धी करार

श्री भीमसेन (लूनकरणसर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) गांव जामसर के जिप्सम तथा लूनकरणसर के सेलोलाइट के संबंध में बीकानेर जिप्सम कं० जामसर एवं सरकार के बीच क्या इकरारनामा हुआ ? उक्त इकरारनामा अथवा लीज डीड की प्रति सदन की मेज पर रखी जावे ?

(२) उक्त लीज कन्डीशन्स में से उपरोक्त कम्पनी ने किन किन शर्तों को अभी तक पूरा नहीं किया तथा इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(१) जी हां।

यह इकरारनामा जामसर में मिलने वाले जिप्सम तथा लूणकरणसर में पाये जाने वाले सेलोलाइट के खनन तथा उससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के संबन्ध में है।

(२) कम्पनी ने सभी शर्तों का पालन किया है।

(१०'०६ म०प०)

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के सप्तम प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के सप्तम् प्रतिवेदन का उपास्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड।

राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के जुलाई १९५० से १९५९ तक के लेखो इत्यादि का

(सदन की मेज पर रखना)

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री विद्युत): अध्यक्ष महोदय, मैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, १९४८ की धारा ६९ (५) के अंतर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मंडल (राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड) का लेखा १-७-१९५७ से ३१ मार्च, १९५८ तथा १९५८-५९ तथा उन पर अंकेक्षा प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्भुज उपाध्याय।

गंगरार एवं चितौरगढ के किसानों के गन्नों की समस्या सम्बन्धी याचिका का उपस्थापन

श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चितौड़गढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तहसील गंगरार एवं चितौड़गढ़ के किसानों के गन्ने की समस्या के सम्बन्ध में ६५ याचिका देनेवालों द्वारा हस्ताक्षारित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री केसरीसिंह।

दिनांक १६ अक्टूबर, १९६२ के तारांकित प्रश्न १८५ सम्बन्धी आधे घन्टे की चर्चा

श्री केसरीसिंह (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं, जो प्रश्न संख्या १९५ दिनांक १६ अक्टूबर को यहां पर पूछा गया था और जिसका जवाब दिया गया था उस संबन्ध में चंद बातें सदन के सामने रखना चाहूंगा। इसमें १२ अक्टूबर जो छप गया है वह गलत है।

म्युनिसिपल बोर्ड, पाली ने कुछ जमीन पर एन्क्रोचमेन्ट करने की कोशिश की। यह जमीन उस सड़क की बाउन्ड्री पर आती हैं जो सड़क जोधपुर से सुमेरपुर को जाती है पाली के बीच में से गुजर कर। यह स्थान पाली मिल और स्टेशन एरिया के आस-पास है। सबसे पहले म्युनिसिपल बोर्ड ने इस जमीन पर कुछ प्लॉट्स ऑक्शन करने का निर्णय लिया। वह निर्णय कब लिया उसकी तारीख मैं ठीक से नहीं बता सकता। इस पर कलेक्टर ने बीच में इन्टरवीन किया और कहा कि इस तरह से ऑक्शन करना गैर वाजिब है, नहीं किया जा सकता और ऑक्शन रोक दिया गया। उसके बाद म्युनिसिपैलिटी ने अपने २२-८-६१ के रिजोल्यूशन के माफिक उसको फिक्स प्राइस पर एलॉट करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि हमको ऑक्शन करने के लिये रोका गया है, ठीक है ऑक्शन नहीं करेंगे एलॉट करेंगे। इस पर किसी पार्टी की तरफ से ओब्जेक्शन होने पर कलेक्टर ने फिर इन्टरवीन किया। पहले शो कॉज नोटिस दिया म्युनिसिपेलिटी को कि आपका रिजोल्यूशन क्यों नहीं सस्पेन्ड किया जाय। इसका उन्होंने रिटन रिप्लाई नहीं दिया। फिर हीयरिंग हुई, उन्होंने स्वयं मौका देखा और निर्णय लिखा ....

"I have carefully considered the arguments advanced by the applicants as well as those on behalf of the Municipal Board, Pali. It is a fact that the Municipal Board has acted in an unlawful manner in passing the resolution on 22-8-61 to allot land at reserve price without referring this matter first to the Committee as envisaged in Government Notification No. F. (187) LSG/58 dated 8th March, 1961. It is, therefore, necessary to suspend the execution of this resolution and the Municipal Board, Pali is orderred accordingly, and directed to suspend any execution of this resolution. A copy of this resolution may be submitted to the State Government and also endorsed to the Municipal Board, Pali, for necessary action."

इस प्रकार कलेक्टर ने इस म्युनिसिपल रिज़ोल्युशन को सस्पेन्ड कर दिया। अच्छा इसके बाद म्युनिसिपेलिटी ने क्या किया कि

(श्री केशरीसिंह)

डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज के पास एक ऐसी स्कीम बनाकर, प्रपोजल बनाकर भेजा कि इस जमीन पर शोप्स बना दी जावें, ऐसा प्रपोजल डाइरेक्टर साहब के पास भेजा। उन्होंने अपना एप्रवल नहीं दिया बल्कि उन्होंने कमेटी को रेफर किया जो गजट नोटिफिकेशन के द्वारा गठित हुई है और जिसके सामने ऐसे मामले जाने चाहिये। इसके मुताबिक यह मामला इस कमेटी के सामने रखा गया। इस कमेटी ने इसको दिनांक २० और २१ नवम्बर, १९६१ को कंसीडर किया। उन्होंने लिखा है अपने मिनिट्स में, उनके एक्सट्रेक्ट्स कोट करके बताता हूं

"This case was put up before the Committee by the Chairman this morning (20-11-61). This case was first sent by the Municipal Board to the Director of Local Bodies which has now been returned for disposal in accordance with the provisions of Local Self Government Department Notification dated 8-3-1961.

The Committee inspected on 20-11-61. All the shop sites proposed to be allotted to the refugees would, according to the Executive Engineer and the Assistant Town Planning Officer fall within 80 feet of the road (Pali-Jodhpur road). It was considered necessary that a clear space of 80 feet from the centre of the road should be left open as it was in future to be a national highway."

Then again,

"The Committee examined the contention of the Chairman, and came to the conclusion (Shri Daga dissented) that in no case these shops should be allowed to be made pucca. This will very adversely affect the traffic on this road. The Committee also took note of the fact that these shops were not on Municipal land and they lay within 50 feet of the road boundary and, as such, the land on which the shops stood belonged to the P. W. D."

तो कमेटी का भी यह निर्णय रहा कि यह जो जमीन है, यह जमीन म्यूनिसिपेलिटी की जमीन नहीं है, यह जमीन पी०डब्ल्यू०डी० की जमीन है और इसको म्यूनिसिपेलिटी इस तरह डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकती। इस फैसले के बाद, कलेक्टर के आर्डर को फ्लाउट करते हुए और कमेटी की फाइन्डिग्स को फ्लाउट करते हुए म्युनिसिपेलिटी में, तारीख २०, २१ को यह बात हुई-२७ तारीख को एक रिजोल्यूशन पास कर दिया, जिसमें यह कर दिया कि हमने ऑक्शन करना बन्द कर दिया अलॉट करना बन्द कर दिया, हमने जमीन लीज आउट कर दी ९९ साल के लिए विद परमीशन टू कन्स्ट्रक्ट पक्का बिल्डिंग्स। इन्होंने २७-११-६२ को यह जमीन लीज आउट करने के लिये रिजोल्यूशन कर लिया। यह निर्णय, जो इन्होंने लिया इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंटस पॉलिसी क्योंकि जो एक नोटिफिकेशन डेटेड ६ दिसम्बर, १९६० है और जो कि राजस्थान राजपत्र में १९ जुलाई, १९६१ को पब्लिश हुआ है, उसके बिलकुल विपरीत है। यह नोटिफिकेशन है, वह बहुत संक्षेप में अर्ज कर देता हूं।

(श्री केशरीसिंह)

"It has come to the notice of the Government that Urban Improvement Boards and the Municipal Boards have leased out lands to private parties for commercial purposes, i. e. for shops and show-rooms etc. This is objectionable.

Government have, therefore, been pleased to order that leases should only be given for Industrial purposes for long periods ranging upto 99 years and no lands should be leased out for commercial purposes except with the previous permission of the Government. As a matter of fact, all lands for commercial purposes should be auctioned."

यह वह नोटिफिकेशन है। अब इनका यह जो २७ तारीख का निर्णय है, म्युनिसिपैलिटी का, यह गवर्नमेंन्ट की नीति के भी विरोध में है क्योंकि उसने उस जमीन को लीज आउट कर दिया जो उनकी है नहीं और पी०डब्ल्यू०डी० की है, स्टिल दे आर गोइंग अहेड विथ। इससे जो वहां सड़क है, जहां भीड़ रहती है और एक्सीडेंट काफी होते हैं और यहां तक की इस तरह की सड़क बने, जो शहर के बाहर निकलें, ऐसा सुझाव आया है और यह सड़क नेशनल हाई-वे में बनी है तो यहां जो जमीन है, उस पर एन्क्रोचमेंन्ट होना गैर वाजिब है लेकिन होने दिया जा रहा है। अब गवर्नमेन्ट को इस दिशा में, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है, कोई चिन्ता नहीं हैं इस विषय में और अगर गवर्नमेंन्ट को यह चिन्ता है कि इस पर एन्क्रोचमेंन्ट नहीं हो तो इमीजियेट और इफेक्टिव एक्शन लेना जरूरी है, वरना वहां पर कन्स्ट्रक्शन शुरु होने वाला है और एक दो केसेज में तो शुरु हो गया है। इसलिए बाद में गवर्नमेंट महसूस करे कि एन्क्रोचमेन्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे रोड़ संकड़ी हो जायगी। यह सड़क नेशनल हाई वे में है और अगर है तो मुमकिन है कि फिर लिटिगेशन में पड़ना पड़े। इसलिए मैं सरकार से दो तीन बातें जानना चाहता हूं—क्या ये फैक्ट्स, जो मैंने निवेदन किये, गवर्नमेन्ट की जानकारी में हैं? दूसरी बात मैं यह जानना चाहूंगा कि अगर जानकारी में नहीं थे तो क्यों नहीं थे और कलेक्टर ने जो आर्डर दिया था, उसकी कॉपी स्टेट गवर्नमेंट को भेजने की बात है तो वह क्यों भेजा? इस विषय में भी देअर मस्ट बी समथिंग रोंग समवेयर। उस विषय में गवर्नन्मेंट क्या करना चाहती है. यह भी मैं जानना चाहूंगा? तीसरी बात यह है कि मान लीजिये, आपको जानकारी में नहीं था तो मैंने जो आपको जानकारी दी है, क्या आप मेरी जानकारी देना ही पर्याप्त मानेंगे? यदि इसे पर्याप्त नहीं मानते है, इसको वेरीफाई कराना जरूरी समझते हैं तो कितने दिन में वेरीफिकेशन करवा लेंगे? और वेरीफिकेशन करवाने के बाद इस विषय में क्या एक्शन लेना चाहते हैं, वह भी मुझे स्पष्ट बता दिया जाय और आप उन एन्क्रोचमेंट को गलत मान कर यदि फैक्ट्स सही हों तो उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाना चाहेंगे या यह चाहें कि म्युनिसिपैलिटी ने कलेक्टर के आर्डर, कमेटी की फाइंडिग और गवर्नमेंट की पॉलिसी को फ्लाउट करते हुए उन्हें मनमाने ढंग से काम करने दिया जाय। इस विषय में क्लेरिफिकेशन दिया जाय।

Page No 36

श्री चन्दनमल वैद (उप मंत्री वित्त) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं, उनसे मेरा कार्य काफी आसान हो गया है। मैं केवल दो-तीन बातें कह कर यह समझूंगा कि माननीय सदस्य को काफी संतोष हो जायगा और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य और सरकार के व्यू पोइन्ट में फर्क नहीं है। जैसा उन्होंने बताया, यह जमीन जब ऑक्शन की गई तो कलेक्टर ने ऑक्शन रोक दिया था। उसके बाद जमीन का अलॉटमेन्ट हुवा तो वह भी कैंसिल कर दिया गया। तो यह कहना कि सरकार इसके प्रति जागरूक नहीं थी, उदासीन थी, यह सही नहीं होगा। हमने हमेशा इस कार्य में जागरूकता और कर्त्तव्यशीलता दिखाई हैं और यह महसूस हुआ है कि गलत काम हुआ है तो हमारे द्वारा या हमारे अधिकारियों द्वारा उसे रोका गया है। तीसरी बात, पाली म्यूनिसिपैलिटी ने इस प्रकार का प्रस्ताव पास किया २७-११-६१ को कि जमीन को लीज पर दुकान बनाने के लिए दिया जाय उन लोगों को, जिनकी टेम्प्रेरी दुकानें सड़क पर बनी हुई हैं, रिफ्यूजीज की बनी हुई है, उनको ९९ साल के लिए लीज पर पक्के मकान बनाने के लिए, दुकान बनाने के लिए दिया जाय। यह प्रस्ताव नगरपालिका ने हमारे पास भेजा। हमने उनको निवेदन किया कि इस प्रस्ताव को डाइरेक्टर, लोकल बॉडीज के मार्फत भेजिये, उस समय विचार करेंगे। उनका प्रस्ताव डाइरेक्टर, लोकल बॉडीज के मार्फत हमारे पास ११-८-६२ को आया। उसके बाद कलेक्टर, पाली जानकारी कर रहे हैं कि हमारी इजाजत नहीं ली हैं, तो क्यों इजाजत बिना दे रहे हैं। इसलिए यह कहना कि सरकार ने उदासीनता दिखाई हैं, यह सही नहीं है और न सरकार ने इजाजत दी है। यह सरकार के विचाराधीन है और इसमें क्या कार्यवाही की जानी थी, वह करते हुए इस पर ध्यान रक्खा गया है। इसमें ऑक्शन हुआ था तो कलेक्टर द्वारा उसको कैंसिल किया गया। उसके बाद उनका अलॉटमेंट करने की तजवीज को कैंसिल किया गया। यह सही है कि जो इजाजत चाही जाती है, वह दे दी गई तो निश्चित रूप से पचास फीट की सड़क संकड़ी होगी। इस बात का ख्याल करके पाली नगर पालिका का क्या कहना है और जो फेक्ट्स हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए कोई निर्णय लिया जायगा। इस बात में मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं और यह तो सही है कि इस जगह पर कन्स्ट्रक्शन, जैसा कि माननीय सदस्य का मानना है, कन्स्ट्रक्शन अभी शुरु नहीं हुए हैं, शायद एक दो जगह शुरु हुए हों—माननीय सदस्य इस बात में स्योर नहीं कि कन्स्ट्रक्शन शुरु हुए या नहीं। मेरी सूचना है कि कन्स्ट्रक्शन्स शुरु नहीं हुए। जिससे आशंका उत्पन्न हो जाय कि हमने कोई एक्शन नहीं लिया तो न जाने क्या गड़बड़ी हो जाय। इसलिए मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह सारा मामला सरकार के एक्टिव कन्सीडरेशन में है, हम इस पर बहुत संजीदगी के साथ विचार कर रहे हैं और सारे तथ्यों पर विचार करने के बाद, पाली नगर पालिका ने जो प्रस्ताव रखा है, उस पर निर्णय लेंगे।

श्री केसरीसिंह (पाली) : मैं एक अर्ज कर सकता हूँ ?

(विराम)

(श्री केशरीसिंह)

इस विषय में मेरा अर्ज करना है कि यद्यपि आपने ऑक्शन और अलॉटमेंट समय पर रोक दिया है २१-११-६१ को उन्होंने रोका और कमेटी की फाइंडिंग्स हुई और उसके रुकते ही २७-११-६१ को रिजोल्यूशन पास कर दिया म्यूनिसिपेलिटी ने और उसकी इत्तला आपको मिल रही है ११-८-६२ को। इतनी देर बाद क्यों मिली ?

श्री चन्दनमल वेद : उन्होंने सूचना दे दी, लेकिन हमने कहा कि इसको डाइरेक्टर, लोकल बॉडीज की मार्फत भेजिये। डाईरेक्टर लोकल बॉडीज की उस प्रस्ताव पर क्या राय है, यह राय, उस तारीख को, जैसा मैंने बताया ११-८-६२ को मिली है लेकिन इसमें देरी होने से नुकसान नहीं हुआ क्योंकि टेम्प्रेरी साल के साल दे दिये जाते हैं मकान बनाने के लिए या दुकान बनाने के लिए, वे रुके पड़े हैं। इसलिए इसको गम्भीरता से हम देख रहे हैं और आपके विचार आ गये, पाली नगर पालिका के विचार आ गये अभी तक कलेक्टर पाली के विचार नहीं आये हैं, और वे विचार आ जायं उनको देख कर हम निर्णय लेंगे। इसलिए इस विषय में घबराने की या चिन्तित होने की जरूरत नहीं है, हम उस पर एक्शन ले लेंगे। और हमारे सामने ऐसा प्रस्ताव न हो, फेक्ट्स न हो और उनकी गैर हाजिरी में एक्शन ले लेंगे, जिससे नुकसान हो जायगा, इस विषय में आपको चिन्तित होने की जरूरत नहीं है।

श्री केशरीसिंह : इस विषय में मुझे निवेदन करना है कि आज कौनसी कौनसी बातें हो गई हैं जिनसे पब्लिक के पैसे का नुकसान हुआ है, जिससे मुझे चिन्ता है, but I will be going beyond the scope of this discussion मैं नहीं कहूंगा, मैं यह विशेष अर्ज करता हूं कि पक्के मकान बनने शुरू हो गये हैं, पट्टियां लाकर रखी हैं, जहां पहले लकड़ी के डिब्बे थे, वहां कई लोगों ने कन्स्ट्रक्शन शुरू कर दिया है कहने का मतलब यह है कि जब आप समझते हैं कि हटाया जावे तो आपको उन्हें हटाना चाहिये और लिटिगेशन से नहीं डरना चाहिये।

श्री चन्दनमल वेद : अगर कहीं अनलॉफुल कन्स्ट्रक्शन हुआ है तो हम हटा देंगे।

श्री केसरीसिंह : यह तो उनका फर्ज था। कलेक्टर के ध्यान में लाया तो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और भी जितनी गल्तियें हुई हैं। इस सम्बन्ध में प्रश्न भी पूछे मगर वे एन्टर नहीं हुए, पता नहीं क्यों। लेकिन जिसका फर्ज था कि उसको लोकल बॉडीज, डायरेक्टर के सामने लावें, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही न करके उसका ट्रांसफर किया गया है। यह मैं आपकी सूचना के लिये निवेदन करता हूं।

(१२.२१ म. प.)

जोधपुर स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल एवं डाइरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एज्यूकेशन को जोधपुर से हटाने सम्बन्धी विषय पर ध्यान आकर्षित करना

श्री मोहनराज (बाली) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत, जोधपुर स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल एवं डायरेक्टोरेट

(श्री मोहनराज)

ऑफ टेक्निकल एज्यूकेशन के कार्यालय को वहां से हटाने सम्बंधी सरकार के निर्णय से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन) : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि जोधपुर से ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल को जयपुर में शिफ्ट करने का सरकार ने निर्णय लिया है और वह इसलिये लिया है कि जिस मकान में यह स्कूल चल रहा है उसे जोधपुर युनिवर्सिटी को देना आवश्यक हो गया है और यह मकान युनिवर्सिटी की निर्धारित सीमा में आता है। जोधपुर में हमने नई युनिवर्सिटी स्थापित की है और उसके लिये मकान की बहुत कमी है। चूंकि ट्रेनिंग स्कूल के बमुकाबले युनिवर्सिटी के लिये जो जोधपुर में स्थापित करने का सदन ने ही निर्णय लिया था, इसलिये वहां से उस स्कूल को मकान की कमी होने के कारण सिर्फ जयपुर में शिफ्ट किया जा रहा है। मकान के लिये यहां हमने पता लगा लिया है कि हमारे यहां बिल्डिंग अवेलेबल है जहां हम ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल इमीजिएटली इन्तजाम कर सकते हैं। इसलिये युनिवर्सिटी को बिल्डिंग देने की प्रोब्लेम सामने आई तो उसको वहां से शिफ्ट किया।

जहां तक डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एज्यूकेशन के कार्यालय को वहां से हटाने का प्रश्न है, मैं यह कहूंगा कि डाइरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन ने कार्यालय को जयपुर में शिफ्ट करने को लिखा है। इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट जो निर्णय लेगी उस सम्बन्ध में सदन को अवगत करा दिया जावेगा।

श्री मोहनराज : अध्यक्ष महोदय, युनिवर्सिटी जोधपुर में स्थापित हुई है उसके लिये आवश्यक भवन हो, यह उपलब्ध करने का कार्य राज्य सरकार का है लेकिन इसके लिये यह जरूरी नहीं है कि वहां पर जो संस्था चल रही है और सुचारू रूप से चल रही है उसका इस कारण से स्थानान्तरण किया जावे। ऐसा करने में वहां की पब्लिक में असन्तोष पैदा हो गया है। इसलिये अगर भवन जयपुर में उपलब्ध है तो इससे अच्छा भवन वहां भी मौजूद है। आप इसलिये यहां पर ला रहे हैं कि आपने यहां भवन तय कर लिया है। मैं राज्य सरकार की जानकारी के लिये निवेदन करूंगा कि वहां जोधपुर में अच्छे और ज्यादा सुविधा वाले भवन मौजूद हैं। तो राज्य सरकार ऐसे भवन के उपलब्ध होते हुए भी क्यों वहां से शिफ्ट कर रही ?

मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि राजधानियों के महत्व को ज्यों का त्यों रखने के लिये आश्वासन दिया था जिस समय इंटीग्रेशन हुआ था। अब जब भवन की बात को लेकर वहां से एक संस्था को स्थानान्तर किया जाता है तो इससे सहज ही जनता में यह भावना पैदा होती है कि जो जो महत्व की चीजें इधर उधर दे रखी थीं उनको वापिस एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है। अगर राज्य का यह फसला हो जावे कि शासन का ठीक एडमिनिस्ट्रेशन होने के लिये संस्थाओं को राजधानियों में ही रखा जावें और उसी उसूल पर लाया जा रहा है तो यह साफ तौर से जोधपुर वालों को कहा जा सकता है। यह मैं कोई रीजनल भावना को बढ़ाने के लिये नहीं कह रहा हूं लेकिन जिस

(श्री मोहनराज)

भावना को लेकर इन संस्थाओं को पहले पुरानी राजधानियों में रखा गया था उनको एक एक में निर्णय लेकर हटाने का प्रयत्न करेंगे और जिन भावनाओं को खत्म करना चाहते हैं उनको बढाने की और हमारा कदम होगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो दिक्कत बताई गई है वह कोई दिक्कत नहीं है। वहां भवन उपलब्ध है और ज्यादा से ज्यादा तादाद में मिल सकते हैं और युनिवर्सिटी की स्थापना करने का निर्णय लिया था उसमें यह कोई शर्त नहीं थी कि ट्रेनिंग स्कूल वहां से हटा दी जावेगी। इसलिये इसका इस स्थिति से कोई सम्बन्ध नहीं जोड़ा जावे। इसलिये मैं यह कहूंगा कि जब वहां पर भवन उपलब्ध है तो राज्य सरकार ने इस आधार पर जो निर्णय लिया है वह निराधार है, यह कोई आधार नहीं। राज्य सरकार ने जब राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ उस समय जो आश्वासन दिया था उस पर कायम रहे और उस पर कायम रहने के लिये मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करता हूं। जो आधार आपने बताया है वह निराधार है। वहां पर भवन की कोई आपत्ति नहीं है। मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार की बात कहीं पब्लिक के सामने या जन प्रतिनिधियों के सामने या अधिकारियों के समाने चर्चा के रूप में नहीं लाई गई। इसलिये मैं यह अर्ज करूंगा कि यह जो निर्णय हुआ है वह उचित नहीं हैं और इसको चेंज करने के लिये सरकार क्या सोच रही है ?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य को ध्यान है कि पुरानी राजधानियों के बारे में जो कहा गया है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक जोधपुर का सवाल है वहां पर हाई कोर्ट युनिफाइड रखा गया है और वहां पर युनिवर्सिटी की स्थापना की है। जहां तक यह कहना कि पुरानी राजधानियों का महत्व इससे कम हो जावेगा, वह तो इससे कम नहीं किया है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की सुविधा का कोई प्रश्न नहीं है यह तो ट्रेनिंग से सम्बन्ध रखता था। इसके लिये गवर्नमेंट के सामने फाइनेन्सियल डिफिकल्टीज है। नया मकान ऑफिसेज के लिये युनिवर्सिटी के लिये बनाना मुश्किल है इसलिये हमारे पास जो बिल्डिंग मौजूद है उसमें युनिवर्सिटी के ऑफिस को शिफ्ट करने में हम कोई जोधपुर की अहमियत को कम करने का काम नहीं कर रहे हैं। यह डिसिजन इसलिये लिया है कि यह कार्यालय सरकारी बिल्डिंग में हो यहां जयपुर में उपलब्ध हैं इस नियत से शिफ्ट किया गया है। जोधपुर की महत्ता जैसे पहले थी वैसी की वैसी बनी रहेगी। वहां पर बड़े बड़े ऑफिसेज हैं।

श्री मोहनराज (बाली) : अध्यक्ष महोदय,......

श्री अध्यक्ष : उत्तर मिल गया है आपको इसका। आप इसको बहस का विषय नहीं बना सकते।

श्री मोहनराज : मैं इसको बहस का विषय नहीं बनाना चाहता। मगर जैसा कहा गया है कि भवन उपलब्ध नहीं है और इकोनोमिक बेसिस पर इसको यहां लाया जा

(श्री मोहनराज)

रहा है तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जयपुर में सारे के सारे कार्यालय सरकारी इमारतों में ही हैं ? आपने जब किराये के मकान ले रखे हैं तो जोधपुर में भवन उपलब्ध हो सकता है तो क्या कारण है कि वहां से उसे आप शिफ्ट करना चाहते हैं।

(१२ ३० म० प०)

राजस्थान विश्व विद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६२

(अग्रेतर खण्डश: विचार-विमर्श एवं पारण)

श्री अध्यक्ष : युनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान (अमेन्डमेन्ड) बिल, १९६२, के क्लॉज ६ पर बहस हो रही थी और कुछ संशोधन प्रस्तुत किये गये थे; क्या ? मंत्री महोदय उसका उत्तर देंगे ।

(विराम)

इसे भी बाद में ले लें ।

(विराम)

क्लॉज ७

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत । आप कुछ संशोधन प्रस्तुत करना चाहती हैं ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन इस प्रकार हैं :

Clause 7.

10. In the new section 24 sought to be substituted in the principal Act, insert the following after clause (9); and renumber the next clause accordingly:-

"(10) Culture including Regional Folk Culture;"

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ७ में मैंने एक संशोधन, एक नई फैकल्टी बढ़ाने के लिये पेश किया है और वह यह है :

"(10) Culture including Regional Folk Culture;"

अभी तक युनिवर्सिटी में ६ फैकल्टीज़ कायम की गई हैं, मैं चाहती हूं कि १०वीं यह फैकल्टी और बढ़ा दी जाय । मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में फोक (Folk) संस्कृति के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया है, यह हमारी बहुत बड़ी भूल है, इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है ।

मुझे आशा है कि सदन इसके ऊपर विचार करेगा ।

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक लोक-नृत्य और लोक गीत का सवाल है और फोक संस्कृति का सवाल है, विचार तो बहुत अच्छे हैं पर कई संस्थाएं राजस्थान में इस दिशा में काम कर रही हैं, उदयपुर में भी हैं जोधपुर में भी हैं और उनका क्षेत्र उन्नत होता हुआ चल रहा है । पर युनिवर्सिटी में जो विषय अभी तक चला नहीं है और जिस पर अभी तक अधिक रिसर्च नहीं हुआ है इसलिये इसकी युनिवर्सिटी में फैकल्टीज़ रखने का विचार मैं समझता हूं प्री-मैच्योर होगा । मैं समझता हूं माननीय सदस्या ने इस ओर संकेत देने के इरादे से ही यह संशोधन रखा है । इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : इसमें यह भी प्रावधान है:

"Such other Faculties as may be prescribed by the Statutes."

भविष्य में स्थापित करें।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप मन्त्री, शिक्षा) : नहीं हो सकेगा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : क्या मंत्री महोदय, केवल लोक नृत्य और लोक गीत को ही फोक संस्कृति की परिभाषा में लेते हैं ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : माननीय सदस्या इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, पर अभी इसमें बहुत काम करना बाकी है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : बहुत कुछ काम करना बाकी है। पर राजस्थान सबसे रिचेस्ट स्टेट है फोक कल्चर में। यहां काफी लिटरेचर है, इसमें राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान रहता है इसलिये यह फैकल्टी राजस्थान में सबसे पहले होनी चाहिये।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : भावनाओं का तो आदर है, पर विवशता है इसे स्वीकार करने में।

श्री अध्यक्ष : आप संशोधन वापिस लेती है ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : हां विथड्रा करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ७ में जो संशोधन श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत ने रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : I withdraw it.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ७ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ८

(विराम)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा !

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ८ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ८ विधेयक मे अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉजेज ९, १० और ११

श्री निरन्जननाथ आचार्य : I have an amendment in clause 11.

(विराम)

९ और १० साथ में ले लिये जायं।

श्री अध्यक्ष : आप संशोधन रख रहे हैं ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : ११ में संशोधन रखना चाहता हूं।

Page No 42

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉजेज ६ और १० विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज ६ और १० विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

खण्ड ११

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा): If the Chair allows me, I would like to move an amendment in clause 11.

"(i) In the marginal heading of the clause, add the words 'and difficulties' after the words 'removal of doubts'.

"(ii) The existing provision of the clause be re-numbered as sub-clause (1) and after sub-clause (1) so re-numbered, the following sub-clause (2) shall be added namely:—

'(2) If any difficulty arises as to the re-constitution of any authority of the University after coming into force of the University of Rajasthan (Amendment) Act, 1962, or otherwise in giving effect to the provision thereof, the State Government may in consultation with the Vice Chancellor, as occasion may require, by order, do anything which appears to it necessary for the purpose of removing the difficulty."

श्री अध्यक्ष : आप कुछ इस पर प्रकाश डालें।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ११ पहले का है :

"For the removal of doubts, it is hereby declared that the bodies constituted under the principal Act shall cease to exist on the date they are re-constituted in accordance with the provisions made in this Act."

इस क्लॉज के अन्तर्गत कई शंकाएं उत्पन्न हो सकती थीं, खास कर के जब नया विधेयक प्रारम्भ किया जाय तो उस सम्बन्ध में कुछ शंकाएं उत्पन्न हों तो उनके रिमूवल के लिये इस संशोधन में प्रावधान किया है, कोई हों तो वाइस चान्सलर द्वारा दूर किया जा सकता है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : यह क्लॉज ही रिमूविंग ऑफ डाउट है, इसकी स्पिरिट से यह अमेन्डमेन्ट बिलकुल डिफरेन्ट है। कारण यह है कि यह एक्ट तब से काम में आयगा जब डेट सरकार की तरफ से अनाउन्स कर दी जायगी। दूसरे, यह कि जब इसके सारे प्रोविजन्स लागू हो जायेंगे सिन्डीकेट, सीनेट के पूरे फार्मेशन्स, चुनाव पूरे हो जायेंगे तब यह एक्ट काम में आयगा। तो सरकार चाहती क्या है आखिर ? रिमूविंग ऑफ डाउट में जो पहले इसमें है उसकी मंशा तो यह है कि जिस वक्त नई तरमीम के तहत सारे चुनाव, फार्मेशन्स खत्म जायेंगे उसके बाद ही जो पुराना चल रहा है वह खत्म होता है। अब अमेन्डमेन्ट कर रहे हैं इसकी मंशा अगर यह है कि यह दो तीन दिन में ही लगा दिया जायगा ? या वाइस चान्सलर जिस तरह चाहेगा इसको एप्लाई कर देगा। वह चाहेगा तो इसके एक पार्ट को एप्लाई कर देगा, किसी टुकड़े को लागू कर देगा, किसी टुकड़े को रख लेगा। तो क्या इससे इस प्रकार के पॉवर्स दिये जा रहे हैं यह सरकार की तरफ से स्पष्ट होना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इसके अलावा मैं इस अमेन्डमेन्ट पर आपत्ति करूंगा कि यह बड़ा इम्पोर्टेन्ट अमेंडमेंट है, इसको लेकर कल सदन के माननीय सदस्यों ने काफी विचार किया था। तो ऐसी दशा में जब तक यह सर्कूलेट नहीं हो और जब तक इसको स्टडी नहीं किया जाय तब तक इसको विचारार्थ नहीं लिया जाना चाहिये। यह कोई मामूली अमेन्डमेन्ट नहीं है कि इधर रखा और इस पर विचार कर लिया।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, अमेन्डमेन्ट सुविधा के अनुसार पेश किया, बाकी इस क्लॉज ११ से चल सकता है। पर कोई एम्बिग्विटी रह जाय उसको दूर करने के लिये ऐसा किया गया है। अगर माननीय सदस्य चाहते हैं कि इसका सर्कूलेशन होना जरूरी है तो मैं इसको वापिस ले लेता हूं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह कोई व्यापारी की दूकान नहीं है कि मर्जी आए तभी मूव कर दें और जब मर्जी आए तभी वापिस ले लें। सवाल यह है कि गवर्नमेन्ट कितनी रीजनेबल है किसी संशोधन को लाने की बात रखती है तो, इसमें आपकी सद्भावना है या दुर्भावना है इसको स्टडी करने का अवसर मिले तब ही पता चल सकता है। इसलिये इस पर विचार करने का अवसर मिलना चाहिये। विचार करने से पहले ही मूव कर दें और वापिस ले लें यह यहां नहीं हो सकता।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : सदन को किसी दूकान की व्यवस्था दी जाय यह, तो ठीक नहीं। कल श्री हांडा और श्री सतीशचन्द्रजी से मिल कर किसी फार्मूले पर आ रहे थे, आप उससे परिचित नहीं······

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ये खानगी बातें यहां नहीं होनी चाहियें······

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, फ्लोर तो मेरे हाथ में है।······

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : माननीय अध्यक्ष, सतीशचन्द्रजी और हाण्डा से बात चीत कर ली इससे सदन को क्या मतलब ? आपस में बात करली, ये सदन में लाने के लायक बातें नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य से भी बात कीजिये।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आपसे कल मैंने बात की थी, पर आपने कहा कि यह विधेयक ऐसा है कि हमारी समाग्रत का नहीं, वह बात मैं यहां नहीं लाना चाहता।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप नहीं लाना चाहते पर हम लायेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य: इसको फिल-हाल डीफिर कर दिया जाय। एक घंटे बाद हो सके तो ले लिया जाय।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : कल जो कुछ आपने फरमाया, आप कह दें तो उनके लिये कह दूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मुझे यह आशंका है कि नहीं कहा है तो भी आप बना कर कह सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपस में आरोप प्रत्यारोप नहीं होने चाहिये।

Page No 44

श्री निरंजननाथ आचार्य : नहीं होते हैं तो आप पैदा करते हैं।

श्री अध्यक्ष : और क्लॉजेज डेफर्ड हैं। क्लॉज ३ में श्री सतीशचन्द्रजी का संशोधन आप स्वीकार करते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्लाज ३ में "not connected with University or any affiliated college..." वह मैं मंगा लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : वह मेरे पास है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह संशोधन मैंने स्वीकार किया है।

श्री अध्यक्ष : मैं संशोधन फिर से पढ़ दूं। "In the new Section 12 sought to be substituted, in clause (i) after the words 'by the Syndicate', the following words shall be inserted, namely:-

'not connected with the University or any affiliated college or approved institution."

प्रश्न यह कि ३ क्लॉज में जो संशोधन श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज ३ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

संशोधित क्लॉज ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ४

(विराम)

इसमें तो कोई संशोधन नहीं है। जैसा है, वैसा ही प्रस्तुत किया है।

श्री भैरोंसिंह : ६ के बारे में डिसीजन गवर्नमेंट का मालूम हो जाय, उसके बाद ४ ५ को लिया जाय तो अच्छा है।

(विराम)

अच्छा हो कि इसको एक दिन के लिये ही सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय। शाम तक इस पर विचार कर लिया जायगा वहां और यहां कल इस पर विचार कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : कल काफी बहस इस पर हो चुकी थी और बाद में भी काफी विचार-विमर्श हुआ है और उसके आधार पर कुछ संशोधन स्वीकार किये जा रहे हैं।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ४ विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज ४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा

(श्री अध्यक्ष)

(विराम)

क्लॉज ५

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५ विधेयक का अंग बने ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : No Sir. I have amendments in clause 5.

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : क्लॉज ५ में संशोधन हैं मेरे ।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला :

(अनुपस्थित)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मेरे संशोधन इस प्रकार है :

6. In new section 18 sought to be substituted in the principal Act–

Part I.

(a) Delete item (iii) and renumber the rest accordingly.

(b) Substitute the following for item (xvi):-

"(xvi) Three members of the State Legislature to be elected by the Assembly by the system of proportional representation and secret ballot;"

(c) Delete item (xvii).

Part II.

In item (xviii), line three, substitute the words "ten lakhs" for the words one lakh".

अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ५ में मैंने चार संशोधन पेश किये हैं । पहला संशोधन आइटम (१) के बारे में है । इसको विलोपित किया जाय । इसमें यह प्रावधान किया गया है कि सारे के सारे भूतपूर्व वाइस चान्सलर्स को सीनेट का एक्स ओफिशियो मेम्बर माना जावेगा । मैं समझती हूं उन सब को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है । जब ये चले गये हैं तो विशेष रुचि उनकी युनिवर्सिटी में नहीं रहती । दूसरा कारण यह है कि बाहर से लोग आवेंगे और युनिवर्सिटी पर अनावश्यकरूप से खर्चा पड़ेगा और अनावश्यक नम्बर भी बढ़ता जावेगा ।

दूसरा मेरा संशोधन है आइटम १६ में। इसमें मौजूदा क्लॉज़ में यह प्रावधान है:—

"one member of the State Legislature nominated by the Speaker,"

मेरा संशोधन है :

"3 members of the State Legislature to be elected by the Assembly by the system of proportional representation and secret ballot."

विधान सभा के तीन सदस्यों का रहना उचित होगा और अध्यक्ष महोदय, निर्वाचन न करके यदि उनका इलेक्शन हो तो इस प्रजातान्त्रिक युग में अच्छा रहेगा ।

तीसरा संशोधन है कि आइटम (१७) को विलोपित किया जाय ।

Page No 46

(श्री मती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

इस बिल में यह प्रावधान रखा गया है :

"(xvii) such other exofficio members, not exceeding four; as may be provided for in the Statutes;"

मेरा संशोधन यह है कि इतने सारे एक्स ऑफिशियो मेम्बर्स को रखने की अब कोई आवश्यकता नहीं है । अगर बाद में ऐसी कोई आवश्यकता हो तो सदन के द्वारा व्यवस्था हो । यह अधिकार विधान सभा का है और यह अधिकार युनिवर्सिटी को देना उपयुक्त नहीं होगा ।

और चौथा मेरा संशोधन है १८ के बारे में । अभी मौजूदा बिल में प्रावधान किया गया है कि जो व्यक्ति एक लाख रुपया एक मुश्त युनिवर्सिटी को देगा उसको सीनेट का लाइफ मेम्बर माना जावेगा । मैंने संशोधन किया है कि इस धन राशि को एक लाख से बढ़ा कर १० लाख कर दिया जाय । अध्यक्ष महोदय, मैं सोचती हूं कि जब युनिवर्सिटी के सम्मान को ही बेचा जाता है तो उसके सम्मान के अनुकूल ही धनराशि होनी चाहिये ।

ये मैंने संशोधन रखे हैं । सदन उन पर विचार करेगा और उप-मंत्री महोदय अनुकूल उत्तर देंगे ।

श्री अध्यक्ष: श्री हांडा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : मेरे संशोधन इस प्रकार हैः—

Clause 5

In new Section 18 sought to be substituted in the principal Act—

I. Ex-Officio Members

(a) item (iii) be deleted,

(b) item (xii) be deleted,

(c) item (xv) be replaced by the following:—

"(xv) all the principals of post graduate Colleges;"

(a) in item (xvi) replace the words "one member" by the words "two" members.

III Other Members

(e) in item (xix) replace the word "four" by the word "Seven",

(f) in item (xx) replace the word "four" by the word "ten",

(g) in item (xxi) replace the word "nominated" by the Vice-Chancellor by the words "elected by the principals from amongst themselves," in the manner to be presented by statutes.

(h) item (xxii) be replaced by the following:—

"(xxii) all the principals of the Medical Colleges in Rajasthan",

(i) item (xxii) be replaced by the following:—

"(xxiii) all the principals of the Engineering Colleges in Rajasthan",

(j) item (xxiv) be replaced by the following:—

"(xxiv) all the Principals of the Teachers Training Colleges in Rajasthan:",

(k) in item (xxv) replace the word "four by the word "Seven",

(l) in item (xxvi) replace the word "four" by the word "three"

(m) item (xxvii) be deleted.

अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ५ में जो संशोधन मैंने रखे हैं उन में से पहला तो आइटम क्लॉज़ (३) मेंसे है कि फोर्मर वाइस चान्स-

Page No 47

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

लर को इसमें न रखा जाय तो मेरे विचार भी मेरे पूर्व वक्ता सदस्या महोदया से मिलता जुलता हैं। इस सम्बन्ध में वही मेरी दलील है।

इसके अतिरिक्त मैंने आइटम (१२) को डिलीट करने के लिये रखा है। अलग अलग टैक्निकल हैड्स को लेने की बात है। तीन लेने की बात है। उन डिपार्टमेंट हैड्स का एडमिनिस्ट्रेटिव फन्क्शन है और उनका युनिवर्सिटी क्षेत्र में सम्बन्ध नहीं है। युनिवर्सिटी क्षेत्र में तो स्कॉलर्स और ऊंचे केलिबर के आदमी चाहियें इसलिये उनके प्रवेश करने से युनिवर्सिटी का कोई लाभ होगा, ऐसा मुझे नजर नहीं आता है इसलिये मेरा संशोधन यह है कि उपधारा १२ को डिलीट किया जावे।

इसके अतिरिक्त सब-क्लॉज आइटम (१६) व। जहां प्रश्न आता है वहां ५ असेम्बली के मेम्बर्स रखे हैं और मुझे ऐतराज नहीं है कि उनके नाम, पांचों को हो, स्पीकर महोदय ही नोमिनेट कर दें।

इसके अतिरिक्त आइटम (१६) में एकेडेमिक कौसिल में मेरा सुझाव है कि ४ की जगह ७ कर दिया जावे। कम से कम एकेडेमिक कौसिल के ७ सदस्य इस सीनेट के अन्दर अवश्य होने चाहिये।

इसके अलावा आइटम सबक्लॉज (२०) के अन्दर है: "(xx) four persons, not being teachers, elected by the registered graduates of the University from amongst them-selves."

इसके सम्बन्ध में कम से कम नहीं तो १० रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स अवश्य सीनेट के अन्दर आने चाहियें। इसके सम्बन्ध में मेरा अमेंडमेंट है।

आइटम २१ के अन्दर मैंने "(xxi) two principals of degree colleges, nominated in rotation by the Vice-Chancellor,"

इसकी जगह किया है नोमीनेटेड की जगह elected from amongst themselves." चुनकर वह आवे। चुनकर लिया जाना चाहिये वह किस प्रकार, "elected from amongst themselves".

Then in (xxii) I have suggested all the principals of Medical Colleges of Rajasthan.

जहां पर एक प्रिन्सिपल के लेने का प्रावधान है राजस्थान में अधिक मेडिकल कॉलेजेज नहीं हैं और निकट भविष्य में ज्यादा होने की सम्भावना भी नजर नहीं आती इससे यह भय कि इनकी संख्या अधिक हो जायगी। इस समय तीन मेडिकल कॉलेजेज हैं तीन कालेजेज के रिप्रजेन्टेटिव्ज हों इससे अधिक रिप्रजेन्टेशन नहीं होगा। इसके बाद धारा २३ के अन्दर इन्जीनियरिंग कॉलेज के प्रिन्सिपल्स को रखने का प्रावधान रखा गया है इन्जीनियरिंग कॉलेजेज की संख्या भी अधिक नहीं। चार इन्जीनियरिंग कॉलेजेज के प्रिन्सिपल्स को रखने का मैंने प्रावधान रखा है। एकेडेमिकल योग्यता वाले लोग यदि सीनेट के अन्दर होते हैं तो उनका रचनात्मक सहयोग हो सकता है हैड आफ दी डिपार्टमेंट के सीनेट में रहने के बजाय एकेडेमिकल योग्यता वालों को अधिक लेने

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

का लक्ष्य रहना चाहिये। इस लक्ष्य को रखते हुए ही मैंने संशोधन प्रस्तुत किये हैं।

इसी प्रकार आइटम (२४) के अन्दर मैंने: "all the principals of Teachers Training Colleges in Rajasthan".

वह प्रावधान रखा है। टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेज भी अधिक नहीं हैं इसलिये इनके प्रिन्सिपल्स को रख लिया जाय इनका योगदान इसमें लाभकारी होगा।

इसी प्रकार आइटम (२५) के अन्दर "Substitute the word "four" by the word "seven".

बाइ इलेक्शन से आयेंगे इनकी संख्या सात है; क्योंकि इन लोगों का विशेष प्रकार का रिप्रजेन्टेशन हो। विशेष प्रकार की समस्यायें हैं इसलिये इनका भी युनिवर्सिटी सीनेट के अन्दर रिप्रजेन्टेशन होना चाहिये। प्रोपोर्शनेट रिप्रजेन्टेशन देने के लिये और समस्याओं के सम्बन्ध में प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेन्टेशन देने के लिये बात रखी गई। इन लोगों का प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिये इसलिये मैंने संख्या सात रखी है।

सब आइटम (२६) के अन्दर चार की जगह तीन किये हैं

"(xxvi) persons who have rendered distinguished service to education, not exceeding three in number, nominated by the Chancellor and"

जिसमें डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज को डिफाइन नहीं किया है। यदि इसको केरेक्टेराइज्ड कर दी जाती कि किस प्रकार के लोगों को डिस्टिंग्विश सर्विसेज में माना जावेगा इस सम्बन्ध में विचार किया जा सकता है। सरकार द्वारा मनोनीत हों उनकी संख्या तीन ठीक रहेगी।

इसके अलावा आइटम (२७) को डिलीट करने का सुझाव दिया है:

"(xxvii) persons not exceeding four in number, nominated by the State Government."

ये कौन से परसन्स हैं डिफाइन नहीं किया गया है। इस धारा को डिलीट कर दिया जाय।

ये जो सुझाव मैंने रखे हैं उसका मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल एक्सपर्ट्स की ओपीनियन आवे। मेरा विचार है कि इन मेरे संशोधनों को दोनों ओर के लोग मानने में सहमत होंगे। बहुत पवित्र दृष्टि से रखे गये हैं सरस्वती माता के मन्दिर में पुष्प चढ़ाने के लिये रखे गये हैं। और माननीय उपमंत्री महोदय भी सरस्वती माता की वेदी पर चार पुष्प अवश्य चढ़ाना चाहते हैं। अभी उनको अवसर है सीनेट के अन्दर एकेडेमीशियन्स की संख्या ज्यादा हो इससे सरस्वती माता का वरदान उनको प्राप्त होगा वैसे वरदान आपको पहले से ही प्राप्त है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): माननीय अध्यक्ष जी, मेरे संशोधन इस प्रकार है:

Cleuse 5

In new section 18 Sought eo be substituted in the principal Act.

Part I

(a) delete in item (iii),

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(b) in item (xv) substitute the words "elected from amongst them-selves" for the words "nominated by the Vice-Chancellor by rotation."

(c) in item (xvii) replace the words "one member" by "five members" and the words "nominated by the Speaker" by the words "elected on the System of proportional representation".

(d) delete item (xvii)

Part III

(e) in item (xxi) replace the words nominated by the Vice-Chancllor" by the words "elected from amongst them-selves".

(f) in item (xxvi) replace the word "four" by the word "two

(g) delete part (xxvii).

जो अमेंडमेंट है एक्स ऑफिशियो मेम्बर्स हैं आइटम नं० (३) में "(iii) all former Vice-Chancellors" इसको निकाल दिया जाय।

नं० (१५) इसमें जहां नोमीनेटेड रखा है इसकी जगह इलेक्टेड रखा जावे।

असेम्बली के मेम्बर्स को जहां रखा है जहां पांच का सुझाव दिया है उनका चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन से हो।

१७ के अन्दर एक्स ऑफिशियो मेम्बर्स जहां चार और बढ़वाने का प्रावधान है पहले ही काफी है इससे अधिक की आवश्यकता नहीं। इसको डिलीट करने का सुझाव है।

अदर मेम्बर्स हैं, प्रिन्सिपल ऑफ डिग्री कॉलेजेज हैं, उनको नोमीनेट करने के बजाय इनके चुनाव का प्रावधान रखा है।

"(xxvi) persons who have rendered distingusied service to education, not exceeding four in number, nominated by the Chancellor".

२६ के अन्दर उसमें चार के बजाय दो करने का प्रावधान करने का सुझाव दिया है।

आइटम (२७) को डिलीट करने का सुझाव है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि मुख्य मंत्री महोदय ने यह बात स्वीकार की है कि सिन्डीकेट के सम्बन्ध में प्रिन्सिपल्स चुने हुए हों, यह उन्होंने स्वीकार कर लिया है। सिंडीकेट में जब चुने हुए रखे जायं और सीनेट में न रखे जायं इसकी कोई दलील नहीं होती। सीनेट के अन्दर भी डिग्री कॉलेजेज हैं, उनके चुने हुए होने चाहिएं।

इसके अलावा दोनों प्रावधान हैं नोमीनेटेड मेम्बर्स के उनमें तीन से ज्यादा गुंजाइश रखी गई है (२७) में "(xxvii) persons not exceeding four in number, nominated by the State Government".

ऐसा मालूम पड़ता है कि गवर्नमेंट अपनी स्ट्रेन्थ बढ़ाना चाहती है। टैक्निकल एज्युकेशनिस्ट आ गये, हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट आ गये; इसके अलावा भी एज्युकेशन की कोई बात होती तो ज्यादा मानी जा सकती थी, इस प्रकार का प्रावधान नहीं रखा जाना चाहिये इसको निकाल दें।

Page No 50

उप-मंत्री शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन प्रस्तुत हुए हैं उसमें से आइटम (२१) पर जो सुझाव श्री हांडा ने प्रस्तुत किया है उसको मैं स्वीकार करता हूं।

For the words "nominated by the Vice-Chancellor", the words elected from amongst themselves in the manner prescribed by the Statute" shall be substituted.

इस तरमीम के साथ I accept his amendment.

दूसरा क्लॉज ५ में आइटम (१५) है for the words "nominated by the Vice-Chancellor by rotation" the words "elected by the Principals of Post-Graduate Colleges" shall be substituted.

(१६) में for the word "one" the word "two" shall be substituted.

इसके बाद जो संशोधन प्रस्तुत हुए हैं उनको मैं मन्जूर करने की स्थिति में नहीं हूं इसका कारण बहुत स्पष्ट है जैसा कि (१८) में श्रीमती लक्ष्मीकुमारीजी ने १ लाख के बजाय १० लाख का रखा है उसको मैं स्वीकार नहीं करता। आपने राजस्थान की नागरिक स्थिति को जहां तक समझा है उसके अनुकूल वह नहीं हैं यो आप तो ऊंचे घराने से आती हैं उन्होंने अपनी स्थिति के अनुसार रखा है, यह मुझे मान्य नहीं है।

(१.०० म. प.)

इसके अतिरिक्त आइटम (१६) में four persons elected by the Academic Council from amongst its members... इसमें चार के बजाय सात रखने का श्री हांडा का संशोधन है। यह भी अस्वीकार है। इसी तरह (२०) में न्यूमेरिकल है। मैं इन बाकी के सभी को अस्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष : अगर माननीय सदस्यों की अनुमति हो तो जिस संशोधन को स्वीकार किया गया है उन पर मतदान करा कर फिर क्लॉज पर मतदान करा लें।

(स्वीकृत)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ५ में दो संशोधन है। सर्कुलेट वे नहीं हुए है इसलिये मैं पढ़ देता हूं।

"Clause 5" In now Sec. 18 sought to be substituted in the Principal Act under the Head-I Ex-officio members.

(a) in clause (xv) for the words nominated by the Viee-Chancellor by rotation the words "elected by the principals of Post Graduate Colleges shall be substituted (b) In clause (xvi) for the ward "One" the word "two" shall be substituted."

प्रश्न यह है कि क्लॉज ५ में जो यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज ५ के आइटम (२१) में जो संशोधन श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जावे।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) । Togethar with my amendment also 'in the manner prescribed'.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आपका मन्जूर है आपने हमारे स्वीकार किये अन-ऑफिसियली तो हम भी आपके अनऑफियली संशोधन स्वीकार करते हैं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ५ के आइटम (२१) में जो संशोधन मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है इसे स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज ५ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

संशोधित क्लॉज ५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज ६

(विराम)

क्लॉज ६ में आप क्या स्वीकार करते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : In the new section 21 sought to be substituted in the Principal Act in clause 6 (7) for the words 'nominated by the Vice-Chancellor in rotation' words to be elected by them from amongst themselves'.

यह जो लक्ष्मीकुमारीजी ने प्रस्तुत किया है उसको मैंने मंजूर किया है ।

श्री अध्यक्ष : यह एक स्वीकार करते हैं । प्रश्न यह है कि आइटम (६)

"Three Principales af colleges nominated by the Vice-Chancellor in rotatien" है, इसमें जो संशोधन प्रस्तुत हुआ है, श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत का उसे स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरीबाजार जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इसमें वह प्रोविजो भी डिलीट होगा । कॉन्सीक्वेन्शियल है वैसे तो वह but it shall have to be deleted.

कोई भी प्रिन्सिपल सक्सेसिव टर्म्स के लिये इलेक्टेड नहीं होगा । इसलिये वह भी कॉन्सीक्वेन्शियल है । वरना, इसका कोई सैंस नहीं बनता ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अगर यह प्रोविजो डिलीट नहीं होगा तो···

श्री नाथूराम मिर्धा : हां हां, आपकी बात को समझ लिया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हां, कह रहे हैं वे अध्यक्ष महोदय ।

श्री नाथूराम मिर्धा: हो जावेगा ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : Yes, Sir. the proviso will be deleted. This is acceptable to us.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि आइटम ७ प्रोविजो को निरस्त किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

संशोधित क्लॉज ६

(श्री अग्रवाल के खड़े होने पर)

और कुछ कहना है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसको आइटम (५) के लिये भी निवेदन करना था।

"Two University Professors nominated by the Vice-Chancellor in rotation." मेरा सुझाव यह था कि यह जो इसका प्रोविजो है : provided that no University Professor shall be nominated for two successive terms इसको डिलीट कर देना चाहिये और मैं आशा करता हूं कि मेरे इस संशोधन के प्रस्ताव को वे स्वीकार कर लेंगे कि इन रोटेशन के शब्द और प्रोविजो डिलीट हो जावें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : इस सम्बन्ध में मुझे भी कहना है। इसमें आइटम (२) है जिसमें तीन डीन्स है।

श्री अध्यक्ष : डीन तो थोड़े ही हैं, साहब।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ठीक साहब तो फिर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन रोटेशन और प्रोविजो हटा दीजिये प्रोफेसर वाले में।

श्री मोहनलाल सुखाडिया, (मुख्यमन्त्री) मैं यह समझता था कि उपयुक्त यह है

" two University Professors nominated by the Vice- chancellor in rotation......... ...."इसको हटाकर के tow Successive रखें क्योंकि रोटेशन वाली बात में यह दिक्कत होगी कि एक प्रोफेसर है उसको नोमीनेट किया तो २४साल तक उसका नम्बर नहीं आ सकता है।

श्री अध्यक्ष : इसलिए केवल In rotation हटाया जाये और प्रोविजो जो है रहने दिया जाये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ६ के आइटम ५ में शब्द In rotation निरस्त किए जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकारकिया गया।

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज ६ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

संशोधित क्लॉज ६ विधेयक में अंग रुप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ११ में जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय ? डाउट्स एण्ड डिफिकल्टीज उसमें एक प्रोविजो जोड़ रहे हैं। मैं फिर पढ़कर सुना देता हूं

(i) In the marginal heading of the clause add the words "and difficulties" after the words " removal of doubts",

(श्री अध्यक्ष)

(ii) The existing provision of the clause be re-numbered as sub-clause (1) and after sub-clause (1) so re-numbered, the following sub-clause (2) be added namely;—

(2) If any difficulty arises as to the reconstitution of any Authority of the University, after coming into force of the University of Rajasthan (Amendment) Act. 1962, or otherwise in giving effect to the provisions there- of, the State Government may, in consultation with the Vice-Chancellor as occasion may require, by order, do anything which appears to it necessary for the purpose of removing the difficulty."

प्रश्न यह है कि क्लॉज ११ में जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

(संशोधन स्वीकार किया गया)

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज ११ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

(संशोधित क्लॉज ११ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया)

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १ प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बने।

(स्वीकृत)

(धारा १, प्रिएम्बल इत्याद विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये)

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाय ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान युनिवर्सिटी (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६२ को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

(विधेयक पारित किया गया)

(विराम)

श्री भैरोंसिंह

(१.१५ म. प.)

राज्य सरकार द्वारा तृतीय पंच वर्षीय योजना में किये जाने वाले परिवर्तन इत्यादि पर विचार-विमर्श

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य सरकार द्वारा तृतीय पंचवर्षीय योजना में किये जाने वाले परिवर्तन, परिवर्धन तथा इम्प्लीमेन्टेशन पर विचार किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की यह तृतीय पंचवर्षीय योजना मूलत: २८५ करोड़ की बनाई गई थी जिसके अन्दर राजस्थान नहर और पोंग बांध का खर्चा भी शामिल था लेकिन उसके साथ ही साथ यह व्यवस्था थी कि हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना २१२ करोड़ रुपये की होगी और राजस्थान कैनाल तथा पोंग डैम का खर्चा भारत सरकार अपने जिम्मे लेगी लेकिन इस योजना में आयोग के परामर्श के बाद कुछ परिवर्तन हुए और यह योजना २३६ करोड़ रुपये की निर्धारित

(श्री भैरोंसिंह)

की गई जिसमें राजस्थान नहर के ४५ करड़ रुपये और पोंग बांध के २८ करोड़ रुपये यह दोनों भी राजस्थान के जिम्मे किए गए। २३६ करोड़ रुपये की जब यह योजना बनी उस समय हमारी राजस्थान सरकार ने इस योजना के लिये आवश्यक रिसोर्सेज जुटा लिये जायेंगे इस प्रकार का आश्वासन इसी सदन में दिया था। सन् १९६१ से यह योजना आरम्भ हुई और १९६१-६२ का वर्ष निकल गया और १९६२-६३ का यह दूसरा वर्ष जब चालू हुआ तो हमारी राजस्थान विधान सभा में जिस समय राज्य का इस वर्ष का बजट प्रस्तुत हुआ उस समय भी सरकार की ओर से इस बात का कोई संकेत नहीं मिला था कि राजस्थान की इस योजना में कुछ कटौती होगी। यह बात सही है कि जिस समय वित्त मंत्रीजी ने अपना बजट भाषण सदन में दिया उस बजट भाषण से ऐसा अन्दाज होता था कि हमारे राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। सरकार की ओर से उस समय भी इस प्रकार का आश्वासन मिला था कि वित्तीय स्थिति के बारे में जितनी चिन्ता की जाये उतनी चिंताजनक स्थिति नहीं है। लेकिन उस समय इस बात का कोई संकेत नहीं था कि हमें तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी कुछ कटौती करनी पड़ेगी। अभी पिछले दिनों में हमारी राज्य सरकार ने एक निर्णय लिया कि हमारी इस योजना के २ भाग किये जायें। एक कोर ऑफ दी प्लान और बाकी का हिस्सा नॉन, कोर। कोर ऑफ दी प्लान के अन्दर सरकार के कहने के अनुसार उन्होंने प्रायोरिटीज के आधार पर २०८ करोड़ रुपये के लक्ष्य निर्धारित किये और २८ करोड़ रुपये के नॉन कोर के अन्दर रकम शामिल की गयी। इससे अब यह स्पष्ट हुआ है कि हमारी राज्य सरकार की स्थिति वर्तमान दृष्टि से केवल २०८ करोड़ रुपये खर्च करने की है। सरकार की ओर से इस बात का विश्वास दिलाया गया है कि यह कोई कटौती नहीं है बल्कि जो हमारे इम्पोर्टेन्ट आइटम्स हैं उन इम्पोर्टेन्ट आइटम्स को प्राथमिकता दी गई है और जो नॉन इम्पोर्टेन्ट आइटम्स हैं उनको सेकिण्ड कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन सरकार के इस वक्तव्य से या सरकार की इस प्रकार की स्थिति से मैं सहमत नहीं हो सकता। क्योंकि हमारी सरकार ने रिसोर्सेस की दिशा बताई है उन रिसोर्सेस के अन्दर जहां ८० करोड़ रुपये के रिसोर्सेस जुटाने थे अब हम केवल माननीय मुख्य मंत्रीजी के शब्दों में ४५ और ५० करोड़ रुपये की मद इस प्रकार के रिसोर्सेस जुटा पायेंगे। इसका मतलब यह होता है कि हम रिसोर्सेज के अन्दर ३० करोड़ रुपये की कमी का अनुमान लगाकर चलते हैं और जब हम ३० करोड़ रुपये का अनुमान लगाकर चलते हैं तो यह बात स्पष्ट रूप से मालूम होती है कि प्लान में ३० करोड़ रुपये की कटौती करनी पड़ेगी। यह सही है कि हमने केवल अभी तक २८ करोड़ रुपये की कटौती के बारे में अनइम्पोर्टेंट के नाम से या नॉन-कोर के नाम से कटौती करने का रखा है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि सरकार को इस प्रकार की कटौती से नहीं घबराना चाहिए। यह कोई प्रेस्टीज का इश्यू नहीं है, यह एक नेशनल इश्यू है। प्लान के किसी भी मसले को हम पार्टी का मसला बना कर एक प्रेस्टीज का इश्यू बनाना चाहेंगे तो उसमें कई प्रकार की डिफिकल्टीज होंगी। लेकिन यदि हम इसकी राष्ट्रीयता के नाते इस पर विचार

(श्री भैरोंसिंह)

करने की चेष्टा करेंगे तो डिफ़िकल्टीज भी क्रियेट होंगी तो उनको भी आसानी से रिमूव किया जा सकता है।

मैं सरकार के साहस की इस संबंध में प्रशंसा करूंगा कि आखिर उन्होंने अपनी स्थिति को देखा है और उसके अनुसार प्लान के अन्दर कटौती करने का विचार किया...।

यह साहस का काम केवल राजस्थान सरकार ने किया है, लेकिन अब आज कल जैसे समाचार आ रहे हैं राजस्थान की नकल बाकी के राज्यों ने भी करना शुरू कर दिया। जिस समय तीसरी पंचवर्षीय योजना के संबंध में यह विचार चल रहा था उस समय मैंने सरकार से यह निवेदन किया था कि सरकार इस समय केवल एम्बीशन्स के बेसिस के ऊपर प्लान के टार्गेट्स निर्धारित नहीं करे, बल्कि जो हमारी स्थिति है उस स्थिति का स्पष्टरूप से ज्ञान रख कर उसके आधार पर प्लान का निर्धारण करें। लेकिन, खैर, देर आयद दुरुस्त आयद, देर से ही सही लेकिन हमारी सरकार ने एक सही रास्ता अख्त्यार करने की चेष्टा की है। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने जो इसमें कटौती की है। २२ करोड़ के लगभग जो नॉन-प्लान में उन्होंने शामिल किया हैं यह अध्यक्ष, महोदय, इस प्रकार का एक फण्डामेन्टल क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारी सरकार ने बनाई, और यह सरकार राजस्थान विधान सभा की रेस्पान्सिबल सरकार है। इस प्लान के संबंध में अप्रत्यक्ष-रूप से या प्रत्यक्षरूप से हमारी विधान सभा की स्वीकृति थी। उस विधान सभा की स्वीकृति के द्वारा कोई भी सरकार का निर्धारण हो उसमें यदि सरकार बाला बाला कटौती करे और विधान सभा को कान्फीडेन्स में नहीं ले तो कुछ ऐसा लगता है कि हमारी सरकार कुछ अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशियेन्सी के कारण भय का अनुभव करती है कि उन सारे मसलों की कहीं आलोचना नहीं हो जाय। इस आलोचना के भय से स्पष्ट रूप से विधान सभा के सामने अपनी स्थिति का अवलोकन नहीं करा रही है। बजट के अधिवेशन के अन्दर यदि सरकार को इस बात का आभास हुआ था कि हमें हमारे इस प्लान में कुछ कमी करनी पड़ेगी तो सरकार के लिए आवश्यक था कि वह विधान सभा का इस संबंध में विश्वास प्राप्त करती। लेकिन उस समय उसका जिक्र नहीं किया गया बल्कि उसके विपरीत बजट भाषण में हमारे वित्त-मंत्री जी ने यहां तक कहा कि हमको सोशल सर्विसेज में कमी करने की गुन्जायश मालूम नहीं होती है लेकिन इन भाषणों को भी हम देखते हैं तो हम ऐसा अनुभव करते हैं कि जो उनके भाषण में बात कही गई थी उस बात के ऊपर भी गम्भीरता से विचार नहीं किया गया था और बिना विचारे ही उस समय ऐसा आश्वासन दे दिया।

अब इन सारी स्थितियों को हम देखें तो हमको देखना पड़ेगा कि आखिर रिसोर्सेज की कमी कब होती है और रिसोर्सेज का एसेसमेंट क्या हो ? मैं सबसे पहले सरकार से पूछना चाहूंगा कि राजस्थान में ३२ करोड़ के टेक्सेज़ का प्रावधान रखा था। उसके साथ साथ जो बाकी के साधन थे, अल्प-बचत योजना या लोन वगैरह के इस प्रकार के

(श्री भैरोंसिंह)

प्रावधान रखे थे उनमें कमी का कारण क्या हुआ ? ३२ करोड़ में आपका अनुभव ऐसा है कि हम केवल २४ करोड़ के टैक्सेज़ और वसूल कर सकते हैं । मैं सरकार को पूछना चाहूंगा कि जिस समय ३२ करोड़ का प्रावधान रखा था उस समय आधार क्या थे ? आप किस आधार पर ३२ करोड़ का एसेसमेंट करके चले थे ? आज उस आधार में कौन सी कमी का अनुभव कर रहे हैं जिस कमी के कारण आप यह मान कर चलते हैं कि ३२ करोड़ के टेक्सेज़ नही लगा सकते है । और केवल २४ करोड़ के टेक्सेज़ लगा सकते हैं । सरकार को स्पष्टरूप से बताना चाहिए । मैं समझता हूं कि इसको माननीय मुख्य मंत्रीजी स्पष्ट करेंगे ।

जहां तक मैं समझ पाया हूं उसका एक मोटा कारण मेरी नजर में आया है कि राजस्थान के लोगों की पर केपिटा इन्कम घटती जा रही है, प्राइस इन्डेक्स बढ़ते जा रहे हैं और बचत जितनी प्रत्येक व्यक्ति के पास में होनी चाहिए उतनी हो नहीं पाती । सरकार के स्वयं के आंकड़े इस बात को स्पष्ट करते हैं कि आज एवरेज़ली पर केपिटा इन्कम का उस समय जितना बढ़ने का आश्वासन दिया था उस आश्वासन के ऊपर यदि हम थोड़ा गौर करें तो अपने आप से स्थिति साफ हो जाती है । राज्य सरकार ने जो एक तृतीय पंचवर्षीय योजना का नोट सरक्यूलेट किया है उस नोट के द्वारा मैं आपको यह बताने की चेष्टा करूंगा कि हमारी पर केपिटा इन्कम किस प्रकार से घटती जारही है। राज्य सरकार ने यह बताया है कि इस सारे प्लान के पीरियड के अन्दर ३० पर्सेन्ट के लगभग तक बढ़ने का अनुमान करके चल रहे हैं । अब उस स्थिति के अन्दर अब तक के जो लेटेस्ट फीगर कुछ पेपर्स में मैंने देखे हैं, मैं कह नहीं सकता कि सरकार उनको मानेगी या नहीं मानेगी, लेकिन साधरणतया यदि हम ३० पर्सेन्ट की वृद्धि का ५ वर्ष में अनुमान करके चलते हैं तो एक वर्ष के अन्दर उसका एवरेज ६ पर्सेन्ट का आता है, और जब ६ पर्सेंट का आता है तो उस हालत में हमें यह विचार करना पड़ेगा कि ६१-६२ का जो वर्ष निकला है उसके अन्दर हमारी इन्कम कितनी बढ़ी है, और उस इन्कम को हम यदि देखते हैं तो हम निश्चितरूप से निराश होगें कि जो इन्कम बढ़ाने का हमारा लक्ष्य था वह लक्ष्य तीसरी पंचवर्षीय योजना में पूरा नहीं कर पायेंगे । वह इस आधार पर कि ६१-६२ में २-२ पर्सेन्ट हमारी इन्कम बढ़ी है । ६ पर्सेन्ट का एवरेज हम लेकर चले लेकिन एक वर्ष के अन्दर २.२ इस प्रकार की हमारी इन्कम बढी है तो निश्चितरूप से हमको इस बात की चिन्ता होती है कि इन्कम को बढ़ाने का दृष्टिकोण रखा था, जो लक्ष्य था उस लक्ष्य को हम इन ५ वर्षों के पीरियड में पूरा नहीं कर पायेंगे । प्राइसेज भी बढ़ी हैं । आपने जो स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट के बेसिस पर ४५-४६ से ५६-६० तक २८ पर्सेन्ट प्राइसेज इन्क्रीज हुई है । पिछले साल यानी ६०-६१ और ६१-६२ में ४ पर्सेन्ट इन्कम बढ़ी है । इस कारण से बचत जितनी करनी चाहिए थी उतनी नही कर पाये हैं । उन पर बोझ पड़ा है । राजस्थान में इस चीज़ को समझा है, यानी साधारण आदमी यह महसूस करने लगा है कि टेक्सेज का बोझ आया है । वह यह महसूस करने

(श्री भैरोसिंह)

लगा है कि टैक्सेज़ के कारण, बढ़ी हुई कीमतों के कारण वह किसी प्रकार की बचत नहीं कर सकता है। बचत नहीं कर सकता है इस कारण से उसको टैक्सेज़ का बोझ अनुभव होने लगा है। इस स्थिति में मैं कहना चाहूंगा कि पिछले दिनों नगरपालिकाओं में हाउस टैक्स लगाने की व्यवस्था की गई थी तो आपको इस बात की जानकारी हो गई कि सम्पूर्ण राजस्थान में हाउस टैक्स का विरोध किया गया। क्यों विरोध किया गया ? आज तक सरकार ने टैक्स लगाये हैं और सरकार ने टैक्सेज़ के प्रावधान रखे हैं उस समय किसी ने नहीं कहा कि टैक्सेज नहीं देने चाहिएं। इसी समय सरकार टैक्स नहीं लगा रही है। उस समय भी वह टैक्स लगाती थी, लेकिन उस समय वे अदा कर सकते थे तो उन्होंने उसका विरोध नहीं किया। यह पहला मौका है कि खुले आम हाउस टैक्स का सारे राजस्थान में विरोध किया गया है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि लोगों की आमदनी कम होने लगी है। जो कुछ बचत होनी चाहिए वह नहीं हो पाती है तो करों का भार महसूस होने लगा है। वैसी स्थिति में मैं यह कहना चाहूंगा कि आज की स्थिति में राजस्थान के लोगों की आय की स्थिति धीरे २ चिन्तनीय होती जा रही है और सरकार को बहुत गहराई से विचार करना पड़ेगा।

एक बात, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि आखिर यह जो लोगों की आमदनी गिरती जा रही है तो उसके कारण क्या हैं ? मैं जहां तक उसका एनलेसिस कर पाया हूं उसका केवल कारण एक है। राजस्थान के लोगों की आमदनी केवल उसी हालत में बढ़ सकती है जब कि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, वह चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में हो, यह प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर दोनों एक साथ मिल कर काम करें या अलग अलग क्षेत्रों में काम करें लेकिन राजस्थान में जितना ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतनी लोगों को एम्प्लॉयमेंट फेसिलिटीज़ मिलेगी, उतनी ही हमारे लोगों की पर केपिटा इनकम बढ़ेगी, लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान के अन्दर चाहे प्राईवट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो राजस्थान को जितनी बेकवर्डनेस है उस बैकवर्डनेस के अनुपात से जितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए उतना नहीं हो पाता। अब नहीं हो पाता है उसके कारण लोगों की पर केपिटा इनकम गिरती जा रही है। इस बात की पुष्टि के अन्दर कोई कहने की आवश्यकता नहीं पिछले दिनों प्लानिंग बोर्ड की जो बैठक हुई थी, उस प्लानिंग बोर्ड में इस बैठक में इस बात का प्रस्ताव पास किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान के अन्दर पर केपिटा इनकम के गिरने के चांसेस हैं इसलिए प्लानिंग बोर्ड ने यह प्रस्ताव पास किया है कि भारत सरकार को इस तरह का निवेदन करें कि भारत सरकार की एवरेज पर केपिटा इन्कम और राजस्थान की एवरेज पर केपिटा में जो डेस्पेरिटी हो उस डेस्पेरिटी को दूर करें, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिस समय तीसरी पंचवर्षीय योजना पेश हुई थी उस समय जो आश्वासन दिखाया था वह पूरा नहीं हो सकेगा, बल्कि वह डेस्पेरिटी ज्यादा से ज्यादा बढ़ी है। अब हमारे सामने एक मोटी मिसाल आकर खड़ी हो गई कि भारत की एवरेज पर केपिटा इन्कम

(श्री भैरोसिंह)

बढ़ती जा रही है और राजस्थान की पर केपिटा इन्कम से जो उसकी डैस्पेरिटी है वह दूर नहीं हो पा रही है। वह बराबर चली आ रही है। उसको दूर करना है अगर उस मान्यता से नहीं चला जाता है तो मैं निश्चित मानता हूं कि हमारे सामने एक भयंकर समस्या पैदा होगी, और ऐसी भयंकर समस्या पैदा होगी कि जिसके कारण हम अपने प्लान के टारगेट्स पूरा करने की कोशिश करेंगे और जनता का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो जनता का सहयोग किसी प्रकार से प्राप्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति में सरकार से निवेदन करूंगा और विधान सभा के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि हम भारत सरकार से इस सदन के मार्फत इस बात का निवेदन करें कि राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाय और प्राइवेट एन्टरप्राइजेज को एन्करेज करने के लिए भारत सरकार हमें ज्यादा से ज्यादा मदद दे।

भारत सरकार पब्लिक सेक्टर के अंदर हमारी जितनी भी ऐसी इन्डस्ट्रीज है उनको राजस्थान में लागू करने के लिये, राजस्थान में स्थापित करने के लिए पिछड़े हुए राजस्थान की ज्यादा से ज्यादा मदद करे। लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि पिछले दिनों राजस्थान गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्ज का जिक्र इस विधान सभा में किया गया था। पिछले १० वर्षों में यह पहला अवसर था जब कि इस सदन के अन्दर चर्चा की गई थी और उसके बारे में जो कुछ यहां कहा गया था उसका विरोध करने की, सिवाय मंत्रीजी के सत्तारूढ़ दल के किसी भी सदस्य ने हिम्मत नहीं की थी। हमारे पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की हालत अच्छी नहीं है। आज राजस्थान गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्ज की हालत देखें और उधर प्राइवेट इंडस्ट्रीज की हालत देखें तो मुझे तो आभास होता है कि प्राइवेट इंवेस्टमेंट करने वाले हैं वे इसमें सरकार की सहायता की ओर विशेष ध्यान देकर एक व्यक्ति प्राइवेट इंडस्ट्रीज लगाने के लिये तैयार होता है। यह सही है कि लोगों को एनकरेज करने के लिये सस्ती बिजली देनी पड़ेगी, पानी और बाकी की सुविधाएं देनी पड़ेगी लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पूंजी हमारी लगे, इन्वेस्टमेंट हम करें और मैनेजिंग एजेन्ट्स और सुपरवाईजिंग के नाम से प्राइवेट लोग उस पर अधिकार करें।

मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान की आज की स्थिति को देख कर राज्य सरकार ने तीसरी योजना में पब्लिक सेक्टर में खर्च करने की योजना की है उसको भले ही आप एक्स्पान्ड नहीं करें लेकिन जो कर दिया है या करेंगे उसको कंसोलिटेड करें और ज्यादा से ज्यादा हमको उसका रिटर्न मिले इस तरह की व्यवस्था करें इस तरह से लोगों को एन्करेज करें कि वे ज्यादा से ज्यादा पैसा यहां पर लगाने को तैयार हों। ऐसे लोग और राजस्थान सरकार दोनों मिल कर इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट करें और लोगों की पर केपिटा इन्कम बढ़ावें।

मैंने देखा है कि नॉन प्लॉन में आपने कटौती की है। यह सही है कि राजस्थान में जब तक कन्जूमर्स गुडस् नहीं पैदा करेंगे, जब तक कन्जूमर्स गुडस् ज्यादा लोगों की मारफत नहीं पैदा करेंगे तब तक पर केपिटा

(श्री भैरोंसिंह)

इन्कम नहीं बढ सकती। आज बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज लगाकर कुछ मजदूरों को एम्प्लोय कर सकेंगे लेकिन सब मजदूरों की हालत इससे नहीं सुधर सकेगी। इसलिये निश्चित रूप से मजदूरों की हालत सुधारने के लिये घरेलू धन्धों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा। बड़ी इन्डस्ट्रीज के मामले में आपने कटौती नहीं की लेकिन छोटी इन्डस्ट्रीज के मामले को लेकर चाहे ट्रेनिंग फेसिलिटीज में हो, चाहे और तरीके से हो, आपने कटोती करने की कोशिश की है। राजस्थान में इस बात की आवश्यकता थी कि अधिक से अधिक लोगों को ट्रेनिंग छोटी और घरेलू इन्डस्ट्रीज के लिये देते। बड़ी इन्डस्ट्रीज फेल हो रही हैं। बड़ी इन्डस्ट्रीज गुड्स आवश्यकता के अनुसार पैदा नही कर पाती लोगों को एन्करेजमेंट नहीं मिलता इसलिये यह आवश्यक है कि छोटे छोटे घरेलू धन्धे ज्यादा बढावें, उनकी ट्रेनिंग के लिये समुचित व्यवस्था करें और कन्ज्यूमर्स गुड्स ज्यादा पैदा करने का लोगों को इन्सेन्टिव मिले और उससे लोगों की पर कैपिटा इन्कम बढ़ाने की कोशिश करें।

लेकिन यहां बदकिस्मतो ऐसी है कि हमारा देश एक अन डैवलप्ड देश है यह कहने में संकोच नहीं हो सकता। आज हम अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी की नकल नहीं कर सकते। उनकी नकल करने से हमारे जैसे अनडेवलप्ड कन्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। अभी एक अच्छे इकोनोमिस्ट ने भारत की योजना के बारे में राय दी थी और सलाह दी थी कि अनडेवेलप्ड कंट्रीज को डेवलप्ड कंट्रीज ने जो तरीके अपनाये हैं वे नहीं अपनाने चाहिए। लेकिन हमारे यह यह नहीं होता।

आज हम बड़ी बड़ी मशीनरीज वाले कारखाने खोलना चाहते हैं लेकिन उसके साथ साथ लोगों की आमदनी बढाने का लक्ष्य हमारे सामने होना चाहिये उत्पादन लोगों के हाथ से बढ़े यह लक्ष्य होना चाहिये बदकिस्मती से उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं लेकिन मशीनरी से, बडी मशीनरी से बढ़ाना चाहते हैं परन्तु बड़ी मशीनरी से लोगों को काम नहीं मिलेगा। हम ऐसी मशीनरी लगा सकते हैं जिससे लोगों के हाथ बेकार न हों, लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम दें लेकिन ऐसी मशीनरी लगाकर इन्डस्ट्रियेलाइजेशन न करें जिससे लोगों का हाथ बेकार हो जाय तो मैं सरकार से कहूंगा कि आप कितनी ही योजनाएं बनावें लेकिन बेकारी कम नहीं हो सकती।

आपने तीसरी पंच वर्षीय योजना बनाई थी उस समय जो ७०,००० बेकार लोग हैं उन बेकार लोगों को खपाने की कोशिश की थी और साथ ही साथ ५ सालों में नये एन्ट्रेन्ट्स होंगे उनको खपाने का आश्वासन दिया था। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ६१, ६२ में आपने कितने लोगों को एम्प्लोयमेंट दिया और ६२,-६३ में कितने नये लोगों को एम्प्लोयमेंट दिया? इस प्लान को देखने से ऐसा लगता है कि इस वर्ष १ करोड़ की कटौती की है और २ करोड़ की कटौती अगले वर्ष में करना चाहते हैं। वह कटौती राज्य कर्मचारियों में होगी। आपने यह किया कि टेम्पोरेरी व्यक्ति जो ६ महीनों के पहले से हैं उनको सरप्लस करके उनको रीएम्प्लोय करने की जिम्मेदारी नहीं ली,

(श्री भैरोंसिंह)

बाकी के लिये आप उनको रीएम्प्लोय करने की जिम्मेदारी लेते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने बाकी कितने लोगों को एम्प्लोयमेंट दी और आगे आने वालों को ५ वर्षों में डिवाइड करें और यह बतावें कि निर्धारित लक्ष्य में कितने लोगों को एम्प्लोयमेंट दिया किसी को नहीं दिया। बल्कि अभी जो एम्प्लोयड हैं उनमें कमी चल रही है। दूसरे वर्ष में २ करोड़ की कटौती करेंगे उसके मुताबिक यह होगा कि नया अपोइंटमेंट एक भी नहीं होगा। १ करोड़ की कटौती में आपने डाइरेक्शन्स और नोटिफिकेशन्स इश्यु किये हैं कि एक भी नयी नियुक्ति नहीं की जाय। मैं मानता हूं कि इस कटौती के निर्णय पर नये लोगों की नियुक्ति बन्द कर रहे हैं, एम्प्लोयमेंट को समाप्त कर रहे हैं, लोगों को एम्प्लोयमेंट नहीं मिलता तो फिर योजना किस बात की। लोगों की पर केपिटा इन्कम नहीं बढे प्रोडक्शन नहीं बढ़े, मंहगाई बढ़े तो फिर योजना किस बात की? योजना केवल नाम मात्र की बना दी है। भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने योजना बनाकर लक्ष्य कायम किया वह मैं समझता हूं यह था कि लोगों की सुख–सुविधा किस प्रकार बढ़े। आप कह सकते हैं कि राजस्थान केनाल और भाखरा केनाल जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाये हैं। लेकिन आपने स्वीकार किया है कि राजस्थान केनाल से तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना में रिटर्न नहीं मिलेगा। पांचवीं पंच वर्षीय योजना से रिटर्न मिलना शुरू होगा।

आपने स्वीकार किया है कि जितने प्रोजेक्ट्स है उनसे तात्कालिक लाभ नहीं मिलने वाला है। मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने स्टेटमेन्ट दिया प्लानिंग बोर्ड के सामने उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हम स्टेगरिंग टेन्डेन्सी करते हैं जिनमें तात्कालिक लाभ नहीं मिलने वाला है। आपने तात्कालिक लाभ मिलने वाले आइटम्स में कमी करदी लेकिन जिनसे तात्कालिक लाभ नहीं मिलने वाला है उनमें ये कमी नहीं की। मैं यह नहीं कहता कि राजस्थान केनाल में कटौती करें या पोंग डेम बन रहा है उसमें कटौती करें लेकिन जिनमें ट्युनिंग और स्टेगरिंग की उसके बारे में इस मौके पर जब कि देश पर विपत्ति और संकट आया है, इस स्थिति में विचार करना पड़ेगा कि नॉन प्रोडेक्टिव मुद्दों पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाय। सन् ६१-६२ के टारगेट्स जो एचीव किये हैं और एक्सपेन्डिचर किया है उसको मैंने देखा। मैं समझता हूं २ करोड़ ५४ लाख रुपये आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्ज पर खर्च किये। मैं आज की स्थिति में सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने कटौतियां की हैं उनमें आपने लघु सिंचाई योजना के नाम पर कटौती कर दी। लेकिन जो अभी आप कटौती करने की स्कीम लेकर चलते हैं उस स्कीम में, मैं कई दिनों से कहता आया हूं, पिछली बार भी कहा था कि राजस्थान सरकार की नॉन प्रोडक्टिव आइटम्स पर कम से कम पैसा खर्च करना चाहिये। मैं सरकार से पूछता हूं कि २ करोड़ ५४ लाख रू० बिल्डिंग्ज पर खर्च किये, इस पर खर्च करने की इतनी क्या आवश्यकता थी जिसके कारण पूरी रकम खर्च करनी पडी?

अध्यक्ष महोदय, आवश्यकता इस बात की है कि हमारे प्रधान मंत्रीजी ने वित्त

(श्री भैरोंसिंह)

मंत्रीजी को पत्र लिख करआहवान किया है कि बजट को रीकंसीडर करें और सारी स्थिति को देखकर डिफेन्स में ज्यादा से ज्यादा पैसा प्रोवाइड कर सकें इस प्रकार की व्यवस्था करें। मैं कह सकता हूं कि आज राजस्थान के बच्चे छाया में पेड़ के नीचे बैठ सकते हैं, सरकारी अफसर तंबू में काम कर सकते हैं टीन के नीचे बैठ कर सरकार का धंधा चल सकता है तो इसके लिये आवश्यक नहीं है कि बड़े बड़े बिल्डिंग बनें जब कि सारी फौज इस बात के लिये लगी है कि दुश्मन हमारे देश में प्रवेश नहीं कर सकें। ऐसे समय में माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे भी राजस्थान का इस प्रकार का उदाहरण इस सारे देश के सामने रखें कि इस प्लॉन के अन्दर जितना भी बिल्डिंग्ज़ के ऊपर खर्च किया जाने वाला है, जो इस प्रकार की बिल्डिंग्ज है, जिनके न होने से छप्पर के नीचे बैठ कर भी काम कर सकते हैं और जिन पर करोड़ों रुपया खर्च होने वाला है, वह रुपया सरकार बचायेगी और फिर अगर उस पैसे को देश की सुरक्षा के लिए आवश्यकता हुई तो उसके लिए देगी और अगर वहां नहीं हुई तो जिन छोटे छोटे आइटम्स में कटौती की है, वह, जो प्रोडक्टिव आइटम्स हैं, उनको पूरा करने के लिए बच जायगा। लेकिन सरकार यह नहीं कर पाती है और नहीं कर पाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सरकार कहती है कि डेमोक्रेटिक सरकार है लेकिन ये इस प्रकार के आइटम हैं, जिनके सम्बन्ध में आज डेमोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी पर विचार करना पड़ेगा।

मैं मान कर चलता हूं कि जो बिल्डिंग्ज़ बनती है, उनमें जो सोशल सर्विसेज की बिल्डिंग्स बनती हैं, उनके बारे में तो विचार किया जा सकता है कि ये बिल्डिंग्स पब्लिक यूटीलिटी की होगी लेकिन जो बिल्डिंग्स आफिसियलडम के लिए बनती हैं, जो बिल्डिंग्ज़ शान शौकत के लिए बनती हैं जो बिल्डिंग्ज़ बड़प्पन के लिए बनती हैं जिनका रिटर्न निल होता है, उन पर सरकार पैसा खर्च करके चले तो ऐसा लगता है जैसे डेमोक्रेसी के ऊपर ब्यूरोक्रेसी आ गई है और ब्यूरोक्रेसी के दिमागों में ऑफिशियलडम होता है। ब्यूरोक्रेसी देश की आवश्यकता को महसूस करती है, लेकिन जितने डेमोक्रेटिक फंक्शन में लगे हुए लोगों को पैसा बचा कर देश के हित में बचाने के बारे में चिन्ता होती है, उतनी चिन्ता ब्यूरोक्रेसी के लोगों में नहीं होती और वह इसलिए नहीं होती कि उनके फंक्शन को प्रेसक्राइब करने के लिए और उनको गाइड करने के लिए मिनिस्टरी होती है, और मिनिस्टरी को सलाह देने के लिए विधान सभा होती है लेकिन इस प्रकार की स्थिति नहीं होती है इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी जिस तरह बाकी स्टेट्स में कोई स्टेट मिलिट्री ट्रेनिंग की व्यवस्था कर रही है, कोई स्टेट रुपया इकट्ठा करने की व्यवस्था कर रही है, कोई बचत का काम कर रही है, इसी प्रकार हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी आज घोषणा कर दें कि आज के बाद हम इस प्रकार की बिल्डिंग्स में कोई खर्च नहीं करने वाले हैं, जो बिल्कुल आवश्यक नहीं हैं। स्कूलों के लिए, कॉलेजेज के लिए, मैं समझता हूं, बिल्डिंग्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, टीन के नीचे बच्चों को

(श्री भैरोंसिंह)

पढ़ाने की आवश्यकता है बनिस्बत इसके कि हम अपनी आजादी को दुश्मन के हाथ में बेच दें, खास तौर से पैसे की कमी के कारण। यह बात सही है कि हमारे देश के प्रधान मंत्री ने बचत करने का आव्हान किया है और पिछले दिनों में हमारे वित्त मंत्री ने कहा है कि हमारे देश में जिसके पास रिजर्व है, जिसके पास सोना चांदी है, वह सब बैंक में जमा करायें और फॉरिन एक्सचेंज के लिए सहायता दें। उनकी अपील को सारे लोगों ने सुना है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज तीसरी पंचवर्षीय योजना के दूसरे वर्ष में लोगों के रिजर्वस को एक्जोस्ट करने की अपील सरकार की तरफ से आती है, और आप तीसरी पंचवर्षीय योजना के दूसरे वर्ष को तो पब्लिक के रिजर्वस से पूरा कर लेंगे, लेकिन बाकी की सालों का क्या होगा ? आखिर जब पब्लिक रिजर्वस एक्जोस्ट हो जायेंगे तो उसके बेसिस पर आप प्लानिंग नहीं कर सकेंगे। और एक दफा पब्लिक रिजर्वस एक्जोस्ट हो जाते हैं तो आप यह मान कर चलिये कि पब्लिक रिजर्वस एक्जोस्ट हो जायेंगे तो देश की पर केपिटा इन्कम बढ़ेगी नहीं, देश की नेशनल इन्कम में गिरावट आयेगी और खुद के रिसोर्सेस को प्लान में कन्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे तो वह नहीं कर सकेंगे और जब नहीं कर सकेंगे तो प्लान के असफल होने के कारण एक केओस क्रियेट हो सकता है, इसकी कल्पना करके हमें चलना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमने काफी इन्वेस्टमेंट किया है, मेजर प्रोजेक्ट्स के ऊपर, इस प्लान के शुरू से लेकर अंत तक देखें, आज की स्थिति को देखें, तो खास तौर पर मुझे याद है, एक दफा हमारे निर्माण मंत्री, वर्तमान निर्माण मंत्री.........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, माननीय सदस्य के बोलने पर मेरा कोई एतराज नहीं है, लेकिन जितना समय बहस के लिए रखा है उसके अन्दर ज्यादा व्यक्ति हिस्सा ले सकें और अपनी बात कह सकें, उसके लिए समय निर्धारित हो तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री भैरोंसिंह : आप मुझे बता दीजिये, मैंने कौनसी बात कह दी.........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपकी बात के आधार पर नहीं है, बात आप दस मिनट और कह लीजिये, मुझे एतराज नहीं है। मेरा मतलब है कि यह बहस आज के लिए है, कल दूसरा विषय है। इसमें ज्यादा लोग हिस्सा ले सकें और अपने कान्क्रीट सुझाव दे सकें कि २०८ करोड़ का रखा है, उसको २३६ कैसे कर सकते हैं, और किस तरह प्रायोरिटी में रद्दोबदल कर सकते हैं- इसको प्रायोरिटी न दें उसको दें, इसके लिए कांनक्रीनेट सुझाव दे सकें। इसे जनरल डिस्कशन की तरह लेंगे तो प्लान के सम्बन्ध में हमारे सामने कन्स्ट्क्टिव सजेशन आ सकते हैं, वे नहीं आयेंगे। मैं समझता हूं कि जो देश की हालत है, जो यहां की हालत है उसको देखते हुए कांक्रीट सजेशन की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष : समय के लिए यह व्यवस्था हो सकती है। आज आखिर समय तक बहस चले और मुख्य मंत्री का उत्तर कल सदन में हो जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह ठीक है ।

श्री अध्यक्ष आज बहस के लिए समय मिल जायगा और कल की बहस से समय निकाल कर मुख्य मंत्री जी जवाब दे दें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : कल इकट्ठा जवाब हो जाय, कल डिबेट पर और आज की कटौती की डिबेट पर ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : किस में कटौती ?

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन कर रहा था...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कल एक घंटे जल्दी मिल जाय तो समय में कटौती नहीं होगी ग्यारह बजे के बजाय दस बजे मिल जायं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम समय की कटौती नहीं करेंगे ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आराम में कटौती होगी ।

श्री भैरोंसिंह (जारी) : मैं निवेदन कर रहा था कि हमारी सरकार ने कटौतियां की हैं, उनमें जो आइटम्स उसने शामिल किये हैं, उन आइटम्स में से एक तो आता है, १६ लाख टन जो अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन करने का लक्ष्य था, उसको हमने १४.११ लाख टन तय किया है और इसके अतिरिक्त इसके अन्तर्गत जो माइनर हैड्स हैं, उसमें २२ गोदाम बीज के लिए जो बनाने का निश्चय किया था, अब हम केवल उतने नहीं बनायेंगे । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह खाद्यान्न का मसला है, यह केवल राजस्थान का ही मसला नहीं है, देश में जो खाद्यान्न उत्पादन होता है, उस सबके ऊपर सबका बराबर अधिकार होता है और कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो यह समझ कर किया है कि हमारे देश का विशेष विकास हो और हमारे देश पर जो विशेष संकट है, उस संकट से हमें किस प्रकार मुक्ति मिले । राज्य सरकार ने १६ लाख टन का अतिरिक्त उसका टारगेट निर्धारित किया था, अब उसको घटाया है । मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम हमें इसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं करनी चाहिए । उसी प्रकार से लघु सिंचन कार्य में हमारी सरकार के टारजेट्स ८ हजार नये कूए बनाने का था, उसमें ६,६०० नये कूए बनाने का रखा है, ६०० तालाब खुदवाने थे, उनकी जगह २२० तालाब बनवाने के रखे है, २० हजार कूए गहरे करवाने थे, उनके बजाय दस हजार कूए गहरे होंगे, दो हजार रहट बनवाने थे, उसकी जगह ११०० रहट लगायेंगे । ऐसा लगता है कि हमारी सरकार को इस बात का अभास हो रहा है कि लघु सिंचाई योजनाओ से तात्कालिक नहीं होता । लेकिन प्रत्यक्ष में लघु सिंचाई योजनाओ से तात्कालिक लाभ होता है । इसलिए सारे राजस्थान के अधिकांश हिस्से को लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत लेकर चल सकते हैं, ज्यादा कूए खुदवा सकते हैं, ज्यादा तालाब बनवा सकते हैं, ज्यादा रहट लगवा सकते हैं और ज्यादा पुराने कूओं की मरम्मत करवा सकते हैं । राजस्थान सरकार को चाहिए कि उन बड़ी योजनाओं, जिनमें करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, और जिनका लाभ चार पांच पंचवर्षीय योजनाओं में मिलने वाला

(श्री भैरोंसिंह)

है, उनके ऊपर जो खर्च कर रहे हैं वह करें लेकिन जितनी बचत हो उसको अधिक खर्च करके इस प्रकार उपयोगी काम में लगाई जाय जिससे आज जो खर्च किया उसका छः महीने के बाद रिटर्न मिल जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

इसके साथ ही जितनी भूमि सिंचित होनी थी, वह १ करोड़ २१ लाख एकड़ भूमि सिंचाई होनी थी, उसमें हमने कमी की है और अब ६० लाख २०० एकड़ भूमि में सिंचाई होगी। जितना लक्ष्य निर्धारित किया था और जो छोटे छोटे सिंचाई के काम थे उनमें कमी थी और जितनी एकड़ भूमि की सिंचाई करने का लक्ष्य था उसमें कमी की। वनों में कम कर दिया। सेवा सहकारी समिति में कमी की है, बड़ी सिंचाई योजनाओं में भी ११.५८ लख एकड़ भूमि का सिंचाई करनी थी, उसको घटा कर १०.६२ लाख एकड भूमि निर्धारित की है और उसी प्रकार रुपयों में कमी की है। मैं यह कहना चाहता था कि जिस किसी मसले में कोई कमी करें उसमें यह दृष्टिकोण अपना कर चलें कि वह कमी इतनी घातक नहीं है, जिस कमी के कारण जो इमीजियेट रिटर्न मिलने वाला था, वह नहीं कर पायेंगे और इसमें किया हुआ इन्वेस्टमेंट आइडल हो जायगा। इसी प्रकार शिक्षा के सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, १७.८३५ का नियोजन था, इतने टीचर्स लगाने थे, उसमें केवल १४४०५ टीचर्स नियुक्त कर पाये हैं। इसमें भी आपने कमी कर दी है। इसके अलावा जिन प्राइमरी स्कूलों को मिडल स्कूल बनाने वाले थे, उसमें भी आपने ५०० की जगह ३७६ की संख्या निर्धारित की है। इसी प्रकार मिडिल स्कूल को हाई स्कूलों में परिवर्तित करने वाले थे, उसकी संख्या में भी कमी कर दी, १६६२-६३ में इस हद तक पहुंच गये हैं कि मेरी जानकारी है कि एक आध हायर सेकण्डरी स्कूल खोले हैं। जितने हायर सेकन्डरी स्कूल खोलने वाले थे, वे नहीं खोले हैं। लोग कहते है कि चुनाव के दिनों में आश्वासन दिये थे उसके आधार पर दस बारह स्कूल १६६१-६२ में खोल दिये और आयन्दा स्कूल खोलने नहीं

(१.४० म० प०)

[राव श्री नारायणसिंह (उपाध्यक्ष) पदासीन]:

इस पर सरकार पुनः विचार कर रही है और हायर सेकण्डरी स्कूल नहीं खोले जायं इस प्रकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी हम ऐसे स्टेप्स लें उनके पहले हमें जानकारी कर लेनी चाहिये और अगर आपको कुछ करना है तो आप स्पष्ट तौर से कहें ताकि लोगों के दिलों में कोई भावना न हो।

इसी प्रकार चिकित्सा के संबन्ध में कहूंगा। आयुर्वेद के द्वारा लोगों को सस्ती चिकित्सा मिल सकती है और हम कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा कर सकते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि यदि हम इसमें कमी करते हैं तो हम छोटे छोटे गांवों में आयुर्वेदिक औषधालयों द्वारा जनता की सेवा कर सकते हैं और चिकित्सा समस्या का समाधान करें वह भी हम नहीं कर पावेंगे।

इसी तरह नगर जल प्रदाय योजना है। इसमें भी कमी की है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री भैरोंसिंह)

यह कहूंगा कि पहली और दूसरी योजनाएं समाप्त हुई और तीसरी योजना का पहला साल चल रहा है। पहले हमने वाटर बोर्ड का निर्माण किया था। मगर उससे पानी की कमी को पूरा नहीं कर सके। अभी प्लानिंग बोर्ड ने एक प्रस्ताव पास किया है, उसके जरिये मांग की है कि वाटर स्केअरसिटी एरिया है वहां पीने के पानी की व्यवस्था की जाए। मैं यह कहूंगा कि एक योजना निकल जावे, दूसरी पंच वर्षीय योजना निकल जावे और तीसरी योजना शुरू हो और फिर भी लोगों को पीने के लिये पानी की व्यवस्था सरकार न कर सकती हो तो मैं यह कहूंगा कि सरकार खुद अपनी स्थिति का बोध करावे।

बाकी के लिए मैं समय की कमी के कारण कुछ नहीं कहूंगा लेकिन जो आप कमी करें, उसमें सोशियल सर्विसेज मुक्त रहनी चाहिये। मैं राजस्थान सरकार को सुझाव के रूप में बताना चाहूंगा कि सब से पहले इन आइटमों पर जो नॉन-प्रोडक्टिव और अनावश्यक हैं उनमें कटौती जितनी करना चाहे करें। राज्य सरकार ने इसके लिये एडवाइज के लिये प्लानिंग बोर्ड बना रखा है। लेकिन उसकी मीटिंग साल में एक दफा होती है। वह भी जिस समय सरकार उसकी मीटिंग बुलाना चाहें या आवश्यक समझती है तो उसकी मीटिंग बुलाई जाती है। यानि यह सरकार की मर्जी पर निर्भर है। मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि आप इसे एक इन्डिपेन्डेन्ट बॉडी के रूप में काम करें तो ज्यादा अच्छा होगा बनिस्बत इसके कि वह सरकार के इशारे पर काम करे ताकि वह हम को आवश्यकताओं के अनुसार जरूरत के मुताबिक हमारी सरकार को समय समय पर अपनी राय दे सके और जो डेवलपमेंट के कार्य हों उनकी रिपोर्ट पेश करें और उसके बारे में राजस्थान की पब्लिक को जानकारी दे सकें। यदि हमने जनताको इस प्रकार की जानकारी दी तो जनता का सहयोग आपको मिलता रहेगा और यदि हमने जनता को इस संबन्ध मे जानकारी नहीं दी तो जितना पब्लिक कोऑपरेशन हमको मिलना चाहिये, नहीं मिल सकेगा।

इसके अतिरिक्त राजस्थान में डेवलमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की जावे। जो कोआर्डीनेटेड वे में अध्ययन करके राज्य सरकार को अपनी इन्डिपेन्डेन्ट सिफारिश कर सके और यह कॉरपोरेशन इन्डिपेन्डेन्ट बॉडी के रूप में काम करें तो ज्यादा अच्छा होगा। सरकार इस विचार को मंजूर करे तो सरकार की मर्जी की बात हो सकती है।

हमारी सरकार ने कुछ मिनरल कॉरपोरेशन बनाने का लक्ष्य बताया और उसमें दो करोड़ खर्च होगा। मैं यह कहूंगा कि इसकी आवश्यकता नहीं है और यह दो करोड़ का सेविंग आसानी से किया जा सकता है।

पलानः की लिगनाइट और डूंगरपुर फ्लोराइट बिना कॉरपोरेशन के ही चल रही हैं और इस पर जो खर्चा होने वाला है उसको भी रोका जा सकता है। मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है लेकिन एक प्रश्न सदन में पूछा गया था उसके उत्तर से माननीय उप-मंत्री ने बताया था कि कॉरपोरेशन के आइडिया को उन्होने छोड़ दिया है और

(श्री भैरोंसिंह)

उसके एवज में दो उप बोर्ड बनावेंगे। इसके लिये मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्रीजी बतावेंगे लेकिन मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि इस कॉरपोरेशन के नाम पर खर्चा होने वाला है उसको बचाया जा सकता है।

इसी प्रकार मैं यह कहूंगा कि कुछ एन्टरप्राइजेज के संबंध में कुछ कटौती की है। लेकिन मैं यह कहूंगा कि एन्टरप्राइजेज के मामले में हमें कोग्रोर्डीनेटेड वे में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को साथ लेकर साथ चलना चाहिए और प्रोडक्शन कितना हो रहा है वह सही तरीके से जानकारी प्राप्त करने के लिये प्राइवेट, सरकारी सदस्य और नॉन ऑफिशियल्स को मिला कर बोर्ड का गठन करना चाहिये जिससे कि उन लोगों को एक्सपर्ट का लाभ हो सके और जनता को भी लाभ हो सके। जनता के लोगों को ज्यादा मालूम रहती है प्रोडक्शन के मामले में बनिस्बत हमारे अधिकारियों के। हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं यह सही है, हमारे डाइरेक्टर भी होते हैं, मिनिस्टर भी हैं। मैंने देखा है, डाइरेक्टर भी अपनी राय रखते हैं ऐसी बात नहीं है कि वे अपनी राय नहीं रखते मगर फिर भी उनको पूरी जानकारी नहीं रहती जितनी कि पब्लिक के लोगों को रहती है। इसलिये अगर आप पब्लिक सेक्टर को साथ ले कर चलेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। इसलिये अगर आप किसी को एड्मिनिस्ट्रेशन के कार्य के लिये टेक्निकल व्यक्ति को बिठा देंगे तो वह काम तो चला सकेगा लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हो सकता। इसी प्रकार यदि किसी टेक्निकल आदमी के स्थान पर एडॅमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को बिठा देंगे तो वही हाल होगा। ऐसी स्थिति में मैं यह सुझाव दूंगा कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में किसी प्रकार का कोआपरेशन रहना चाहिये। सरकार को राय देने और प्रोपोजल रखने के लिये बोर्ड रखना चाहिए जिससे सरकार समय समय पर उसकी सलाह ले सके और उसके निर्देश के अनुसार काम कर सके।

अंत में मैं यह भी कहूंगा कि आज यह बात सही है कि प्लान को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। एक कोर ऑफ दी प्लान और दूसरा दूसरा नॉन कोर में डिवाइड किया है। क्योंकि अब हमें फाइनेन्स की कमी महसूस होगी। मगर जिस समय यह प्लान बनाया गया था उस समय हमने कभी इस बात की अपेक्षा नहीं की थी कि संकट इस प्रकार से हमारे देश पर आ सकता है और उसको देखते हुए हमने अपना टारजेट बनाया था कि रिसोर्सेस जितने हों उन्हें लगा कर अपने टारजेट को पूरा किया जाए। लेकिन आज जो स्थिति हमारे देश की है उसको देखते हुए हमें कुछ न कुछ करना होगा। हमारे रेवेन्यू एक्स्पेन्सेज हैं वे तो लिमिटेड हैं। उनको हम कम नहीं कर सकेंगे। उसमें कमी करेंगे तो बहुत कठिनाई होगी लेकिन केपीटल एक्सपेंडीचर है उसके सारे प्लान को रीकन्सीडर करना चाहिये और आज की क्या आवश्यकता है, कौनसी इन्डस्ट्री की अत्यन्त आवश्यकता है जिससे हमारे देश की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, कौन कौनसी ऐसी चीजें हैं जितकी जरूरत हमको हर समय पड़ती रहती है और आगे पड़ सकती है, उसके अनुसार प्रायोरिटी तय

(श्री भैरोंसिंह)

कर और इस मसले पर उसी ढंग से विचार करें कि वे सब चीजें सामान्यदृष्टि में किन किन को जरूरी होती है। जो जरूरी सामान है उसके लिये हमें प्रायोरिटी में कन्सीडर करना चाहिए। मैं समझता हूं कि यदि हम ऐसा करेंगे तो हम देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकेंगे। आज लड़ाई चल रही है। इसको क्या कहें, एग्रेशन कहें या आक्रमण कहें, ऐसी स्थिति में हमारे राजस्थान के लोगों को फौजी ट्रेनिंग के लिये भी पैसे की आवश्यकता हो सकती है। जिस प्रकार पंजाब सरकार ने यह डिसीजन लिया है कि वहां पर मिलिट्री ट्रेनिंग देंगे। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो वह बेकार जावेगी। इसलिये आवश्यक मदों में खर्चा करना चहिये। जो अनावश्यक मद है जिसके लिये हम ठहर सकते हैं उनको छोड़ कर तीसरी पंच वर्षीय योजना में रीकन्सीडर करना चाहिए।

सरकार यह कह सकती है कि हम रीकन्सीडर नहीं कर सकते। सरकार ने कोर और नॉन कोर के नाम पर प्लान बनाया है उसके अनुसार वह करे, यह सरकार की इच्छा की बात है'

अंत में मैं यही कहूंगा कि प्लान के रिसोर्सेज टैक्स से होते हैं लेकिन आज मैं यह कहूंगा कि यह आप मान कर चलें कि लोगों में टैक्स पे करने की शक्ति नहीं है और दिनों दिन बढ़ती हुई महंगाई की ज्यादा फेस करने की ताकत नहीं है। इसलिये प्लान में फाइनेन्स बढ़ाने की डिफिकल्टी आ रही है। प्राइसेज इसलिये बढ़ती हैं कि हमारा खाद्यान्नों का प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, उस अनुपात में जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही है। ऐसी हालत में प्राइस इन्क्रीज होती जा रही हैं। इसलिये ऐसी हालत में सभी चीजों पर गौर करना चाहिये और सारे प्लान को रीकास्ट करना चाहिये।

(२·०० म.प.)

रीकास्ट करने का मतलब यह नहीं कि कटौती कर दी जाय या ऐसी स्थिति पैदा कर दें कि जिससे केऑस ले आयें। रीकास्ट का मतलब 'यह होना चाहिये कि जो कमियां हैं उनको दूर करके ठीक ढंग से अपने रिसोर्सेज बढ़ाने की कोशिश करें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

इस दृष्टि से यह प्रस्ताव सदन में मैंने प्रस्तुत किया है माननीय सदस्य इस पर विचार करें।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले असेंबली के सेशन के थोड़े ही दिनों बाद जब हमें अखबारों में यह पढ़ने को मिला कि राजस्थान सरकार अपनी तृतीय पंच वर्षीय योजना में ५१ करोड़ रुपयों की कटौती कर रही है तो एक दम आश्चर्य भी हुआ और दुख भी हुआ। इस कारण भी कि एक योजना जो केवल एक वर्ष पहले बहुत गम्भीर विचार विमर्श के बाद प्लानिंग कमिशन और भारत सरकार द्वारा देख भाल करने के बाद बनाई गई थी, जिसका अमल शुरू हुए केवल एक वर्ष हुआ था और जिसका जिक्र विधान सभा में जो अभी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मिली थी, सरकार ने कोई किया नहीं, उसके बारे में अचानक सरकार अपनी ही ओर से इनिशियेटिव ले कर इतनी बड़ी कटौती उस प्लॉन में करने का विचार करें, इन दोनों ही बातों ने हमें आश्चर्य और खेद में डाल दिया। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि पिछले बजट अधिवेशन में हमने अपना नजरिया इस सदन में रखा था, उस दृष्टिकोण को सामने रखते हुए हम यह महसूस करते हैं कि आज जो सरकार ने इस प्लॉन में दुबारा रिवीजन करके इसको कोर और नॉन कोर के दो हिस्सों में बांट कर जो एक इन्डाइरेक्ट तरीके से २८ करोड़ रुपये की कटौती करने की कोशिश की वह हमारी राय में राजस्थान के विकास के आंकड़ों को देखते हुए, जो लक्ष्य, मोडेस्ट लक्ष्य इस तृतीय पंच वर्षीय योजना में इस सरकार ने खुद अपने सामने रखा था, उसको देखते हुए और इस योजना की पूर्ति की संभावना की दृष्टि से भी देखते हुए उपाध्यक्ष महोदय हम महसूस करते हैं कि इस योजना में इस प्रकार का रिविजन अनावश्यक था, गैर जरूरी था, और यह सरकार की ओर से सरकार की नीतियों का दिवालियापन समझते हैं हम कि सरकार ने इस प्रकार का कदम उठाया है, बल्कि यदि मैं यह कहूं कि सरकार खुद जो अपनी दलीलें लेकर भारत सरकार के पास अपनी प्लान फ्रेम को लेकर गई थी, जिन आधारों को लेकर गई थी जिन दलीलों को लेकर गई थो जिन दलीलों के आधार पर राजस्थान सरकार इस योजना को स्वीकार करना चाहती थी, आज उस प्लान में इस प्रकार का रिवीजन करके सरकार ने अपने ही आर्ग्यूमेंट्स, दलीलों और आधारों को खुद ही रिबेट करने की कोशिश की है। उपाध्यक्ष महोदय, जाने या अनजाने में हमारी सरकार ने एक इस प्रकार का प्रचार करने की कोशिश की है जैसे कि गत दो पंचवर्षीय योजनाओं में हमने एक बहुत लम्बी विकास की छलांग लगा ली है और जैसे कि अब राजस्थान एक विकास के बहुत ऊंचे शिखर पर पहुंच गया है और विकास की दृष्टि से हमें कुछ रेस्पाइट, कुछ आराम लेने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये विचार बहुत भ्रमपूर्ण, तथ्यहीन और राजस्थान की जनता की आवश्यकताओं के बारे में एक नासमझी का रुख है। उपाध्यक्ष महोदय, जब तृतीय पंच वर्षीय योजना बनाने का विचार हुआ उस वक्त हमारे प्रान्त की क्या स्थिति थी। क्या हम इकोनोमिकली इतने आगे बढ़ गये हैं, क्या हमने अपनी बैकवर्डनेस पर इतना काबू पा लिया कि हम ऐसा महसूस करते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना कोई बहुत बड़ी योजना नहीं है। विगत दो पंचवर्षीय योजनाओं में ईरिगेशन और पावर पर बहुत बड़ा पैसा खर्च हो जाने के बावजूद ऑल इण्डिया के कम्पेरिजन में देखें तो हमने कोई खास प्रोग्रेस नहीं की है। इण्डिया का पावर का कन्जम्प्शन ३० पर केपिटा है जब कि हम केवल ३ पर केपिटा पर पहुच पाये हैं, दो पंच वर्षीय योजनाओं के बाद। जहां इतनी बड़ी बड़ी ईरिगेशन प्रोजेक्ट्स हाथ में ली गई पिछली दो पंच वर्षीय योजनाओं में आज हमारी ईरिगेशन केपेसिटी कुल कल्टिवेटेड एरिया की केवल १३ परसेन्ट ही पहुंच

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पाई है। जो ऑल इन्डिया का १/३ हिस्सा है।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम अपने प्रान्त की तरक्की को, पर केपिटा इनकम को, स्टेट को इनकम को लें, यदि सरकार ने जो आंकड़े दिये हैं उनको भी स्वीकार कर लें तो खुद सरकार ने माना है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के पहले दोनों योजनाओं के पहले ४ वर्षों में हमारी पर केपिटा इनकम २३७ से २४६ रुपया हुई है। चार वर्षों में ५४–५५ की कीमतों के अन्दर ९ रुपया पर केपिटा में तरक्की की है। इस दौर में जन-संख्या में जो प्रगति हुई पर ईयर परसेन्टेज इसका देखें तो वह इस दौरान में, ५१ से ६१ तक के सेंसस फीगर्स हमारे सामने आये हैं, २.६१ परसेन्टेज इन्क्रीज जन संख्या में होता है। जहां २.६१ परसेंट पर एनम इक्रीज हो वहां पर केपिटा इन्कम २.२५ इतनी है तो यह बहुत आगे बढ़ने की बात नहीं हुई। जितनी जन संख्या बढ़ रही है उतनी ही पर केपिटा इन्कम बढी है, डेस्परेट है इन्डिया और राजस्थान में। तो दो पंच वर्षीय योजनाओं के अन्त में न इरिगेशन के तौर पर इरिगेशन में आगे बढ़ पाये न पावर कन्जम्प्शन में बहुत आगे बढ़ पाये और न पर केपिटा इन्कम बढाने में उतने आगे बढ़ पाये जिसको हम लोग यह कह सकें कि हमने वह डेस्परेट दूर कर लिया।

अगर हम अपने इन्डस्ट्रियल एक्सपेन्शन को देखें उपाध्यक्ष महोदय, तो सन् १९६१ के अन्त तक इन्डस्ट्रियल लेबर १ परसेन्ट से भी कम है जब कि ऑल इन्डिया लेवल पर १० परसेन्ट हैं। ऑल इन्डिया लेवल पर १० वें हिस्से के मुकाबले में १ परसेन्ट हमारे यहां हैं। दस का एक हिस्सा। इससे आप अन्दाज लगा सकते हैं। तो दस वर्षों की दो पंचवर्षीय योजना के बाद जब तीसरी पंचवर्षीय योजना बनाने लगे उस वक्त हमारे प्रान्त की इस तरह की स्थिति थी। उपाध्यक्ष महोदय, उस समय ऑल इन्डिया में और हमारे में यह एक गेप था और ऑल इन्डिया ने पर केपिटा इनकम तीसरी पंचवर्षीय योजना में बढ़ाने का रखा है, ३.८५ पर केपिटा इनकम बढ़ाने का रखा है, यह ऑब्जेक्टिव तीसरी पंचवर्षीय योजना में रखा गया कि पिछला गेप ऑल इन्डिया से चला आता है उसको पूरा कर ले और साथ ही इस पंचवर्षीय योजना में ऑल इन्डिया के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चलें, यह योजना पूरी हो तब तक। यह ओब्जेक्टिव हमारे सामने रखा गया व समझते हैं कि यह एक उचित लक्ष्य था, ओब्जेक्टिक था राजस्थान के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए। और उपाध्यक्ष महोदय, यह पिछड़ापन दूर हो सके, योजना का यह लक्ष्य पूरा हो इसके लिए खुद सरकार ने डॉक्टर लोकनाथन से सर्वे करवाया और उन्होंने रिपोर्ट दी। उनका दृष्टिकोण था कि राजस्थान की इकोनोमी में अगर इसी पंचवर्षीय योजना में ५७३ करोड़ का नया इन्वेस्मेंट हो तो इस लैक को पूरा कर सकते हैं इस ओब्जेक्टिव को पू ा कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमें इसी पृष्ठ भूमि में अपनी इस मौजूदा योजना को देखना चाहिये, इसके रिविजन को देखना चाहिये, मौजूदा रिविजन से जो असर होगा उसको देखना चाहिये

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

राजस्थान सरकार ने डॉ० लोकनाथन की रिपोर्ट को मान कर उसके दृष्टिकोण को मान कर तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्लान फ्रेम बनाया जो ३०० करोड़ का था। राजस्थान कैनाल पर और पोंग डेम पर जो खर्चा होने वाला है वह इसमें नहीं रखा गया, अलग रखा गया उसको। राजस्थान सरकार का यह सही दृष्टिकोण था। यह खर्चा राजस्थान सरकार पर नहीं होना वे चाहिये क्योंकि राजस्थान नहर और पोंग डेम से जो जो असर होने वाले हैं राजस्थान के लिए ही नहीं किन्तु हमारे देश के लिए होने वाले हैं। इसलिए उनका असर राजस्थान के बजट पर न पड़ कर आँल इन्डिया लेवल के बजट पर पड़ना चाहिये। भारत और पाकिस्तान की आपसी ट्रीटी हुई उस कारण यह पोंग डेम बनाना पड़ रहा है। इसके लिए राजस्थान की जनता को बोझा क्यों सहन करना पड़े, माकूल बात नजर नहीं आती। राजस्थान सरकार ने प्लॉन फ्रेम के वास्ते यह नजरिया रखा था वह सही दृष्टिकोण था और उसके मुताबिक यह प्लान फ्रेम बनाया गया जो ३०० करोड़ का था और यह भी दृष्टिकोण था कि प्राइवेट एन्टरप्राइज़ के जरिये जो इन्वेस्टमेंट होगा और पोंग डेम के जरिये जो इन्वेस्टमेंट होगा वह ७० करोड़ का होगा और इस प्रकार का कुल मिला कर ५०० करोड़ तक कर पायेंगे। राजस्थान सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह लक्ष्य रखा था कि ८ परसेन्ट पर केपिटा स्टेट इन्कम बढ़ायें तो पिछला गेप और डेस्पेरिटी को पूरा कर पायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, उन सब दृष्टिकोणों को निगाह में रखते हुए यह प्लॉन फ्रेम बनाई गई। लेकिन अफसोस कि हमारी भारत सरकार ने, हमारे प्लानिंग कमिशन ने कुछ गलत आधार बनाये हुए हैं, एलोकेशन्स के कुछ गलत उसूल मंजूर किये हुए हैं। जहां राजस्थान सरकार को हमें कुछ कहना है वहां भारत सरकार को भी इसके जरिये से कहना चाहता हूं कि उन सिद्धान्तों को रिवाइज़ करे तब जाकर बेकवर्ड प्रान्त आगे बढ़ सकते हैं। प्लानिंग कमिशन ने यह रखा है कि प्रान्त अपने रिसोर्सेज पैदा करें और उनके मुताबित हम एलोकेट करेंगे। प्लॉन कितना ऐतिहासिक है, पोलोटिकल है, कारण बेकवर्डनेस के कुछ भी रहे हों, किन्तु आगे बढ़ने के लिए एक इस प्रकार की सीमा निर्धारित कर दी गई है कि हम कितने लोकल रिसोर्सेज खड़े कर सकते हैं, हमारी तमन्ना के अनुसार इतनी बड़ी योजना होनी चाहिये कि हम आगे बढ़ सकें, हमारा प्रान्त आगे बढ़े उससे देश की सेवा करने के लिए तैयार हैं, उसी प्रकार देश के जो दूसरे बढ़े हुए साधन हैं उनका हमें उपयोग मिलना चाहिये। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने इस सिद्धान्त को बदलवाने के लिए माकूल कोशिश नहीं की और की है तो सही तरीके से असर्ट नहीं किया है, जिसका नुकसान न सिर्फ एक बार होने वाला है किन्तु आयन्दा नयी योजना तैयार करने वाले हैं, आयन्दा इस प्रकार के प्लान तैयार हुए तो हमेशा पिछड़े हुए रहना पड़ेगा।

इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सब बहस के बाद राजस्थान सरकार ने २३६ करोड़ की प्लान मंजूर की। राजस्थान केनाल और

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पोंग डेम का खर्चा भी उसमें शामिल है। दरअसल पोंग डेम और राजस्थान केनाल दोनों का खर्चा निकाल दें, जो ६३ करोड़ का है तो वास्तविक रूप में तीसरी योजना १७३ करोड़ की ही रह जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, यदि मैं यह कहूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो प्राइस इन्डेक्स थी और आज जो प्राइस इन्डेक्स है वह करीब २५ प्रतिशत प्राईसेज बढ़ गई है। अगर रीयल आउट ले को देखें तो १७३ करोड़ में से ३३ करोड़ रुपया बढ़ी हुई प्रइसेज के घटाने पड़ेंगे तो थर्ड फाइव इयर प्लान एट दी मोस्ट १४० करोड़ का मंजूर हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इन बातों की ओर भी दिलाना चाहता हूं जिनका जिक्र इस नोट में किया गया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का १४० करोड़ का रियल वेल्यू के हिसाब से राजस्थान केनाल और पोंग डेम को निकाल कर आता है।

इसमें पहली और दूसरी योजना में जो हमने नये काम चलाये उनका जो रेकरिंग एक्सपेन्डीचर है वह हमारे सिर पर आगया। जो सरकार ने आंकड़े दिये हैं वह करीब ४८ करोड़ रुपये के हैं। जिसका हैड है कमीटेड एक्सपेन्डीचर on account of development plans in the First and Second Five Year Plan इसको अगर हम हटा दें तो हमारी तीसरी योजना केवल ६२ करोड़ रुपये की रह जाती है। इसमें भी उपाध्यक्ष महोदय, अगर उन योजनाओं के हिस्से को जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में अपूर्ण रह गई दूसरी पंचवर्षीय में अपूर्ण रह गई जिसका स्पिल ओवर एक्सपेन्डीचर तीसरी योजना में करना पड़ेगा लाजमी तौर पर जो सड़कें अधूरी रह गई उनको पूरी करना पड़ेगा उसमें जब तक नई योजना नहीं तो पहली और दूसरी योजना के अधूरे काम इसी में करने पड़ेंगे। अगर उनका हिसाब स्पिल ओवर एक्सपेन्डीचर के आंकड़ें मेरे पास नहीं है लेकिन फिर भी जो कुछ मैं निकाल पाया हूं इर्रीगेशन के आंकड़े मैंने देखे, दस करोड़ में से ८।। करोड़ रुपया प्रथम व दूसरी योजना के बकाया काम का है वह ७५ प्रतिशत से ज्यादा होगा अगर इसी प्रकार से और मदों के अन्दर इस प्रकार पुरानी योजनाओं का खर्चा लगाया जाय तो यह हमारी तीसरी योजना के ६२ करोड़ रुपये में से स्पिल ओवर एक्सपेन्डीचर निकाल दें तो तीसरी योजना केवल नाम मात्र की योजना रह जाती है। इस तरह से यह तीसरी योजना केवल प्रथम और दूसरी योजना के स्पिल ओवर एक्सपेन्डीचर कमीटेड एक्सपेन्डीचर को पूरा करने का नाम ही तीसरी योजना का रह जाता है। ऐसी स्थिति में जिस योजना पर हमारी सरकार विचार करके पूरा करना चाहती है वह केवल बनावटी स्वरूप खड़ा करके इस योजना में २८ करोड़ की कटौती कर दें, यह अनावश्यक है। इसके मुकाबले में २८ करोड़ रुपये में हम समझ सकते हैं राजस्थान में इन आने वाले वर्षों में क्या कुछ है और क्या कुछ करने वाले हैं। इसमें भी उपाध्यक्ष महोदय, ६१-६२ का साल इलेक्शन ईयर था तीसरी पंचवर्षीय योजना का पहला वर्ष था जिसके अन्दर जगह-जगह बिना मांग के भी बेतहाशा रुपया खर्च किया गया। इससे हमारा ओवर ड्राफ्ट बेतहाशा बढ़ा अनुचित रूप से अनावश्यक रूप से हमारे पर आर्थिक संकट पैदा हुआ। प्रान्त की इकोनोमी को हम

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

देखें तो आने वाले चार वर्षों में हमारे पास बहुत कम रह जाता है खर्च करने के लिये। यह असलियत है उपाध्यक्ष महोदय, इस तीसरी योजना की। ऐसी हालत में जबकि योजना का दूसरा स्वरूप लम्बा चौड़ा नहीं उस पर जैसे कि एक माननीय सदस्य ने बधाई दी हमारी सरकार को इस योजना के बारे में, पहले वे इस बारे में कह गये थे कि उनको योजना का यह आइडिया पसन्द नहीं। पहले भी योजनायें बनी थी पहले भले ही बड़ी लगती हों लेकिन इन्डाईरेक्ट रूप से वे आइडियाज को इलीमीनेट करना चाहते थे। उनका कहना था कि पब्लिक सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत करो प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित करो यह एक दष्टिकोण है जो हमारे देश में बड़े जोश के साथ असर के साथ कई ढंग से घूम फिरा कर रखने की कोशिश की जाती है। इसका मकसद साफ तौर से यह है कि यह योजना है वह फिजूल है उनके ख्याल से लोगों को आजादी देनी चाहिये मरजी आये जो धंधा करें काम करें। राज्य सरकार का काम तो पुलिस रखने का और फौज रखने का है। इस अवसर पर मैं इस आइडियोलोजी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता यह अपना-अपना दृष्टिकोण है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की आवश्यकता को देखते हुए जैसा कि इस सरकार ने इस तीसरी योजना में खुद ने स्वीकार किया है, उसी पृष्ठ भूमि में आज उस परिस्थिति को देखें। जैसा कट किया है वह गैर जरूरी है, वह वास्तवित आवश्यकताओं को काटना और योजना की बात से मजाक करना मालूम पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम कोर और नॉन कोर का जिक्र करें तो जैसा कि गवर्नमेंट की तरफ से कहने की कोशिश की गई है कि नोन कोर का यह मतलब नहीं कि हम करना नहीं चाहते। हमने प्रायोरिटीज बेसिस पर कोर और नोन कोर का तय किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जिन चीजों का कट किया है वह इस प्रकार के हैं, आम तौर पर पंचायत के खर्चे में या विलेज हैन्ड इन्डस्ट्रीज के अन्दर रूरल सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं। शिड्यूल्ड ट्राइब्ज और शिड्यूल्ड कास्ट के लड़कों को होस्टल की सुविधा देने के बारे में या बैलों की तकावी देने के बारे में इस प्रकार की चीजों में कटौतियां की गई हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कौनसा ऐसा पैमाना आपके पास है जिससे सरकार ने यह रख दिया कि दो हजार हरिजनों को जिनको बैलों के लिये तकावी देना चाहते हैं जिनमें से १०० तो कोर में आ गये और १६०० नॉन कोर में आ गये। आपके पास क्या आधार है जिससे आपने १६०० को नॉन कोर के लिये छांट लिया। इसी प्रकार से जहां इनके लिये १५ होस्टल्स खोलने के थे उनमें से तेरह तो खुलेंगे और बाकी को नोन कोर में ले आये ऐसे कौनसे बदकिस्मत होस्टल हैं जो नोन कोर में आ गये। इसी प्रकार हमारी सरकार ने पंचायतों के अन्दर कमी कर दी ऐसी कौनसी बदकिस्मत पंचायत है जिनको मदद देना जिस रूप में देना उसको हमारी सरकार ने गैर जरूरी समझा है, अनावश्यक समझा है। मैं तो आश्चर्य करता हूं जो सरकार ट्राइबल पीपुल्स के वोट पर चुन कर आयी है उन्हीं के कल्याण के लिये जो योजना है उसमें कटौती कर रही है। यह इस बात का सबूत

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है कि जो कुछ वह वायदा करती है उसके ऊपर चलती नहीं यह उन लोगों के साथ बड़ी ट्रेजेडी है। इसी प्रकार हमारी सरकार ने बेकवर्ड क्लासेज के लिये ३.२५ से घटाकर २.५४ हजार कर दी है। सोशियल वेलफेग्रर में ४० से घटाकर २५ कर दिया है। लेबर वेलफेग्रर में १ लाख के बजाय ८० हजार कर दिये। होस्टल जो बनाने थे ३० वह सब स्कीम खत्म कर दी है। होस्टल ग्रब नहीं बनेंगे किराये पर मकान लिये जायेंगे। किराये के होस्टल जहां ग्रादिवासी रहते हैं उनको कम कर दिया है नये बनाना बिल्कुल बन्द कर दिया। जहां हरिजनों को बैलों की तकावी, ग्रौजारों की तकावी के लिए पहले जो टारगेट दो हजार का रखा था ग्रब केवल १०० का रखा है। ये चन्द मिसालें हैं जो मैं जल्दी में देख पाया हूं, सदन के सामने रख रहा हूं। इन ग्राधारों पर नहीं कहा जा सकता कि सरकार कोर ग्रौर नॉन कोर में डेप्रीसियेशन किया है वह साइन्टिफिक ग्राधार पर है। यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार की जो नॉन कोर की योजना है उसका जो हिस्सा है उसको पूरा करने की किन्हीं हालतों में सरकार की इच्छा है यह संभावना सरकार महसूस कराये। दर ग्रसल में यह सरकार की मन्शा का द्योतक है, यह हमारा विषय नहीं, मैं तो समझता हूं इतना ही कर लेंगे तो बहुत होगा।

सरकार ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है उनमें कट करने की या रिवाइज करने की ग्रौर रिसोर्सेज बढ़ाने की बात काफी कही है। उनका कहना है कि रिसोर्सेज को देखते हुए ही ग्रलोटमेन्ट किया गया है। बेटरमेन्ट लेवी के रेट्स को कम करना पड़ा। जमीन नीलाम करने की बात से डेफर करना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक रिसोर्सेज का सवाल है बुनियादी तौर पर बहुत ही कन्जरवेटिव पॉलिसी को मानते चले जा रहे हैं। इसको ब्रेक नहीं करेंगे पोलिसी को रेडिकल स्टेप पर तैयार नहीं होगी तब तक सरकार अपनी योजनाग्रों को पूरी करने की स्थिति में नहीं हो सकती। जैसा कि ग्रभी ग्रापको प्लान में रिवाइज करना पड़ा, हो सकता है कि ग्रागे चलकर ग्रौर भी करना पड़ सकता है यही नीति रही तो हर साल हमें रिवाइज करना पड़ेगा। इसका लोजीकल कनक्लूजन यह होगा कि प्लानिंग की बात को हम भूल जायेंगे ग्रौर जो भी ग्राइडिग्रोलोजी उनकी होगी वह ग्राप स्वीकार कर लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय मेरे यह बात समझ में नहीं ग्राती जैसा कि सरकार ने स्वयं ने ग्रपने एनेक्सर २ में खुद ने बताया है तृतीय पंच वर्षीय योजना काल में करीब २१ करोड़ ४० लाख रुपये का कम्पेनसेसन जागीरदारों को देना पड़ेगा। यह भी सरकार ने कहा है कि तीसरी योजना में कुछ दिक्कत है चौथी योजना में तो रिसोर्सेज बढ़ जायेंगे। चौथी में भाखरा ग्रौर राजस्थान केनाल से ग्रामदनी ग्राने लग जायेगी इस तरह से चौथी ग्रौर पांचवीं योजना में हमारे सामने रिसोर्सेज की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। कई बार मैंने इस सदन में यह कहा था कि ग्राज की जो हमारी ग्राथिक हालत है उसको देखते हुए यह २१ करोड़ ४० लाख रुपये की धन राशि बहुत अधिक है इसके लिए उनको कहना चाहिये कि राजस्थान की दो करोड़ जनता के

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

विकास के लिये आज जब कि हिन्दुस्तान के सामने भयंकर खतरा सम्मुख है आज कुर्बानी की जरूरत है आप इस रुपये की कुर्बानी कीजिये। यह जो कम्पेनसेसन ले रहे हैं वह हम हमारी इकोनोमिक पोजीशन ठीक हो जाने पर यानि पांचवी पंच वर्षीय योजना में अदा कर देंगे। वैसे अगर वे नहीं मानते हैं थोड़ा बहुत उस पर ब्याज देकर अदा कर दें इस तरह से यह २१ करोड़ रुपया अभी मिल सकता है।

पिछले बजट अधिवेशन के समय हमने तजवीज रखी थी कि पूरी राशि को हम कम करने के लिये नही कहते। जो छोटे छोटे जागीरदार हैं जिनके पास आजीविका के साधन नहीं है उनके साथ हमारी पूरी हमदर्दी है। उनको दीजिये उसके साथ साथ उनको काम भी दीजिये। लेकिन जिन लोगों के पास कमाई के दूसरें साधन हैं जो दूसरा काम धंधा कर रहें हैं। जमीनें खरीदने का काम कर रहे हैं जो प्लाट बनाकर अपनी जमीनें बेच रहे हैं वे यह सोच रहे हैं कि इस पैसे को हम कहीं जाकर इनवेस्टमेन्ट करेंगे उनसे आप कम्पलसरी तौर पर कम्पेनसेनस ले लीजिये आपके पास रिसोर्सेज होजाय तब आप उनका पेमेन्ट कर दें इस तरह से मेरे ख्याल से कम से कम २१ करोड़ रुपये में १५ करोड रुपये आसानी से बच सकते हैं।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय,, हमने एक सुझाव और दिया और देना चाहते हैं। आपने बेटरमेन्ट लेवी देहातों में जहां नहरें वगैरह आयी हैं उन पर लगायी है। लेकिन बड़े बड़े जागीरदार जिनकी जमीन शहरों और कस्बों में है जिनकी प्राइवेट सम्पत्ति है आज विकास की वजह से उनकी जमीनों की कीमत बहुत बढ़ गई है और उनकी कीमतों में बड़ा फायदा हुआ है उनसे भी बेटरमेन्ट को तौर पर कुछ वसूल किया जाना चाहिये। एक किसान की जहां नहर की वजह से जमीन की आमदनी बढ़ गई है उसकी हैसियत बढ़ गई है उस पर बेटरमेन्ट लेवी लाकर उससे लेना चाहते हैं। जयपुर के महाराजा की जो जायदाद थी उसकी वेल्यू बढ़ गई है उनके पास ठिकाना नवलगढ़ सीकर ठिकाना जो एक प्रकार से जयपुर पर छाये हुये हैं उनकी जमीनों की कीमतें बढ़ गई हैं वे अपनी जमीनों में प्लॉट काटकर लाखों रुपया कमा रहे हैं उसका आप क्या कर रहे हैं। उनको तो खुली छूट दे रखी है प्लॉट काटो और बेचो वे बेतहाशा मुनाफ़ा कमा रहे हैं।

हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि आप अपने रिसोर्सेज को बढ़ाइये जो प्रोपर्टी थी उसकी प्रोपोर्शनल तौर पर जो वेल्यू बढ़ी है उसका लाभ राष्ट्र को मिलना चायिये, जनता को मिलना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां रिसोर्सेज का जिक्र किया गया है वहां इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जहां हम पहले

(समय समाप्ति-सूचक-घंटी)

३२ करोड़ के टॅक्सेशन रेज करना चाहते थे वहां अब २२ करोड़ ही वसूल करेंगे।

परन्तु जिस प्रकार से मेरे से पहले जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा उस रुप में मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति राजस्थान की जनता

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

की है, पर कैपिटा का इन्क्रीज आपकी योजनाओं के जरिये हुआ है जो वृद्धि उनके जीवन मान की हुई है, जो हालत उनके जीवन मान की है वह टैक्सों के कारण और इस महंगाई के कारण नहीं सी हो पाई है। उसका कोई अर्थ नहीं रह गया है। अगर इस पर आप यह ख्याल करते है कि आने वाले बजट में राजस्थान की जनता पर बहुत बड़े टैक्सेज लगाकर आप रिसोर्सेज बढ़ा सकते हैं यह अगर आप सोचकर इस वक्त चलते हैं तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आपको इसके लिये बहुत बड़ा विरोध सहन करना पड़ेगा और आपको दुबारा अपनी योजनाओं पर विचार करना होगा।

इसलिये आप उस तरफ से विचार छोड़कर और जनता की जेबों पर कैंची लगाने का इरादा छोड़कर, उस तरफ अपनी नज़र दौड़ाइये जिस तरफ से आपकी पॉलिसी आपको सोचने से मना करती है। या तो आप देश की जनता की इज्जत की रक्षा करें या आप अपने उन प्लेजों की रक्षा करें जो थोथे हैं और जो आपने किन्हीं प्राइवेट रुलर्स से या जागीरदारों से किये है।

आपने रिसोर्सेज के तौर पर कुछ केटौतियां की हैं। आपने कुछ अपने एडमिनिस्ट्रेशन के ढांचे में चेन्ज किया है। डिस्ट्रिक्टस में हैड्स वगैरह में चेन्ज करके आपने करीब १,३३ लाख की बचत करके बतलाई है जिसके लिये इस सदन में तो आप उत्तर देंगे ही और हम सुनेंगे पर जाहिरा तौर पर बातचीत करने का मौका मिला तो जबाब मिला कि आप ने ही तो पिछले बजट अधिवेशन में सुझाव दिया था कि बचत करनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह सही है कि हमने कहा था। पर यह नहीं कहा था कि आप फोर्थ क्लास का रिट्रेंचमेंट कर दें, थर्ड क्लास सरवेन्ट्स का रिट्रेन्चमेन्ट कर के उनकी तनखा से गवर्नमेंट चलाएं। आपकी योजनाओं की बचत का, इकोनोमी का जो नतीजा सामने आया उसमें रिट्रेन्चमेंट हुआ है इन नीचे के तबकों का जो आज मारे मारे फिर रहे हैं। मुझे पता है हमारी जेल पर से छोटे छोटे वार्डरों का तबादला कर दिया उदयपुर। वे जानते थे कि ये जा नहीं सकेंगे और उनको जबर्दस्ती स्तीफा देना पड़ेगा। उन्होंने स्तीफे दे दिये। बहुतों को ऐसे ही हटा दिया। इस तरह से आपकी कटौती की दृष्टि गरीब तबके पर पड़ी हैं। इस प्रकार की कटौती करने का सुझाव हमने नहीं दिया था।

(समय-समाप्ति सूचक-घंटी)

आपको कटौती करनी चाहिये थी उस तरफ, जिस तरफ आपने अपनी कलम नहीं चलाई। मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि हमने पहले भी कहा था और आज की इस विषम आर्थिक संकट की स्थिति में उसे फिर निवेदन कर दूं अपने राज्यपाल महोदय से और आशा है कि अगर यह सदन और यह सरकार अपनी तरफ से निवेदन करे राज्यपाल महोदय से तो वहां हमारे इस बजट में से ३, ४० हजार खरचा हो रहा है, वहां २।। लाख की उसमें से बचत की जा सकती है और राज्यपाल महोदय,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जिनको तजुर्बा है, जिनने अपनी जिन्दगी साधारण सामान्य जन की तरह से बिताई है एक लाख के अन्दर ही अपना और अपने सारे स्टाफ का खर्चा अच्छी तरह से चला सकते हैं तो इतनी हमारी बचत इधर से ही सकती है।

(समय-समाप्ति सूचक-घंटी)

इसके बाद अगर आपको कटौती करनी है तो अपने मन्त्री मण्डल के अनबील्डी विस्तार को कम करके करिये। जिस आबू की ठंडी हवा में बैठकर और अपना दिमाग ठंडा करके आपने चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों पर अपनी बचत का कुल्हाड़ा चलाया, उसी आबू की हवा में की गई बैठक में दो नये डिप्टी मिनिस्टर रखने की बात करके आपने आपना खर्चा और बढ़ा दिया। क्या यह असंगत नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय, क्या यही सरकार की नीति है कि छोटे छोटे लोगों को बेरोजगार करना और बड़े बड़े खरचों को बढाना। क्या इस प्रकार की बातों से वे जनता का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं ?

मेरे पास अधिक समय नहीं है वरना मैं बताता कि किस प्रकार से बात इकोनामी की कही जाती है पर खरचा सुपरफ्लुअस हाथ में लिया जाता है। पानी की तरह खर्चा किया जाता है और रोना भी नहीं आता।

एक तरफ स्कूलों की बिल्डिंग, रोड्स, डिस्पेन्सरीज बन्द कर रहे हैं पर दूसरी तरफ आज भी आपके मिनिस्टरों के बंगलों में नये नये काम चलाये जा रहे हैं और उनकी मरम्मत हो रही है या नये कमरे बन रहे हैं नये नये रिनोवेशन हो रहे हैं। क्या यह सब आप देखते है ? जब कि आप यह कहते हैं कि आपके पास पैसे की कमी है।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां तक रिसोर्सेज का सवाल अगर है यह सरकार बोल्ड तरीके से कदम उठाये और अपने कन्जर्वेटिव आइडिया को भुला कर इनडाइरेक्ट टैक्सेज के द्वारा आप जनता के ऊपर टैक्सेज और थोपते जायें उसकी गुंजाइश नहीं रही है। आपने हिन्दुस्तान के अन्दर सारे उठते हुए आन्दोलनों को देखा है और आपने अच्छी तरह तजुर्बे से पहले ही सीख लिया, यह बहुत बढिया बात हुई है लेकिन इससे आप आइन्दा सबक लेंगे बल्कि आप कटौती करके यह वातावरण पैदा करना चाहते हैं कि योजना चाहते हैं तो नये टैक्सेस लगाने ही पड़ेंगे। हम कहना चाहते हैं कि यह आज आवश्यक नहीं है। रिसोर्सेज आपके पास नहीं हैं तो वह और उपलब्ध किये जा सकते हैं बशर्ते कि आप अपनी कन्जरवेटिव नीति को छोड़कर जनरल सोर्सेस को को टैप करने की कोशिश करें। उपाध्यक्ष महोदय, यह चाहे रिपिटीशन हो लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप राजाओं के प्रिवीपर्सेस के बारे में और अन्य प्रइवेट प्रॉपर्टी के रिविज़न के बारें में दुबारा सोचिये। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आपके मंत्री-मण्डल के एक सदस्य ने १५ प्रतिशत की कटौती अपने प्रिवीपर्स में से डिफेन्स फोर्सेस की मदद के लिए दी है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके ज़रिये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आज हमारी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

डिफेन्स फोर्सेस के लिए मदद की जरूरत है इसके लिए और भी अधिकाधिक कुर्बानी की जरूरत है और इससे अधिक लोग प्रेरणा लेकर चलें इसकी जरूरत है। लेकिन साथ ही साथ राजस्थान की आवश्यकताओं को महसूस करते हुए हमारे राजाओं से कम्प्लीटली सरेन्डर न करायें तो भी लोन के जरिये उनसे ले लें तो ५०-६० लाख रुपये सालाना के रिसोर्सेज आपको मिल सकते हैं। हमारे प्रधान मंत्री जिनके पहले से ही इन राजाओं से अच्छे ताल्लुकात है, मैं समझता हूं कि उनकी प्रार्थना को वे अस्वीकार नहीं करेंगे। अगर आज की हालात के अन्दर प्रयत्न करें तो चाहे उसका एबालीशन न करें उनको प्राईवेट में कुछ भी आश्वासन दें इससे हमें गर्ज नहीं लेकिन राजस्थान के विकास के लिए लोन के रूप में अवश्य कुछ प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी हमको आशा है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

अपने इस भाषण को समाप्त करते हुए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो राजस्थान सरकार ने इस योजना में परिवर्तन किया है वह कोर और नोन-कोर हिस्से में तृतीय पंचवर्षीय योजना से बचा है यह दरअसल में कटौती है। राजस्थान की आवश्यकताओं के अनुसार इसका भारी असर पड़ेगा। खुद सरकार ने जो थोड़े आब्जेक्टिव्ज रखे थे, परकेपिटा इन्कम के साथ लक्ष्य को हम कदापि प्राप्त नहीं कर सकेंगे और यह जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना है जिसमें थोड़ा सा पैसा रखा गया था और जिस तरह से हमारी सरकार कटौती कर रही है उसके लिए इसमें भी कुछ नहीं रहगा। खुद मेरे जिले में तीसरी पंचवर्षीय योजना में नई सड़कें केवल १३॥ मील रह गयी हैं तो इसी तरह और जगह की हालात नजर आती है। मैं समझता हूं कि बोल्ड नीति की आवश्यकता है, बहादुरी की नीति की आवश्यकता है। (समय समाप्ति सूचक-घंटी) जनता के दृष्टिकोण से उन स्थानों से रिसोर्सेज प्राप्त करने की आवश्यकता है और मैं यह महसूस करता हूं कि सरकार इस ओर कदम उठायेगी तो नॉन-कोर की बात को छोड़कर इस योजना को पूरा कर सकते हैं और इस तीसरी पंचवर्षीय योजना के आब्जेक्टिव्स को भी पूरा किया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास !

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी पंच-वर्षीय योजना के विषय में जो भी एकाएक परिवर्तन हुए हैं उससे लोगों के दिमागों पर बड़ा भारी असर पड़ा है। जिस समय राजस्थान विधान सभा का बजट सैशन चल रहा था उस समय बजट के दर्मियान जो जोश था और ऐसा सोचा जा रहा था कि हमारी योजनाओं के अन्तर्गत कोई परिवर्तन नहीं होंगे और इस समय इस प्रकार की कोई चर्चा भी कभी नहीं आई कि इस बजट के बाद में एकाएक नये परिवर्तन कभी होने वाले हैं और वह परिवर्तन बजट के बाद में हमने देखा तो इस प्रकार से सुनने में आया कि यह कार्यालय हटाये जा रहे हैं यह दफ्तर कम किये जा रहे हैं, कर्मचारियों की छंटनी हो रही है, नये अपॉइन्टमेंन्ट्स बिलकुल बन्द कर दिये गये हैं। इस प्रकार के नये

(श्री मुरलीधर व्यास)

सरकूलर्स और सारी बातों को देखा तो मालूम पड़ा कि यह बात क्या है, आज से दो महीने पहले जब बातें आई तो कोई बात सदन में नहीं आई और अब एकाएक यह परिवर्तन क्यों हो रहें हैं ? यह तो सरकार है, ऐसा मालूम पड़ने लगा कि कोई बनिये की दुकानदारी में एकाएक बड़ा घोटाला हो जाता है और उसकी सारी फर्म्स इधर उधर बन्द की जाती हैं और उनको अलग अलग नगरों से हटाया जाता है तो उसके लिए सोचा यहीं जाता है कि आखिर इस फर्म का दिवाला तो नहीं निकल गया। अभी तो हालात हुए उनसे आम लोगों के दिमागों में यह बात आने लगी। मैं इस संबंध में यही कहना चाहूंगा कि जो कुछ परिवर्तन हुए वह सदन में नहीं आये, जिस समय मितव्ययिता का सवाल था उस समय पोलिसी कट का भी सवाल आता है, इकॉनॉमी कट का भी सवाल आता है और जिसमें हर प्रकार की बातें सदन में तय करने वाली हैं कि साल भर में इतना इतना खर्चा होगा, इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में, इतना स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इतना और और दूसरे क्षेत्रों में, उसमें से कुछ स्कूल कम हो जाते हैं, कुछ खर्चे कम हो जाते हैं, कुछ दफ्तर इधर से उधर हो जाते हैं तो यह मालूम पड़ता है कि आखिर यह परिवर्तन क्यों किया जाता है ?

मैं यह समझता हूं कि यह भी सदन की स्वतंत्रता का सवाल है और ऐसे परिवर्तन कम से कम एकाएक इतनी जल्दी नहीं होने चाहिए। अगर होते हैं तो उनको बजट में भी स्पष्ट रख देना चाहिए था। जो भी हो वह हुआ। अब इसमें यह कहा जाता है कि यह परिवर्तन हम क्यों कर रहे हैं। परिवर्तनों के अन्दर यह तो स्पष्ट रूप से मान लिया गया है कि हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना में जितनी भी ३३६ करोड़ की धनराशि है उसमें कमी नहीं होगी। वह तो वैसा का वैसा है लेकिन हमारे रिसोर्सेस कुछ कम हो गये हैं और उसमें यह बताया गया कि जो हमको २० करोड़ रुपये बेटरमेन्ट लेवी से जमीन की बिक्री से आने थे वह कम आ रहें हैं। इसी तरह से यह बताया गया कि जो रुपया हमको टैक्सेज के रूप में ३२ करोड़ का टारगेट फिक्स किया था वह हमारे पास केवल २४ करोड़ ही आयेगा और इस तरह से ८ करोड़ रुपये उसमें कम हो रहे हैं।

इसके अलावा जागीरदारों को हमें जितना रुपया देना था वह ४-५ करोड़ ज्यादा देना पड़ेगा और इतना ही नहीं इसमें जो कुल टारगेट्स रखे गये ८० करोड़ रुपया होना चाहिये उसकी जगह ४५-५० करोड़ रुपया होगा अर्थात ३० करोड़ रुपये की कमी हो गयी। एक पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो राशि जिस रिसोर्सेस से प्राप्त होनी चाहिए वह कम हो गयी और इस कारण से एक मूल परिवर्तन हमको करना पड़ा। मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि आपके टारगेट्स जो आपने तय किये थे उनके अन्दर जो कमी होती है उसके कारण जैसा कि बताया गया कि टैक्सेज, क्योंकि आम जनता की माली हालत खराब है और वह खराब होने से हमें कम आय होगी। ठीक है, परन्तु जो हमारे सेविंग्स सर्टीफिकेट्स या दूसरे तरीके से जो पैसा हमारे पास आना था उसके लिए भी

(श्री मुरलीधर व्यास)

बताया गया कि १० करोड़ रुपया आना था वह हमारे पास में अल्प बचत योजना के अन्तर्गत वह भी ७ करोड़ के करीब आयेगा ।

वह तीन करोड़ और क्या हो गयें ? हमारी समझ में यह नहीं आया कि जो जागीरदारों को मुआवज़े के १७ करोड़ रुपये देने थे वे ५ करोड़ कैसे बढ़ गये ? यह मुआवजा या तो पहले से ठीक आंका नहीं गया या बाद में बढ़ा दिया गया । किस प्रकार से ५ करोड़ बढ़ा है इसका इसमें उल्लेख नहीं है । मैं तो यह सोचता था कि जैसे हमारे मान्यवर साथी जो अलवर से आये हैं उन्होंने कहा कि इस प्रकार की हमारे पास वह व्यवस्था है कि इस कारण से हमको हमारे प्लान को छोटा करना पड़े या उन परिस्थितियों में परिवर्तन करना पड़ता है तो मैं समझता हूं कि बहुत ही अनुचित व्यवस्था है।

आपने एक ओर तो यह कहा कि २३६ करोड़ में कोई कमी नहीं होगी दूसरी ओर आप यह कहते हैं कि यह राशि ८० करोड़ से ५० करोड़ हो गई हैं और प्लान कम नहीं होगा तो वह कैसे कम नहीं होगा ? आपका जिन रिसोर्सेज के आधार पर प्लान था और आपको वे रिसोर्सेज प्राप्त नहीं हो रहे हैं और आप यह भी कहना चाहते हैं कि प्लान तो उतने का उतना रहेगा । ८० करोड़ की जगह ३० करोड़ रुपया प्राप्त होगा । आखिर मैं आगे यह बात आई है है उसके संबंध में जैसा कि आपने बतलाया कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस प्रकार से टैक्सेज़ लगा कर पैसा प्राप्त करेंगें । कुछ आपने बढ़ाने की बातें कही थीं । आपने यह कहा था कि यह जो कमी है उसको किस प्रकार से प्राप्त करेंगे । तो उसके लिये शिक्षा में छात्रों की फीस के संबंध में कहा था, राष्ट्रीय कृत किताबों के भाव बढ़ाने की बात कही थी, बेटरमेंट लेवी को बढ़ाने की बात कही गई उसमें उसके साथ साथ जीरा और कॉटन के रेंट्स को उसमें बढ़ाने की बात कही गई थी । इन सारी बातों से भी वह धन राशि प्राप्त नहीं हुई । जब आपने आगे बतलाया कि यह जो रिसोर्सेज बतलाये हैं उनमें ४-५ बातें इसमें रखी हैं वे यह रखी हैं कि ट्रांन्सपोर्ट को राष्ट्रीयकृत किया है इससे कुछ धनराशि प्राप्त होगी । जो साल्ट है उसका कारखाना लगा कर उसके जरिये से धनराशि प्राप्त होगी । यह भी आपने बतलाया है कि हमारे यहां बहुत ज्यादा तादाद में खानों के जरिये से धन प्राप्त हो सकता है उसके जरिये से धन प्राप्त करेंगे । चौथी बात यह कही है कि हनुमानगढ़ में फेक्ट्री लगेगी उसका भी लाभ प्राप्त होगा और इस प्रकार से हम अपने रिसोर्सेज को प्राप्त करेंगे ।

मेरी समझ में नहीं आता है कि जहां तक खानों के विकास का सवाल है आपके सामने पलाना का सवाल बारबार आता है वह वैसा का वैसा ही मौजूद है । उसके विकास का प्रश्न किया गया था तो यह कहा गया था कि ६७ में जाकर उसका लाभ मिलेगा । आप एक ओर तो यह कहना चाहते हैं कि इसमें लाभ होगा वह थर्ड फाइव ईयर प्लान है उसके लिए जो रिसोर्सेज हैं उससे प्राप्त करेंगे, दूसरी ओर जबाब में यह कहना चाहते हैं कि थर्ड फाइव ईयर प्लान के बाद में उसका लाभ होगा । तो मेरी समझ में नहीं आता कि आपके पास में २३६ करोड़ का

(श्री मुरलीधर व्यास)

प्लान है तो उसको कैसे वसा का वैसा ही रखा गया है। हमारे पास में जो धनराशि प्राप्त होने वाली थी वह प्राप्त नहीं हो पा रही है। उसके बाद दूसरी ओर बतलाते हैं कि यह रुपये इस तरह से प्राप्त करेंगे। वह व्यवस्था भी नहीं है तो कैसे मानलें कि २३६ करोड़ रुपये का प्लान वैसा का वैसा ही रहेगा। आप केवल अपने गौरव के लिए कि साहब हमने हमारे प्लान में कमी नहीं की है. केवल इस बात के लिए भले ही उसमें रखलें, परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि आपका प्लान २३६ करोड़ रुपये का है वह बराबर कम हाता चला जा रहा है। कमी होने का जो जबरदस्त कारण है वह यह है कि १९५६ में जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई है तो ५६ के भावों को आप देखलें, उस समय के रेट्स को आप देखलें और उसके बाद में ५६-५७ के बाद में जब कि दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू की उसमें जो पैसा लगाया उसको आप देख लें तो पहली पंच-वर्षीय योजना के अन्दर जो माली हालत थी जो भाव थे और ५६ ५७ के रेट्स के हिसाब से दूसरी पंचवर्षीय योजना को आप देखिये तो रेट्स के हिसाब से प्लान दुगुना जरूर बना लिया है लेकिन जो मंहगाई बढ़ी और जो प्लान में जितना पैसा खर्च करना था उसका हमने केवल ८४ पर्सेन्ट ही खर्च किया, सारा पैसा खर्च नहीं हुआ, और वह प्लान मैं समझता हूं कि पहले प्लान से केवल सवा गुना ही ज्यादा मानें उससे ज्यादा नहीं हो सकता।

अब तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो प्लान है वह २३६ करोड़ का प्लान है उसके अन्तर्गत यह कटौती हुई है और आप कहते हैं कि कटौती नहीं होगी तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका प्लान कम का होगा। और फिर उसी प्रकार से इन्डेक्स नम्बर बढ़ रहे हैं और जिस प्रकार से मंहगाई बढ़ रही है उन सारी हालतों को अगर हम देखते हैं तो प्लान जिसको आप २३६ करोड़ का कहते हैं उसकी जगह १०० करोड़ का कह दिया जाय तो मैं समझता हूं कि ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जो साधन हैं वह प्राप्त नहीं होंगे। आखिर में उसकी स्थिति यह हो जायगी कि आपको फिर परिवर्तन करना पड़ेगा, और फिर बाद में नये नये परिवर्तन इसमें लायेंगे। इसलिए मैं इसके संबंध में कहना चाहता हूं ठीक बात है कि आपकी योजना की एक बात में मैं तारीफ करता हूं जैसा कि आपने कहा कि हमारी योजना बड़ी लम्बी है और उसको लम्बे दृष्टिकोण से देखना चाहिए। तीसरी पंचवर्षीय योजना जब खत्म होगी तो उसका लाभ हमको मिलेगा चौथी पंचवर्षीय योजना में या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में, और इस कारण से आप जो इन्वेस्टमेंट इधर राजस्थान नहर और पोंग बान्ध के लिए खर्च कर रहे हैं, मैं मानता हूं यह ठीक बात है कि इसका लाभ चौथी पंचवर्षीय योजना में मिलेगा, आज नहीं मिल सकता है। और जैसा कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि अनाज का जो प्रोडेक्शन है वह हमने कम दिया है और उसमें जब यह कटौती की है तो वह न्यायसंगत नहीं है।

उसके सम्बन्ध में जैसा कि प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है उसके अनुसार उनका यह कहना है कि यह जो पंचायत समितियों के मार्फत काम हुए हैं और उनके जरिये जब

(श्री मुरलीधर व्यास)

हम विकास के साधन बढ़ाते जाते हैं तो उनके जरिये हमको प्रेरणा मिलती है तो प्रोडक्शन यों ही बढ़ती है, क्योंकि ग्राखिर हमने नीचे से प्लानिंग बनाया है ग्रौर नीचे से प्लानिंग बनाने के बाद योजना नीचे से बनाकर दी है ग्रौर उसके बावजूद भी ग्रगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है तो हम यह समझेंगे कि हमारी विकेन्द्रीकरण की जो योजना है ग्रौर जो नीचे से प्लान लिया है वह नाकामयाब रहा है, तो उस दृष्टिकोण से यह कह कर मान लें कि इसके अन्दर कम किया जाय तो कोई हर्ज नहीं। उस ग्राधार पर प्रोडक्शन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा यह ग्रागे का सवाल है।

ग्राप कहते हैं कि राजस्थान की माली हालत जब बढ़ी है तो प्रत्येक व्यक्ति की आय बढ़ी है तो उसके लिए एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्री की तरफ भी हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रगर इन्डस्ट्री का डेवलपमेन्ट नहीं होगा तो ग्राप लाख कोशिश कर लें कि एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के ग्राधार पर प्रत्येक व्यक्ति की ग्राय बढ़ जाय तो, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि वह किसी भी हालत में नहीं बढ़ सकती है। उसको बढ़ाने के लिए ग्रौद्योगिक विकास करना पड़ेगा। ग्रौद्योगिक विकास के लिए हमने दो चीजों को प्रधानता दी है, ग्रौर वह प्रधानता मैं कहता हूं कि सिंचाई ग्रौर बिजली के मामलो में दी है। जहां तक मैंने देखा है। मैं समझता हूं कि इसमें सरकार ने ठीक ही किया है कि इनके अन्दर कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। बिजली ग्रौर सिंचाई यह दोनों इस प्रकार के साधन हैं कि चाहे किसी देश में चले जायं, चाहे किसी स्टेट में चले जायं, जो रियासत या स्टेट इन मामलों में ग्रागे बढ़ी हुई चली जा रही हैं ग्राप तुलनात्मक दृष्टिकोण से देख लें कि जिस स्टेट ने इस मामले में बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है वहां पर प्रत्येक व्यक्ति की ग्राय बढ़ती हुई चली जा रही है। जो स्टेट पावर ग्रौर सिंचाई के मामले में पीछे है वह स्टेट चाहे लाख कोशिश करे उसके प्रत्येक व्यक्ति की ग्राय नहीं बढ़ सकती है। इसलिए इसके ग्रन्तर्गत किसी प्रकार की कटौती नहीं की है उसको वैसा का वैसा ही रखा है तो हमारे प्रत्येक व्यक्ति की ग्राय बढ़नी चाहिए।

उसके साथ साथ हमें उद्योगो के मामलों में थोड़ा सा ग्रौर भी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। उद्योगों के विकास के लिए बिजली ग्रौर सिंचाई की ही जरूरत नहीं हैं, इसके साथ ही साथ मैं समझता हूं कि ट्रान्सपोर्ट की भी उतनी ही ग्रावश्यकता होती हैं। हमने ट्रान्सपोर्ट के ग्रन्दर कटौती की है। ट्रान्सपोर्ट।

(३'०० म. प.)

एक उद्योग बढ़ाने का साधन हैं। ग्रगर कोई चीज किसी उद्योग के पास पहुंचाने की व्यवस्था नहीं है तो उसका विकास नहीं हो सकता।

ग्राज समझाइये कि सीमेंट का सवाल है, सवाई माधोपुर में सीमेंट काफी तादाद में, वहां तो पड़ा है लेकिन उनको वेगन्स नहीं मिलते तो हमारे विकास कार्यों के लिए सीमेंट पहुंचाना चाहते हैं वहां नहीं पहुंचती ग्रौर वहीं पड़ी रहती है तो लाभ नहीं मिल

(श्री मुरलीधर व्यास)

सकता। यदि इसकी जगह ट्रान्सपोर्ट की की सुविधा हो जाय तो वहां से पहुंचाई जा सके। इसमें जो कटौती की है उस पर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिये और इसको छोटा मामला नहीं समझना चाहिये।

जहां तक सड़कों का सवाल है, पहली पंचवर्षीय योजना में तय किया था कि हर डिवीजनल हैड क्वार्टर को डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर से जोड़ेंगे लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि बीकानेर में पहली पंच वर्षीय योजना चली गई, दूसरी योजना चली गई और तीसरी पंचवर्षीय योजना चालू है लेकिन बीकानेर के डिवीजनल हैड क्वार्टर को डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स से जोड़ने की योजना नहीं है। कह रहे थे कि नैशनल हाई वे से जोड़ी जायगी वह भी खटाई में है। पाकिस्तान के बोर्डर पर यदि सड़क नहीं है यदि समझा जाय कि कल किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो मैं समझता हूं इसके लिये राजस्थान सरकार की जबर्दस्त जिम्मेदारी होगी क्योंकि जहां बोर्डर या सीमा पर सड़क नहीं है तीन-तीन योजनाओं में छोड़ते चले जायं और उसको इधर उधर मिलावें नहीं, केवल हम कहते हैं कि हमारी सड़क बनी हुई नहीं है उन्होंने सड़क बनादी है। हम इस तरह की दिक्कत बताकर खड़े हो जाते हैं तो मैं मानता हूं कि हमारी सरकार को सभी पोइन्ट ऑफ व्यू से सोचना चाहिये और सड़क निर्माण कार्य को अपनी योजना में रखना चाहिये। यदि नहीं रखते हैं तो सरकार को अपना दृष्टिकोण हो सकता है लेकिन मैं समझता हूं इस दृष्टिकोण से यह बहुत आवश्यक है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसमें कटौती की उसका आधार जानना चाहिये। अपने जो सोशियल सर्विसेज हैं, चाहे शिक्षा से संबंधित हों, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हों, चाहे समाज कल्याण से संबंधित हों, ये ऐसी सेवायें हैं जिनमें यदि कटौती होती है तो फिर यह मालूम पड़ता है कि हमारी योजना के अंतर्गत हम जिस प्रकार लोगों को आवश्यक चीज देना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं वह अपनी योजना के अंतर्गत नहीं पहुंचा सकते।

आज शिक्षा के मामले में अभी कहा गया कि हायर सेकेन्डरी स्कूल्स ११ खोलनी थीं वे सब खत्म होगई, एक भी नहीं खुली प्राइमरी स्कूल के सिलसिले में यह कहा था कि सारे राजस्थान में निरक्षरता नहीं रहेगी। यह कहा था तो हमारी योजना नाकामयाब रही। तो जहां तक सोशियल सर्विसेज का सवाल है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें यह समझना चाहिए कि वह आवश्यक खर्चा है और इसको इस तरीके से गौण मान कर नहीं छोड़ दिया जाय बल्कि आवश्यक समझ कर सोशियल खर्चे में किसी प्रकार की कटौती नहीं करनी चाहिये।

मुझे दुःख है मैं देखता हूं छात्रों के होस्टल्स का सवाल है, स्कूल्स का सवाल है, मैंने जहां तक देखा वहां कटौती मालूम पड़ती है। जहां पर इलाज का मामला हो, प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स खोलने का सवाल हो, ओपरेशन थियेटर का सवाल है वहां पर कटौती की जावे, जहां पचासों मरीज पड़े हुए हों, आपरेशन की आवश्यकता हो, आदमी मर रहे हों वहां उनको बचाने की

(श्री मुरलीधर व्यास)

आवश्यकता है, लेकिन आप कहते हैं कि हम ओपरेशन थियेटर नहीं बना सकते तो हजारों आदमियों की जान और जिन्दगी का सवाल है। आप चाहें इसे इकोनोमिक कट कहें लेकिन इसका बुरा असर पड़ता है। इस प्रकार की कटौती नहीं होनी चाहिये।

जहां तक रिसोर्सेज का सवाल है, नाना प्रकार के साधन आपके पास मौजूद हैं जैसा कि अलवर के माननीय सदस्य ने कहा मैं मानता हूं जहां तक जागीरों का सवाल है कई जागीरदार धंधा करते हैं, उनको इतने रुपये देने हैं इसके लिये आप बाध्य हैं, लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि चौथी पंच वर्षीय योजना में आपके रिसोर्सेज ज्यादा हो जायेंगे तो आप उनको अभी इस योजना में पैसा न दें, ५ वर्ष तक उनको नहीं दें, जिनको हालत खराब है उनको दें। इस प्रकार से पैसा मिल सकता है।

दूसरे खर्चे में कटौती की व्यवस्था प्लानिंग के लिये है तो मंत्री मंडल का खर्चा कम किया जा सकता है। केरल में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री थे, वहां पर केवल चार मंत्री काम करते थे······

श्री चन्दनमल बैद (उप-मंत्री, उद्योग): वहां ७ मेम्बर थे।

श्री मुरलीधर व्यास : वहां १६ मेम्बर थे, ७ थे यह गलत ख्याल है। वहां पर ४ मंत्री काम चलाते थे। मंत्री तो चार ही थे। वे भी १० कर सकते थे। आप तो तीन के पीछे एक मंत्री बन जाते हैं वहां इस हिसाब से भी कम है। ऐसी सूरत में में हमारा राजस्थान इस मामले में सारे हिन्दुस्तान के लिये नया आदर्श उपस्थित कर सकता है। राजस्थान के मंत्री भी ५००) से ज्यादा नहीं लेवें। यह आदर्श उपस्थित करना कठिन नहीं है क्योंकि हम चाहते हैं कि चरित्र नीचे वाले लोगों का बने तो वह इसी आधार पर बनता है···

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): थानू पिल्लई की याद कर लें।

श्री मुरलीधर व्यास : वे तो गवर्नर की स्थिति में हैं इसलिये उनके बारे में नहीं कह सकते। यदि गवर्नर नहीं होते तो बात करते; क्योंकि गवर्नर की ऐसी स्थिति बना रखी है कि डिस्कस नहीं कर सकते···

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): गवर्नर की बात से बचिए मत। थानू पिल्लई का नाम लिया है। आप आदर्श की बात कर रहे हैं, आपको समझना चाहिये·····

श्री मुरलीधर व्यास : मैं कहता हूं कि आज थानू पिल्लई ने ऐसा आचरण कर दिया इसलिये तो आपको कहने का मौका मिलता है·······

एक माननीय सदस्य : आप भी गवर्नर बनना चाहते हैं क्या ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं ·····

श्री मुरलीधर व्यास : अभी तो मैं बोल रहा हूं।

अंत में मैं खास कर कटौती और कर्मचारियों की छंटनी के बारे में कहना चाहता

(श्री मुरलीधर व्यास)

हूं क्योंकि प्लानिंग के थर्ड फाइव ईयर प्लान में इतने लोगों को काम देंगे और सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान में इतने लोगों को काम दिया । जब आप इस प्रकार की बात कहते हैं कि इतने लोगों को काम दिया और थर्ड फाइव ईयर प्लान में नयी अपोइन्टमेन्ट्स बंद कर दिये, या बंद करना चाहते हैं या कर रहे हैं । मेरे पास १० ऐसे नोटिसेज हैं जो फोर्थ क्लास कर्मचारियों के बारे में हैं। मंत्री महोदय ने कहा था कि हम किसी प्रकार से किसी आदमी की छंटनी नहीं करेंगे लेकिन मैं ओर्डर्स बता सकता हूं गवर्नमेंन्ट के जिसमें लिखा है क्योंकि सरकार रिट्रेन्च करना चाहती है इसलिये तुम्हारी सर्विसेज टरमिनेट करते हैं। इस प्रकार के ऑर्डर्स मौजूद है तो मुख्य मंत्रीजी ने यह बात कही थी कि ऐसा किसी हालत में नहीं करेंगे और डिपार्टमेंन्ट्स ने किया है फोर्थ क्लास कर्मचारियों के लिये इसलिए मैं मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि आपने सदन को आश्वासन दिया था कि किसी प्रकार की छंटनी नहीं करेंगे, ट्रान्सफर कर देंगे, रिट्रेन्चमेन्ट नहीं होगा। लेकिन ऑर्डर इस प्रकार के हैं जिनमें रिट्रेन्च लिखा है इसके अंतर्गत छंटनी की है उन लोगों की जो तीन साल से या चार या पांच साल से कर्मचारी हैं। इसलिये इस संबंध में मंत्री जी से कहूंगा कि आप यदि यह कहें कि प्लानिंग सफल हो रहा है तो मैं यह मानता हूं कि थर्ड प्लान में आप और भी ज्यादा बेकारी पैदा करेंगे और जो आपने व्यवस्था रखी है उसमें न राष्ट्रीय आय बढ़ पायगी और न बेकारी की समस्या हल होगी। इसलिये मैं समझता हूं कि आप इन सब बातों पर ध्यान देंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, एक नोट सरकार की तरफ से सर्क्यूलेट किया गया। उस नोट की तरफ तवज्जह न देते हुए अभी तक पूर्व वक्ताओं ने इसके ऊपर रोशनी डालने की पूरी तरह कोशिश नहीं की कि यह स्थिति क्यों पैदा हुई .....

श्री मुरलीधर व्यास : नोट कोई आवश्यक है ? नोट गलत है तो क्या आवश्यकता है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आवश्यकता क्या है, वह अभी बतलाऊंगा मैं आपको।

सवाल यह है कि पर केपिटा इन्कम, एवरेज एनूअल इन्कम ३-३ हमारे यहां हुई फर्स्ट प्लान में, जबकि ऑल इन्डिया की ३.१ थी और पर केपिटा इन्कम २३७ रुपये १९५५-५६ में हुई और २४६ रुपये १९५९-६० में हुई। जब कि अन्दाज यह था सरकार का कि यह ३१५ होनी चाहिये थी और जब यह बात नोटिस में आई तब सरकार के सामने यह विषम स्थिति पैदा हुई कि अब इस स्थिति में क्या करना चाहिए। हम उस सारे लिहाज से देखें तो हमको यह भी मालूम होगा कि फर्स्ट प्लान में और सैकिन्ड प्लान में जो सरकार ने कार्य किये, उन कार्यों से पूरी तरह से हम संतोष कर सकते हैं और इस तरह के जो फिगर्स हैं ये बड़े साइन्टीफिकेली डेटा लेकर बड़े, बड़े इकोनोमिस्ट निकालते हैं। यह कोई जान बूझ कर नहीं हुआ बल्कि जब इसका केलकुलेशन इस रूप में आया तब सरकार के सामने यह समस्या अचानक उठ खड़ी हुई। मैं सुन रहा हूं इस विषय में जो विषय यहां उठे हुए हैं, उनमें

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

राजस्थान के लिहाज से और हमारे विकास के लिहाज से विचार सुनाने के बजाय लोगों ने अपनी पुरानी शहनाइयां बजाना शुरू कर दिया है। जो कुछ स्थिति पैदा हुई है, जो हमारे आर्थिक ढांचे के विकास के रूप में स्थिति पैदा हुई है, उसके ऊपर विचार करने के बजाय इस कट के ऊपर दूसरे नुक्ते निगाह से अपनी शहनाइयां इस तरह बजा रहे हैं कि वे आज अपनी अपनी पार्टियों की बात रखना चाहते हैं। इसमें पार्टियों का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि जो आर्थिक सवाल है, उसके ऊपर आर्थिक पहलू से विचार किया जाना चाहिए इस सदन में।

मैं इस रूप में अपने विचार सदन के सामने रखूं कि इस कट का जहां तक सवाल है, उसमें सरकार के सामने कोई दूसरी तरह का पर्याय बचा नहीं था सिवाय इसके कि वक्त रहते हिम्मत के साथ खड़े हो सकें। इस बात को स्पष्ट कहा गया है, उसमें यह क्यों नहीं कहा गया उसकी भी मैंने आपके सामने सफाई पेश कर दी है। इसके सिवाय मैं भाषण सुन रहा था पूर्व वक्ताओं के. उनको सुन कर मुझे कहना होगा कि मैंने पसन्द किया इस बात को कि आज जिन अवस्थाओं में, जिन हालतों में हमारा देश फंसा हुआ है उनमें पहली बात हमारे लिए सर्वाइवल की है, हमारी आजादी के सर्वाइवल की बात है। आज सदन में सेठ रामानन्द ने अपने विचार रखे, उन विचारों के बारे में मैं साफ कहना चाहता हूं कि आज की दुनियां के अन्दर हमारा यह एक्सपेरीमेंट चल रहा है और उस एक्सपेरीमेंट को करने की हिम्मत इस कांग्रेस सरकार ने की है। इस देश के अन्दर, इस इतने बड़े देश के अन्दर हमने प्लान, जो प्लान तानाशाही का द्योतक है, जो बिना तानाशाही के कहीं नहीं हुआ है, कहीं विश्व में नहीं हुआ है, वह प्लान हमने बनाने की कोशिश की है। हम प्लान कर रहे हैं और डेमोक्रेसी भी चला रहे हैं तब भी जो समय का तकाजा है, उस तकाजे को हम पहले पूरा करना चाहते हैं। हमारे लिए देश की आजादी पहले है. हमारे लिए मुल्क की आजादी पहले है। यह प्लान मुल्क की आजादी को रखने के लिए है। मैं चाहूंगा कि हमारा जो प्लान है, उसको बिलकुल काट दिया जाय और दूर किया जाय लेकिन पहला प्रश्न हमारे लिये आजादी का है और इस बात को एक दफा नहीं, कई बार कहा है और इसे मेरे मित्र, सेठ और जागीरदार लोग पूरी तरह से समझ लें। वे अपने ऊपर किसी की खाल ओढ़ें, उनकी जो बेसिक मेन्टेलिटी है, उस मेन्टेलिटी से हमें होशियार रहना है। मैं नहीं कहता कि उनकी मेन्टेलिटी कांशसली गिल्टी है लेकिन उनके दिमागों में इस तरह का अविश्वास है कि जिसकी वजह से यह बात उनके सब कांशस में घुस गई है और प्लान को लेकर जिस तरह की बात कहते हैं कि हमको बेच देना चाहते हैं, हमें बेईमान बना देना चाहते हैं। हम बेईमान बनने से इंकार करते हैं। हमारा जो भी कमिटमेंट है, जो डेमोक्रेसी के जरिये इस प्लान को चलाना चाहते हैं, और जो कमिटमेंट जिनके भी साथ है, उनको पूरा करना हम अपना परम धर्म समझते हैं। हम उन बेईमानों की तरह नहीं हैं जिन्होंने हमें भाई भाई कह कर आज इस हालत में पहुंचाया है, जिन लोगों ने हमें इस हालत में पहुंचाया है, उस कारण हम आर्थिक और

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

सब बातों में पीछे पड़ते हुए भी कहते हैं कि हमारा दिल बुरा नहीं है, हमने किसी को धोखा नहीं दिया है। हमें दूसरों ने धोखा दिया होगा और जो हमारी संस्कृति है, कांग्रेस की और कांग्रेस पार्टी की आइडियोलोजी है, हमारी आइडियोलोजी में ऐसी बात नहीं कि हम किसी को धोखा दें, हम किसी से झूठ बोलें और झूठ के जरिये उसको धोखा दें। यह आइडियोलोजी दूसरों की होगी।...

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : On a point of Order, Sir.

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : हमारी यह आइडियोलोजी है, इस आइडियालोजी का हमको कोई अफसोस नहीं है। इस आइडियोलोजी का विश्व ने सपोर्ट किया है। भले ही किसी ने हमें भाई-भाई कह कर धोखा दिया हो ....

श्री हरिराम चौहान : On a point of Order, On a point of Order...

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं साफ बता देना चाहता हूं..

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Order please !! मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जब एक माननीय सदस्य भाषण दे रहे हो तो इस प्रकार दखल कर सारे सदन का वक्त खराब न करें...

श्री हरिराम चौहान : कांग्रेस का प्रचार है या भाषण है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार जयपुर) : कांग्रेस का प्रचार नहीं है, यह कॉम्युनिस्टों की काट है। (करतल ध्वनि)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! आप लोगों को भी अवसर मिलेगा तब आप जो कुछ कहना चाहे वह कहे।..

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : आप इन्टरफिअर करने के बजाय अपने भाषण में अपनी बात कहें।

एक माननीय सदस्य : आउट आफ टॉपिक जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : मैं मेरे भाषण से जो इनके मुंह पर नकाब पड़े हुए है, उन नकाबों को फाड़ देना चाहता हू वह नकाब....

श्री हरिराम चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, ये आउट ऑफ टॉपिक जा रहे है। मननीय सदस्य को कहें कि ये आउट ऑफ टॉपिक न जायें।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) प्लान में नकाब फिट नहीं तो छोडिये।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : मैं उस बारे में......

श्री उपाध्यक्ष : विदिन टॉपिक हैं। वे मन की भूमिका को व्यक्त कर रहे हैं।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : मैं उस बारे में साफ कहता हूं, आपका जो कांशस हैं, उसमें जो सेन्टीमेंटस है, वे सदन के सामने आ जाये इसलिऐ मैं बोल रहा हूं। मैं अर्ज कर दूं कि इस प्लान को हम एक्सपेरीमेंट के रूप में करना चाहते हैं, इस ऐक्सपेरीमेंट में हमारा फेथ नहीं है। यह मैं स्पष्ट कहने को तैयार हूं। हम यह भी कहने को तैयार है कि हमारी डेमाक्रेसी हमारे लिए प्राथमिकता रहती है। उसके साथ हम ईमानदार है और अपनी इकोनॉमिक कन्डीशन के साथ हम प्लान में कमी और बढ़ौत्तरी करना चाहते हैं। यह हमारी फीलिंग्स हैं, यह हमारे देश के विकास के हित में हैं और गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के हित में है। लेकिन यह हमारे आदर्श के रूप में नहीं हैं। इन सब चीजों से हमारे लिए ज्यादा हैं हमारे मुल्क की आजादी। आज अन्डेवेलप्ड इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिये हमने इस पॉलिसी को अख्तियार किया है, इसकी आवश्यकता को हम महसूस करते हैं। इसके साथ साथ हम फराकदिली से और विशाल दिल से बढे हैं। हमने आज २३६ करोड़ का प्लान गिव अप नहीं किया है। आज सरकार ने इन कटौतियों के बावजूद यह कहा है कि हम प्लॉन को स्टिक करना चाहते हैं। आप नोट को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि हम विकास के काम को रोकना नहीं चाहते। हम उसके साथ यह कॉशन लेना चाहते हैं, हम कॉशन लेकर चलना चाहते हैं। इसलिए हम उन चीजों को प्रायोरिटी दे रहे हैं जिनकी हम ज्यादा जरूरत समझते हैं। इसलिए हमने प्लॉन को दो टुकड़ों मे बांट दिया हैं। कोर और नोन कोर। एक तो हमने वह बनाया कि इस काम को तो हमें करना ही है, उसको तो चालू रखना ही है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने अपने आदर्श को नहीं छोड़ा है। हम हर काम को करना चाहते हैं, मगर उनको पहले करना है जिनको करना जरूरी है। ऐसी हालत में जो सुझाव आपने दिये उस पर अमल करने के लिये जो जोर दिया गया, मैं उसके खिलाफ हूं। मैं यह कहूंगा कि आपके सोचने का तरीका गलत है। आप इसको गलत पहलू से सोचते हैं और कभी आप हरिजनों के लिये हिमायत करते हैं तो कभी आपका ट्रेन्ड दूसरा ही होता हैं। जिस तरह की हिमायती करते हैं और जो बातें आपने कहीं हैं मैं कहना चाहता हूं कि ये आपके मन की उपज है और मन घड़न्त हैं। हम तकलीफों को बरदाश्त करते हुए भी कमी करने को तैयार हैं जिनको करना जरूरी है। मैं मानता हूं, सरकार मानती है या नहीं, कि आज साइन्टिफिक प्रिन्सिपल कट के बारे में कोई नहीं है। केबिनेट ने एक प्रकार का ब्रेक, केबिनेट में बैठ कर तय किया है। आप उन पहलुओं के ढंग से सुझाव रखेंगे तो मैं समझता हूं कि सरकार को उन्हें कार्य रूप में परिणित करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से उस दिमाग से इन बातों को रखना चाहिये। जैसे जैसे सवाल हैं उसके अनुसार कार्य करना है। इस प्लान कट पर जो प्रस्ताव है, रिसोर्सेज का प्रश्न है, आपने बताया है, रामानन्द-अग्रवाल की तरफ से जो बातें बताई गई हैं वे बातें उचित नहीं है। लेकिन जो सुझाव जनसंघ के नेता की तरफ से आया है उसके

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

बारे में विचार करना चाहिये। उन्होंने दो बातें कही कि हमें कन्ज़ूमर गुड्स की तरफ ज्यादा तवज्जो देनी चाहिये। यह सही है कि इससे हमारे प्रोडक्शन पर इमिजिएट इफेक्ट पड़ता है और जिस पर इमिजिएट इफेक्ट पड़ता है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जावे ताकि हमारे यहां कि प्रोडक्टिविटी बढ़े। इसके अलावा हमें अपनी कुअत पर भी विश्वास करना चाहिये। हमने गरीबी से लड़ने की बात की तो यह हमारे लिये कोई शर्म की बात नही हैं। जो गिरता है वही उठता है और गिरता है वही आगे उठ कर बढ़ता है। इन बातों को हमें ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ मैं यह कहूंगा कि कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें कट करना मुझे भी मंजूर नहीं हैं।

आपने जो नौकरों के बारे में और डिपार्टमेंन्टों के बारे में कट की बातें कही हैं, मैं कह सकता हूं कि हमारे फर्स्ट प्लान में कोई प्रगति नही हुई। यह कहा गया कि हमारी सभी स्टेट्स मिली और नौकरों का एकीकरण हुआ उसको देखने में दिक्कत आई। इसलिये कुछ नही कर सकें। आप फिर अब वही बात पैदा कर रहे हैं। आपने लाइले आर०ए०एस, आई०ए०एस० व पी०एस०सी० से छंटे हुए लोग हैं उनके हितों की रक्षा की होगी। आपने सोचा होगा कि इसके अलावा जितने सरकार के काम करने वाले हैं, उनमें कट करें मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आपने मनमानी का रास्ता खोल दिया है। मैं यह कहता हूं कि कट करके। जो लोग वास्तव में काम करने वाले हैं उनके दिलों में और घरों में आपने एक प्रकार से अनिश्चितता डाल दी है। आपने एक कमेटी बनाई हैं उसमें जैसी स्थिति है वह आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। आपने इसके लिये तीन आदमियों की एक एग्जि-क्युटिव बना दी है। आज उनके रिप्रेजेन्टेशन का कोई तरीका नहीं है। जो लोग नौकरी करते हैं उनके भविष्य का कुछ भी पता नहीं। उनके प्रोस्पेक्ट्स का कोई पता नहीं कि वह कब सरप्लस बना दिये जावें या उनको कब निकाल दिया जावे। या उनको कहीं दूसरी जगह भेज दिया जावे। जो आज अंग्रेजी लिखता था वह कल एकाउन्ट्स का काम करने लगा दिया जावे। जो हिन्दी लिखता था उसको अंग्रेजी में डाल दिया जावे। आपने जो सिद्धान्त बनाया है उससे सरकार की जड़े कमजोर होती हैं और आपको संभलना चाहियें। आपको क्या बचत होती है। आप लोगों को सरप्लस करेंगे। आप उनको घर बैठों को तनख्वाह देना चाहते हैं। जब हमारा काम खत्म होता है तो हम कहते हैं कि घर बैठे रहो हम तुमको तन-ख्वाह देते हैं आप किस तरह से काम करते हैं और यह कहां की इकोनोमी है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

घर पर बैठे रहेंगे तो भी कनफर्म्ड हैं; हम तुमको नहीं निकाल सकते।

मैं कहूंगा कि आपको, मिनिस्टरों को तनख्वाह ज्यों की त्यों मिलेगी। मिनिस्टरों को जितनी मोटर आदि की सुविधाएं हैं वे मिलती रहेंगी।

(विराम)

यह आपकी बात नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप मंत्री, शिक्षा) : आप क्या बोल रहे हैं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपने एज्युकेशन का तय किया है। एज्युकेशन का जैसा डिक्शन है उसी तरह की चीज हैं। शिक्षा का हाल क्या किया है। एक करोड़ रूपयों का कट आपने क्यों किया ? फाइनेन्स मिनिस्टर को पूछते हैं तो उनका फौरम एक मात्र हँसी है। जब पूछा कि कैसे कट हुआ उस समय कहते हैं कि डिपार्टमेंन्ट ने रिकमन्ड करके भेजा और हमने कट कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ सरकुलर लिख कर डिपार्टमेंन्ट को भेजा। जो इसके लिये कमेटी बनी थी उसने रिपोर्ट दी उसको ताक में रख दिया और आपने एक सरक्युलर भेज दिया और फाइनेन्स मिनिस्टर कहते हैं कि मैंने सारे डिपार्टमेंटों को लिखा उन्होंने रिकमन्डेशन भेजी और उन्होंने कट कर दिया। यह आपने नहीं देखा कि कितने आदमियों पर इसका असर पड़ेगा। आपने फायदा देखा कि इतने आदमियों को निकालने से आपको फायदा होगा। मगर आप कैसे निकाल सकेंगे। जब आप उनको निकालेंगे तो आपकी बेकारी बढेगी और आप इस समय बेकारी को कम करना चाहते हैं। यह डिफिकल्टी आपको तीसरी पंच वर्षीय योजना में आई और आपने कट किया और इसका असर पड़ा आपके सरवेन्ट्स पर या उन पर जिन्होंने जीवन विकास की ओर काम करके बिताया। उन लोगों के साथ आपकी कोई सहानुभूति नहीं है लेकिन यह बात कहूंगा कि जो हुकुमत को चलाने वाले व्यक्ति हैं उनको पदच्युत करके इस तरह का उन पर बवन्डर डाला जाना उचित नहीं है। कई लोग जो सरप्लस हो जावेंगे उनको किस करह से रात को नींद आती होगी। मैं आपसे यह कहूंगा कि यह सब आपके ब्लेक शिप्स का इमेजिनेशन है। यह बहुत कुअल काम हैं। इसलिये इस पर आपको सोचना चाहिये। एक व्यक्ति को जिसको १० साल आपके यहां काम करते हो गये और दूसरा जो व्यक्ति दो साल से काम करता है, आपने दस साल वाले को निकाल दिया और दो साल वाले को रख दिया। होना तो यह चाहिये था कि उसको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिये। मगर अफसर किसी कारण से उससे नाराज हो गया तो जिस समय आपने उस अफसर से राय मांगी कि किन किन को निकाला जाए तो उसने उठा कर उसका नाम आपके पास भेज दिया। मिनिस्टर महोदय ने दस्तखत कर दिये और कह दिया कि १० वर्ष पुराने काम करने वाले को निकाल दिया जाए और निकाल दिया। यह सब बातें मैं आपको मिसाल के तौर पर कहता हूं। इस तरह से कितनी कठिनाइयें होगी। आपने ऑर्डर दे दिया कि जो लोग टेम्प्रेरी है उनकी प्रोबलम को हल किया जाए। आप उनको ६,६ महीने तक तनख्वाह नहीं देते तो वे किस के घर जाकर खाना खाएंगे। क्या वह हवा खा कर आपके यहां काम करता रहेगा और वेट करता रहेगा ? यह कैसी बात है कि आप उसको छः छः महीने तक तनख्वाह नहीं देते।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

आपने इसके लिये बडे बड़े सरकारी ऑफिसर मुकर्रर लिये हैं। आपने यह तय

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

कर लिया कि कट करना हैं, फिर तो कोई कहने की बात नहीं। वे लोग जो अधिकारी हैं सब कुछ कर सकते हैं। नीचे के अधिकारियों को कोई सिखाने की बात नहीं है वे तो हुक्म के गुलाम हैं। जब उनको पूछा जाता है फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा तो वे अपनी मनमानी करने में बड़े चालाक होते हैं। उनको पता है कि किस तरह से काम होता है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वे और फाइनेन्स मिनिस्टर एक ही हैं। उन लोगों को आपको इसके लिये सिखाने की आवश्यकता नहीं है उनका पुराना ट्रेन्ड है और वे लोग इसके लिये बहुत मशहूर हैं। इसलिये मैं यह अर्ज करूंगा कि किसी को नहीं निकाला जावे। आज मुल्क पर जो मुसीबत आ रही है इस समय ऐसा होना चाहिये कि नौकरी को ताकत मिले कि एक एक आदमी २४: २४ घंटे काम करता रहे।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

तीसरी बात मैं और कह दूं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं तो एक घंटी पर ही बैठ जाता हूं उपाध्यक्ष महोदय, आज ही नहीं बैठा हूं।

एक बात और कहना चाहता हूं, आज जो हालात पैदा हुए हैं, उसमें एक आवाज के साथ कहना चाहता हूं, जैसा कि जनसंघ के नेता ने इशारा किया उनके साथ आवाज से आवाज मिलाकर कहता हूं कि आज आपको ध्यान रखना चाहिये कि आज हमारे डिफेन्स के लिये, हमारी सेफ्टी के लिये, बड़े बड़े जो प्लान बनाये हैं, जहां जहां रक्षा की जरूरत हैं, पुलों की डेम की रक्षा की जरूरत हैं, उनके लिये आप जो चाहें कट करें। हमारे सरवाइवल का सवाल है, हमारी आजादी का सवाल है, उसके लिये जो कुछ करना है पहली प्रायोरिटी उसको दें, सड़कों को कट करते हैं तो गलती करते हैं वे हमारी लाइफ लाइंस हैं, हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारे बच्चों को आदर्श हो कर चलने को तैयार होने दो, देश को घोटो मत, इसके अलावा सब कट कर दो।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिऐ खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिराम चौहान।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय, जब आम चुनाव चल रहे थे तो रूलिंग पार्टी की तरफ से कहा जाता था कि पहली पंच वर्षीय योजना हमने ६४ करोड़ की बनाई दूसरी पंच वर्षीय योजना १०५ करोड़ की बनाई और तीसरी पंच वर्षीय योजना २६६ करोड़ रुपयों की अब बना रहे हैं। और इस नारे के आधार पर, बड़ी योजना के नाम पर कि हम राजस्थान में बुनियादी परिवर्तन करा रहे हैं और इससे आम लोगों की जिन्दगी को सुधारेंगे और राजस्थान के गांवों का हम निर्माण करेंगे हम पूरी तरह से छोटे कर्मचारियों की जिन्दगी सुधारेंगे इस तरह आम नारा दे कर इस योजना को पूरी तरह से सामने रखकर इसका बारबार ढिंढोरा पिट कर वोट हासिल किये और आज हमें बड़ा अफसोस और ताज्जुब है कि आज जब चुनाव खत्म हो गये बजट सेशन भी चला गया, आज सरकार हमारे सामने कहती है, जिस सरकार ने आम लोगों के साथ वायदे किये, उस आधार पर लोगों से वोट मांगे, जिस सरकार ने आम

(श्री हरिराम चौहान)

काम इस आधार पर किया, वह सरकार आज अचानक हमारे सामने यह कहे कि अब इसमें २८ करोड़ रुपयोंकी कटौती कर रहें हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसको मैं जनता के साथ एक तरह की गद्दारी समझता हूं। जितने वायदे किये थे जनता के साथ आज यह ईमानदार सरकार जो ईमानदारी का दम भरती है २८ करोड़ की कटौती कर के राजस्थान की जनता के साथ बड़ा भारी अन्याय कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह देखा जाय कि यह कटौती किसकी कटौती हैं। पांच साला योजना में मन्त्री महोदय की कटौती हो तो उसे बर्दास्त किया जा सकता था। पहले ११ मिनिस्टर काम करते थे, इसके बाद इन्होंने १६ मिनिस्टर बनाये अब १८ हो चुके हैं और बढ़ाने के लिये अब भी पूरी दौड़ जारी है। तो इसमें कोई कटौती नहीं की। यदि इसमें कटौती की जाती १८ की बजाय ११ और ११ से भी कम किये जाते तो हम महसूस कर सकते थे कि कटौती आवश्यक है, कई अड़चने हैं, बिलकुल साधन जुटाये नहीं जा रहें हैं इस लिये योजना पर कटौती करनी चाहिये। पर इस तरह की कोई कटौती नहीं की गई, इस तरह से जो खर्चा मंत्री मंडल का था, मन्त्री महोदयों का था वो बजट में जितना है उससे भी ज्यादा चला जायगा और वो करीब १० लाख के करीब है। एक मंत्री पर ६० हजार रुपया खर्च है। और उसमें कोई कटौती नहीं राज्यपाल के खर्चे में कोई कटौती नहीं, जो सेक्रेटरीज हैं, बड़े बड़े इन्जीनियर्स हैं और अफसर हैं, उनकी तनख्वाहों में कोई कटौती नहीं:

जब रावत कमेटी पर बहस कर रहे थे तो देखने को मिला कि डेढ़ डेढ़ सौ दो दो सौ रुपया इन बड़े बड़े आदमियों की तनख्वाह में बढ़ाया है, उनकी तनख्वाह में कोई कटौती नहीं। जागीरदारों के बारे मे जिक्र चल रहा था, १७ करोड़ रूपया उनको मुआवजा दिया जा रहा है इसका सूद वगैहर लगाया जा कर देखा जाय तो २२ करोड़ रूपया बैठता है वह इस योजना में दिया जायगा और उतना ही चौथी और पांचवीं पांच साला योजनाओं में बाकायद दिया जायगा। इसके ऊपर इस नोट में कहा गया है कि गम्भीर स्थिति है, इस पर विचार करना चाहिये। गम्भीर स्थिति है तो नोट में आना चाहिये था मुख्य मंत्री जवाब देंगे तो यह बतायेंगे आपके क्या सुझाव हैं, आप क्या कहना चाहते है। २२ करोड़ रूपया १० साल ५ साल के लिये रोकिये, जब तक बड़ी योजनाओं से पैसा नहीं मिलने लग जाय तब तक रुपया रोकिये। इस तरह का विचार आता तो इस पर विचार किया जा सकता था।

राजाओं पर बिजली पानी का १२ लाख रूपया बकाया है। इससे पहले कांग्रेस के ऐक माननीय सदस्य कह रहे थे २० लाख रुपया था वह इस असेंबली से राइट ऑफ कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था। १२ लाख अब बकाया है। इस सरकार से उम्मीद नहीं कि यह सरकार यह १२ लाख रुपया इनसे वसूल करेगी, क्योंकि इस सरकार ने राजाओं, जागीरदारों और बड़े बड़े अफसरों के लिये तो हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं और जो छोटे छोटे लोग हैं, चपरासी हैं उन पर हथियार डंडे उठाती है। इनसे पूरी तरह से कर वसूल किया जाता है।

(श्री हरिराम चौहान)

अगर यह प्रस्ताव आता कि हम राजाओं की प्रीवी पर्स में कटौती करने की मांग कर रहे हैं, पानी और पावर का जो इनमें पुराना बकाया है उसे वसूल करने की कोशिश कर रहे है इस तरह की योजना आती तो उस पर विचार हो सकता था बड़ी बड़ी तनख्वाहों को घटाने का सवाल आता तो उस पर विचार हो सकता था, । पर आप ताज्जुब करेंगे कि एक गरीब आदमी से टैक्स का पैसा वसूल होता है पर अमीरों में टैक्स, सैल्स टैक्स, इन्कम टैक्स बकाया हैं, तमाम के तमाम टैक्स बकाया हैं, उनसे वसूल नहीं किया जाता। बल्कि यह कहा गया है कि ३२ करोड़ रूपयों का टैक्स लगाना था वह हम नहीं लगा पाये । इसके लिये हमारी सरकार अनमना है, उदासीन है कि, ३२ करोड़ का टैक्स हम क्यों नहीं लगा पाये, इसके लिये सरकार ने अफसोस जाहिर किया है और कहा है कि २४ करोड़ रूपया टैक्स लगा सकते हैं क्योंकि यह हमें योजनाओं की उन्नति के लिये चाहिये । पर योजना का असर इस रूप में नहीं हो कि अमीर ज्यादा अमीर हो जाय और गरीब ज्यादा-गरीब हो जायं । तीसरी पंच साला योजना का नतीजा है कि शहरों में जिधर देखो उधर कोठियां बन रही हैं बिल्डिंगें बन रही है और गांवों में झोंपड़ी का फुस भी उड़ गया है । एक की तिजोरी में पैसा बढ़ रहा है और दूसरी तरफ दूसरों की जेब कतरनी से कतर कतर कर उनका पैसा तिजोरी में डाला जा रहा है । यह सिद्धान्त की बात है कि कर भार उस आदमी पर नहीं पड़ना चाहिये जो दे न सके किन्तु कर का भार उसी आदमी पर पड़ना चाहिए जो दे सकता है; जिसकी जितनी शक्ति है उसके मुताबिक टैक्स लगाना चाहिये । वैज्ञानिक ढंग से कोई टैक्स लगायेंगे तो हम उसका समर्थन करेंगे । लेकिन आम तौर पर आप टैक्स लगायें । वसूल करने का और तरीका है, और लेने का और तरीका है, वसूल करना है तो अमीर लोगो को बड़े लोगों को छोड़ देते हैं छोटे लोगों से जबरदस्ती वसूल करते हैं । राजाओं से वसूल करने की बात हुई तो कमेटी बिठाई गई और यदि किसान से वसूल करना है कमेटियां नहीं, उनके यहां तो कुड़कियां होती हैं, यदि किसान तहसीलदार को ताड़ देता है तो थानेदार चला जाता है और यदि थानेदार को ताड़ दिया जाता है तो डी० एस० पी० और एस० पी० पहुंच जाते हैं और जरूरत पड़े तो रिजर्व पुलिस को बुला लेते हैं, टोपी और बन्दूक लेकर आपकी पुलिस पहुंच जावेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से आप जनता को साथ नहीं ले सकते । जो सरकार जनता को साथ नहीं ले सकती उस सरकार की योजना कभी सफल नहीं हो सकती । जनता को साथ तब ही लिया जा सकता है जब उसको राहत दी जाय । टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, गिनती है कोई ? कितने ही टैक्स लगा रखे हैं । पंचायत समिति टैक्स लगाये, म्युनिसिपैलिटी टैक्स लगाये राजस्थान सरकार जयपुर में बैठ कर टैक्स लगाये और देश की सरकार ७५ करोड़ के और टैक्स लगाये । चौतरफ टैक्स लगाये और जनता से कहें कि पांच साला योजना में सहयोग दें । कैसे सहयोग दे सकते हैं । उसका फायदा किस रूप में मिल रहा है ? उसका

(श्री हरिराम चौहान)

फायदा इस रूप में मिला है कि १ करोड़ की कटौती इस साल, दो करोड़ की अगले साल और, और कोई मास्टर है तो उसको कह दिया जाय, खजाने में पैसा नहीं है, तुमको छुट्टी । उसके बीबी बच्चे, उस गरीब मास्टर को देखो, उस चपरासी की हालत देखो छुट्टी देने वाले हो, देखा उसकी हालत जिसको आप अगले साल छुट्टी देने वाले हो । इस योजना का नतीजा मास्टर पर पड़े, इस योजना का नतीजा चपरासी पर पड़े तो इस किस्म की सरकार न सरकार चला सकती है न योजना चला सकती है और मंत्री मंडल के जितने मंत्री हैं क्यों नहीं उनको छुट्टी दे दी जाती है ? योजना चल सकती है तो राहत देने से चल सकती हैं राहत के लिए जब सुझाव देते हैं पहले दिये, दुबारा देने के लिए तैयार हैं तिबारा कोशिश करें तो देने के लिए तैयार है राजकीय क्षेत्र में बढ़ाये । जितने काम चल रहे हैं, सारे के सारे चोपट पड़े हैं । राजकीय क्षेत्र में व्यापार करते हैं । क्यों मुनाफा नहीं होता है ? प्राइवेट लोगों को तो होता है । सरकार का कारोबार घाटे में क्यों चलता है ? ३-४ स्कीम्स को छोड़ कर १४-१५ स्कीमें आपकी घाटे में चल रही हैं । आप नौकरशाही पर भरोसा करते हो । नौकरशाही से यह ख्याल करते हो कि वह आपको कमा कर, लाकर देगी । ये कभी कमाऊ पुत्र नहीं हैं । एक पैसा जिन्होंने आज तक नहीं कमाया । जिनका उत्पादन के अन्दर कोई सहयोग नहीं रहा उस वर्ग से उम्मीद करो कि वह सरकार के लिए पैसा कमा कर लाकर देगा ? मंत्री महोदय क्या करें, मंत्री महोदय उद्घाटन करें, देशाटन करे और कहीं जरूरत पड़ जाय तो पार्टीबाजी में चले जायं विवाह शादी में चले जायं और कभी जरूरत पड़ जाय तो दिल्ली कुश्ती करने के लिए चले जायं । इस तरह आप योजना को चला सकते हैं ? कभी नहीं चला सकते ।

राजकीय क्षेत्र में व्यापार को बढ़ाना पड़ेगा । बिजनिस मैन और व्यापारी की हैसियत से दिल लगाना पड़ेगा । मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि राजकीय क्षेत्र में जो योजनायें हैं उनमें नुकसान क्यों है ? फायदा क्यों नहीं किया है ? ऑफिसर्स के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करते, उनको सस्पेन्ड क्यों नहीं करते ? उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करते । लेकिन यह सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं । आप अपने प्रशासन में ६–६ इंजीनियर रखते हैं पी० डब्ल्यू० डी० में । क्या जरूरत है ६-६ इन्जीनियर रहें ? क्या जरूरत है चार चार सेक्रेटरी रहें ? और क्या जरूरत है बड़ी बड़ी तनख्वाहों को और ज्यादा बढ़ायें और छोटे कर्मचारियों को कहें कि काम नहीं हैं । मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि यदि आपको इसमें सुधार करना है यह योजना पहले ही छोटी है । राजस्थान के पिछड़ेपन को देखते हुए यह बिल्कुल छोटी है । २३६ करोड़ की है हमारी शिक्षा का पूरा इन्तजाम नहीं हो सकता, दवा दारु का पूरा इन्तजाम नहीं हो सकता, न्याय सस्ता नहीं मिलता । फिर जिन्दगी की जो आवश्यक चीजें हैं वे

(श्री हरिराम चौहान)

तमाम चीजें पूरी नहीं हो सकतीं। ये छोटी योजनायें हैं आप बड़ी योजनायें चाहते थे। आप कहते हैं कि यह बड़ी बन गई और छोटी करती है। छोटी की तो नतीजा क्या होगा ? आज बच्चे स्कूल में जाते हैं बिना टाट पट्टी के पढते हैं फिर न टाट पट्टी का हिसाब रहेगा और न मास्टर का रहेगा। दवा के अन्दर कुछ पानी और कुछ पीली दवा आज होती है कटौती करेंगे तो दवाई ही नहीं रहेगी।

हरिजनों के बारे में डींगे मारते हैं और गांधीजी के खैरख्वाह मानते हैं अपने आपको, कटौती करने को मिली तो पिछड़ी हुई जातियों की योजनाओं में मिली। आपने उनका हौंसला कट किया। वे पिछड़ी हुई जातियां जिनके वोटों से यहां बिराजमान हैं। एक दिन श्रम मंत्रीजी ने कहा कि यह सर्वहारा लोग बैठे हैं। उनके उधर बैठे हुए भाई लोगों के साथ अन्याय होता है, गोलियों के शिकार होते हैं, सवर्ण हिन्दुओं की गोलियों के शिकार होते हैं और नौकरशाही के शिकार होते हैं। उनकी सामाजिक हालत ठीक नहीं है लेकिन उनकी हालत को ठीक सुधारने के लिए योजना बना रहे थे उसको काट रहे हैं चूंकि आपको उनके पांच साल वोटों की जरूरत नहीं है और जरूरत पड़ी तो आपकी योजना को पूरा किया जावेगा। आप चुन कर आगये हो। हमारा मंत्री मंडल बन गया है और उधर बैठने वाले सदस्यों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वे आपको पूरी तरह ललकार कर कह सके, हमारी उन्नति करने के लिए, हमारी स्थिति को सुधारने के लिए, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया है, कमीशन मंजूर नहीं किया तो हम उधर बैठ जावेंगे। उनमें कोई हिम्मत नहीं है। आप नाजायज फ़ायदा उठाते हो।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि दूसरों का भी ख्याल रखें। दूसरे भी बोलना चाहते हैं।

श्री गोकुल प्रसाद।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : उपा-महोदय, पंच वर्षीय योजना में सरकार ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं समझता हूं कटौती कोई आवश्यक नहीं होती यदि ध्यान से योजना बनायी जाती और अभी इनको ठीक तरह से ठीक किया जाता है तो कटौती करने की आवश्यकता नहीं रहती। जागीरदारों को १७.५० लाख का मुआवजा दिया जायगा कुछ विशेष मुआवजा और मिलाकर यह रकम २१.२२ लाख होती है यह जो जागीरदारों को मुआवजा देने की बात है इसके लिये सरकार कोई और रास्ता निकालती या उनको कुछ अर्से के बाद में देती। वैसे जागीरदारों को मुआवजा देना ही गलत था। जब राजस्थान में छोटी छोटी रियासतें थी उस समय जागीरदारों को हजारों जागीरें जब्त हुई, एक पैसा भी उनको मुआवजा नहीं दिया गया। उनको कह दिया जाय कि यह २२ करोड़ रुपया है वह नहीं मिलने वाला है। वे कोई भूखे नहीं मर रहे हैं जगह जगह उनको जमीनें दी हुई है। राजस्थान केनाल भाखरा नहर आदि के नीचे हजारों बीघा जमीन इनको दी है। जहां जमीन का मूल्य ३०) और २५) रुपया

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

फी मुरब्बा लिया गया है वहां एक रुपया बीघे पर इनको जमीन दी गई इस तरह से कई करोड़ रुपये की जमीन हमने उनको दे दी। उनको मुआवजे के लिये कह दिया जाय कि यह २२ करोड़ रुपया हम एग्रीकलचर प्रोडक्शन बढ़ाने के काम में ले रहे हैं। इसी तरह से हम माइनर इर्रीगेशन में कम कर रहे हैं। माइनर इर्रीगेशन में और डेयरी फार्म में, पावर में कम करते जा रहे हैं। माइनर डेवलपमेन्ट वर्क में लघु उद्योगों में कम किया है, वृहद् उद्योगों में बढ़ाया है। जहां गांवों और गरीबों की योजना है उसमें हमने कम किया है। बड़ी योजना में कमी होती तो यह माना भी जा सकता था। हमें यह भी कहा जाता है कि ३२ करोड़ रुपये के और टैक्स लगायेंगे, टैक्स बढ़ाइये हमें कोई एतराज नहीं किन्तु उनका उपयोग सही तौर पर करिये।

अल्प-बचत योजना में दस करोड़ से सात करोड़ हो गये। ३०.३२ करोड़ रुपये के और टैक्स लगाने पड़ेंगे। आप अल्प बचत का नारा दीजिये तीन करोड़ रुपया इकट्ठा हो सकता है लेकिन काम करिये।

इस योजना के नाम पर जागीरदारों को पैसा देने का नहीं। किसानों पर वैसे ही इन्होंने बहुत जुल्म किये थे। खाद के लिये पैसा नहीं देते हैं, तालाब कहां से खोदेंगे? पहले ही दूध के बिना दुखी हो रहे हैं डेयरी में आप पैसा नहीं लगा रहे हैं। पावर के नाम पर पैसा आपने शहरों में लगा दिया है देहातों में पावर की बात आयी तो पावर को कम कर दिया यह कटौती आपको महंगी पड़ जायगी यह मैं निवेदन करता हूं।

(४.०० म० प०)

सर्विस क्लास की जहां बात आती है हमने सर्विस क्लास के केडर बना रहे हैं पहले जो आइ. सी. एस. होते थे उनकी जगह आई. ए. एस. कर दिया है और दूसरे होते हैं आर. ए. एस.। देहातों में दो तरह के नारे लगे हुए हैं आइ. ए. एस. और आर. ए. एस. इन दोनों ने तबाही कर रखी है नीचे के आदमियों की। क्लास फोर्थ सर्वेन्ट्स को हटाया जाता है एक एक ऑफिसर के पास सात सात और आठ आठ लोग लगे हुए हैं उनसे काम नहीं लिया जाता है। अफसरों को कम किया जाय जो फालतू हैं क्लास फोर्थ सर्वेन्ट्स को काम नहीं हो तो दूसरे काम में लगाइये इनको निकालिये मत।

शिक्षा में १४ करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं यह ठीक है लेकिन जो पढ़ लिख कर निकलते हैं उनके लिये आपके पास काम नहीं है। आपकी सरकार प्रजातंत्र पर भरोसा करती है सब को पढ़ने के लिये भेजती है लोग उसमें घर का पैसा खर्च करते हैं इसलिये कि पढ़ लिख कर इनको काम मिलेगा। बड़े होते हैं, कहा जाता है हमारे पास काम नहीं। दूसरे काम की कोई योजना नहीं आखिर पढ़ा लिखाकर आप उनसे क्या काम लेंगे।

शिक्षा के मामले में समाज सेवा के मामले में बहुत कटौती की है।

जितनी कटौती आपने समाज सेवा में की है वह है करीब ७५ लाख की। आप हर जगह इसी तरह कटौती करते जावेंगे तो नहीं बनेगी बात।

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

आप अर्बन वाटर सप्लाई योजना में ज्यादा खर्च करेंगे पर देहातों में पानी और कूओं की योजना में कमी करेंगे। कहीं कहीं तो आपने शहरो में डबल भी खर्च किया है और छोटे गांवों में निर्धारित रकम से भी कम किया है।

सहकारिता का आन्दोलन अभी शुरु हुआ है। इसमें चार पांच करोड़ की कमी की जावेगी। यह आन्दोलन तो अभी शिशु अवस्था में हैं। आप क्या यह चाहते है कि यह आन्दोलन दब जावे। जागीरदारों को चूंकि आपको मुआवजा देना है, उनके साथ के वादों को निभाना है, इसलिये इसको नहीं चलावेंगे ? आप कह दीजिये अगर यह है तो।

गांवों में जानवरों को दवाइयां नहीं मिल रही है। तो इस तरह से खर्च में कमी करने से बात नहीं बैठेगी।

मैं निवेदन करूं कि आपने सैल्स टेक्स लगाया है। अगर आप उसको ही पूरी तरह से वसूल करने की कोशिश कर लें तो नये टैक्स लगाने की या इतनी कटौती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज सैल्स टैक्स से पांच करोड़ आप वसूल करते हैं, बारह पन्द्रह साल पहले चुंगी और कस्टम कर से ३॥। करोड़ वसूल होते थे। आज की मंहगाई को देखें तो यह भी आज पांच करोड़ के बराबर हो जाती। फिर सैल्स टैक्स से हमने अधिक क्या लिया। मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं कि अरबों का माल आज भी व्यापारियों के पास पड़ा है और जिस पर सैल्स टैक्स वे नहीं देते आपको। आज आपका प्रबन्ध यह है कि हर चीज बिना सेल्स टैक्स आपको मिल सकती है। आप में क्षमता नहीं कि आप अपना टैक्स पूरा वसूल कर सकें। आप स्टाफ कम करते है इससे काम नहीं चलेगा। आप स्टॉफ पूरा रखिये पर टैक्स पूरा वसूल करवाइये। आप तय कर लीजिये। आपको पता लग जावेगा कि बिना टैक्स का सामान कितनों पास है। पांच शहरों को आप एक दिन में छान लेंगे। आपको बीस तीस करोड़ का माल ऐसा मिल जावेगा। अरबों का सामान पड़ा है इनके पास। आप टैक्स वसूल नहीं करते हैं। तो आप वसूल करें। इनसे भागने से काम काम नहीं चलेगा। आपने जो टैक्स लगाये हैं उनको सख्ती से बुनियादी तरीकों से वसूल करिये।

आप हिम्मत के साथ यह समझें कि हमारे चारों ओर दुश्मन खड़े हैं। आप रात-दिन मेहनत करें। ज्यादा इधर उधर घूमने की चेष्टा न करें। एक एक मिनिस्टर के पास बीस बीस पच्चीस पच्चीस करोड़ की योजनाओं के बजट है। अगर वे रात और दिन मेहनत करें, दौरों पर जाना छोड़ दें, अपने काम को ही दिल लगा कर मेहनत करके देखें अगर २२ करोड़ का काम २० करोड़ में ही निकाल लें तो आपको कहीं पैसों की भीख मांगने की जरूरत नहीं, कटौती करने की जरूरत नहीं और किसी तरह के टैक्स लगाने की भी जरूरत नहीं रहेगी। आप जैसा पहले सोचते थे। और मौज मजा करते थे कि काम जैसा चलता है चलने दो, पैसा विदेशों से मिल जाता है और मिल जावेगा, पर मैं कहता हूं उस पैसे में कभी होगी अब मुश्किल से मिलेगा, दुश्मन आपकी छाती पर खड़ा है।

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

आपने पुलिस में २८ लाख कम किया। १४ लाख की सीमा पर खरीदने की गाड़ियों में कमी की। हमें और सभी काम बन्द कर देने चाहियें पर इस सशस्त्र पुलिस को मजबूत करना चाहिये। इसमें और खर्चा करिये, निकालिये नहीं। सीमा रक्षा का प्रश्न है इसमें।

२३ लाख आपने बच्चों की पढ़ाई में काटे हैं। देहात में मिडिल स्कूल और हायर सेकन्डरी स्कूलें नहीं खुलेंगी। आपकी नजर दो ही पर जाती है बच्चों पर और पुलिस पर। आखिर आप करेंगे क्या ?

लघु उद्योगों में ६।। करोड़ की कमी की गई। क्या देहातो में काफी उद्योग फैल चुके हैं कि आपको अब अधिक फैलाने की जरूरत ही नहीं रह गई ? गांवों की तरफ आप भी ध्यान नहीं देते। इनके लिये भी स्टाफ बैठा है तो जयपुर शहर में बैठा है। उद्योग विभाग का स्टाफ ३० लाख का है तो यहीं मिलेगा और जयपुर शहर में पता नहीं ये क्या उद्योग चला रहे हैं।

एनीमल हस्बेन्डरी १४०० की यहां बैठी है गांवों के बजाय। हमें तो जो कुछ करना है शहरों में ही खर्च करके उनको यहीं लगा देते है। एक तरफ बात करते हैं कि मुल्क के सामने दुश्मन खड़ा है तो देश का प्रोडक्शन बढाओ और सीमा पर लड़ने वालों की जितनी मदद हो सके करो, वहां हम उल्टे लघु उद्योग, शिक्षा, पुलिस, रक्षा आदि में भी कमी कर रहे है। यह कोई उचित बात नहीं है। आपको इस तरह से करना नहीं चाहिये।

मुख्य मंत्री यहां नहीं हैं, उनके सामान्य प्रशासन में ११ लाख के बजाय १.७५ की कमी कर रहे हैं। इसमें कमी नहीं हो रही है। आपके सेक्रेटरीयेट में भी कमी नहीं कर रहे हैं पर बाहर गांवों में कमी कर रहे हैं पन्द्रह तहसीलें आप अवश्य कम करेंगे। बाहर देहातों में नई बिल्डिग बनानी बन्द कर दीं, बच्चों के लिये स्कूलें बनानी बंद कर दीं नीचे के फोर्थ क्लास सरवेन्ट में कमी कर दी। मैं बताऊं अगर आप आपके इस सेक्रेटेरियेट के और प्रशासन के सचिवों, उप-सचिवों की स्पेशल पे भी अगर बन्द कर दें तो एक तहसील को कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेढ लाख के क़रीब तो यह स्पेशल पे का खर्चा सेक्रेटेरियेट का ही है। मुख्य सचिव, अतिरिक्त सचिव, विशेष उप सचिव, सचिव इस तरह सब सचिवों की यह स्पेशल पे है। इनको कम कर दीजिये। आपको देहातों में कमी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तहसीलों के बारे में कल बहस पर मैं कहूंगा। आप छोटी छोटी गांवों के हित की योजनाओं को कम मत करिये, आप टैक्सों को पूरा पूरा वसूल करिये। मैं विश्वास करता हूं कि अगर आप इसके लिये अपने को पूरी तरह से तैयार कर लेंगे तो कभी इन्कार नहीं करेंगे लोग।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशकुमार।

श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर) : माननीय उपाध्यक्षजी, तीसरी योजना में कटौती करने के बारे में सदन में दोनों ही तरफ से जो विचार सामने आये हैं उनको मैंने गौर से सुना है और उनको सुनकर मैं ऐसा समझता हूं कि सदन की यह राय है कि आप जो यह कहते हैं कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं आपके पास और बड़ा भारी आपका एक सेक्रेटेरियेट हैं, बड़ी एक्सपर्ट ओपीनियन उनकी लेकर आप काम करते हैं और उसी ओपीनियन के आधार पर अपोजीशन के लोग अगर कुछ कहें आपके सामने तो आप उनके कहने की कीमत नहीं करते उस ओपीनियन के सामने।

मैं पूछना चाहता हूं कि वह एक्सपर्ट ओपीनियन जिसकी बिना पर आपका हौसला बढ़ जाता है, जिसकी बिना पर आप उसको लास्ट वर्ड समझ कर कहते हैं कि यह तो सब ठीक है, यह तो एक्सपर्ट साहबों ने भेजी है। लम्बी चौड़ी दलीलें जो एक्सपर्टों से मिली होती हैं वही आप के पास है और इसलिये आप दूसरों की कुछ नहीं सुनते, कुछ नहीं मानते।

मैं पूछूंगा आपके इन्हीं एक्सपर्टों की ओपीनियन के आधार पर कि आपने राजस्थान की जनता को न्यौता दिया था, लिखा हुआ न्यौता दिया था और उसकी बिना पर जनता आप पर विश्वास कर रही थी कि आप उनकी भुखमरी, गरीबी और अज्ञान के निवारण के लिये कुछ करेंगे। और अब आप कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, खाने को नहीं है, आप उन आदमियों के चेहरों की तरफ देखिये जिनमें से कोई कहता है मेरे गांव में स्कूल, अस्पताल और डिस्पेन्सरी बनानी चाहिये और आप ब्लंट रिप्लाई देते हैं कि अब तो कहीं भी नहीं बनेगी, तुम्हारे गांव में भी नहीं बनेगी, क्योंकि इन्हीं एक्सपर्टों की राय पर अब आपने उन्हीं के द्वारा पहले दिये गये विश्वास को खतम करके अब स्कूलें खोलना, डिस्पेन्सरियां खोलना, सड़कें निकाला बन्द कर दिया है।

इस तरह की हालत हमारे सामने आती है मैं कहता हूं आपको न्यौते हुए ब्राह्मण को अगर भूखा छोड़ देंगे तो वह आपको कभी नहीं बक्सेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : गोकुलप्रसादजी से पूछो।

श्री सतीश कुमार शर्मा : आपने अपने इन तथाकथित स्वयंभू एक्सपर्टों की ओपीनियन की बिना पर उनको न्यौता दिया था। आप अब अपने इस स्टेन्ड को एक्स्प्लेन नहीं कर पाते। सदन की दोनों ओर की राय है। साधारणसी बात है, आप उसे मानने से इन्कार अगर करते हैं तो आपकी साधारण समझ का दिवाला निकल गया है। एक बात अगर इधर से कोई कहते हैं, आप फिर उन्हें सेठ रामानन्दजी कहिये। आप प्रश्न करें। पर कान्क्रीट सजेशन कोई भी इस सदन का आदमी सदन के फ्लोर पर देता है, कोई सेठ देता है, आप उसे सेठ मान लीजिये, पर अगर वह भी कान्क्रीट सजेशन देता है, आप जिस मुसीबत में इन स्वयम्भू एक्स्पर्टों की ओपीनियन पर चल कर फंस गये हैं, उनमें से निकालने के लिये रास्ता बताता है तो आप उसे मानने में क्यों संकोच करते हैं। अलवर जिले की मैं बात बताता हूं। बहुत

(श्री सतीशकुमार शर्मा)

जिम्मेदार आदमी हैं सरकार के। कहते हैं हम शरणार्थियों से इतना पैसा वसूल करेंगे। क्योंकि आपने वादा किया है। जिनके पास खाने को गुजारा करने को पैसा नहीं है, जो स्वयं भूखे हैं, उनसे आप अपने वायदों का पालन कराने में वसूली नहीं रोक सकते, सख्ती से वसूली करने में संकोच नहीं करते दूसरी तरफ आप चूंकि आपके लक्षण उनसे मिलते जुलते हैं, आप आज के राजा हैं, जागीरदार हैं भूतपूर्व उन राजा महाराजाओं से आपकी गोत न्याति मिलती हैं इसलिये उनके वायदों और रिश्तों की आप बहुत परवाह करते हैं। आप जनता को जानवर समझते हैं, उनको मक्खी मच्छर समझते हैं, उनके वायदों की आप परवाह नहीं करते, मैं पूछता हूं आपसे आपका कौनसा कालम है वह, कौनसी जबान है जिससे वे वायदे आप जनता से करते हैं। आपने समाजवादी सरकार स्थापित करने का वायदा किया। मैं पूछना चाहता हूं कि वह समाजवादी सरकार आप किस आधार पर बनाना चाहते हैं? आप पांच साल में एक काम तो ऐसा करिये कि गरीब आदमी समझे कि आप समाजवाद लाना चाहते हैं. आपके कारनामों से कोई लक्षण आपका ऐसा नहीं दिखता कि जिससे आप गरीबों के हिमायती मालूम होते हों। आप तो आज उनकी हिमायत करते हैं जो चालीस चालीस रुपया गज की खादी पहन कर आपके पास बैठने लगते हैं। आप उनसे खुश होते हैं। कोई आदमी परेशान है आपको आकर अपनी परेशानी बताता है तो आप उसकी कोई परवाह नहीं करते, मन में आता है उस तरह से आप उनसे बरताव करते हैं, आपने नौकरों से भी उसी तरह से डील करते हैं। जिसके पास कल के लिये खाने का प्रबन्ध नहीं है, उसको नोटिस देते हैं, और जिनके पास, 'मैं समझता हूं कि अगर आप उनकी तनख्वाह और परवरिश देना बन्द भी कर दें तो तीन तीन और आठ आठ पीढियों तक वे बैठे बैठे खा सकते हैं, उनको आप परवरिश करते हैं, उनकी शक्ति और बढ़ाते हैं, उनसे कर्जा आप वसूल नहीं करते। कानून बने हुओं को आप उन पर लागू नहीं कर पाते। तो मैं कहता हूं कि आपको हो क्या गया है, आपको लकवा मार गया है। यह लकवा आपको, दिखता है, लक्षण ऐसे हैं कि लेकर जावेगा। मैं बहुत भरोसे के साथ कहता हूं। आप वोट लेने के लिये जिनके पास जाते हैं, हम जिनके पास जाकर कहते हैं उन गांवों में वहां के लोगों की झोंपड़ियों में चुपके से जाकर बैठ जाते हैं। समझते हैं कि वे सब कुछ हमारे कारनामों को भूल जावेंगे और फिर पांच साल समाप्त होने के बाद एक बार उनके पास चले जावेंगे और वोट की भीख मांग लेंगे तो मिल जावेगी। कम पढ़े लिखे आदमी हैं, उलाहना दे देंगे और बात खत्म हो जावेगी। पर अब आप यकीन मानिये वह कम पढ़ा लिखा अब भोला नहीं रह गया है।

आपने जो डेमोक्रेटिक डीसेंट्रेलाइजेशन किया है उसका उलाहना अब आपके ऊपर नहीं जावेगा। बल्कि कांक्रीट क्वेश्चन के रूप में आवेगा। आपसे वह पूछेगा आपने हमारी प्रगति के ये काम क्यों छोड़े, आपने उनके कर्जे क्यों छोड़े? उनको पानी और बिजली का पैसा क्यों छोड़ा। एक माननीय सदस्य ने डाइरेक्ट क्वेश्चन रखा सरकार की नाक पर

(श्री सतीशकुमार शर्मा)

कि कितना पैसा इन रूलिंग प्रिन्सेज से आपने वसूल नहीं किया। अगर वसूल नहीं होता है तो आप अपने कानून को उन तक क्यों नहीं लागू करते हैं तो जवाब सदन में उनसे नहीं बन पड़ा। हमारी सरकार, यह समाजवादी कहलाने का दम्भ और ढोंग रचने वाली सरकार ऐसे नुकीले सवालों का जवाब देने में संकोच करती है। आखिर हम भी किसी मकसद को लेकर बैठे हैं। सुनते तो हैं ही बैठे बैठे यहां, पर यहां सुन-कर चुप नहीं रहेंगे। आपकी इन बातों को ले जा कर बाहर जनता के सामने रक्खेंगे, आपकी असलियत का पर्दाफाश करके जनता को बतावेंगे कि आप इस समाजवाद की आड़ लिये क्या हैं, ब्लेक बोर्ड पर चिपकायेंगे। ऐसी हालत में आप जो वादे कर चुके हैं और आज इस बिना पर कि आपके पास पैसा नहीं है, आप उन वायदों को ब्रेक करना चाहते हैं। आपको कांक्रीट सजेशन दिये जाते हैं तो आप एक्स्पर्टों की ओपीनियन के सामने उनको कुछ गिनते नहीं। आपको कांक्रीट सजेशन आपके उधर बैठने वालो ने भी दिये आप अपनी ही रकम को ठीक तरह से वसूल करिये। आपके पास काफी रकम आ सकती है। आप जाइये अपने कुरता टोपी को उतार कर आपको पता लग जावेगा कि आपके कानून की, आपके सेल टैक्स की कितनी चोरियां होती हैं। आपको पता लग जावेगा मार्केट में कि इस चीज के क्या दाम हैं, हर चीज के दो दाम हैं। बिना सेल्स टैक्स के इतना पैसा और सेल्स टैक्स सहित इतना पैसा। यह हालत है आपकी। क्या करते हैं आपके सी० आई० डी०, आपका यह एड्-मिनिस्ट्रेशन ? ऐसा लगता है, सबको लकवा मार गया। आपको जनता की भावनाओं का पता नहीं। दूकानदार की बात का पता नहीं अगर पता है तो फिर आप यह समझे बैठे हैं, ऐसा लगता कि आखिरी दौर से आप गुजर रहे हैं, आखिरी दिन हैं ये आपके। आप सोचते हैं किसी तरह से ये दिन भी गुजर जावें, ये दिन पार लग जावें, इस बीच में इस तरह की हैसियत आप अपनी बना लें कि आइन्दा हैसियत बनाने का अवसर भी अगर नहीं मिलता है तो कोई चिन्ता नहीं तो इस लिये इन बिजनेस वाले लोगों से, इन दुकान-दारों से या इन बड़े बड़े पूंजीपतियों से, राजा महाराजाओं, जागीरदारों से क्यों बिगड़ा जावे। इस तरह का आपका माइंड है तो इसकी दाद देनी पड़ेगी और आइन्दा कुछ नहीं कहेंगे। मगर मैं समझता हूं कि जिस तरह के कांक्रीट सजेशन्स सामने आये हैं चाहे आप पब्लिक सेक्टर में काम करें, उससे अपनी आमदनी बढ़ायें, यहां पर सवालात पूछे जाते हैं और उनके जरिये आपको सजेशन्स दिये जाते हैं इसके जरिये हम तो आपके लक्षणों को ठीक करना चाहते हैं और हम तो आपको इन हालात पर लाना चाहते हैं जिससे जो डेमोक्रेसी को खतरा होने वाला है वह खतरा न हो और उन सजेशन्स को मानकर जो गरीब आदमी हैं उनकी सहानुभूति आपके साथ रहे तो इस डेमोक्रेसी को सक्सेसफुली आप और हम मिलकर चला सकेंगे और इसमें लोगों का सहयोग प्राप्त करके ऐसी हालत हम उत्पन्न कर देना चाहते हैं कि जिससे हमारे सामने क्राइसेस न हो। आज अन्एम्प्लायमेंट की समस्या मुंह फाड़ फाड़ कर देख रही है। आपका यह प्लान का कट इस तरीके से हमारे सामने आता है कि जो

(श्री सतीशकुमार शर्मा)

हमारी रोजाना की समस्याएं हैं जो हमारी नीचे के तबके की प्रोबलम्स हैं वे और भी गम्भीर रूप से हमारे सामने आईं तो यह आगे बढ़ने का नहीं, बल्कि अपनी कलम से आप एक डेडलॉक कर रहे हैं और अपनी ही कलम से डैथ वारन्ट पर साइन कर रहे हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने राज्य सरकार द्वारा तृतीय पंचवर्षीय योजना में किये जाने वाले परिवर्तन, परिवर्धन तथा इम्पलीमेन्टेशन पर विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं.....

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि समय का अभाव देखते हुए दस दस मिनट में ही अपना भाषण समाप्त करें।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, पहले यह क्लियर कर दिया जाये कि चीफ मिनिस्टर साहब जवाब आज देंगे या कल देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : वह तो अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी है कि मुख्य मंत्री महोदय इस बहस का जवाब कल देंगे। यह आपकी सहानुभूति पर है कि कितना अवसर बोलने का आप दे सकें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाडा (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में कुछ अर्ज करूं कि यह नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रस्तावक को २० मिनट का समय दिया जाये और यह परम्परा भी चली आ रही है। परन्तु देखा यह जाता है कि प्रस्तावक ही १ या १।। घन्टे का समय ले लेते हैं और दूसरे वक्ताओं का गला घोंटा जाता है तो आरम्भ से ही यह तय कर लिया जाना चाहिये कि कौन कितने समय बोलेगा इसी प्रकार से कल भी यही समस्या आने वाली है। तो एक प्रकार की परम्परा निश्चित हो जाये तो अच्छा हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, इधर वालों को भी टाइम कल मिला है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना गुजरी, दूसरी पंचवर्षीय योजना गुजरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारी तैयार हुई और उसके तैयार होने के बाद उसके अन्दर कुछ कमियां करने का प्रश्न पैदा हुआ। आज सदन के सामने जो यह प्रश्न आया है और नॉन-कोर और कोर को देखते हैं उसमें एक शंका की दृष्टि इस बात की पैदा होती है कि जो कमियां की गई हैं उन कमियों को हम देखते हैं तो हमें इस बात का आभास होता है कि वह कमियां नहीं होनी चाहिएं थीं। लेकिन जब दूसरी तरफ योजनाओं को देखते हैं और यह देखते हैं कि योजनायें किन उद्देश्यों के लिए बनाते हैं तो उससे साफ दृष्टिकोण इस बात का होता है कि योजना का मतलब यह होता है कि योजनाओं के बनाने से देश समृद्धिशाली बने उन्नति करे और उन योजनाओं को कार्यन्वित करने से हमारे देश की कुछ सम्पत्ति बढ़े और दूसरी ओर इन योजनाओं के लागू होने पर जो टैक्सेज जनता के ऊपर लगाने पड़ते हैं उनके अन्दर कमी आये और तीसरा प्रश्न जो है वह यह है कि

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

जो शासन व्यवस्था है वह सुदृढ़ हो। इन तीनों मुद्दों पर हम विस्तार से जाना चाहते हैं और इस देश के अन्दर जो योजनायें बनाई गई हैं क्योंकि यह एक्सपेरीमेन्ट है।

किसी भी प्रजातंत्र मुल्क में इस तरह से योजनायें नहीं बनी हैं। दूसरे माननीय सदस्यों ने यह कहा कि योजनायें बनाई जाती हैं और योजनायें आपने पढ़ी होंगी और आपका मानस इस बात का बना होगा कि योजनाओं के जरीये दूसरे मुल्कों ने बहुत बड़ी तरक्की की। लेकिन जिस प्रकार से आज यहां पर माननीय सदस्यों को अपनी अपनी बातों को लाने का हक है जो उनकी फ्रीडम है कहीं भी इस प्रकार से फ्रीली अपनी ओपीनियन रख कर कि ये ये कमियां हैं और इस तरह से योजनाओं को कार्यान्वित करना चाहिए, नहीं कह पाते होंगे। इसकी योजनायें चल सकती हैं, लेकिन प्रजातंत्र की योजनायें हैं और इनके अन्दर हम लोगों को पूरा लेखा जोखा देना पड़ता है। प्रथम योजना समाप्त हुई, दूसरी योजना समाप्त हुई और इस तीसरी योजना के अन्दर हमने बहुत बड़ी मात्रा में आत्मनिर्भर होने का तय किया है। जिस तीसरी योजना में हमने इस बात को तय किया है कि देश बहुत आगे बढ़ेगा और आमदनी दुगुनी हो जायेगी तो हमें इस बात के लिए सोचना पड़ेगा कि यदि हमारी योजनाओं को क्रियान्वित करने में कुछ कमियां हुई हैं तो हम कौन कौन से मद में इस बात की कमी करें। हो सकता है मुल्क के ऊपर जो नया संकट आया है उसको देखते हुए हमें इन योजनाओं में भी परिवर्तन करना पड़े। इस बात को सब साथी इधर और उधर बैठने वाले दोनों मानते हैं क्योंकि सबसे पहले मुल्क की आजादी है और उसके बाद मुल्क को दूसरी बातें हैं। परन्तु इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए जो दूसरी योजनायें हैं उनमें कौनसी योजनाओं को हम सब से अधिक प्राथमिकता दें जिसकी वजह से मुल्क समृद्धिशाली बने उनको भी देखना होता है। सबसे प्रथम देश के अन्दर उत्पादन बढ़ना चाहिए।

हिन्दुस्तान हमारा कृषि प्रधान देश है और जब तक यहां पर कृषि की पैदावार नहीं बढेगी तब तक मुल्क के अन्दर परकैपिटा इनकम नहीं बढ पायेगी क्योंकि इस मुल्क के अन्दर लोग तो ज्यादा रहते हैं और जमीन यहां पर कम है। हालांकि कुछ जमीन को तोड़कर जो बंजर जमीन थी उसको खेती के काम में लाये हैं लेकिन फिर भी जमीन की कमी है। तो ज्यादा पैदावार किस प्रकार से बढ़ायें इस बात को सोचना पड़ेगा। वैज्ञानिक तरीकों से खेती करने के लिए भी हमको सोचना पड़ेगा। खेती के साथ जो सबसे मुख्य समस्या है वह सिंचाई की है और उसके लिए बड़ी बड़ी योजनायें हमने बनाई है। उसके लिए बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि बड़ी बड़ी योजनाओं में कमी नहीं की गयी। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो चम्बल प्रोजेक्ट है, जो राजस्थान कैनाल है और जो दूसरी जगह की बड़ी बड़ी सिंचाई की योजना हैं यदि इनमें कमी की जाती है तो जिस बात को हम करना चाहते हैं, देश को जो हम आत्म निर्भर करना चाहते हैं उसको हम पिछड़ा हुआ छोड़ सकते हैं। तो उन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्चा करते हैं।

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

एक बच्चा पैदा होता है और यदि उसके मां बाप सोचने लग जायें कि दस साल बाद कमाने लग जायेगा तो मेरे ख्याल से उसके मां बाप उसको नहीं पढ़ा सकेंगे। सही माने में यह योजनायें पन्द्रह साल बाद लाभ देंगी। जो आपका लक्ष्य आमदनी का है कुछ बैटर-मेन्ट लेवी से और कुछ जमीन जो गंगानगर जिले में है उसके बेचने से आमदनी आने वाली है यह आगे जाकर बहुत बड़ी मात्रा में आयेगी। जो टैक्सेस की तरफ प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है जिसको बहुत से माननीय सदस्य कहते हैं कि टैक्सेस के अन्दर कमी नहीं हुई है तो उसे हम खास तौर से धीरे धीरे कर पायेंगे। तब इस मुल्क की आमदनी बढ़ेगी और मुल्क समृद्धिशाली बनेगा। इसके अलावा इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमने सोचा था कि ६ से ११ साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे लेकिन इस मामले में मैं कहना चाहता हूं कि मेरा भी एक मानना है कि जब हम मुल्क में प्रजातंत्र रखना चाहते हैं, तो आज जो एक गलत धारणा मुल्क में पैदा हो रही है और जो राष्ट्रीयता की भावना हर व्यक्ति के अन्दर पैदा होनी चाहिए उसके लिए शिक्षा जरूरी है। इसलिए मुल्क के लिए हमारा मुल्क इस समय संकट में है और हर एक नागरिक को राष्ट्र के प्रति प्रतिज्ञा करनी चाहिये तो इस सबके लिए भी मैं समझता हूं कि शिक्षा बहुत जरूरी है।.....

इसलिए शिक्षा का जो पहलू है, शिक्षा का जो बजट है शिक्षा का जो तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्लान है उसके अन्दर किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, और यह शिक्षा की जो कार्यवाही है, प्राइमरी एज्यूकेशन, मिडिल स्कूल, और हाई स्कूल और हायर सेकण्डरी एज्यूकेशन, उसमें किसी भी प्रकार की कमी हमारी तरफ से नहीं होनी चाहिए, और दूसरा जो तरीका है जैसा कि माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया था कि जो बिल्डिंग का ऐसा सवाल हो सकता है कि जिसके लिए बड़ा जरूरी सवाल नहीं है तो उसको जरूर हटाना चाहिए। ऐसे जो प्लान हैं उनको कम करके शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं ५ मिनिट ही बोलूंगा।

दूसरा जो है वह यह है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरी योजना के अन्दर जब पर कैपिटा इन्कम बढ़ेगी तो नीचे का तबका है उसको ऊंचा करना चाहिए, क्योंकि आर्थिक अवस्था ही मनुष्य के अन्दर भेदभाव पैदा करती है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर जो हमने यह रखा है और बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि होस्टल्स कम कर दिये तो वे नहीं होने चाहिए। २० होस्टल्स में से ५ होस्टल्स ऐसे हैं। जैसे उन्हीं को ख्याल है हरिजनों का। यह ऐसा लगता है कि हरिजनों के केवल वे ही वफादार हैं, या हरिजनों के केवल वे ही ठेकेदार होकर आये हैं। हर एक व्यक्ति जो इस समाज में रहता है जिसका सार्वजनिक जीवन है, उसकी हर एक समाज में, हर एक वर्ग से अपना संबंध रखता है।

तो मैं इस बात को आपके द्वारा रखना चाहता हूं मंत्री महोदय के सामने कि ठीक है

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

कि हम उत्पादन बढाना चाहते हैं अपने मुल्क की आवश्यकता को देखते हुए और मुल्क के अन्दर उत्पादन का बढ़ाना सबसे पहली चीज है। उत्पादन बढ़े, प्रोडक्शन बढे उस संबंध में यह बात कहूंगा कि देश के अन्दर खेती का उत्पादन बढ़ाना चाहिए। उसके संबंध में यह कहना चाहता हूं कि बात ठीक है कि बिजली के लिए आपने बहुत बड़ा बजट रखा है और बिजली पर थोड़ा बहुत किया भी है, परन्तु आपने उसके अन्दर यह ख्याल नहीं रखा कि जैसा कि कहा गया कि अलवर में एक टरबाइन रखा हुआ है और थोड़े से गांवों में बिजली लगी है तो उसको काम में लेना चाहिए। इसके बारे में जो यह बात कही गई है कि हमारे राजस्थान के जो अधिकारी हैं वे राजस्थान का ख्याल नहीं रखते हैं और बजट के अन्दर कटौती कर देते हैं किसी भी मद में। उसकी वजह से अधूरी रह जाती हैं। बिजली की लाइन खींची जा रही है तो ट्रान्सफार्मर के लिए बजट नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

२१, २२ दरख्वास्तें उनको दी हैं लेकिन ट्रान्सफार्मर नहीं मिल सका है। उसकी वजह से बिजली बेकार पड़ी है। इस तरह से नेशनल जो वेस्टेज होता है उसको रोका जाना चाहिए जिससे कि हम उत्पादन बढ़ा सकें, उनके जरिये ज्यादा से ज्यादा औद्योगिक विकास हो। उनके जरिये औद्योगिक विकास किया जाय तो हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना को जिसको कि कम किया है उसको पूरा कर सकें, और जो टैक्सेज का सवाल है उन टैक्सेज को अच्छी तरह से मुहैया करते हुए भी यह जो छोटी छोटी बातें पैदा हो जाती हैं उनसे जो रूपरेखा दी है वह अधूरी नहीं पड़ी रहे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो हमारी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जिनसे कि प्रोडक्शन बढ़ना है उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाय।.......

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े होते हैं)

श्री उपाध्यक्ष : Order! Order!!

राजस्थान बिक्री कर
संशोधन विधेयक, १९६२ पर

(प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु समय में वृद्धि)

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप मंत्री आबकारी एवं कर) : Sir, I have a motion for extending the time of Select Committee.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९६२, पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय उप-मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

Page No 105

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, थर्ड प्लान के बारे में जो विचार हो रहा है·······

श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह ।

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : But Shri Nathi Singh has sent me a slip. He has precedence.

श्री नत्थी सिंह (गोविन्दगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज यहां पर थर्ड फाइव ईयर प्लान पर विचार विमर्श हो रहा है । उसके बारे में और कटौती के बारे में जैसी कि इस सदन ने मन्शा जाहिर की है उससे साफ प्रतीत होता है कि जो भी कटौती की गई है वह छोटे उद्योगों में, छोटे कर्मचारियों की तनख्वाहों में, और ऐसी चीजों में की गई है जो कि गरीबों के हक में पड़ती हैं । उपाध्यक्ष महोदय, जो यह योजनाएं देश के अन्दर लागू हुई हैं उनका प्रयोजन यह था कि देश का विकास हो, देश का प्रत्येक व्यक्ति खुशहाल हो, और उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और राजनैतिक स्थिति में परिवर्तन हो । लेकिन अफसोस की बात है कि एक तरफ तो सरकार यह चाहती है कि हमारे राजस्थान का विकास हो, दूसरी तरफ यह देखने में आता है कि जिन गांवों के अन्दर जिन गांवों की तरक्की राजस्थान की ही नहीं हिन्दुस्तान की तरक्की है उनकी तरफ कोई तवज्जह नहीं दी गई इर्रीगेशन के बारे में, पढ़ाई के बारे में, कॉआपरेटिव के बारे में और यह पंचायत समितियां इसीलिए हैं इनके बारे में भी खास तौर से देखना यह है कि एक तरफ देखिये कि डेवलपमेंट वर्क में भी कितना भेद है, एक शहर और गांव के अन्दर । एक तरफ आप देखते हैं कि लाखों रुपये वाटर वर्क्स के लिए, पानी के लिए शहरों को दिया जाता है, और एक तरफ एक एक हजार रुपये कुए के लिए गांव वालों को दिया जाता है । मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि शहर पहले से ही डेवलप्ड हैं, विकसित हैं. फिर सरकार की क्या मंशा है ? सरकार क्या चाहती है अनडेवलप्ड को डेवलप्ड करना चाहिए । जिन गांवों के अन्दर कुए नहीं, स्कूल नहीं वहां पर स्कूल की बिल्डिंग के लिए हजार रुपये दिये जाते हैं, दूसरी तरफ लाखों रुपये कालेजेज और मेडिकल हास्पिटल और अन्य सड़कों के ऊपर शहरों के अन्दर दिया जाता है । मेरी समझ में नहीं आता है कि इस तरह का भेदभाव क्यों हैं ? जब कि गरीबों के वोटों के आधार पर यह सरकार बनी है । इस सरकार का सारा ढांचा उस पर है । इस सरकार के तमाम वायदे, उस समय जब कि चुनाव होता है तो उनके सामने जाकर किये जाते हैं उनका क्या हुआ मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर कटौती करनी है तो ये जो बड़े बड़े राजाओं और जागीरदारों को जो मुआवजा दिया जा रहा है उसको हटाइये । इसके अलावा जो बड़े बड़े प्लान हैं, जो बड़े बड़े उद्योगों के लिए योजनाएं हैं इनमें कटौती करिये । छोटे छोटे उद्योगों को बराबर उसी तरह से प्रोटेक्शन दें जिससे कि उनको राहत मिले ।

(श्री नत्थीसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने देखा है गवर्नमेंट ने काफी रुपया डेवलपमेंट वर्क के नाम पर ऐसे व्यक्तियों को दिया है जो या तो नेता हैं या जो नेताओं के कार्यकर्ता हैं या जो मंत्रीजी के मर्जीदां हैं। वे आज पी० डी० आर० में पड़े हुए हैं, और करोड़ों की तादाद में पैसा पंचायत समितियों को दिया गया है तो आपको मालूम होगा कि एक लाख रुपया इस तरह से दिया गया है अनुदान के रूप में, तकावी के रूप में जो कि किसी भी डेवलपमेंट के काम में नहीं आया और बुरी तरह से लोगों ने अपने व्यक्तिगत काम में लिया है, लेकिन अफसोस का विषय है कि एक तरफ तो वे लोग इस तरह से मौज उड़ा रहे हैं और जो डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन की भावना है उसको धक्का पहुंचा रहे हैं। आप सोचिये कि वास्तव में पब्लिक पर इस टेन्डेंसी का क्या असर पड़ता होगा? एक तरफ तो सरकार यह चाहती है कि लोगों की भावनाएं डेवलपमेंट की तरफ जागृत हों और दूसरी तरफ लोग यह समझें कि जो सरकार का रुपया आता है वह इसी तरीके से यूज़ होता है। इसका कोई मालिक नहीं है बगैर मालिक का यह रुपया है लेकिन कोई भी कलेक्टर, बी० डी० ओ० और तहसीलदार इस बारे में तवज्जह नहीं देते हैं।

तो मैं आप लोगों के सामने यह कॉन्क्रीट सुझाव पेश करता हूं कि जितनी भी सरकार की बकाया है उसको जल्दी से जल्दी आप वसूल करें तो काफी तादाद में आपके पास धन-राशि आयेगी। दूसरी तरफ पहले भी जैसा कि अर्ज किया था बड़े-बड़े जागीरदारों और राजाओं का मुआवजा रोक दीजिये या कुछ दिनों के लिये रोक दीजिये तो काफी इमदाद मिलेगी।

दूसरी तरफ बड़े-बड़े उद्योग हैं। कर्जा और तकावी काश्तकारों को और गांव वालों को ज्यादा मिलनी चाहिये, लेकिन उनको न मिल कर उधर देखिये तो बड़े-बड़े पूंजीपतियों को लाख-लाख रुपये या हजारों रुपये जो मंत्रीजी से मिले हुए होते हैं, चुनाव के टाइम उनको कर्जा देते हैं या सहायता और अनुदान के रूप में देते हैं इसलिए कर्ज का दुरुपयोग हो रहा है इसमें कटौती नहीं है और छोटे उद्योगों में कटौती की जाती है, यह शर्म की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया कि एक तरफ जबकि जनरल चुनाव में गांवों में जनता के सामने जाते हैं और वायदे करते हैं कि तुम्हारे गांव में स्कूल खुलवायेंगे, होस्पिटल खुलवायेंगे, सड़कें बनवायेंगे, तुम्हारे लिये सिंचाई के साधन इकट्ठे करेंगे, तुम्हारे गांव में सहकारी संस्थाएं खुलवायेंगे और दूसरी तरफ उन लोगों के लिये कटौती ही नहीं हो रही है, बल्कि उनको काटा जा रहा है। कोई भी मंत्री या सदस्य जो कि कांग्रेस की साइड का है अब नाम लेने के लिये भी उन लोगों के सामने नहीं जा सकता जिनके सामने वायदे करके आया था। तो क्या शहर को ज्यादा डेवलप करने से ही विकास होगा? क्या गांव वाले अधिकार नहीं रखते? मैं समझता हूं हिंदुस्तान का विकास गांवों के काश्तकार और मजदूरों पर निर्भर करता है। लेकिन आज देखने में यह आया है कि अमीर ज्यादा अमीर बनते

(श्री नत्थीसिंह)

जा रहे हैं और गरीब ज्यादा गरीब बनते जा रहे हैं। आज जितनी राहत इस योजना से मिल रही है वह अधिक से अधिक पूंजीपतियों को और जो मंत्रियों के टच में हैं उनको मिल रही है। वहां के गरीबों को नहीं मिलती। मैं समझता हूं बहुत से मंत्री महोदय तो मौका भी नहीं देते लेकिन उनको भी गरीबों से मोहब्बत नहीं है जिनकी आवाज पर गद्दी पर आकर बैठे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वे अपनी पुरानी हालत को देखें जबकि वे मंत्री नहीं थे, एज ए मैन, एज ए व्यक्ति उस हालत को देखकर सलूक करें, उनके साथ बरताव करें उनकी आर्थिक स्थिति को देखें। वे अपनी पहले की स्थिति को भी देखें कि पहले कैसी स्थिति थी। आज मंत्री की स्थिति से दिग्दर्शन नहीं करें। इसलिये मैं आपके सामने कांक्रीट सुझाव पेश करता हूं। यदि योजना को कार्यबद्ध चलाना है, सफलता प्राप्त करनी है तो मैं निवेदन करूंगा कि गांवों में छोटे-छोटे उद्योगों और सिंचाई पर ज्यादा पैसा खर्च किया जाय और बड़े-बड़े उद्योगों में कटौती की जावे। और इसके साथ-साथ एक और अर्ज कर देना चाहता हूं कि यह तमाम जितनी योजना है, जितना विकास है, जितनी देश की उन्नति है वह हमारे देश की आजादी पर निर्भर करती है। उपाध्यक्ष महोदय, आज जैसी हालत देश की है और जैसा संकट देश पर है या देश के सामने है वह किसी भी व्यक्ति की जानकारी से बाहर नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि कटौती करें और कटौती करना जरूरी है, सबसे पहले तमाम देश में, देश की आजादी के लिये पूरी तरह सोचना चाहिये। इस बारे में कटौती ही नहीं बल्कि इसके अलावा हम सभी सदस्यों को और देशवासियों को कितना ही पैसा देना पड़े या कुरबानी करनी पड़े उसके लिये हम सब तैयार रहेंगे और मैं अर्ज करूंगा कि सबसे पहले उसके लिये कटौती की जाय और उन सैनिकों को जो बहादुरी से देश की आजादी के लिये लड़ रहे हैं जो हजारों शहीदों की कुरबानी और हजारों वर्षों के पश्चात प्राप्त हुई है उस बारे में कटौती की जाय तो सुन्दर रहेगा बजाय इसके कि छोटे-छोटे उद्योगों में कटौती की जाय, छोटे-छोटे नौकरों को हटाया जाय और और बड़े-बड़े अफसरों को रखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री संपत्तिलाल।

श्री संपत्तिलाल बोहरा (मावली): माननीय उपाध्यक्षजी, आज जब हम तृतीय पंचवर्षीय योजना और उसमें काट छांट के बारे में विचार करते हैं तो सहज ही कुछ प्रश्न सामने आते हैं कि आया प्लानिंग कर रहे हैं या डिस्प्लानिंग कर रहे हैं हमारी योजना है, योजना का अर्थ होता है, उसके नियम होते हैं और योजना में युनिटी होती है। किसी प्रकार की योजना बनाई जाती है तो उसमें काट छांट नहीं की जा सकती। उसमें एक युनिटी होती है, वह एक दूसरे पर आश्रित होती है और उसका एक दूसरे पर असर होता है। एक बार जो योजना बनाई गई है उसमें यदि काट छांट करेंगे तो वह सफल नहीं हो सकती। योजना एक दूसरे पर निर्भर है।

नाम लीजिये खेती के बारे में योजना है। खेती से रॉ मेटीरियल पैदा होता है और वह रॉ मेटीरियल इन्डस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ

(श्री संपत्तिलाल बोहरा)

होता है और उसका प्रभाव इन्डस्ट्री पर पड़ता है। इन्डस्ट्री का प्रभाव लेवर एम्प्लोयमेंट पर पड़ता है और लेवर एम्प्लोयमेंट का प्रभाव ग्रामदनी पर पड़ता है। और उसका असर हमारी सेविंग्ज या बचत पर पड़ता है। यदि एक चीज में कमी की जायगी तो सारी चीजों में कमी हो जायगी और उसका डिस्लोकेशन हो जायगा। यह कट छोटे-छोटे एक-एक ग्राइटम को लेकर नहीं की जा सकती। यदि प्लानिंग को सही रूप में प्लानिंग कहा जावे तो तो उसको रीग्रोरियेन्ट करना चाहिये। ग्राज की जो परिस्थिति है उसके ग्रनुसार सोचना चाहिये। यह सोचना चाहिये कि इन परिस्थितियों में क्या जो थर्ड प्लॉन बना है वह सही है या फिर से रीग्रोरियेन्ट करने की जरूरत है? ग्राज की परिस्थिति यह है कि हमारे देश को उत्तरी पूर्वी सीमा पर चीन का ग्राक्रमण हो रहा है, उस समय जिस समय प्लान बना था परिस्थिति दूसरी थी ग्राज दूसरी है। ग्राज डिफेन्स के लिये, मिलिट्री के लिये और खास प्रकार के कामों के लिये साधनों की जरूरत है। ग्राज हमारा प्राइस इन्डेक्स बढ़ गया है, कीमतें बढ़ गई है इसलिए प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिये कि किस प्रकार रीग्रोरियेन्ट किया जाय.........

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : Point of order, Sir, will there be none to represent the Treasury Benches ?

क्या किसी भी मंत्री को, जो योजना है उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है ?

एक माननीय सदस्य : एक गुड्डा लाकर बैठा दें।

श्री भीखाभाई (सिंचाई मंत्री) : महज स्पष्टीकरण के तौर पर मैं पूछना चाहता हूं माननीय मित्र से उन्होंने कहा कि यह प्लानिंग है या डिस्प्लानिंग है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बदलती हुई परिस्थिति में प्लान को बदलने का प्रश्न नहीं है ?

श्री संपत्तिलाल : मैं बताऊंगा ग्रभी जो प्लानिंग है....

श्री मानिकचन्द सुराणा : ग्राप यहां नहीं थे, नहीं तो जवाब जल्दी मिल जाता....

श्री संपत्तिलाल : It is a one unit. You cannot give it in two pieces. You cannot consider it piecemeal.

इसमें यदि सोचना है तो एक युनिट के रूप में सोचना पड़ेगा। एक तरफ कट करके, सिंचाई की योजना या रोड्स ग्रादि में कमी करके सारे प्लान को ठीक ढंग से नहीं चला सकते। हम कह सकते हैं कि देश की ग्रावश्यकताएं और राजस्थान की ग्रावश्कताएं हैं इस प्रकार की हैं कि हम इस फाईव ईयर प्लान को सक्सेसफुली रन नहीं कर सकते तो फिर से उसको रीग्रोरियेन्ट करना पड़ेगा और फिर सोचना पड़ेगा कि किस तरह से प्लान बनावें। मैं ग्रापके सामने उदाहरण दूंगा। हमने २३६ करोड़ की योजना बनाई। उसमें दो तरह का हिसाब रखा एक कोर प्लान और दूसरा नोन कोर प्लान। You cannot cut it. मैं कह सकता हूं कि इसका कटिंग हो नहीं सकता। एक दूसरे पर इतने ग्राश्रित हैं कि कट हो

(श्री संपत्तिलाल)

ही नहीं सकता। प्रायोरिटी के हिसाब से यदि हमें तब्दीली करनी है तो रीअोरियेन्ट करना पड़ेगा, पुनः निर्धारण करना पड़ेगा। आज सोचना क्यों पड़ा, प्लानिंग को बदलने की आवश्यकता क्यों हुई?....

आज हम चन्द्रमा पर जाने की क्यों नहीं सोच सकते, आज हम टेलीवीजन की बात क्यों नहीं सोच सकते और किसी प्रकार के विकास की बात क्यों नहीं सोच सकते, हर घर को ऐयर कन्डीशन्ड करने की बात क्यों नहीं सोच सकते, मोटर की बात क्यों नहीं सोच सकते? यह सब हम इसलिए नहीं सोच सकते क्योंकि हमारे पास साधन कम हैं। हमारे पास बेसिकली साधनों की कमी है। इसलिए हमें साधनों को ढूंढना पड़ेगा "जेते पांव पसारिये, जेती लांबी सौर।" जितने हमारे साधन हों उतने का प्लान बना सकते हैं, उतने का कन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम बना सकते हैं। हमने सोचा था, हम हमारे प्लानिंग में ३२ करोड़ के साधन टैक्स के जरिये वसूल करेंगे। इस नोट में बताया है, यह संभव नहीं है, २४ करोड़ रुपया भी हम वसूल नहीं कर पा रहे हैं। यह बताया है यानी यह शंका जाहिर की है कि २४ करोड़ भी वसूल कर पायेंगे, वह कर पायेंगे या नहीं। मैं कहना चाहूंगा कि प्लानिंग में कटिंग होगा, तो हमारे यहां उत्पादन कम होगा, उसकी वजह से देश में प्रोडक्शन कम होगा तो उसका असर पड़ेगा कि जो टैक्स से रुपया आना चाहिए था, वह कम आयेगा। इस प्रकार यह प्लानिंग प्लानिंग नहीं रह जायगा

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज हमारी टैक्स पेइंग केपेसिटी है वह बढ़ी नहीं है। इसी प्रकार हमारी परकेपिटा इन्कम है, वह जैसा आपने कहा २.२ बढी है जबकि हमारे यहां की प्राइसेज २५ परसेन्ट बढ़ गई हैं। इसी प्रकार हमारा जो साधन था सेविंग का, आज स्माल सेविंग स्कीम में जो दस करोड़ रुपया इकट्ठा करना था, उसके बजाय हम केवल सात करोड़ रुपया इकट्ठा कर पा रहे हैं। और यह कमी की जा रही है तो सात करोड़ रुपया भी वसूल नहीं हो सकेगा। इसी तरह पचास लाख दूसरे साधनों से बढ़ाने की बात थी, वह भी नहीं हो रही है। अब यह स्थिति आती है कि प्लानिंग में कमियां करें तो प्रश्न आता है कि किस में करें और किसमें नहीं करें। किसी काम में करेंगे तो कोई भाई चिल्लायेंगे, इसलिए नहीं करना चाहिए। दूसरे में करेंगे तो दूसरे भाई चिल्लायेंगे। एजूकेशन में करेंगे तो एजूकेशन के मिनिस्टर चिल्लायेंगे, इर्रीगेशन में करेंगे तो इर्रीगेशन मिनिस्टर चिल्लायेंगे। और किसी कान्स्टीट्यूएन्सी में करेंगे तो कान्स्टीट्एन्सी वाले चिल्लायेंगे। इसके साथ ही पीस मील में किसी योजना के अन्दर कांट-छांट कर योजना को छोटा किया जाता है तो वह असंगत है और योजनाबद्ध नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है प्लान के बारे में कि प्लान को रीओरियेन्ट किया जाय, प्लान पर पुनर्विचार किया जाय कि वास्तव में थर्ड फाइव ईअर प्लान क्या होना चाहिए।

इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि हमारा प्लान रियलिस्टिक होना चाहिए। इसके अन्दर महत्वपूर्ण बात है कि हमारे साधन कम हैं। यह वास्तविक बात है कि साधन कम हैं। इसलिए मैं दो-चार सुझाव

(श्री संपत्तिलाल)

देना चाहता हूं कि साधनों को किस प्रकार से बढाया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि जितनी तनख्वाहें हैं, या और किसी प्रकार के पेमेन्ट्स हैं, जो एक हजार रुपये से अधिक देते हैं वह रुपया आप नेशनल सेविंग, इनामी बोंड या लोन्स के रूप में दे सकते हैं और इस प्रकार बहुत सारा रुपया आपके पास बच सकेगा। इसके अलावा जो प्रीवी पर्स देते हैं जागीरी ग्रौण्ड्स देते हैं, और जो सैलेरी का पेमेंट करते हैं, उनमें जिनको एक हजार से अधिक का पेमेंट किया जाय, तो जितना रुपया एक हजार से अधिक दिया जाय उसको नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट, इनामी बौंड या लोन के रूप में या और रूप में दें तो वह बहुत अधिक हितकर होगा और उससे आप साधन जुटा सकेंगे। इसी प्रकार जो हमारा टैक्स इवेजन है, वह करीब ३ करोड़ का टैक्स इवेजन है। उसके लिए मशीनरी इस प्रकार की बनायी जानी चाहिये जिससे कि आप उसे टोक सकें। इसी प्रकार हमारे एरियर्स हैं टैक्स के, उपाध्यक्ष महोदय, वे ११ करोड़ के एरियर्स हैं। उनको सख्ती के साथ वसूल किया जा सके तो हमारी सारी कमी पूरी हो सकती है। इसी प्रकार जो नोन टैक्स रेवेन्यू है उसकी तरफ ध्यान दिया जाय और उसको बढाया जाय। इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जहां कटिंग के लिए कहा गया है वहां फैमिली प्लानिंग पर खर्च बढाया गया है। पहले जहां तीन यूनीट्स थीं, वहां अब सौलह नोबल फेमिली प्लानिंग यूनिट रखी हैं। जहां प्लान में एक ओर कट रखा गया है वहां दूसरी ओर खर्च बढाया गया है। मेरा निवेदन है, यह खर्च आवश्यक नहीं है। इसे आप पूरा का पूरा कम कर दीजिये तो ज्यादा लाभ कर होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट

इसी प्रकार भवन के बारे में हमारे पूर्व वक्ता, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, कि भवन निर्माण आवश्यक नहीं हैं। इसलिये यह चाहिए कि जितना खर्चा हो रहा है, उस पर थिंकिंग किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है और उस पर री-थिंकिंग किया जा सकता है। इसी प्रकार मिनरल कोरपोरेशन और वन बोर्ड में २ करोड़ ६५ लाख खर्च होने वाला है। इसको स्थगित किया जाय तो काफी फर्क होगा। इसके अतिरिक्त भी बहुत साधन हैं, जिनको आगमेंट किया जाय, उनको बढ़ाया जाय, तो मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय हम प्रगति कर सकेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं। इस प्लान को फिर कन्सीडर करें, रीओरियेन्ट करें और इस पर वापिस विचार करें कि प्लान किस प्रकार होना चाहिये, आज की परिस्थितियों में किस प्रकार का होना चाहिए और उनके अनुसार फिर से स्ट्रक्चर बदल सकते हैं। आज हमारे बोर्डर पर अटेक हो रहे हैं, इन परिस्थितियों में थर्ड फाईव ईअर प्लान किस तरह का होना चाहिए इस पर पुर्नविचार करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरवलाल काला-बादल।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : पांच मिनट मैं भी चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरवलाल काला बादल ।

श्री भैरवलाल काला बादल (अकलेरा): उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारा भारत एक समय में दूसरे देश वालों के अधीन था. उस समय पूज्य महात्मा गांधी ने एक प्लान बनाया था किस प्रकार गुलामी की जंजीरों से छुटकारा पाया जाय और किस प्रकार ग्रामीणों का उत्थान करें और किस प्रकार स्वराज्य की स्थापना करें। उनकी जो कल्पना थीं, ग्रामो में जिस प्रकार का स्वराज्य चाहते, वे उसका एक नक्शा बना कर देकर गये और उन्होंने यह कहा था कि वे राम राज्य की स्थापना के लिए यह चाहते हैं कि गांवों का विकास हो क्योंकि भारत की पवित्र आत्मा गांवों में है, शहरों में नहीं । अंग्रेजो ने हमारे शहरों का सर्वनाश किया, शहरों को बिजली से चकाचौंध कर दिया और अंग्रेजी शासन ने गांवों को नर्क बना दिया। महात्मा गांधी कहते थे कि जिस दिन हम स्वराज्य ले लें उस दिन से गांवों में स्वर्ग पैदा कर देंगे। आज उस महात्मा गांधी का प्लान मिट गया है। जिसके आधार पर आज हम शासन कर रहे हैं उनके बनाये हुए नक्शे को मिटा दिया है। उनकी कल्पनाओं को मिटा दिया हैं। जिस प्रकार के प्लान के द्वारा स्वराज्य स्थापित करना चाहते थे, जिस प्रकार राष्ट्र का उत्थान करना चाहते थे, जिस प्रकार के प्लान के द्वारा हमारे भारत को खुशहाल करना चाहते थे, वह प्लान आज मिटता जा रहा है। आज जब हमे गांव में जाते हैं तो आज सबकी शहरों की ओर निगाह पड़ती है और गांव के लोग कहते है हमसे, यह क्या हो रहा है।

'कोठी बंगला सहल सपाटा,
मोटर मोज्यां माणे ।
आसमान में चील गाड़ी,
बिना काम ने तांणें' ।

आज हमारे प्लान बनते हैं, जैसे आसमान में कोई हवाई जहाज उड़ता है, उसमें दौलत नष्ट हो जाती है और काम बिगड़ जाता है। मैं समझता हूं कि किसी राष्ट्र का प्लान, किसी देश का प्लान बुद्धिमता से बनाया जाता है तो कभी वह राष्ट्र निराशा की ओर नहीं जाता, प्लान नहीं बिगड़ता है।

हमने इतिहास में पढ़ा था, मिडिल क्लास में मैंने पढ़ा था कि मोहम्मद तुग़लक था, उसकी आदत क्या थी—बदलने की। उसने कहा, हमारी राजधानी बदलो। कभी क्या करता कि यहां से बदल कर उधर से जाता। इसी तरह से आप प्लान बना रहे है कभी आगे बढ़ जाते हैं और कभी.....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वह तो एक मोहम्मद तुगलक था, यहां अठारह हैं।

श्री भैरवलाल काला बादल : माननीय उपाध्यक्ष, ये गांव के लोग कहते हैं, हमसे पूछते हैं क्योंकि हम महात्मा गांधी का संदेश लेकर उनको बताने गये थे, कि स्वराज्य गांव में आयेगा तो गांव का विकास होगा, गांव की प्रगति होगी। यह कहते जाते थे, लेकिन अब ये हमसे पूछते हैं:—

'सुधरेगा कैसे हलधर प्यारा ये देश
झोपड़ियां में कब दीप जले।
जगमग जगमग चमके बिजली,
लक्ष्मी रोल मचाये।
टूटी झोपड़ी भूखे टाबर,
पड़े रे पड़े दुःख पाये।।

(श्री भैरवलाल काला बादल)

महात्मा गांधी कहते थे, हलधर. हल चलाने वाला किसान अपने पांवों पर खड़ा हो सकेगा।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : झोंपड़ी और दीपक दोनों इधर है।

श्री भैरव लाल काला बादल : वे कहते हैं हमें, भाई हमारे यहां अभी बिजली नहीं आ रही है और शहर बिजली से चकाचौंध हो रहे हैं। कब बिजली आयेगी और कब झोंपड़ी चकाचौंध होगी। महात्मा गांधी कहते थे, झोंपड़ी में कोई भूखा नहीं रहेगा, झोंपड़ी में कोई नंगा नहीं रहेगा, झोंपड़ी में कोई बेकार नहीं रहेगा। लेकिन आज, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एम० एल० एज० परेशान हैं, दिन में सौ गांव के लोग आते होंगे। आज हमें कहते हैं, हमने फलां जगह फार्म भेजा था, मगर कहते हैं कि अच्छी योग्यता वाला मिल गया, उनको ले लिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका बेकारी को मिटाने का प्लान था मगर आपसे बेकारी मिटी नहीं। हम जिस समय आपके पास आकर कहते हैं कि हम बेकार है, हमें आपसे कुछ कहना है तो मंत्रीजी कहते हैं कि ठीक है .जो कुछ तुमने कहा हमने नोट कर लिया है। अभी हमें ज्यादा फुर्सत नहीं हैं लेकिन अगर कोई विरोधी दल का सदस्य चला जाता है और कोई बात कहता है तो वे उस विरोधी दल के सदस्यों को दो दो घन्टे का समय दे देते हैं। यह बात पहले भी मैंने इसी सदन में कही थी और फिर भी दोहरा रहा हूं। यों तो मंत्री लोग कहते हैं कि हम प्लान पर चलने वाले लोग हैं। लेकिन जब उन्हें जा कर उसके संबंध में कुछ कहते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं करते हैं। वे तो यह समझते है कि ये तो अपने ही आदमी हैं अपनी ही पार्टी के लोग हैं। इनका क्या ? छोड़ कर तो जायेंगे नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सच्ची बात कह रहे है।

श्री भैरवलाल कालाबादल : महात्मा गांधी के हम सच्चे शिष्य हैं। गांव में सच्चे रामराज्य के लिये मर मिटे। आप जितने टेक्स लगाते हैं गांव के लोग आपको देने के लिये तैयार है। लोग स्कूलों के लिये भवन भी बनाते हैं लेकिन फिर भी आप वहां के लोगों के लिये शिक्षा का उचित प्रबन्ध नहीं करते। महिलाओं के लिये शिक्षा की बात तो दूर रही आपने यों ही दूसरा प्लान भी गुमा दिया गावों में कुछ काम नहीं किया गया।

आप यहां पर युनिवर्सिटी की बातें करते है, लेकिन गावों में आप स्कूलों के खोलने का भी प्रबन्ध नहीं कर सकते। आपने पंचवर्षीय योजना में कहा कि एक हजार स्कूलें बनावेंगे। गांव वाले भी पैसे का इन्तजाम करें। गांव वालों ने पैसा इकट्ठा किया और जिस भवन के लिये १० हजार रुपये लगे थे उसमें उन्होंने ६ हजार रुपये दिये,

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मगर शिक्षा का प्रबन्ध नहीं किया गया यह एक बड़ी मुश्किल की बात गांव वालों के लिये है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, एक

(श्री भैरवलाल काला बादल)

तरफ गांव में असंतोष है और दूसरी तरफ हमारी छाती पर दुश्मन खड़ा है और इसके लिये हमको अपने प्लानों में कटौती करनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, कटौती अवश्य करनी चाहिये। मैं यह कहूंगा कि प्लान तो हमारे नहीं बिगड़ते हैं प्लान तो शहर वालों के बिगड़ते है। गाँव वालो के प्लान नहीं बिगड़ते है।

"लक्ष्मी रूठी अन्नदाता से
चोरों के घर जाये"।

गांव के किसान खेती करते हैं फिर भी लक्ष्मी उनके पास नहीं रहती है। वह तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास चली जाती है।

(शोर गुल)

उपाध्यक्ष महोदय, 'लक्ष्मी रूठी अन्नदाता सू" यानी गांव वाले किसान लोग अन्न और दूसरी चीजें महनत मजदूरी करके पैदा करते हैं मगर पैसा उनके पास नहीं रहता।

(घंटी)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सच्चा भाषण हो रहा है। बोलने दीजिये, साहब।

श्री भैरवलाल काला बादल : आप समझते है कि मुझे जोश आ रहा है। मुझे कोई इससे जोश नहीं आने वाला है। मैं तो गांव वालों की सच्ची बातें आपको सदन के सामने बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आपस में बातें न करें।

श्री भैरवलाल कालाबादल : मैं तो गांव वालोंकी सच्ची सच्ची हालत और बातें आपको बता रहा हूं और उनको बताने के लिये एक ही खड़ा हुआ हूं। दूसरें लोग क्या जानते हैं कि वहां के लोगों की क्या हालत है।

"जाके पांव न फटी बिवाई
वे क्या जाने पीर पराई"॥

यह तो वही जानता है जिसको इसका अनुभव होता है। हमदर्दी तो गांव वालों के प्रति बहुत से लोग दिखाते हैं लेकिन जिस समय मुसीबत आती है तो कोई नहीं बोलता। कुडाराम मर गया तो कोई दाग में नहीं जाय। यह तो सरकार के फोलों करने की योजना है। मगर मैं अपने पक्ष के लोगों से कहता हूं और कहना चाहता हूं कि आप महात्मा गांधी के प्लान को फोलो करें। आप उसके प्लान को फोलो नहीं कर रहे है। हम लोग, लोगों की आवाज को लेकर आपके यहां तक आवे और आपके दरवाजे पर सुबह से शाम तक बैठे रहे और आप लोग हमको चकमा देते रहे यह कोई आपकी अच्छी बात नहीं हैं। गांव के लोग कहते हैं कि यह कैसा स्वराज आया है क्या इसको स्वराज्य कहते है यह स्वराज्य कैसे चलेगा। अब गांव के लोग काफी जागरूकहो गये है अब आप उनको चकमा नहीं दे सकेंगे और न आप उनकी भावनाओं को रोक सकेंगे। आज आप जो कुछ देखते है वह महात्मा गांधी की देन है। आपका कुछ नहीं है आप तो उल्टी मशखरी करते हैं।

"बैठ झरोखा करे मसखरी,
एंठ एंठ इतराये।"

(श्री भैरवलाल काला बादल)

आप झरोखे में बैठ गये हैं यानी ऊंची जगह बैठ गये हैं और उन गांव के लोगों को को देख कर उनकी मशखरियें कर रहे है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि यह आपका इसमें कुछ नहीं है । यह जो कुछ है वह महात्मा गांधी बाबा की देन है और उन्हीं के प्रयत्नों का फल है जिसको आप भोग रहे है और ऊंचे आसन पर बैठ कर इतरा रहे हैं । यह तो फसल गांधी बाबा की है।

"खेत बो गये गांधी बाबा,
खड़ी फसल लहराय ।"

यह तो महात्मा गांधी बाबा आजादी दिला गये हैं और यह उन्हीं की फसल है जो लहरा रही है । उन्हीं की तैयार की हुई फसल है जिसको आ खा रहे है ।

'खड़ो रुखालो एक जवाहर,
बाड खेत ने खाय ।'

अब तो बाड़ खेत को खा रही हैं । जिस समय हम कहते है कि भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको रोका जाय तो माननीय मंत्री कहते है कि कहीं भ्रष्टाचार नहीं है । मैं यह कहता हूं कि आपके सामने खून होता है और वह चमकता है फिर भी आप कहते है कि यह खून नहीं है यह तो पान की पीक का रंग है । इस बात का हमें बड़ा अफसोस है ।

'खून होट से लगा चमकने
समझो फिर भी पान
मानव बन गये आज यहां पर चीते चोर कबान
दौड़ दौड़ तर हुए पसीना नेहरू भीगे जाय ।
हेलो मार्यो मदद करो रे गांधी फसल चूंटी जाय,

यदि इस तरह की हमारी हालत हो जावेगी तो हमारा शासन कैसे चलेगा ? यह सब मैं नहीं कह रहा हूं यह गांव वाले कह रहे हैं । मैं नहीं समझता कि गांव से आने वाले जितने प्रतिनिधि हैं उनकी आत्मा कहती है कि हमारी कोई इस राज्य में सुनता नहीं । मैं यह कहता हूं कि हमारा काम नहीं होता । मगर इससे कोई यह न समझे कि मैं कांग्रेस का वफादार नहीं हूं । या जो मैं बातें यहां कह रहा हूं इससे कोई यह न समझे कि कालाबादल विरोध में बोल रहा है और कांग्रेस के खिलाफ है । मैं समझता हूं कि यह उनकी गलतफहमी होगी । मैं तो क्या मेरा खानदान सारे के सारे कांग्रेस के पक्ष में रहेंगे और हैं । आप किसी भी प्लान को चलावें तो अच्छी तरह से चलावें । मुहम्मद तुगलक की तरह से न चलावे ।

राजस्थान पशु-चिकित्सक विधेयक १९६२ से सम्बन्धित विभाजन पर उठाये गये औचित्य प्रश्न पर व्यवस्था ।

श्री उपाध्यक्ष : अब मैंने जो अपनी एक दिन व्यवस्था स्थगित रखी थी (फोर डिसिजन) अब वह व्यवस्था मैं आपके सामने पढ़ता हूं :–

दिनांक १२ अक्टूबर, १९६२ को राजस्थान पशु चिकित्सक विधेयक, १९६२ के खण्ड २६ पर श्री विजयसिंह झाला के संशोधन प्रस्ताव पर विभाजन का परिणाम

(श्री उपाध्यक्ष)

घोषित करने के बाद श्री मुरलीधर व्यास, सदस्य राजस्थान विधान सभा ने यह प्रश्न उपस्थित किया था कि उनको अपना मत अभिलिखित कराये जाने की स्वीकृति दी जा चुकी थी, किन्तु उसको विभाजन के परिणाम में शामिल नहीं किया गया है। इस पर मैंने उक्त दिन की कार्यवाही को देखकर अपना निर्णय देने का कहा था।

मैंने उक्त दिन की कार्यवाही को मंगवाकर देखा है। उससे यह प्रकट होता है कि श्री मुरधीधर व्यास को अपना मत अभिलिखित कराये जाने की स्वीकृति प्रक्रिया तथा कार्य संचलन सम्बन्धी नियमों ने नियम २८७ (६) के अन्तर्गत मेरे द्वारा दे दी गयी थी। विभाजन का जो परिणाम घोषित किया गया था उसमें उनका मत सम्मिलित नहीं किया जा सका था, जिसका मुझे खेद है।

अतः मैं यह निर्णय देता हूं कि श्री व्यास का मत 'हां' पक्ष की ओर रेकॉर्ड किया हुआ समझा जाय। इससे अब मतदान में 'हां' पक्ष के। ४५ मत के स्थान पर ४६ मत प्राप्त हुए माने जायेंगे किन्तु इससे विभाजन के परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ता है।

अब समय केवल दो मिनट ही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : समय बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय ने जो व्यवस्था दे दी है उससे मैं बन्धा हुआ हूं। उसके विपरीत मे कुछ नहीं कर सकता।

दो मिनट में आप कुछ नहीं कह सकते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज शुरू कर देता हूं और कल यदि माननीय अध्यक्ष, आज्ञा देंगे तो जारी रखूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : Order please! मैं निवेदन करूंगा कि कार्य सलाहकार समिति में सभी पक्ष के सदस्य मौजूद होते हैं और वे ही सब प्रोग्राम बनाते हैं। उस समय सोचना चाहिये कि कितना समय लगेगा।

(विराम)

अब सदन का समय समाप्त हुआ। सदन की बैठक कल प्रातःकाल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही सायं ५-० बजे दिनांक २६-१०-६२ को म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(गुरूवार, २५ अक्टूबरर १९६२)

दोसा म्युनिसिपल बोर्ड की अनियमिताएं।

हनुमानगढ टाउन से एस॰ डी. एम॰ तथा तहसीलदार के कोर्टस हटाना।

अजमेर का मेडिकल कॉलेज।

हनुमानगढ़ तहसील में भाखरा की बिजली।

गंग कैनाल कॉलोनी में भूमि अलाटमेंट

तहसील निवाई के झिलाय कस्बे में हायर सैकेन्डरी स्कूल।

स्वास्थ्य विभाग के रिटायर्ड कर्मचारियों के पेन्शन केसेज।

हनुमानगढ़ से सूरतगढ तथा संगारिया मंडी तक सड़क।

व्यावर में लड़कियों के लिए हायर सैकेन्डरी स्कूल।

हनुमानगढ़ तहसील में पुख्ता एलोटीज और भूमिहीन किसानों को भमि खारिज नोटिस।

राजस्थान रोडवेज के अधीन पंजीयत ट्रेड यूनियन्स

चौ॰ पुरानी बस्ती में प्लाट वितरण स्कीम व नल, बिजली और ड्रेनेज सुविधा।

प्रशिक्षणार्थियों की आयु का निर्धारण

बीकानेर के वाटर वर्क्स स्टाफ के उपार्जित अवकाश।

जयपुर नगरपालिका में हरिजन कर्मचारियों के लिए विशेष पद शाखा।

गंगानगर में वाट व माप बनाने की अनुमति।

व्यावर में कपड़ेपर चुंगीकर।

बीकानेर के वाटर वर्क्स कर्मचारियों को ओवर टाइम वेजेज।

भाखरा क्षेत्र में किसानों को भूमि के अलाटमेन्ट से आमदनी।

बास बदनपुरा व डूंगरी फकीरान बस्ती, जयपुर बिजली व नल योजना।

बीमा विभाग में सस्पेंस की रकम।

अलवर-तिजारा रूट पर बसों में अधिक सवारियों से यात्रियों को असुविधा।

एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के अन्तर्गत पावर लूम्स उद्योग के लिये प्रार्थना पत्र।

राजस्थान हिन्जेज तथा बकेट्स वर्क्स कोटा को लोहे का परमिट।

तिजारा तहसील में विद्युत कार्य

राजस्थान म्यूनिसिपलिटीज एक्ट के अधीन सेवा नियम।

अलवर-तिजारा, तिजारा-खैरथल पर पुरानी बसें।

Page No 117

राजस्थान सरकार द्वारा रिजर्व बैंक ग्राफ इन्डिया से ग्रोवरड्राफ्ट।

राजगढ़ में डिग्री कालेज

कोटकासिम से नन्दरामपुर वास सड़क योजना।

कस्बा पीपलू (तहसील टोंक) में हायर सैकेन्डरी स्कूल।

बी. एस. टी. सी. स्कूल सुजानगढ़ की इमारत।

विकास अधिकारी बनेड़ा का स्थानान्तरण।

यूनिफाइड पे-स्केल्स में कर्मचारियों का फिकसेशन।

तिजारा में नलयोजना का कार्य।

राज्य कर्मचारियों के वेतन स्तर का पुनरीक्षण एवं उनमें असन्तोष।

गंगानगर कोर्ट्स में पेटीशन राईटर्स के लिए शैड।

खनिज विभाग में असिस्टेन्ट इंजीनियर की नियुक्ति।

निम्बाहेड़ा में राज्य की भूमि की अवैध बिक्री।

हरिजन कॉलोनी, उनियारा में नाली का निर्माण।

नगरपालिका निवाई द्वारा भूमि का विक्रय।

निवाई नगरपालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव।

स्थगित प्रश्न

(१८-१०-६२)

भूमिगतियों को भूमि का अलाटमेंट।

स्थगित प्रश्न

(१८-१०-६२)

भूमिहीन जमींदार

स्थगित प्रश्न

(२२-१० १९६२)

बीमा विभाग में नियुक्तियां

अतारांकित प्रश्नों के शीर्षक

१. जयपुर शहर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन भवन।

२. बड़े उद्योगों हेतु प्रदान किये गये लाइसेन्स।

३. राजस्थान की क्रय-विक्रय सहकारी समितियों को दी गई धन-राशि।

४. विभिन्न उद्योगों के लिये दी गई धन-राशि एवं उनसे लाभ।

५. तृतीय पंचवर्षीय योजना में सड़कों के निर्माण सम्बन्धी प्रावधान।

६. बीकानेर डिवीजन की क्रय-विक्रय सहकारी समितियों द्वारा वैधानिक कार्य ।

७. बीकानेर में देवस्थान विभाग की ओर से दी गई विभिन्न आर्थिक सहायताएं ।

८. बीकानेर जिप्सम कम्पनी जामसर एवं सरकार के बीच जिप्सम एवं सेलोलाइट सम्बन्धी करार ।

२. प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री वृजसुन्दर शर्मा, सभापति अधीनस्थ विधान संबन्धी समिति, ने समिति के सातवें प्रतिवेदन का उपस्थापन किया ।

३. सदन की मेज पर रखा गया पत्र

श्री हरिश्चन्द्र, विद्युत् मंत्री, ने इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट, १९४८ की धारा ६९ (५) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (Rajasthan State Electricity Board) के लेखे (१-७-१९५७ से ३१ मार्च, १९५८ तथा १९५८-५९) तथा उन पर अंकेक्षा प्रतिवेदन को सदन की मेज पर रखा ।

४. याचिका का उपस्थापन

श्री चतुर्भुज विधान सभा ने गंगरार एवं चित्तौड़गढ़ के किसानों के गन्ने की समस्या संबंधी एक याचिका का उपस्थापन किया ।

५. आधे घण्टे की चर्चा

नगरपालिका पाली के संबंध में तारांकित प्रश्न संख्या १९५ (९९ पी. डब्ल्यू. एम) के उत्तर से, जो दिनांक १६ अक्टूबर, १९६२ को दिया गया था, उत्पन्न मुद्दों पर श्री केसरीसिंह (८९), सदस्य, विधान सभा ने, आधे घण्टे की चर्चा उठाई ।

श्री चन्दनमल बैद, उप मंत्री, ने उसका उत्तर दिया ।

६. अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत श्री मोहनराज, सदस्य, विधान सभा, ने जोधपुर स्थित आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल एवं डाईरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन के कार्यालय को वहां से हटाने संबंधी सरकार के निर्णय से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किय ।

श्री परसराम मदेरना, उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन, ने इस संबंध में एक वक्तव्य किया ।

७. विधायी कार्य

राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६२

उक्त विधेयक पर आज पुनः खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड ७, ८ ९, से १० स्वीकार किये गये।

खण्ड ११ संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड ३ संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड ४ स्वीकार किया गया।

खण्ड ५ व ६ संशोधित रूप में स्वीकार किये गये।

खण्ड १ आदि स्वीकार किये गये

तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित किया गया।

८. प्रस्ताव पर विचार

श्री भैरोंसिंह, सदस्य, विधान सभा ने निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

राज्य सरकार द्वारा तृतीय पंचवर्षीय योजना में किये जाने वाले परिवर्तन, परिवर्धन तथा इम्पलीमेन्टेशन पर विचार किया जाय।"

इस पर वाद विवाद में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:—

(१) श्री रामानन्द अग्रवाल
(२) श्री मुरलीधर व्यास
(३) श्री ज्वाला प्रसाद
(४) श्री हरिराम चौहान
(५) श्री गोकुल प्रसाद शर्मा
(६) श्री सतीश कुमार
(७) श्री जय कृष्ण
(८) श्री नत्थीसिंह (अलवर)
(९) श्री सम्पतलाल बोहरा
(१०) श्री भैरव लाल काला बादल

९. विधायी कार्य

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि।

राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९६२ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के हेतु नियत समय को आगामी सत्र के सप्ताह तक बढ़ा दिया गया।

सदन की बैठक ठीक ५ बजे शुक्रवार दिनांक २६ अक्टूबर, १९६२ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

शुक्रवार, २६ अक्टूबर, १९६२ की कार्य सूची।

(१) नियम समिति का गठन।
(२) याचिकाओं का उपस्थापन।
(३) राज्य सरकार द्वारा तृतीय पंचवर्षीय योजना में किये जाने वाले परिवर्तन इत्यादि विषयक अग्रेतर वाद-विवाद

परिशिष्ट १

गंग कैनाल कॉलोनी में भूमि अलाटमेंट

४००. **श्री श्योपतसिंह** (हनुमानगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) गंग केनाल कॉलोनी की सन् १९५७ में परमानेन्ट अलॉटमेन्ट के लिये कितनी दरख्वास्तें आयीं ?

(२) आज तक कितने लोगों को भूमि अलाट की गई ? कितनी दरख्वास्तें नामंजूर हुई और कितनी अभी तक पेंडिंग पड़ी हैं ?

उत्तर

२९४९१ दरख्वास्तें आईं।

५१७९ लोगों को भूमि अलॉट १८१५२ दरख्वास्ते नामंजूर हुई। ६१३० दरख्वास्तें पेंडिंग हैं।

हनुमानगढ़ तहसील में पुख्ता एलोटीज और भूमिहीन किसानों को भूमि खारिज के नोटिस

४०५. **श्री श्योपतसिंह** (हनुमानगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) भाखरा क्षेत्र की हनुमानगढ़ तहसील के कितने पुखता एलोटीज और भूमिहीन किसानों को जमीन खारिज करने के नोटिस दिये जा चुके हैं ?

(२) क्या यह बात सही है कि जिन किसानों को भूमि खारिज करने के नोटिस दिये गये हैं वे जमीनें या तो घग्घर नदी के बाढ़ से प्रभावित हैं या उनमें आज तक नहरों का पानी हीं नही लगा ?

उत्तर

१–भाखरा क्षेत्र की हनुमानगढ तहसील के १०२ पुख्ता अलाटीज को किश्तें अदा न करने की सूरत में जमीन खारिज करने के लिए नोटिस दिये जा चुके हैं। भूमिहीन का कोई रकबा खारिज नहीं हुआ।

२–प्रथम प्रश्न के उत्तर में दिये गये जिन व्यक्तियों की भूमि खारिज की गई हैं इनमें से ३६ व्यक्तियों का रकबा घग्घर नदी की बाढ़ से प्रभावित हैं। शेष किसानों के बारे में मामल विचाराधीन है।

भाखरा क्षेत्र में किसानों को भूमि के अलाटमेंट से आमदनी

४१४. **श्री श्योपतसिंह** (हनुमानगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) भाखरा क्षेत्र में सन् १९६० में एक साल के लिये कितनी सरकारी भूमि किसानों को अलाट की गई और उसमें सरकार को कुल कितनी आमदनी हुई ?

(२) क्या यह सही है कि सन् १९६१ में भाखरा क्षेत्र की सारी सरकारी भूमि खाली रखी गई और उससे सरकार को लाखों रुपये का नुकसान हुआ ?

उत्तर

(१) भाखरा क्षेत्र में सन् १९६० में १०४०६१) बीघा भूमि एक साल के लिये मालकाना पर एवं नीलाम पर दी गई और उसके फलस्वरूप ६४३५८५ रु० की सरकार को आमदनी हुई।

(२) यह सही नहीं है। क्योंकि ११६१ में तहसील नोहर में एक साल के लिये मालकाना पर रकबा अलाट किया गया जिसके फलस्वरूप १०६२८१) रु० की आमदनी हुई। इसके बाद में तहसील नोहर में पुखता नीलामी की कार्यवाही चालू की गई। बाकी तहसीलों में रकबा पुख्ता नीलामी में रखने का प्रोग्राम पहले से था इसलिये एक साल अलॉटमेंट न किया जा कर पुख्ता नीलाम किया गया जिसके फलस्वरूप १०१२३८७० रु० नीलामी में प्राप्त हुए अतः सरकार की हानि के बजाय लाभ हुआ है।

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४८२ का उत्तर देखिये)

Statement showing year-wise Details of Pending Pension Cases.

Year	Number of Cases
1956	Nil
1957	5
1958	2
1959	2
1960	16
1961	30
1962	26

1. 30 Cases Pending with Accountant General, Rajasthan, Jaipur for Service Verification.

2. 22 Cases Returned from Accountant General, Rajasthan, Jaipur with objections and sent for furthur compliance.

3. 19 Cases Concerned officers have been asked to prepare and send the Pension cases to Director of Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur.

Page No 123

क्रम संख्या	पद	स्थान	कारण
१.	बुधा हरिजन	पी.एम. ओ. अलवर	सर्विस बुक पूरी करने के लिए अलवर से लाने की है ।
२.	बुधन हरिजन	... .	ओप्शन बिना किसी तारीख का था। उसको प्रमाणित नहीं किया जा सका है । पी०एम०ओ० जो अलवर से अभी तक वापिस नहीं आया ।
३.	पारो मिड-वाइफ	... ...	इसका केश पुराने वेतन के अनुसार वहां लेखा पाल के पास गया था। वहां से अभी तक सर्विस बुक वापिस नहीं आई है। आने पर फिक्सेशन पुनः किया जायेगा ।
४.	डा० एस० एस० अग्रवाल	जालौर	ये रेलवे में डेपूटेशन पर से और वहीं से रिटायर हुए । कागजात रेल्वे से आने पर ही फिक्सेशन संभव होगा ।
५.	डा० के० एस० भाटी	जोधपुर	महा लेखापाल के पास से कुछ आपत्तियां सर्विस बुक के बारे में आई थीं जिनके निराकरण हेतु पी० एम० ओ० जोधपुर के पास केस भेजा गया है ।
६.	डा० ई० आई० इशावर	रतनगढ़	हमने दो ऑप्शन दे दिये थे। उसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता ।
७.	श्री कन्हैयालाल कम्पाउन्डर	झालावाड़	संचालक कार्यालय से उनका Categorisation फोर्थ ग्रेड कम्पाउन्डर किया गया था जिस पर हमने आपत्ति की और थर्ड ग्रेड के लिए रिप्रेजेन्ट किया । वह अभी तक विचाराधीन है ।

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४०३ का उत्तर देखिये)

हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ तथा संगरिया मंडी तक सड़क

४०३. **श्री श्योपतसिंह** (हनुमानगढ़)?

(४) क्या यह सही है कि हनुमानगढ के लोगों ने सरकार के पास इसके विरोध में प्रार्थना-पत्र दिये हैं कि उन्हें भारी तकलीफ है ? यदि हाँ, तो सरकार उनकी प्रार्थना पर क्या विचार कर रही है ?

उत्तर

हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ रोड़:—

इस सड़क का कार्य मील ०।० से १५।० तक हनुमानगढ़ की ओर से पूर्ण हो चुका है। और बाकी १६ मीलों में कार्य प्रगति पर है। आशा है सी डी वर्क्स को छोड़ कर यह सड़क वर्ष १९६३-६४ के अंत तक पूर्ण हो जावेगी।

हनुमानगढ़ संगरिया रोड़:—

घग्घर नहर के निकट एक पुलिया को छोड़ कर यह सड़क पूर्ण हो चुकी है।

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४१६ का उत्तर देखिये)

सन् १९५४-५५ से १९६१-६२ तक ससपेंस एकाउन्ट में डाली गई तथा समयोजित की गई रकमें की तालिका

वर्ष	वित्तीय वर्ष में प्रारम्भिक अंतर	रकम जो ससपेंस में डाली गई	रकम जो समायोजित की गई	संवरण अन्तर
१९५४-५५	१४९०८८-८-४	१५५६६९-७-०	१५०४६-८-०	२८९७११-७-४
१९५५-५६	२८९७११-७-४	२२८६८६-१-६	७२०४२-०-६	४४६३५५-८-७
१९५६-५७	४४६३५५-८-७	२९७९८०-४-०	१५३०९४-१०-०	५९१२४१-२-७
१९५७-५८	५९१२४१.१६ न.पै.	३८८७७९.८७ नपै.	२३४२८८.३१ न.पै.	७४५७२४ ७२ न.पै.
१९५८-५९	७४५७२४.७२ ,,	१७८५२६.७९ ,,	१५३४०९.९२ ,,	७७०८४२.५९ ,,
१९५९-६०	७७०८४२.५९ ,,	१४४१४३.९७ ,,	१३३०९२.९९ ,,	७८१९०३.५७ ,,
१९६०-६१	७८१९०३.५७ ,,	२४४०८६.४२ ,,	१४०५९४.७७ ,,	८८५३९८.२२ ,,
१९६१-६२	८८५३९८.२२ ,,	२४३०८६.४३ ,,	४७८०६.१२ ,,	१०८०६७८.५३ ,,

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४२३ का उत्तर देखिये)

Enclosures to Assembly Question No. 209/P. W. M.

S. N.	Regn. of Bus No.	Model	Make	Ton	Remarks
1.	R. J. A. 98	1954	Chev.	5	
2.	R. J. A. 136	1957	T.M.B.	5	
3.	R. J. A. 241	1956	Fargo	7	
4.	R. J. A. 371	1952	Chev.	3	
5.	R. J. A. 405	1953	Fargo	7	
6.	R. J. A. 501	1952	Chev.	5	
7.	R. J. A. 599	1952	Chev.	5	
8.	R. J. A. 675	1954	Chev.	5	
9.	R. J. A. 725	1954	Chev.	5	
10.	R. J. A. 843	1956	T.M.B.	7	
11.	R. J. A. 872	1953	T.M.B.	7	
12.	R. J. A. 914	1959	Fargo	7	
13.	R. J. A. 1052	1956	T.M.B.	7	
14.	R. J. L. 3271	1954	Chev.	5	
15.	R. J. L. 5533	1954	Chev.	5	

परिशिष्ट ६

(प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

निम्बाहेड़ा में राज्य की भूमि की अवैध बिक्री

४३८. **श्री अब्दुल जब्बार खां** (निम्बाहेड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

क्या निम्बाहेड़ा तहसील में ऐसे केसेज पैंडिग् हैं जिनमें राज्य की भूमि को अन्य लोगों ने बेच दिया है ? क्या ऐसी सरकार जमीनों के बेचें जाने की सूचना या रिपोर्ट पटवारो द्वारा की गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? और अगर हां, तो कौन सी तारीख को, और तहसील द्वारा उस पर क्या कार्यवाहो की गई ?

उत्तर

जी हां, निम्बाहेड़ा तहसील में इस प्रकार का एक ही मामला विचाराधीन है जिसमें कार्यवाही चालू है और आगामी तारीख १७-११-६२ निश्चित है।

हरिजन कॉलोनी, उनियारा में नाली का निर्माण

४३९. **श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

[१] क्या यह सही है कि नगरपालिका उनियारा के सात्रिका एडमिनिस्ट्रेटर ने हरिजन कॉलोनो में नाली बनाने हेतु कोई नक्शा और एस्टीमेंट बनाया था ? यदि, हां तो किससे और कितनी लागत का ?

(२) क्या यह सही है कि इस कार्य को करवाने के लिए कोई कमेटी एडमिनिस्ट्रेटर ने बनाई थी ? यदि हां तो किसकी आज्ञा से और इसके सदस्य कौन कोन थे ?

(३) क्या यह सही है कि अब वहां पर चुनी हुई नगरपालिका कार्य कर रही है, और चैयरमेन को इसके कागजात नहीं संभलाए गये है ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) क्या उक्त कार्य पूरा हो गया है ? यदि नहीं, तो कितना बाकी है ?

उत्तर

(१) यह सही नहीं है कि पालिका एडमिनिस्ट्रेटर नगरपालिका उनियारा ने कॉलोनी में सड़क बनाने हेतु कोई नक्शा और एस्ट्रेट बनाया था।

(२) इस सड़क के निर्माण कार्य को एडमिनिस्ट्रेटर ने अपने हाथ में नहीं लिया और न कोई कमेटी ही उस कार्य को कराने हेतु बनाई।

(३) यह सहो है कि नगरपालिका उनियारा का निर्वाचन होकर निर्धारित नगरपालिका में चेयरमैन कार्य कर रहे हैं। निर्वाचित चैयरमैन को कागजात सौंपने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि सड़क का कोई काम एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा चालू नहीं किया गया, और न कोई नक्शा व एस्टीमेंट बनाया गया।

(४) प्रश्न १-२ व ३ की पृष्ठ भूमि में यह प्रश्न ही नहीं उठता।

नगरपालिका निवाई द्वारा भूमि का विक्रय

४४०. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि श्री हरिनारायण भट्ट सदस्य नगरपालिका निवाई को बोर्ड के द्वारा जमीन बरामदों के लिये बीच बाजार में नजराने पर दी गई है ?

(२) क्या यह भी सही है कि जो जमीन श्री हरिनारायण भट्ट को नजराने पर दी गई है उसकी रेट ९) नौ रुपया प्रति गज थी ?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त ९) रु० प्रति गज की जमीन को सिर्फ ३) रु० गज नजराना लेकर दी गई है ? यदि हां, तो यह क्यों किया गया ?

(४) क्या यह सही है कि श्री हरिनारायण भट्ट ने गत दिनों दि० १६-२-६१ को व दि० १३-७-३२ को चेयरमैन के प्रति जो अविश्वास प्रस्तात के खिलाफ मत देकर चेयरमैन का पक्ष लिया है उसके मुआवजे में नगरपालिका के कोष को हानि पहुंचाई है ?

(५) क्या यह सही है कि उक्त मामले की शिकायत लिखित में सम्बन्धित आफिसरों को दी जा चुकी है ? यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(३) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(४) यह मालूम नहीं कि श्री हरिनारायण भट्ट ने गत दिनों दिनांक १६-२-६१ को चेयरमैन के प्रति अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ अपना मत दिया है या नहीं। क्योंकि श्री हरिनारायण को कोई जमीन नहीं दी गई अत: नगरपालिका के कोष को हानि पहुंचाने का प्रश्न नहीं होता।

(५) इसकी जानकारी की जा रही है।

निवाई नगरपालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

४४१. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि नगरपालिका निवाई के चेयरमैन श्री हनुमानदास टोडवाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया और उस पर दिनांक १६-२-६१ को ११ बजे दिन के मत लिये गये ?

(२) क्या यह सही है कि जब श्री रामेश्वरप्रसाद वैद्य सदस्य नगरपालिका निवाई जब दिनांक १६-२-६१ को मत देने के लिये दिन के ११ बजे कार्यालय बोर्ड में गये तो ११ बजकर ५ मिनिट पर उनको एक तार दिया गया जिसके द्वारा राज्य सरकार ने उनको सदस्यता से मौअत्तिल करने की सूचना दी।

(३) क्या यह भी सही है कि मौअत्तिल करने के पहले उनको कोई चार्जशीट नहीं दी गई थी ?

Page No 129

(४) क्या यह भी सही है कि बाद में दिनांक २२-९-६१ को उनको झूठी चार्जशीट दी गई ?

(५) क्या यह भी सही है कि चार्जशीट की जांच किये बिना ही उनको दिनांक १७-९-६१ को वैद्य श्री रामेश्वर प्रसाद पर लगाये गये चार्जों को तथ्यहीन बताकर उनको बहाल कर दिया गया ?

(६) क्या यह सही है कि यह सारा नाटक सिर्फ मौजूदा चेयरमैन जो पार्टी विशेष के सदस्य है के प्रति बहुमत द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उनको पास नहीं होने देने के लिये सत्ता का दुरुपयोग किया जाकर खेला गया था ।

(७) क्या यह भी सही है कि उक्त चेयरमैन के खिलाफ फिर दुबारा अविश्वास प्रस्ताव आया व उस पर दिनांक १३-७-६२ को मत लिये गये ?

(८) क्या यह भी सही है कि फिर उक्त चेयरमैन को कायम रखने की गरज से फिर बोर्ड के अन्य दो सदस्यों, श्री जमालूद्दीन व श्री गूजरमल को ११-७-६२ को मौअत्तिल करके मत देने से रोक कर प्रजातंत्र की मखोल की है ?

(९) क्या यह सही है कि उक्त दोनों सदस्यों पर जो चार्ज लगाये गये थे उनकी सुनवाई की पेशी टोंक में स्वायत्त शासन मंत्री महोदय के समक्ष दि० १५-७-६२ रखी थी ?

(१०) क्या यह बतायेंगे कि जब दिनांक २७-११-६१ से केस चलाया गया था और उसकी सुनवाई की पेशी दिनांक १५-७-६२ दी गई थी तो फिर बीच में ही बिना सदस्यों को सूचित किये दिनांक ११-७-६२ को मौअत्तिल करने की क्या मंशा थी ?

(११) क्या जब भी उक्त चेयरमैन पर अविश्वास प्रस्ताव आये तभी सदस्यों को मौअत्तिल करके बहुमत को अल्प मत किया जाना पक्षपात पूर्ण नहीं है ?

(१२) क्या यह भी सही है कि सरकार प्रजातंत्र की परवाह न करके जनता के अविश्वास प्राप्त चेयरमैन को किसी भी सूरत में न हटाये जाने के लिए दृढ़ संकल्प है ?

(१३) क्या यह भी सही है कि उक्त बोर्ड के कार्य करने की अवधि ६ माह की और बढ़ा दी गई है ? यदि हां, तो किन कारणों स ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) तार इस विभाग द्वारा तारीख १४-२-६१ को जारी किया गया था । यह कब वहां पहुंचा उसकी सूचना इस विभाग को नहीं है ।

(३) जी हां, क्योंकि कोई चार्जशीट देने की आवश्यकता नहीं है ।

(४) जी नहीं ।

(५) जी नहीं ।

(६) जी नहीं ।

(७) जी हां ।

(८) जी नहीं । यह सही है कि इस विभाग ने श्री जमालुद्दीन और श्री गूजरमल को दिनांक ११-७-६२ को मौअत्तिल किया, क्योंकि उनके विरुद्ध शिकायतें थी ।

(९) जी नहीं ।
(१०) उनकी अनियमितताओं के कारण
(११) जी नहीं ।
(१२) ऐसा कहना गलत है ।
(१३) जी हां, क्योंकि इस बोर्ड के चुनाव अभी तक सम्पन्न नहीं हुए ।

स्थगित प्रश्न
[१८-१०-६२]
भूमिपतियों को भूमि का अलाटमेन्ट

२४३ **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि तहसील पदमपुर, जिला गंगानगर में जो भूमि भूमिहीनों के नाम से अलॉट की गई वह अधिकतर भूमिपतियों को मिली है ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच करवायेगी ?

उत्तर

(१) जी नहीं ।
(२) प्रश्न पैदा नहीं होता ।

स्थगित प्रश्न
[१८-१०-६२]

२४६. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

क्या यह सही है कि राजस्थान बिस्वेदारी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, १९५९ के लागू होने से जमींदार भूमिहीन किसान हुए है ? यदि हां, तो कितनी संख्या में ?

उत्तर

राजस्थान जमींदार बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम १९५९ के लागू होने से कोई जमींदार भूमिहीन किसान नहीं हुआ ।

स्थगित प्रश्न
[२२-१०-१९६२]
बीमा विभाग में नियुक्तियां

३०५. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बीमा विभाग में कौन-कौन किस-किस पद पर कब-कब से अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं ? कृपया इसकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(ख) क्या ऐसी नियुक्तियां करने से पहले इन पोस्ट्स का एडवरटाइजमेंट कराया गया था ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) उप संचालक के पद पर नियुक्ति इस विभाग के कर्मचारियों में से ही की जाती है इसलिये विज्ञापन की जरूरत नहीं है । सहायक संचालक के पद पर नियुक्ति ५०:५० अनुपात में सीधी नियुक्ति व पदोन्नति से की जाती है । सीधी नियुक्ति के लिये विज्ञापन इसलिये नहीं किया गया कि इस पद पर एक अतिरेक अधिकारी (सरप्लस हैंड) की नियुक्ति की गयी है ।

मिन्स्टीरियल सर्विस में नियुक्ति के लिये विज्ञापन की जरूरत नहीं है ।

(ग) राज पत्रित पदों के लिये जनसेवा आयोग की सहमति लेनी जरूरी है । और समय समय पर ली जाती है । श्री बी. एल. अजमेरा की नियुक्ति के लिये १४-८-६१ और श्री आर. पी. पुरोहित के लिये ३१-८-६२ को जन सेवा आयोग की सहमति ली गयी ।

(घ) इसकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

परिशिष्ट

सवाल (क)

List of temporary employees in the State Insurance Department

S. No.	Name	Post	Date of assumtion of charge
	Gazetted		
1.	Shri M. P. C. Gupta	Deputy Director	1-8-62
2.	,, M. C. Paliwal	Deputy Director	1-8-62
3.	,, Bhanwar Lal Ajmera	Assistant Director	30-8-61
4.	,, R. P. Purohit	Assistant Director	2-8-62
5.	,, B. P. Bhargava	Assistant Director	1-8 62
	Non-Gazetted		
1.	Office Superintendent	1.	
2.	Accountant	1.	
3.	Stenographer	1.	
4.	Steno-typist	1.	
5.	Supervisors	7.	
6.	Upper Division Clerks	84.	
7.	Lower Division Clerks	183.	
8.	Class IV	14.	

परिशिष्ट

सवाल (च)

List of officers of the State Insurance Department who got extensions from time to time

S. N.	Name	Post	Date of appointment	Date upto which extension granted
1.	Shri M. P. C. Gupta	Deputy Director	1-8-62	28-2-63
2.	„ M. C. Paliwal	Deputy Director	1-8-62	28-2-63
3.	„ R. P. Purohit	Assistant Director	11-3-59	12-11-59
			21-11-59	11-4-62
			2-8-62	28-2-63
4.	„ B. L. Ajmera	Assistant Director	19-1-59	12-11-59
			21-11-59	20-5-60
			12-8-60	22-8-60
			25-8-60	27-9-60
			30-8-61	—
5.	„ B. P. Bhargava	Assistant Director	1-8 62	28-2-63

Page No 133

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम १९५९ की धारा २९७ की धारा २ (जी) के अधीन नियम

३२५. **श्री केसरी सिंह (पाली):** Will the Minister for Municipalities be pleased to state :

(1) Whethere the Government has framed any rules under sub-section 2 (g). of Section 297 of the Rajasthan Municipalities Act. 1959 ? If so, a copy of the rules may please be laid on the Table of the House ?

(2) If not, does the Government propose to frame same now ?

उत्तर

(1) No.

(2) Yes.

परिशिष्ट ७

(कृपया तारांकित प्रश्न १ एस. क्यू. का उत्तर देखिये)

Statement showing Particulars of Government buildings within city wall of Jaipur City

S. No. 1	Name of Building 2	Name of Occupant 3	Date of occupation 4
1.	Baby Welfare Centre, Chowra Rasta, Jaipur.	Medical Department.	
	Residential Quarters		
	(i) Quarters for Lady Doctor.	Allotted to Medical Department staff pertaining to the above Welfare Centre.	Allotment is being made directly by the Medical Deptt. for their staff.
	(ii) Qr. for Nurse.		
	(iii) Qr. for Helper.		
	(iv) Qr. for Chokidar.		
	(v) Qr. for Harijan		
2.	Moti Katlla Dispensery (Main dispensary).	Medical Department.	
	Residential Quarters		
	(i) Qr. for Doctor.	Doctor of Dispensary.	

(ii) Qr. for Compounder.	Compounder of Dispensary.
(iii) Qr for Sweeper	Sweeper of Dispensary.
(iv) Motor Garage.	for use of Vehicles.
3 Sireh Becrhi Dispy. (Main Buildings).	Medical Department.
Residential Quarters	
(i) Qr. for Doctor	Doctor of Disuensery.
(ii) Qr. for Chokidar,	Chekidar of Dispensery.
4. Madhobilas Garden (Main Building).	
Residential Quarters	
(i) Quarter for I/c Vaidya.	I/c Vaidya.
(ii) Qr. for compounder.	Compounder.
5. Madhobilas Ayurvedic College, (Nain Building).	Ayurvedic College.
6. Purani Basti Dispensary (Main Building).	Medical Department.
Residential Quarters	
(i) Qr. for Doctor.	Doctor of Dispensary.
(ii) Motor Garage.	for use of vehicles,
(iii) Qr. for Sweeper.	Sweepar of Dispensary.

1	2	3	4
7.	Baby Welfare Centre Ramganj (Main Building).	Medical Department.	
	Residential Quarters		
	(i) Four residential qusrters.	-do-	
	(ii) Qr. for Sweeper.	Sweeper of Centre.	
	(iii) Qr. for Washerman.	Washerman of Centre.	
8.	Baby Welfare Centre, Gangapole.	Medical Department.	
		Educational Buildings	
1.	Normal Training School, Top Khana Desh Building	School.	
	Residential Qaerters	Allotted to:—	Since 1958-59.
5.	Staff Quartors.	1. Shri N. L. Verme.	
		2. Shri S. L. Verma.	
		3. Janki Ballabh Clerk.	
		4. Shrimati Kalavati Devi of edncation Department.	

1. Maharaja Girl's High School Kishan Pole Baza, Jaipur	School	Since long
2. I. A portion of the above shcool	—do—	—do—
II. Rooms in the above beildings with Varandah.	—do—	—do—
3. Girls Basic Middle School, (Womens Training School)	—do—	—do—
4. 1. Room in the above buildings	—do—	—do—
2. Maharani Girls School, Chaura Rasta	—do—	—do—
5. Darbar Middle School, Rasta Tehvildarn	—do—	—do—
6. Moti Katla High School, Jaipur	—do—	—do—
7. Maharaja A. V. Middle School, Jaipur	—do—	—do—
8. Mahila Vidayalaya Peeth Gali, Vijai Kumar, Jaipur	—do—	—do—
9. Primary School Nahar Garh, Jaipur	—do—	—do—
10. Hindi Primary School, Jaipur	—do—	—do—
11. Maharaja M. P. H. Tample Madan Mohanji School	—do—	—do—
12. Darbar High School on Tample Jaipur	—do—	—do—
13. Hindi Primary School, in Tample Laxmi Narainji, Jaipur	—do—	—do—
14. Hindi Primary School in Tample Brij Raj Behari	—do—	Since date of functioning the institution

1	2	3
15. Hindi Primary School Amber Road	—do—	—do—
16. Darbar Primary School Outer boundry Tample Ram Chandraji, Jaipur	—do—	—do—
17. Majaraja's Sanskrit College, Tample Ramchandraji	—do—	—do—
18. Sanskrit School Lal Hathiyon Jaipur	—do—	—do—
19. Nari School Rasta Ram Lal ji, Jaipur	—do—	—do—
20. Hindi Primary School, Tample Ratan Behariji	—do—	—do—
21. Women Training School Gangori Bazar, Jaipur	—do—	—do—
22. Basic Middle School, Jaipur	—do—	—do—
23. Modi Khana Middle School, Jaipur	—do—	—do—
24. Rath Khana Middle School, Jaipur	—do—	—do—
25. Nohra Municipality Behind Majarja's High School Jaipur	—do—	Since long
26 City Kotwali Buildings	Police Department	—do—
27. Police Chowri in Rasta Bhindan	—do—	—do—
28 Mistry Khana Office Building	(i) Master Works Department	—do—
	(ii) Sirangan Karyalaya	—do—

29. Residential Quarters at Mistry Khana, Ch. Purani Basti	(1) Ayurvedic College Hostel	—do—
	(2) Excise Office	—do—
	(3) B. N. Bhatnagar	—do—
	(4) Kala Kumari Teacher	—do—
30. Police Chowri in Nahar Garh Road	Police Department	—do—
31. Maharaja's High School of Arts and Krafts Ch. Modi Khana	Director, of Industries Department	—do—
32. Chini Khana in Kishan Pole *Bazar*	—do—	—do—
33. Nohr5 Maji Sahib Tanwarji No. P-40	(1) Local Funds and Audits	—do—
	(2) Mining Department	—do—
	(3) Overseers Office P W.D.	—do—
	(4) Master Vijendra Singh	17-11-60
34. Public Library Building	(1) Pnblic Library	—do—
	(2) Information Centre	—do—
35. Thana Manak Chowk	Police Department	—do—

1	2	3
10. Topkhana Hazuri	R.A.C. Police	Since long
11. Rathkhana Building	Municipal Motor Garage	—do—
12. Raj Guwalaria Building Farrashkhana Chowkri Sarhad	Farrash Khana	—do—
13. Rajendra Hazari Guare	Police Deptt. I.G.P.	—do—
14. Silvar Mint Building	Weight & Measure Deptt.	—do—
15. Thana Manak Chowk	Police Deptt.	—do—
16. Police Inspector Quarters at Hida ki Mori	—do—	—do—
17. Raj Nohra in Rasta Ravaji Uniyara Chowkri Purani Basti	Printam Kumari Teacher	1-5-54
18. Raj House in Rasta Ravaji Uniyara Purani Basti	Vijei Lal s/o Suraj Mal	Since long
19. Raj Nohra infront Gangori Gate	Dr. Iqubal Singh	Falgun badi 12 St. 2008
20. Raj House in Rasta Bagruwalan Known as Nohra Mahawtan No. 39	—	Vacant
21. Raj House Near Tample Vijay Govindji Gangori Bazar	Ishwar Prashad Mathur	Since long
22. Raj House in Gali Kalayan No. 62	(i) Kalayan s o Bhanwar Lal (ii) Ghisilal s o Bhairu Lal (iii) Babu Lal s o Bhura Mal	St. 2003 —do— —do—

23. Raj Nohra in Rasta Ravaji Uniyara No. 11 Chowkari Purani Basti	(i) Gopal Brahman	—do—
	(ii) Kan Singh s o Sajan Singh	—do—
	(iii) Gyarsi Sal s o Gopi	St. 2005
	(iv) Govind Ram s o Ram Narain	—do—
	(v) Har Deo s o Dhana Lal	—do—
	(vi) Lala s o Mangi Lal	—do—
24. Raj Nohra Behind Sabji Mandi Ch. Visheshwarji	(i) Bhagwon Shah (Peon)	Jan. 1052. Some Portion vacant.
	(ii) P. W. D.	
25. Raj House in Chowkari Top Khana Hazuri	P-10 Hari Prashad Clerk P.W.D. Office	4-3-58;
26. Raj House at Babuka Tiba.	(i) Indu s o Guiab Khan	30 years.
	(ii) Raj Singh s o Chdir Singh	35 years.
	(iii) Johar s o Mohd. Khan	8 years.
	(iv) Abdula s o Mehammad Khan	5 years.
	(v) Keshar Bai w o Durjan Singh	Since long. Vacant.
27. House No. P-50 Ch. Ghat Darwaja	...	Vacant.
28. House No. P-58 Ch. Visheshwarji	...	—do—
29. House No. 29 (a) & (b) Ch. Ramchandraji	...	—do—
30. Nora Ranawatji Ch.Modi Khana Rasta Thateran No. 1	(i) Hamir Singhji U.D.C. City Dn.	25-1-58.
	(ii) Bhagirath Singh.	15-2-58.
	(iii) Hari Pal Singh	May. 58.
31. Raj Nohra in back of School of Arts	Om Prakash.	Since long.
32. Raj House Pandit Shiv Deenji	Ram Narainji Overseer City Dn. I	1-4-51.

1	2	3
33. Zanani Havali of Pandit Shiv Deenji	(i) Inder Raj Vyas. Supdt. of Agriculture	2-4-60.
	(ii) Shyam Bhatia	June. 55.
	(iii) Om Prakash Bhatnagar.	15-11-60.
	(iv) Braham Swaroop Bhargv	1-7-57.
34. Raj House Ch. Ramchandji, Named Lala Sunder Lal Rasta Khawasji	...	Vacant.
35. Raj Nohra Known as Pt. Shiv Deenji	Deen Dayal, Accountant	27-6-58.
36. Raj Nohra in the back of Zanani Haveli Pt. Shiv Deenji	(i) Uma Duttaji	6-5-61.
	(ii) Hari Narain Gupta Acctt.	May. 46.
	(iii) Bhonri Lal s o Arjun Lal	St 2002
	(iv) Magani m o Ram Ram Nath	St 2002
	(v) Shoja Lal s o Nathh	St 2002
	(vi) Radhey Shyam Kanwar Oja	St 2002
	(vii) B. Mohan Lal s o Mool Chand	St 2002
	(viii) Mst. Haboo	St 2002
	(ix) Bewa Magh Raj	St 2002
	(x) Vishwa Nath Peon	St 2002
37. House No. P-52 Chaura Rasta	Nathu Lal	5-8-61.

52.	Raj Nobera Known as Kalal Khana Ch. Sarhad.	Kishan Chand Dayal Dass.	27- 4-59
53.	Raj Nobera No. 10 in Chaugan Known as Second Her Highness.	R. P. Paribar.	20- 5-61
54.	Raj House No. 92 in side Shriji ki Mori.	(i) Smt. Satwati Devi Teacher.	4-11-61
		(ii) Shri Ragendra Kumar Clerk P.W.D.	1- 2-62
55.	Raj House No. J. M. C. 178 Known as Chela Chatar Bhuj.	Ram Singh Driver P.W.D.	1- 9-62
56.	Raj House Known as Kishan Lal, Ram Lal & Bhanwar Lal Goswami.	Vacant.	Vacant & one is in possession of R L. Goswami.
57.	Raj House No.91 Tripolia Bazar.	Trunk & Co.	24- 4-61
58.	Raj House Near Ram Prakash Cenima.	(i) Radhey Shyam Mathur, Supdt. S E. Office P.W.D.	11-12-58
		(ii) Laxmi Narain Mathur.	10- 9-53
59.	Ram Prakash Cenima.	M/s Hassan Chand & Sons.	Since Long.
60.	Raj House Known as Gauri Shanker Chela.	Vacant.	—
61.	Retidential Quarters Near Town Hall.	Shri Chand Behari Nag, Asstt. Secy. R. L. A.	5- 2-61
62.	Raj House P-48 in Mohalla Nadaran Known as Murli Dhar Nadar.	Shri Harswaroop Misra.	1- 3-61

	1	2]	3
63.	Raj House No. 44 Mohalla Nadaran.	Shri Umed Singh. IV Servant, Insurance Department.	1-12-60
64.	Rathkhana Building.	Tara Chand Clerk, Furniture Section P.W.D.	12- 9-52
65.	Room No. 121 Facing North in Bre Deorhi Gate Ch. Sarhad.	Vacant.	Vacant.
66,	House No. P-47 Near Nadaran ki Masjid Ch. Sarhad.	Ram Swaroop Nadar.	Since Long.
67.	Nohra P-74 Ch. Ramchandraji.	Bansi Lal S/o Roshan Lal.	—do—
68.	Nohra No. 65 —do—	Badri S/o Govind Ram.	—do—

S. No.	Name of Building	Name of Occupant	Date of Occupation	Remarks
38.	Raj Nohara known as Tej Raj Gend Rajji, Chowkeri Modi Khana.	(i) Ishwar Lal s/o Joharilal (ii) Musammat Sajani w/o Kalyan (iii) Ram Sahay s/o Ram Chander (iv) Ganga Ram s/o Chhotoo	Bhadva Sudhi 3 2005.	
39.	Haveli Dhabaiji, Chowkeri Ram Chanderji.	(i) Sri Mahendra Singh M.L.A. Qr. No. 1	14-5-59	
		(ii) ,, Jagan Singh ,, ,, 2	4-9-62	
		(iii) Vacant 3		
		(iv) ,, Dileep Singh ,, ,, 4	16-6-60	
		(v) ,, Natho Lal Karol ,, ,, 5	13-10-62	
		(vi) ,, Mool Chand Chaudhari ,, 6	10-5-62	
		(vii) ,, Raghubir Singh ,, ,, 7	10-6-62	
		(viii) ,, Muktilal Modi ,, ,, 8	1-10-61	
		(ix) ,, Abdul Zafar ,, ,, 9	27-7-62	
		(x) Vacant 10		
		(xi) ,, Kushra Kumar ,, ,, 11	16-6-62	
		(xii) ,, Hari Narayan ,, ,, 12		
		(xiii) ,, Jagdish Prashad .. ,, 13		
		,, Ram Narayan ,, ,, ,,		
		,, Daya Kishan Vijay ,, ,, ,,	13- 3-62	
		(xiv) ,, Gokul Paashad Sharma ,, 14	27 -7-62	
		(xv) ,, Ram Sahay ,, ,, 15	8- 8-72	
		(xvi) Vacant		

S. No.	Name of Building	Name of Occupant	Date of Occupation	Remarks
40.	Raj. Nohara1st Her Highness in Rasta Misher Rajaji (Chowkori Top Khana Desh).	Zanani Deorhi Building.		
41.	Raj Nohara Phool Raiji in Rasta Misher Rajaji (Chowkeri Top Khana Desh).	—do— —do—		
42.	Raj Nohara Manji Sahib Chandrawatji No. 40 Chowkeri Purani Basti.	—do— —do—		
43.	Raj House Near Peepli Jodesa ki Chowkeri Purani Basti.	(i) Zanani Deorhi Building. (ii) Chhigan Lal Driver.	18-10-61	
44.	Raj House Second Her Highness in Rasta Shiodasji, Chowkeri, Purani Basti, No. 68.	(i) Zanani Deorhi Building. (ii) P. W. D. Building.		
45.	Raj House, Near Temple Deena Nathji.	Zanani Deorhi Building.		
46.	Raj House Known as Temple Madan Mohanji, Gangori Bazar, Jaipur.	—do— —do—		
47.	Raj House Known as Temple Chandermaji, Gangori Bazar, Jaipur.	(i) —do— —do— (ii) P. W. D. Building.		Some portion vacant
48.	Raj Nohara in Rasta Lalji Sand.	(1) Zanani Deorhi Building. (ii) Badari Zamadar.	4-12-61	
49.	Raj House in Rasta Singhji.	Zanani Deorhi Building.		
50.	Haveli Thakur Roop Singhji.	—do— —do—		

परिशिष्ट ८

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या १०४/ई. एम. का उत्तर देखिये)

List of Industrial Undertakings licensed by the Government of India under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, for Rajasthan since 1957 and their production capacity.

Serial No.	Name of the Industrial undertaking and location	Licensed Production capacity	Remarks
1	2	3	4
1	Udaipur Cotton Mills, Udaipur.	Cotton yarn 15,000 spindles.	Started from 4-11-61.
2	Nahatta Bros., Jodhpur	(i) 720 woollen spindles for course count yarns; (ii) 10 power-looms for blankets and course cloth; (iii) 10 hand-looms for carpet making.	
3	J. K. Synthetics Ltd., Kota	Nylon/Perlon 0'48 million lbs. per annum.	Started production.
4	Sanghi Oxygen Co., Jaipur	Oxygen 6'0 lakh cubic ft. per month; Acetylene 2'0 lakh cubic ft. per month.	Started from 20-6-61
5	Rajasthan Fine Worsted Spinning Mills, Jaipur	Semi-wersted yarn 6'24 lakh lbs. per annum (1,000 spindles).	
6	Toshniwal Industries Ltd., Ajmer.	Autoclaves water and baths and other laboratory apparatus of B. L. T. Design Rs. 72,000; 10 H. Meters Gemaducticity Bridge etc. of PYE design - Rs. 40,90,000 Tabular Rheostats of B C. company design Rs 1,00,000 Total-Rs. 12,29,000; Switch Board Instruments by the end of five years 4,600 Nos.; Ind. proces and control instruments by the end of five years 1950 Nos.	

1	2	3	4
7	M/s. Gurunanak Steel Rolling Mills, Bharatpur.	Bars (Round square) flates roofs, and angles 40 tons p.m.	Factory working.
8	M/s. A. Mukerji and Co., Jaipur.	Brass sheels, circles and strips–40 tons p.m.	Factory working.
9	Metal Corporation of India Ltd., Udaipur.	(i) Electrolytic Zinc 18,000 metric tons per annum; sulphuric acid 28,000 m. tons p.a. (for further manufacture of single/triple phosphate); cadmium 75 m. tons p. a.; (ii) Pig Lead 3,000 tons per annum; Silver 1,80,000 Ozs. per annum (After installation–pig lead 9,000 tons p.a.; silver 5,40,000 Ozs p.a.; (iii) Lead Sheets 5,400 m. tons p.a.; Lead pipes 5,400 m. tons p.a.	
10	Aditya Mills, Kishangarh.	Cotton Yarn cloth (25,000 spindles; 500 looms)	
11	Foreign Import and Export Association, Kota.	Wool tops 1.3 million lbs. p.a.	
12	Rajasthan Wool Industries, Kota.	Paper maker felts & noils.	5,00,000 ft. p.a.
13	Mahaveer Pd. R. Morarka, Jaipur.	Glass Wool 150 tons p m.; Glass Fibre 30 tons p.m.; Tempered Safety Glass 6000 Sq. Meters p m.	
14	M/s Rajendra Prasad Jawaharlal Engineering Co, Jodhpur.	Iron Bars––75 tons p.m.	Factory working.
15	Rajasthan Cable Industries Kota.	V.I.R. Cables 10 million core yards.	

1	2	3	4
16	Paramount Industries & Agencies, Jaipur.	Cast Iron spun Pipes and relative fittings 24,000 tons per annum.	
17	M-s. Pesticides India, Udaipur..	Pesticidal formulations—1135 tons p. a.	Factory started production from 3-2-62.
18	Rajasthan Textile Mills Bhawandimandi.	Cotton yarn cloth-14,400 spindles; 304 looms.	
19	Shri G.D. Binani, Kota.	Copper-Brass-Copper base allo tubes; roofs and sections and copper printing rolls for textile industry 5,000 rolls per annum.	
20	Jaipur Iron Foundary, Jaipur.	Cast Iron Castings 24,000 tons per annum.	
21	Jai-Bharat Oil Mills, Gangapur.	Extraction of oil-cakes to manufacture vegetable oil by solvent extraction process 60 tons of cotton seed per day or 75 tons of oil cakes per day.	
22	Rajasthan Ceramic Industries, Kota.	(i) H. T. and L. T. Insulatroes 2,400 tons per annum; (ii) Porcelain electrical components other than H.T. and L.T. Insulators 140 tons y.a. (iii) Sanitary Wares, 1.600 tons p.a. (iv) Electricals Switch-gears— Metal clad switches 36,000 Nos. Switch Boards 240 ,, Switch Fuse Units 12,000 ,, Metal clad switch gears H.T. & L.T. 480 ,, Oil circuit breakers 480 ,	

1	2	3	4
23	U. P. National Industries Corporation, Dholpur.	Fractional H. P. Motors 36,000 Nos. p.a.	
24	Mahalaxmi Laghu Udyog, (P) Ltd. Kota.	Cotton Wests Yarn 1,200 spindles;	
25	Rajasthan Pipes (P) Ltd., Kota.	C. I. Spun Pipes 30,000 tons per month.	
26	Rajasthan Spg. and Wvg. Mills, Bhilwara.	Cotton Yarn cloth 18,000 spindles; 450 looms.	
27	Krishna Iron & Steel Co., Jaipur.	Steel Castings 3,600 tons; p.a. C. I. Castings 1,200 tons p.a.	
28	Rajasthan Vinyl and Chem. Industries, Kota.	P. V. C. and Copolymers 20 tons per day; Caustic Soda 30 tons per day; Calcuim Carbide 90 tons per day,	
29	Shri Chandansinha Bharaktiya, Kota.	Paper Insulated Power Cables 600 miles.	
30	Rajasthan Flour Dal Mills, Jaipur Kota.	Wheat Products 1250 tons per month.	
31	Bharat Commerce and Industries Ltd., (Location not decided so far).	H. T. Insulators 1,500 tons; p.a.	
32	Electro-Ceramic Ind., Kota.	Electrical Porecelain other than H. T. & L. T. Insulators 500 tons p.a.; Bushings upto 132 K. V. A. 200 tons; H. T. & L. T. Insulators 1,800 tons p.a.	
33	Shri B.L. Jalan, Hanumangarh.	Ammonia 97,000 tons p.a.; Ammonium Sulphate 3,96000 m. tons per annum.	

1	2	3	4
34	Ram Gopal Sahria, Banswara.	Chip-Board (Particle-Board) 7,200 tons per annum.	
35	Birla Gwalior (P) Ltd., Chittorgarh.	Portland Cement 1,67,620 tons per annum.	
36	Leiner Knit Gelatine Co., Kota.	Osseein 12,000 tons per annum; Dicalcium Phosphate 9,000 tons p.a.	
37	Kota Straw-Boards Ltd., Kota.	Strawboards 4,500 tons p.a.; Pulp 4,500 tons p.a.	
38	Delhi Cloth & General Mills Co., Ltd., Kota.	Viscose High Tenacity rayon yarn starting from cotton linters 300 tons per month or million lbs. per annum,	
39	Swaika Oil Mills, Jaipur.	Cotton--seed oil 60 tons cotton seed per day.	
40	Spinning Accessories (P) Ltd , Jaipur.	Fourdrinier Wire Cloth for Paper machines 9,60.000 sq. ft. per annum.	
41	Swaika Flour Mills, Jodhpur.	Wheat Products 50 tons per day in terms of weat.	
42	Rajasthan Roller Flour Mills, Pali,	-do- -do-	
43	Bijai Cotton Mills, Bijainagar.	Cotton yarn cloth 12000 spindles; 300 looms.	
44	Ramkumar Shewchandray and Sons, Jaipur.	H. T. and L. T. Insulatroes including Bushings upto 220 K.V.A. 2.000 tons p.a.; Elec. Porcelain 500 tons p.a.	
45	Shri Shanti Swarup, Kota.	Electric Porcelain Parts—1200 tons p a.	
46	M/s. Apex Electricals Ltd., Jaipur.	House service Meters, single Phase 60,000 Nos; p.a.; Polyphase—18,000 Nos. p.a.	

1	2	3	4
47	M/s. Pratap Cotton Mills, Chittorgarh.	Cotton yarn 12,000 spindles.	
48	M/s. Behari Lal Beni Prasad, Alwar.	—do—	
49	M-s Surya and Co., Dungarpur.	—do—	
50	M s. Ramkumar Shewchandroy and Sons, Jhunjhunu.	Cotton yarn 12,000 spindles.	
51	Shri Ashok Cotton Mills, Jodhpur.	—do—	
52	Shri K. L. Thirani, Nohar (District, Ganganagar).	—do—	
53	Associated Iron and Steel Industries, Ramganjmandi.	Malleable iron casting—1,500 tons per annum; cast Iron Castings—7,500 tons p.a.	
54	Lyra Engineers, Jaipur.	Taxi meters 3600 Nos; per annum.	
55	M s. Khem Chand Bahad Chand, Hanumangarh.	Cotton yarn—12000 spindles.	
56	Behari Lal Beni Pershad, Mahalaxmi Market, Chandnichok Delhi, (M/s. Rajasthan Meters, Jaipur).	Domestic Water Meters ½" to 1" size;— Ist year 20,000 Nos: 2nd year 30,000 Nos; 3rd year 50,000 Nos; per annum Industrial Water Meters 1½" to 6" size 1st year 2,000 Nos; 2nd year 3,000 Nos. 3rd year 4,000 Nos. p.a.	

1	2	3	4
57	J. K. Cotton Manufacturers Ltd., Kamla Tower, Kanpur. (Keshoraipatan).	Cotton yarn 12,000 spindles.	
58	Perfect Pottery Co. Ltd., Jabalpur (Bharatpur).	Firebricks—7,200 tons p.a. stoneware pipes and fittings—7,200 tons p.a.	
59	Poonam Chand and Bros. (P) Ltd., Jaipur.	(i) Synthetic Sapphire Jewel Bearings for Electricals Meters and instruments—7.2 million Nos. p.a. (ii) Watch Jewels—36 million Nos. p.a. (iii) Gramophone needles 7.2. million Nos. p.a.	
60	Kamani Engineering Corporation Ltd., Bombay (Udaipur.)	Pig iron—1,00,000 tons p.a.	
61	M/s. Podar Mills Ltd., Reengus.	12,000 spindles for manufacture of cotton yarn.	

Expansion licenses granted by the Government of India to the already existing industrial under-taking in Rajasthan

S. No.	Name of the Industrial undertaking and Location	Licensed Expansion	Remarks
1	2	3	4
1	National Engineering Industries, Jaipur.	Roller Bearing Axle Boxes 18,00 Nos. per annum; Steel Balls for Bicycles 33,00 gross p. m. (After expansion 116,000 gross p. m.) Ball Bearings 9.0 lakh Nos. Tappered Roller Bearings 3,18 Lakh Nos; Parallel Bearings 2.0 lakh Nos.	
A.	Mewar Sugar Mills, Bhopalsagar	—500 tons sugarcane per day (capacity after exp—1000 tons. ane per day).	
2.	Man Industrial Corporation Ltd., Jaipur	Steel Forings 1,00 tons per annum, High Tension Transmission Towers (capacity to be determined after industry goes into production); Silico Managanese steel excluding stainless steel-Ist stage 12,000 p. a.; 2nd stage 24,000 p. a.	
3.	Jaipur Metals and Electricals Ltd., Jaipur	Permanent Magnets 1,20 000 pieces per annum; A. C. S. R. and all alluminium conductors 1,500 tons p. a. and cotton, silken and paper covered strips 300 tons.	
4.	Mahesh Metal Works, Kishangarh	Brass Wares 38 tons p. a.: Copper Wares 12 tons p. a ; Alluminium Warces 14 tons p. a.; Stainless Steel Wares 1 ton p. a.	
5.	Dholpur Glass Works, Dholpur. Glass wares	Penicillion vials and Laboratory Glass wares.	
6.	Krishna Mills, Beawar	1,988 spindles for cotton yarn.	
7.	Udaipur Distillery Co., (P) Ltd., Udaipur	(i) Malt extract 24 ton p. a. (ii) I Liquid preparations; 1. tinctures, spirits and extracts 10,500 lbs.	

1	2	3	4
		2. liniments 3,3000 lbs. 3. Syrups 2,200 lbs. 4. disinfectants 3,000 gallons (phenyle). 5. others 4,750 lbs. II. Powders—60 lbs. III. Ointments and Balms 400 lbs.	
8.	Ganganager Sugar Mills, Ltd. Ganganagar	Rectified spirits and impure spirit —907200 gallons p. a. (after expansion)	
9.	Jaipur Spinming and Weaving Mills, Jaipur	2424 additional spindles for manufacture of cotton yarn.	
10.	Shree Sadul Textiles Ltd., Sri Ganganagar	2704, additional spindles for manufacture of cotton yarn.	
11.	Gopal Industries Ltd., Kota	6,000 additional spindles for manufacture of cotton yarn.	
12	Swadeshi Cotton Mills, Co., Ltd., Udaipur	3040 additional spindles for manufacture of cotton yarn.	
13.	National Engineering Industries Ltd., Jaipur	Steel Rolled Rings of Outer diameter not exceeding 18"—150,000 Nos p. a.	
14.	Sutlaj Cotton Mills., Ltd., Bhawanimandi, (Rajasthan Textile Mills).	—3,600 additional spindles for manufacture of cotton yarn.	
15.	Shree Gopal Industries, Kota.	140 Automatic looms for manufacture of cotton yarn.	
16.	Shree Gopal Industries. Kota.	7,000 additional spindles for manufacture of cotton yarn.	
17.	Maharaja Shree Umaid Mills, Pali.	10,000 additional spindles for manufacture of cotton yarn.	
18.	Delhi Cloth and General Mills Delhi (Kota).	P. V. C. Producuts like rigid pipings and calndared sheets with printing on P. V. C—1,500 tons p. a.	
19.	Bhopal Mining Works, Bhilwara.	Mica Insulating Bricks—7,200 tons p. a.	

परिशिष्ट ९

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ६ यू० एस० क्यू० का उत्तर देखिये)

नाम यूनिट क्रम संख्या	नाम मारकेटिंग सहकारी समिति	कितना ऋण मिला	किस कार्य को मिला	कहां से मिला	कितनी रकम कब से ओवर ड्यू है	इसकी वसूली की क्या कार्यवाही की जा रही है
१	२	३	४	५	६	७
जयपुर						
१	चौमू सहकारी क्रय विक्रय समिति लि०	१८७५०)	बीज गोदाम निर्माण	राजस्थान सरकार	—	—
२	कोटपूतली सहकारी क्रय विक्रय समिति लि०	१८७५०)	,,	,,	—	—
३	शाहपुरा सहकारी क्रय विक्रय समिति लि०	१८७५०)	,,	,,	—	—
		५०००)	उपज क्रय	केन्द्रीय स० बैंक जयपुर	—	—
		५०००)	विक्रय वितवरण हेतु	पंचायत समिति शाहपुरा	—	—
		८०००)	,,	,,	—	—
		८८००)	,,	,,	—	—
४	साभर क्रय विक्रय समिति	१८७५०)	बीज गोदाम निर्माण	राजस्थान सरकार	—	—
		४५००)	छोटा बीज गोदाम निर्माण	,,	—	—
		१५०००)	उपज क्रय विक्रय	केन्द्रीय स० बैंक	—	—

५ चाकसू क्रय विक्रय स० समिति	१८७५०)	बीज गोदाम निर्माण	राज्य सरकार	—	—
६ जयपुर क्रय विक्रय स० समिति	२७७५०)	,,	,,	—	—
७ दौसा क्रय विक्रय स० समिति	१८७५०)	,,	,,	—	—
८ बांदी कुई क्रय विक्रय स६ समिति	१८७५०)	,,	,,	—	—
	३४८५०)	प्लेज रखने हेतु	स्टेट बैंक ग्रॉफ जयपुर	—	—
	२०000)	बीज खरीदने हेतु	पंचायत स० बांदी कुई	—	—
ग्रजमेर					
९ ग्रजमेर को० मा० सो० लि०	१५0000)	गोदाम निर्माण हेतु	राज्य सरकार	—	—
	१५000)	,,	,,	—	—
	१0000)	उपज ग्राडत पर बेचने	से० को० ग्रजमेर	—	—
१० नसीराबाद को० मा० सो० लि०	१५000)	गोदाम निर्माण हेतु	राजस्थान सरकार	—	—
	१५000)	,,	,,	—	—
११ किशनगढ़ क्रय विक्रय स० स०	१८७७५)	,,	,,	५०७४ मार्च ६२	सहकारी ग्रधिनियम की धारा ६६ के ग्रन्तर्गत कार्यवाहीं चालू है
	४५00)	ग्रामीण निर्माण हेतु	,,	—	—
	१४000)	उपज ग्राडत पर बेचने	से० को बैंक ग्रजमेर	—	—
१२ केकड़ी मार्केटिंग सोसाइटी	३0000)	गोदाम निर्माण हेतु	राजस्थान सरकार	—	—
	४५00)	ग्रामीण निर्माण हेतु	,,	—	—
	१५000)	उपज ग्राडत पर बेचने	से० को बैंक ग्रजमेर	—	—
१३ ब्यावर को माक० सोसाइटी	३0000)	गोदाम निर्माण हेतु	राजस्थान सरकार	—	—
१४ ग्रादर्श को०.मार्क० सो० विजयनगर	३0000)	,,	,,	—	—

१	२	३	४	५	६	७
१५	क्रय विक्रय स० स० केकड़ी	—	—	—	—	—
अलवर						
१६	राजगढ़ क्रय विक्रय स० स०	१८७५०)	गोदाम निर्माण हेतु	राजस्थान सरकार	—	—
		७५००)	,,	,,	—	—
१७	खेडलीगंज केन्द्रीय स० क्रय विक्रय स०	१८७५०)	,,	,,	—	—
		६०००)	,,	,,	—	—
१८	खेरथल केन्द्रीय स० क्रय विक्रय स०	१८७५०)	,,	,,	—	—
		५०००)	क्लीन लोन	केन्द्रीय बैंक	—	—
		१४३८५)	प्लेज लोन	,,	—	—
		१४२६१)	,,	,,	—	—
		१२६६)	खाद	एग्रीकल्चर विभाग	—	—
		१६१६०)	बीज	पंचायत समिति	—	—
		५७८१८)	प्लेज लोन	स्टेट बैंक	—	—
		६३५३)	,,	राजस्थान राज्य क्रय विक्रय संघ	—	—
१९	सहकारी आडत की दुकान लि०	१८७५०)	गोदाम निर्माण हेतु	राज्य सरकार	—	—
		६०००)	,,	,,	—	—

	२२०००)	प्लेज लोन	केन्द्रीय बैंक	—	—
	४२५०)	,,	,,	—	—
	३२६००)	,,	,,	—	—
	२५००)	,,	,,	—	—
	३०५८५)	,,	,,	—	—
	११०००)	,,	,,	—	—
	१२४००)	,,	,,	—	—
	१४६०८)	,,	,,	—	—
	१३३००)	,,	,,	—	—
	७१४०)	,,	,,	—	—
	२५०००)	क्लीज लोन	,,	—	—
	१५०००)	,,	,,	—	—
२० किशनगढ़ क्रय विक्रय स० स०	—	—	—	—	—
२१ चिकानी क्रय विक्रय स० स०	—	—	—	—	—
भरतपुर					
२२ नदवई क्रय विक्रय सह० समिति	६३७५)	गोदाम निर्णाण हेतु	राज्य सरकार	—	—
	६३७५)	,,	,,	—	—
	१५०००)	सदस्यों को माल की जमानत पर ऋण देने को	सेंट्रल को० बैंक	—	—
	१५०००)	ग्रामीण गोदाम निर्माण	राज्य सरकार	—	—
२३ भरतपुर किसान क्रय विक्रय स० स०	१८७५०)	,,	,,	—	—

१	२	३	४	५	६	७
		१५०००)	ग्रामीण गोदाम निर्माण	राज्य सरकार	—	—
२४	दी कामा क्रय विक्रय स० स०	१८७५०)	गोदाम निर्माण हेतु	,,	—	—
२५	डीग क्रय विक्रय स० स०	१३५००)	ग्रामीण ,,	,,	—	—
२६	बयाना क्रय विक्रय स० स० बयाना	१८७५०)	गोदाम निर्माण हेतु	,,	—	—
२७	रूपवास क्रय विक्रय स० स०	१८७५०)	,,	,,	—	—
२८	आदर्श केन्द्रीय स० क्रय विक्रय संघ	१८७५०)	बीज गोदाम निर्माण हेतु	,,	—	—
		१३५००)	,,	,,	—	—
२९	धोलपुर केन्द्रीय क्रय विक्रय संघ	१८७५०)	,,	,,	—	—
३०	बाडी कृषक क्रय विक्रय केन्द्र	१८७५०)	,,	,,	—	—
टोंक						
३१	मालपुर को० मा० सो० लि०	१८७५०)	,,	,,	—	—
३२	टोंक को० मा० सो० लि०	१८७५०)	,,	,,	—	—
		१३५००)	केश क्रेडिट ऋण के रूपमें	सेंट्रल कोआपरेटिव बक	—	—
		६२२२५)	,,	,,	—	—
३३	देवली क्रय विक्रय स० स० लि०	१८७५०)	बीज गोदाम	राज्य सरकार	—	—
३४	निवाई क्रय विक्रय स० स० लि०	१८७५०)	,,	,,	—	—

सवाई माधोपुर						
३५	सवाई माधोपुर क्र० विक्रय स. लि.	१८७५०)	बीज गोदाम निर्माण हेतु	राज्य सरकार	—	—
३६	चौथ का बरवाड़ा क्रय विक्रय स. लि०	१८७५०)	,,	,,	—	—
३७	हिण्डौन क्रय विक्रय स० लि०	१८७५०)	,,	,,	—	—
		४५००)	ग्रामीण ,,	,,	—	—
३८	गंगापुर क्रय विक्रय स० स० लि०	१८७५०)	बीज गोदाम निर्माण हेतु	,,	—	—
		७५००)	ग्रामीण	,,	—	—
३९	मुण्डावर क्रय विक्रय स०स०लि०	१८७५०)	बीज गोदाम निर्माण हेतु	,,	—	—
		९०००)	बीज खरीदने हेतु	पंचायत समिति	—	—
सीकर						
४०	नीम का थाना क्रय विक्रय स० स० लि०	६३७५)	गोदाम निर्माण हेतु	राज्य सरकार	—	—
		६३७५)	,,	,,	—	—
		२२५०)	,,	,,	—	—
		२२५०)	,,	,,	—	—
		१६४५०)	सदस्यों की उपज बिकवाने के लिये	केंद्रीय सहकारी बक	—	—
		१००००)	,,	,,	२४४६६)६१	समिति की स्टाक की गई जिन्स शीघ्र बेचकर चुकाने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

Page No 162

१	२	३	४	५	६	७
		५०००)	सदस्यों की उपज बिकवाने के लिए	केन्द्रीय सहकारी बैंक	—	—
		१००००)		,,	—	—
		३५००)	,,	,,	—	—
		१०००)	,,	,,	—	—
		५०००)	,,	,,	—	—
४१	सीकर क्रय विक्रय स० स० लि.	९३७५)	गोदाम निर्माण हेतु	राज्य सरकार	—	—
		९३७५)	,,	,,	—	—
		२१७२१)०५	चीनी के बैंगन छुड़ाने हेतु	केंद्रीय सहकारी बैंक	—	—
		२६५३५)३७	,,	,,	—	—
		३३२९३)४१	,,	,,	—	—
		१९७०९)४०	,,	,,	—	—
		२२०००)	,,	,,	—	—
		२०८९१)८०	,,	,,	—	—
		४१९४५)८८	,,	,,	—	—
		५)५४	,,	,,	—	—
		६२२३०)८८	,,	,,	—	—
		२१७३६)५०	,,	,,	—	—
		१२)२८	,,	,,	—	—
		२०७७७)९७	,,	,,	—	—
		१००)१२	,,	,,	—	—

	२०००)	चीनी के बेंगन छुड़ाने हेतु	केन्द्रीय सहकारी बैंक	—	—
	५०७)३६	,,	,,	—	—
	५१)	,,	,,	—	—
	२)६६	,,	,,	—	—
	६०)५५	,,	,,	—	—
	६४४)४६	,,	,,	—	—
४२ श्री माधोपुर क्रय विक्रय स० स० लि०	६३७५)	गोदाम निर्माण हेतु	राज्य सरकार	—	—
	६३७५)	,,	,,	—	—
	८१००)	सदस्यों की उपज रहन रखने	केंद्रीय सहकारी बैंक	—	—
	२३६६२)	,,	,,	—	—
झुंझनूं					
४३ राजगढ़ क्रय विक्रय स०स०लि०	१००००)	स० स० फसल को गिरवी रखकर ऋण देने को	केंद्रीय सहकारी बैंक झुंझनूं	—	—
				—	—
४४ ढूंडलोद मण्डी क्रय विक्रय स०स०	१००००)	,,	,,	—	—
कोटा					
४५ छीपा बड़ोद स० क्रय विक्रय संघ	१८७५०)	गोदाम निर्माण हेतु	राजस्थान सरकार	—	—
४६ दी बारां को० मा० सो० लि०	१५०००)	,,	,,	—	—
	१३५००)	३ ग्रामीण गोदाम	,,	—	—
४७ अन्ता को० मार्के० सो०	१८७५०)	गोदाम निर्माण	,,	—	—
४८ कोटा मार्के० को० सो०	१८७५०)	,,	,,	—	—
	४५००)	ग्रामीण ,,	,,	—	—

१	२	३	४	५	६	७
		१५६६६)	बीज क्रय करने हेतु	सेंट्रल को० बैंक	—	—
४९	रामगंज मंडी मार्के० सो०	६७५०)	ग्रामीण गोदाम	राज्य सरकार	—	—
		६७५०)	,,	,,	—	—
		१८७५०)	गोदाम निर्माण	,,	—	—
		२५०००)	कृषि उपज क्रय विक्रय	केंद्रीय बैंक कोटा	—	—
		८१५०)	माल रहन पर	,,	—	—
		१३९२५)	वेयर हाउस रसीद पर	केन्द्रीय बैंक	—	—
५०	सुमेरगंज मंडी को० मा० सो० लि०	१८७५०)	गोदाम निर्माण	राज्य सरकार	—	—
		७५००)	ग्रामीण	,,	—	—
		२१७११३)	माल रहन पर	सैन्ट्रल को० बैंक कोटा	—	—
		२८५९२)	कृषि उपज क्रय करने हेतु	,,	—	—
		३१०१०२)	,,	,,	—	—
बूंदी						
५१	बूंदी को० मा० के० सो० बूंदी	१८७५०)	गोदाम निर्माण हेतु	राज्य सरकार	—	—
झालावाड़ा						
५२	झालावाड़ को० मा० के० सो०	६४०)३३	बीज खरीदने को	केन्द्रीय बैंक जयपुर	—	—
		१८७५०)	गोदाम बनाने को	राज्य सरकार	—	—
		२५१७३)६३	बीज खरीदने को	केन्द्रीय बैंक	—	—

	४५००)	गोदाम निर्माण हेतु	राज्य सरकार	—	—
	६४४२२)२१	बीज खरीदने को	केन्द्रीय सहकारी बैंक	—	—
५३ गंगधर मार्के० को० सो० लि०	१००००)	,,	,,	—	—
उदयपुर					
५४ काकरोली क्र० वि० स० स०	१८७५०)	गोदाम निर्माण हेतु	राज्य सरकार	१२६०)	२६-३-६२वसूली की कार्यवाही जारी है।
	५००००)	बीज वितरण	पंचायत समिति	—	—
५५ आमेट को० मार्के० सो० लि०	१८७५०)	गोदाम निर्माण	राज्य सरकार	१२५०)	३१-३-६२वसूली की जा रही है।
५६ उदयपुर क्रय विक्रय	१८७५०)	,,	,,	—	—
	१७०००)	कृषि पैदावार व खाद बीज	सहकारी बैंक	—	—
५७ संजीवन स० क्र० वि० फतेहनगर	१८७५०)	गोदाम निर्माण	राज्य सरकार	—	—
	२००००)	कृषि पैदावार व खाद बीज खरीदने हेतु	सहकारी बैंक	—	—
५८ श्रीनाथ को० मा० सो० नाथद्वारा	१८७५०)	गोदाम निर्माण	राज्य सरकार	—	—
बांसवाड़ा					
५९ बांसवाड़ा क्र० वि० स० स०	१८७५०)	,,	,,	—	—
	४५००)	,,	,,	—	—
	२६०००)	माल खरीदने में खर्च किया	सेन्ट्रल को० बैंक बांसवाड़ा	—	—
६० घाटोल क्रय विक्रय स० स०	१८७५०)	गोदाम निर्माण	राज्य सरकार	—	—
	१२५००)	माल खरीने में खर्च किया	सेन्ट्रल को० बैंक बांसवाड़ा	—	—
	१२६००)	,,	,,	—	—

१	३	४	५	६	७
	१६०००)	बीज खरीदने में खर्च किया	पंचायत स० घाटोल	८०००)	७-६-६१ वसूली की कार्यवाही चालू है
	१३०००)	माल खरीदने	सेन्ट्रल को० बैंक	—	—
६१ परतापपुर केंद्रीय क्र० वि० स० स०	१८७५०)	गोदाम निर्माण	राज्य सरकार	—	—
	१०००)	कृषि औजार खरीदने	कृषि विभाग	—	—
	६०००)	बीज खरीदने	पंचातय समिति गढी	—	—
	१५०००)	माल खरीदने	सेन्ट्रल बैंक बांसवाड़ा	—	—
	१००००)	बीज खरीदने	पंचायत समिति गढी	—	—
भीलवाड़ा					
६२ भीलवाड़ा क्रय० वि० स० स०	१८७५०)	गोदाम निर्माण	राज्य सरकार	—	—
	५१००)	माल पेटे सदस्य समितियों को उधार देने हेतु	सेन्ट्रल बैंक भीलवाड़ा	—	—
	४४८५)	,,	,,	—	—
	१३००)	,,	,,	—	—
	४०००)	,,	,,	—	—
	१०००)	,,	,,	—	—
	८०००)	माल पेटे सदस्य समितियों को उधार देने हेतु	सेन्ट्रल बैंक भीलवाड़ा	—	—
	६५१८)	,,	,,	—	—
	५५००)	,,	,,	—	—
	७७३६)	,,	,,	—	—
	६१००)	,,	,,	—	—

६३ माडल को० मार्के० सो० लि०	१८७५०)	गोदाम निर्माण	राज्य सरकार	—	—
	३००००)	माल पेटे सदस्य समितियों को उधार देने हेतु	सेन्ट्रल बैंक भीलवाड़ा	—	—
६४ जहाजपुर क्रय विक्रय स० स०	१८७५०)	गोदाम निर्माण	राज्य सरकार	—	—
६५ गंगापुर क्रय विक्रय स० स०	१८७५०)	,,	,,	—	—
६६ बीजोलिया क्रय विक्रय स० स०	—	—	—	—	—
डूंगरपुर					
६७ केंद्रीय क्रय विक्रय स० स० डूंगरपुर	१८७५०)	गोदाम निर्माण	राज्य सरकार	—	—
चित्तौड़गढ					
६८ चित्तौड़गढ़ क्रय विक्रय स० स०	१८७५०)	,,	,,	—	—
६९ विकास को० मार्के० सो० कपासन	१८७५०)	,,	,,	—	—
७० श्री महालक्ष्मी क्र० वि० स० लि० प्रतापगढ़	१८७५०)	,,	,,	—	—
७१ नीम्बाहेड़ा क्रय विक्रय स० स०	—	—	—	—	—
७२ श्रीगणेश क्रय विक्रय स० स० बहलोट	—	—	—	—	—
जोधपुर					
७३ विलाडा को० मार्के० स० स०	३०७५०)	,,	राज्य सरकार	—	—
	२२८३८६)	रहन व बीज खरीदने	को० बैंक	४९३५०) अकाल पड़ने की वजह से	वसूली कार्यवाही चालू है
	२५०००)	बीज खरीदने	पंचायत समिति	—	—

१	२	३	४	५	६	७
७४	पीपाड़ को० मार्के० क्र० वि० स०	२३२५०)	गोदाम निर्माण	राज्य सरकार	—	—
		६०६६०)	रहन व बीज हेतु	केन्द्रीय बैंक	५८६६६)	वसूली की कार्यवाही जारी एवं खरीफ की फसल पर वसूल हो जावेगी
		१४०००)	बीज खरीदने हेतु	पंचायत समिति	—	—
७५	भोपालगढ़ को० मार्के० स० स० लि०	१८७५०)	गोदाम बनाने	राज्य सरकार	—	—
		३५६११)	बीज खरीदने	पंचायत समिति	३५६११)	अकाल पड़ने की वजह से यह रकम ओवरड्यू है
७६	मण्डोर को० मार्के० स० स०	२७७५०)	गोदाम निर्माण	राज्य सरकार	—	—
		६००००)	बीज खरीदने	पंचायत समिति	—	—
७७	मथानिया को० मार्के० स० स० लि०	१८७५०)	गोदाम निर्माण	राज्य सरकार	—	—
		४४०००)	बीज खरीदने	पंचायत समिति	४४०००)	अकाल पड़ने की वजह से कार्यवाही जारी है
पाली						
७८	गणेश को० मार्के० सो० मावाड़ जंक्शन	१८७५०)	गोदाम भवन निर्माण	राज्य सरकार	—	—
		४५००)	व्यापार हेतु	केन्द्रीय बैंक पाली	—	—
		२५०००)	,,	,,	—	—

Page No 169

७९ सोजत को० माक० सो०	१८७५०)	गोदाम निर्माण	राज्य सरकार	—	—
	३५०००)	व्यापार	केन्द्रीय स० बैंक	—	—
	४००००)	,,	,,	—	—
	१०६५००)	माल रहन.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर	—	—
८० सुमेरपुर को० मार्क० सो०	२७७५०)	गोदाम भवन निर्माण	राज्य सरकार	—	—
	४५८७६७)७०	रहन कृषि उपज व व्यापार	केन्द्रीय स० बैंक पाली	—	—
	१६८२२३)३२	व्यापार कार्य	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर	२१४३५)	विभागीय कर्मचारी वसूल कर रहे हैं
८१ पाली को० माक० सो०	४३४५६४)	बीज व खाद वितरण	पंचायत स. सुमेरपुर	—	—
	१५७८०)	गोदाम भवन निर्माण	राज्य सरकार	—	—
	२५०००)	बीज वितरण हेतु	पंचायत समिति पाली	—	—
	६६०००)	व्यापार व माल रहन रहने	केन्द्रीय बैंक पाली	—	—
	१५००००)	माल रहन रहने	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर	—	—
८२ रायपुर को० माक० सो०	१८७५०)	गोदाम भवननिर्माण	राज्य सरकार	—	—
	६००००)	बीज क्रय कर वित	पंचायत स. रायपुर	—	—
	२००००)	व्यापार व माल रहन	केन्द्रीय बैंक पाली	—	—
८३ रानी को० मार्के० सो०	१८७५०)	गोदाम भवन निर्माण हेतु	राज्य सरकार	२१००)	वसूली की कार्यवाही जारी है
	८६१५)	माल रहन रखने हेतु	केन्द्रीय स. बैंक पाली	—	—
	६१६८८)	व्यापार व माल रहन हेतु	,,	—	—

१	२	३	४	५	६	७
८४ जेतारन को० माक० सो		१८७५०)	गोदाम निर्माण भवन	राज्य सरकार	—	—
		२७०००)	बील व खाद	पंचायत समिति जेतारण	—	—
नागौर						
८५ दी कुचामन को० मार्के० सो०		१८७०६	गोदाम भवन निर्माण	राज्य सरकार	—	—
		३००००)	बीज वितरण व माल खरीदने	केन्द्रीय बैंक नागौर	—	—
८६ दी गच्छीपुरा	,,	१८७५०)	गोदाम निर्माण	राज्य सरकार	—	—
८७ दी मेड़ता	,,	१८७५०)	,,	,,	—	—
८८ दी नागौर	,,	१८७५०)	,,	,,	—	—
सिरोही						
८९ शिवगंज	,,	१८७५०)	,,	,,	—	—
९० कृषि क्र. वि. स. स. आबू रोड़		२३२५०)	,,	,,	—	—
		१९५००)	बीज वितरण	पंचायत स० आबू रोड़	—	—
९१ ,, ,,	सरूपगंज	१८७५०)	गोदाम निर्माण	राज्य सरकार	—	—
बाडमेर						
		१६०००)	औजार बीज वितरण	पंचायत त० पिण्डवारा	—	—
		१४२००)	माल रहन व मिट्टी का तेल क्रय करने हेतु	केन्द्रीय बैंक सिरोही	—	—

६२	बाड़मेर कों० मार्के० सो०	२६२५०)	गोदाम निर्माण	राज्य सरकार	—	—
६३	बालोतरा ,, ,,	२३२५०)	गोदाम निर्माण	,,	—	—
६४	संदड़ी ,, ,,	२३२५०)	,,	,,	—	—
६५	बायतू ,, ,,	—	—	—	—	—
	जैसलमेर					
६६	पोकरण को० मार्क० सो०	१८७५०)	गोदाम निर्माण	राज्य सरकार	—	—
	जालौर					
६७	जालौर को० मार्के० सो०	५०००)	बीज खाद	सेन्ट्रल को० बैंक जालौर	—	—
		५०००)	,,	,,	—	—
		२६०००)	,,	पंचायत समिति जालौर	—	—
		३००००)	,,	पंचायत समिति सायला	—	—
		२६२५०)	गोदाम निर्माण	राज्य सरकार	—	—
		१५०००)	हिस्सा पूंजी अंशदान	,,	—	—
६८	सांचौर को० मार्के० सो०	१०७०००)	बीज ऋण हेतु	पंचायत समिति सांचौर	१०७००)	विभागीय कार्यवाही जारी है
		१८७५०)	गोदाम निर्माण हेतु	राज्य सरकार	—	—
		२५०००)	हिस्सा पंजी	,,	—	—
६९	मीनमाल को० मार्के० सो०	२३२५०)	गोदाम निर्माण	,,	—	—
		५०००)	बीज के लिये	पंचायत स० मीनमाल	—	—
		२५०००)	हिस्सा राशि	राज्य सरकार	—	—

१	२	३	४	५	६	७
बीकानेर						
१००	बीकानेर तहसील क्र. वि. स.	१८७५०)	बीज गोदाम निर्माण	राज्य सरकार	—	—
१०१	नोखा ,,	१८७५०)	,,	,,	—	—
१०२	बीकानेर ऊन क्र. वि. स. स.	—	—	—	—	—
१०३	,, केन्द्रीय ,,	१००००)	कार्यकारी ऋण	रास्य सरकार	६४४५)	वसूली की कार्यवाही की जा रही हैं
गंगानगर						
१०४	विजयनगर क्र. वि० स. स.	१८७५०)	गोदाम निर्माण हेतु	राजस्थान सरकार	—	—
		१००००)	कारोबार के लिये	गंगासगर केन्द्रीय स. बैंक	—	—
१०५	सूरतगढ़ ,,	१८७५०)	गोदाम निर्माण हेतु	राजस्थात सरकार	—	—
		७०००)	व्यापार के लिये	गंगानगर केन्द्रीय स. बैंक	—	—
१०६	गर्जासिहपुर ,,	१८७५०)	गोदाम निर्माण हेतु	राजस्थान सरकार	—	—
१०७	संगरिया ,,	१८७५०)	,,	,,	—	—
		७०००)	सदस्यों की उपज का भुगतान	गंगानगर केन्द्रीय बैंक	—	—
१०८	हनुमानगढ़ केन्द्रीय ,,	६३७५)	गोदाम निर्माण हेतु	राजस्थान सरकार	—	—
		६३७५)	,,	,,	—	—

१०६ रायसिंहनगर	,,	१६७५०)	गोदाम निर्माण हेतु	राजस्थान सरकार	—	—
		१३५००)	,,	,,	—	—
		५०००)	मिट्टी का तेल खरीदने हेतु	गंगानगर केन्द्रीय बैंक	—	—
११० कॉ-आपरेटिव सप्लाई एण्ड कमीशन शोप लि० श्री करनपुर		—	—	—	—	—
१११ नोहर केन्द्रीय स. वि. स. स.		१८७५०)	गोदाम निर्माण हेतु	राजस्थान सरकार	—	—
१११ भादरा	,,	१८७५०)	,,	,,	—	—
११२ सादुल शहर	,,	१८७५०)	,,	,,	—	—
		४५००)	ग्रामीण गोदाम निर्माण	राजस्थान सरकार	—	—
		१५०००)	सदस्यो को भुगतान	गंगानगर केन्द्रीय बैंक	—	—
		२७७५०)	ग्रामीण गोदाम एवं गोदाम	राजस्थान सरकार	—	—
११४ पीलीबंगा	,,	५००००)	सदस्यों को बीज चारा खाद	गंगानगर केन्द्रीय बैंक	५००००)	१३-८-६१ राजस्थान सहकारी अधिनियम की धारा ६७ के तहत कार्यवाही की जा रही है।
११५ पदमपुरा को० मार्के० सो०		२३२५०)	गोदाम निर्माण	राज्य सरकार	—	—
११६ केशरीसिंहपुरा	,,	१८७५०)	,,	,,	—	—
११७ गंगानगर किसान को. मार्के. सो.		३२२५०)	गोदाम एवं ३ ग्रामीण गोदाम	,,	—	—
११८ गंगानगर को. कमीशन शोप लि.		—	—	—	—	—

१	२	३	४	५	६	७
चूरू						
११६	चूरू क्रय विक्रय संघ	४००००)	व्यापार करने को	सहकारी बैंक बीकानेर	१२८४–४६)	१-७-६२ शीघ्र वसूल किया जावेगा
११०	राजगढ़ क्रय विक्रय	—	—	—	—	—
२२१	तारानगर ,,	—	—	—	—	—
१२२	सरदारशहर क्रय विक्रय संघ	१८७५०)	गोदाम निर्माण	राजस्थान सरकार	—	—
१२३	रतनगढ़	४००००)	व्यापार हेतु	सहकारी बैंक बीकानेर	६२३६–८२)	वसूली की कार्यवाही जारी है
१२४	डूंगरगढ़	—	—	—	—	—
१२५	सुजानगढ़	—	—	—	—	—

Page No 175

परिशिष्ट १०

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १० यू० एस० यू०का उत्तर देखिये)

S. No.	Particulars	Amount Invested	Percentage of dividend
1.	Bundi Electric Supply Co. Ltd. Bundi.	4,32,400/-	3% to 12%
2.	Abu Road Electricity and Industries Co., Ltd., Abu Road.	1 25,000/-	2½% to 4%
3.	Futwah Islampur Light Railway Co., Ltd., Calcutta.	9,500/-	1·6% to 3½%
4.	Chaparmukh Silghat Rly. Co. Ltd., Calcutta.	9.500/-	2% to 3%
5.	Central Provinces Rly. Co. Ltd., Bombay.	7,600/-	2% to 5 75%
6.	Bikaner Gypsum Ltd., Bikaner.	4,00,000/-	15% to 16%
7.	Indian Iron & Steel Co. Ltd.	14,649 25	10% to 16%
8.	Hindustan Development Corpn. Ltd.	10,020/-	3% to 6½%
9.	National Project Constn. Corpn. Ltd. New Delhi.	10 00,000/-	2% to 3½%
10.	Rajasthan Financial Corporation.	36.20,000/-	3½%
11.	Jaipur Udyog Ltd. Sawaimadhopur.	75,00,000/-	3%
12.	Tata Iron & Steel Co. Ltd.	74.009·96	7½%
13.	Man Industrial Corporation.	10,00.000/- 5,00,000/-	4½% Pref. Sh.
14	Dholpur Glass Works Ltd., Dholpur.	25,000/- 25,000/-	6% Pref. Sh. 6% Ordy. Sh.
15.	Ganganagar Sugar Mills Ltd., Jaipur.	13,97.850/- 4,25,200/- 15,00,000/-	6·15% Pref. Sh. 6% Int. on Debentures.
16.	Jaipur Spinning & Weaving Mills Ltd.	4,98,700/- 12,47,100/-	6·1%
17.	Cotton Press Company.	20,833·33	4.2%
	TOTAL	1,98 42,362·54	

परिशिष्ट ११

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ५ यू० एस० क्यू० का उत्तर देखिये)

सूची परिशिष्ट (क)

प्रश्न कर्ता श्री भीमसेन (१६) सदस्य, राजस्थान विधान सभा

बीकानेर डिवीजन की क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के सम्बन्ध में सूचनायें :—

क्र.सं.	नाम समिति	क्या अपनी कार्यकारिणी का और वार्षिक अधिवेशन करती है
१	२	३
	बीकानेर ।	
१.	बीकानेर तहसील क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि०, बीकानेर ।	जी हां ।
२.	बीकानेर जिला ऊन क्रय-विक्रय सहकारी समिति ।	इस समय कार्य नहीं कर रही है।
३.	बीकानेर केन्द्रीय सहकारी क्रय-विक्रय समिति लि०,	,,
४.	नोखा तहसील क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि०,	सन् १९६१-६२ का होना है ऑडिट रिपोर्ट भेज दी है
	गंगानगर ।	
५.	पीली बंगा क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि०,	जी हां ।
६.	गंगानगर किसान को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि०,	,,
७.	दी पदमपुर को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि०,	,,
८.	विजयनगर सहकारी क्रय-विक्रय समिति लि०,	,,
९.	केसरीसिंहपुर को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि०,	,,
१०.	संगरिया को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि०,	,,
११.	नोहर केन्द्रीय सहकारी क्रय-विक्रय समिति लि०,	,,
१२.	भादरा क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि०	जी नहीं । इसके संचालक मण्डल को भंग किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।
१३.	सादुलशहर जमींदारा को-आपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि०	जी हां ।

Page No 177

क्र. सं.	नाम समिति	क्या अपनी कार्यकारिणी का और वार्षिक अधिवेशन करती है
१	२	३
१४.	हनुमानगढ़ केन्द्रीय सहकारी क्रय-विक्रय समिति लि०,	जी हां।
१५.	गंगानगर को-ऑपरेटिव सप्लाई एण्ड कमीशन शौप लि०,	,,
१६.	दी को-ऑपरेटिव सप्लाई एण्ड कमीशन शौप श्री करनपुर	,,
१७.	रायसिहनगर को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि०,	,,
१८.	सूरतगढ़ क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि०,	,, परन्तु १५-८-६२ को होने वाला कॉरम पूरा न होने के कारण नहीं हो सकी अब आगामी ता० निश्चय होगी
१६.	गजसिंहपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि०,	,,
२०.	चूरू को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि०	,, केवल चालू वर्ष का होना है।
२१.	तारानगर को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि०,	समिति बन्द है। कार्य नहीं कर रही है।
२२.	सरदारशहर क्रय-विक्रय स० स० लि०	,, केवल चालू वर्ष का होना है।
२३.	रतनगढ़ को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि०,	,, ,,
२४.	राजगढ़ को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि०,	समिति गत वर्ष से कार्य नहीं कर रही है।
२५.	सुजानगढ़ को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि०,	समिति सन् १६६० से बन्द है।
२६.	डूंगरगढ़ को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि०,	,, केवल चालू वर्ष का होना है।

परिशिष्ट १२

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३ यू. एस. क्यू. का उत्तर देखिये)

[Instructions for the grant of relief under head "47-Miscellaneous Departments-V-Devasthan Dharampura-4-Other charges (b) other expenses-Grants to Necessitious persons.]

Scope

These instructions are intended to govern the grant of relief by the Devasthan Department to persons who are destitute, or indigent.

2. Such relief will be granted entirely as charity and cannot be claimed as a matter of right. It may be in the form of either a monthly maintenance allowance or a lump sum grant.

Maintenance Allowance

3. A maintenance allowance will ordinarily be granted only to these persons who are destitutes and are permanently incapable of earning their livelihood, due to physical incapacity, etc. and may also be granted to the survivors of Government servants who do not get any benefit under the Service Rules or any other rules governing grant of relief to survivors of deceased Government servants.

4. A maintenance allowance shall not exceed Rs. 15/- p.m. in the case of minor.

All maintenance allowance shall require the sanction of Govt. in the General Administration Department.

5. Subject to continued incapacity to earn a livelihood, amaintenance allowance will be tenable:—

(1) In the case of a male grantee for life.

NOTE:—In the case of minors who have no other physical infirmity etc, the incapacity to earn a livelihood will be deemed to end on the attainment of age 18 and a allowances in such cases will be tenable only till the age of 18.

(2) In the ease of a female grantee-until (i) death; or (ii) marriage/remarriage whichever of (i) and (ii) occurs earlier.

Lump Sum Grants.

6. Lump sum grants may be sanctioned to relieve temporary distress on the case of destitute or indigent persons on special occessicns such as serious illness.

7. A lump sum grant not exceeding Rs. 25 may be sanctioned by an Assistant Commissioner, Devasthan, and a grant not exceeding Rs. 50 by the Commissioner Devasthan provided the total amount sanctioned by the Commissioner or an Assistant Commissioner does not exceed Rs. 500/- and Rs. 200/- respectively in a financial year.

Procedure.

8. Applications for grant under these instructions may be made to the Assistant Commissioner Devasthan direct or through a Tehsildar the Chairman of a Municipal Board a village Panchayat or an Inspector of the Devasthan Department. The authority to whom the application is made will investigate the case and, except in the case of the Assistant Commissioner himself, will forward the results of investigation in the prescribed form, to the Asstt. Commissioner.

9. The investigating Officer shall make through enquiries as to the financial condition of the applicant and will recommend only those cases in which the (i) destitute or Indigent conditien and (ii) incapacity to earn livelihood are fully proved. The redommendation shall be made in the form enclosed.

10. In the case of lump sum grant the Assistant Commissioner Devasthan may either himself accord sanction in.. ...terms of para 7 or forward the case ot the Commissioner for sanction. In the case of a maintenance allowance, the Assistant Commissioners will forward the cases with their recommendations (every year in the months May and October) to the Commissioner Devasthan . The Commissioner will submit the applications, recommended by the Assistant Commissioner, alongwith his remarks to the Government in the General Administrative Department (in the months of June and November).

General.

11. Future good conduct is an implied condition for every grant of maintenance allowance and Government reserve to themselves the right of withholding, reducing, or withdrawing a maintenance allowance if the recipient is either convicted of any crime and/or found guilty of grave misconduct involving moral turpitude or on other such grounds or reasons which may be found to be objectionable.

12. A grant made under these instructions may be revised, modified or withdrawn by the Government at any time without assigning any reasons.

सूची पायन्दगान, देवस्थान विभाग, बीकानेर

— जिला —

नम्बर	नाम पायन्दगान	स्थान	प्रारम्भ की तारीख	मासिक सहायता	कारण
१	२	३	४	५	६
१	श्री महेन्द्रनाथ पुत्र मोडुलाल.	कचहरी के पास	२७-७-५५	५	असहाय
२	श्री मोहनी	,,	,,	३	,,
३	,, भुवेन्द्रनाथ छोटा लड़का व एक लड़की	,,	,,	३	,,
४	,, शिवजीराम की विधवा पत्नी रामकुंवरी	,,	१-४-५६	४	,,
५	,, हरिश्चन्द्र पंडित रा पोता	चौखूंटी के पास	,,	२	,,
६	,, श्यामचन्द्र पौत्री पौती	,,	,,	२	,,
७	,, शशीकान्ता पौपी	,,	,,	२	,,
८	,, शिवरतन पुत्र नथमल	सोनारों की गवाड़	,,	८	नेत्रहीन
९	,, रामशरण पुत्र शिवरतन	,,	,,	३	,,
१०	,, श्यामसुन्दर पुत्र शिवरतन	,,	,,	३	,,
११	,, कमला पुत्री शिवरतन	,,	,,	३	,,
१२	,, सरस्वती पुत्री शिवरतन	,,	,,	१२	,,
१३	,, सालगराम की विधवा पत्नी किशनी	सूरसागर तालाब	,,	८	,,
१४	,, सत्यनारायण पुत्र सालगराम	,,	,,	४	,,
१५	,, विशन पुत्र सालगराम	,,	,,	४	,,
१६	,, देवीसिंह की विधवा पत्नी दाखां	गांव जेतसिंह देसर त. नोखा, हाल बोर्ड	,,	१०	,,
१७	,, राजकुमारी बेवा मोहनलाल	सार्दूल हाई स्कूल	१-१०-५७	१५	,,
१८	,, जीतेंद्रकुमार पुत्र मोहनलाल	,,	,,	१०	,,
१९	,, लड़की रीता पुत्री मोहनलाल	,,	,,	७	,,
२०	,, टूनीबाई बेवा विशेश्वरलाल	चौतीना कुवा	१-४-५७	१०	,,
२१	,, लक्ष्मीनारायण पुत्र विशेश्वरलाल	,,	,,	५	,,
२२	,, लक्ष्मी बेवा नथमल	भटडों का चौक	,,	८	,,
२३	,, रामलाल वल्द मोनाराम	जैन मन्दिर के पास	,,	१०	हाथ पैर से लाचार

१	२	३	४	५	६
२४	श्री रामलाल की माता अणची	जैन नसिर के पास	१-४-५८	८	वृद्ध
२५	,, छोटी बेवा शिवकरण	मोनालने की गली	,,	७	,,
२६	,, राजाबाई बेवा सेवाराम	सूरसागर तालाब	,,	१०	,,
२७	,, गवरादेवी बेवा मोहनलाल	रामपुरिया गवाड़	,,	१०	,,
२८	,, सोना बेवा दर्शीलाल	जसोलाई तलाई	,,	१०	,,
२९	,, फतेकंवरी बेवा दयाशंकर	,,	,,	१०	,,
३०	,, गवरादेवी बेवा प्रेमरतन	जोशीवाड़ा	,,	१०	,,
३१	,, जेटमल पुत्र गोकल जी	नाइयों की गवाड़	,,	१०	,,
३२	,, पेमाबाई बेवा तुलसीराम	जांगलू त० नोखा	,,	७	,,
३३	,, गवराबाई बेवा लाधुराम	नत्थूसर कुवा	,,	७	,,
३४	,, लक्ष्मीनारायण पुत्र लादूराम	,,	,,	४	,,
३५	,, शिवनारायण पुत्र लादूराम	,,	१-१०-५७	४	,,
३६	,, सत्यनारायण पुत्र लादूराम	,,	,,	४	,,
३७	,, प्रभूलाल	लखोटिया चौक	,,	१०	,,
३८	,, गंगादेवी बेवा मोहनलाल	बिनाणियों चौक	,,	७	,,
३९	,, तेजा बेवा लाभूराम	गाव रावसर	,,	७	,,
४०	,, मगी बेवा सदोजी	चौतीना कुवा	,,	७	,,
४१	,, जेठी बेवा भैरूंरतन	तेलीवाड़ा	,,	७	,,
४२	,, घनश्याम पुत्र जेठो	,,	,,	५	असहाय
४३	,, श्यामा पुत्री जेठो	,,	,,	५	,,
४४	,, प्रेमी बेवा भोलाराम	शिवबाड़ी	,,	८	,,
४५	,, चिमनसिंह पुत्र बोंजराज	,,	१-४-५८	१०	,,
४६	,, सरदाराम पुत्र लक्ष्मणराम	,,	,,	१५	,,
४७	,, जेसाराम पुत्र लादूराम	,,	,,	१०	,,
४८	,, पार्वती बेवा हीरसिंह	,,	,,	१०	,,
४९	,, मूलीबाई बेवा नारायण	,,	,,	८	,,
५०	,, रसूलखां वल्द खुदाबग्स	,,	,,	७	,,
५१	,, सकीना बेवा रूलिखां	,,	,,	७	,,
५२	,, हरिराम पुत्र किशनजी	सूरसागर	,,	१०	वृद्ध
५३	,, सेराराम पुत्र जेठाराम	शिववाड़ी	,,	१०	,,
५४	,, सजनी बेवा बालमुकन्द	सोनगिरी कुवा	,,	८	कमजोर
५५	,, देवकी बेवा जयनारायण	ईदगाह बारी	,,	८	,,
५६	,, मीरां बेवा काशीराम	बागडिया चौक	,,	८	,,

१	२	३	४	५	६
५७	श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र केदारनाथ	बिनाणियों का चौक	१-४-५८	८	कमजोर
५८	,, राणों	शिवबाड़ी	,,	१०	,,
५९	,, भागीरथी बेवा मूलचन्द	व्यासों का चौक	,,	१०	लकबा
६०	,, बइया बाई बेवा भोमराज	आचार्यो का चौक	,,	७	वृद्ध
६१	,, दुर्गा बेवा मूलचन्द	बिस्सों का चौक	,,	७	,,
६२	,, तीजा बेवा चम्पालाल	,,	,,	१०	
६३	,, छोटी बेवा रूघनाथ	ईदगाह बारी	,,	८	,,
६४	,, मोडा पुत्र सगजी	आशापूरी मन्दिर	,,	१०	,,
६५	,, मोटा बेवा कानूराम	ईदगाह बारी	,,	८	,,
६६	,, जगन्नाथ पुत्र अमरनाथ	रुघनाथसर कुवा	,,	८	,,
६७	,, श्रीनाथ पुत्र श्री वल्लभ	महालक्ष्मीजी	,,	८	,,
६८	,, बालराम पुत्र अणची	फोर्ट हाई स्कूल	,,	८	,,
६९	,, यशोदा बेवा श्रीकृष्ण	,,	,,	८	,,
७०	,, तकू बेवा हरजी	चौतीना कुवा	,,	१०	,,
७१	,, कोनाराम वल्द अमोलक	मूंधडों का चौक	,,	१०	,,
७२	,, महताबाई बेवा हरवगस	धोबी तलाई	,,	१०	,,
७३	,, कौशल्या बेवा नरसिंहदास	नापासर	१३-१-५९	५	,,
७४	,, गंगा बेवा लखाराम	,,	,,	१०	,,
७५	,, घडकी बेवा जगूराम	,,	,,	७	,,
७६	,, चूनी बेवा कुम्भाराम	,,	,,	७	,,
७७	,, यशोदा देवी बेवा चुनीलाल	,,	,,	७	,,
७८	,, अणदी बेवा हेमराज	सूरसागर तालाब	,,	५	,,
७९	,, लक्ष्मी बेवा जमनादास	उस्तों की बारी	,,	५	,,
८०	,, मगा बेवा भीखमचन्द	देवीकुंड सागर	,,	८	,,
८१	,, नाथूराम पुत्र लादूराम	हनुमान हत्था	,,	८	,,
८२	,, महताबाई बेवा लूणजी	सुथारों की गवाड़	,,	८	,,
८३	,, गोपी बेवा जोगीदास	लखोटियों का चौक	,,	७	,,
८४	,, पच्चीबाई बेवा गोविन्दलाल दो पोता	व्यासों का चौक	,,	८	,,
८५	,, पारू बेवा चान्दमल	नापासर	,,	७	,,
८६	,, ऊदी बेवा शिवकरण	,,	१३-११-५९	१०	असहाय
८७	,, तारादेवी बेवा हरखाराम	,,	,,	८	,,
८८	,, मूलीदेवी बेवा बनाराम	,,	,,	१०	,,

१	२	३	४	५	६
८९	श्री तुलसी बेवा भागीरथ	नापासर	असहाय	७	१३-११-५९
९०	,, रुखमण बेवा बद्रीदास	बेणीसर	,,	५	,,
९१	,, बख्तावरी बेवा जीवराजसिंह	हिमतासर, जयपुर	,,	५	,,
९२	,, बालीदेवी बेवा गंगाराम	माजीसा का बास	,,	७	,,
९३	,, गवरा बेवा चिमनसिंह	,,	,,	७	,,
९४	,, केशर बेवा अमरजी	पुलिस थाना नं० ४	,,	७	,,
९५	,, कालीदास पुत्र सरदाराराम	अमरसागर कुवा	,,	७	,,
९६	,, लक्ष्मी बेवा नन्दलाल	आचार्यों का चौक	,,	५	,,
९७	,, मानाबाई बेवा लाभूजी	बिनाणियों का चौक	,,	७	,,
९८	,, किस्तूरी बेवा सुखदेव	अनाथालय	,,	५	,,
९९	,, बख्तावरी बेवा तनसुखदास	नयाशहर	,,	८	,,
१००	,, किस्तूरी बेवा गणपतसिंह	सूरसागर	,,	७	,,
१०१	,, गुलाबकुवर बेवा प्रभूसिंह	,,	,,	१५	,,
१०२	,, मूलीबाई बेवा अगरचन्द	मूंधड़ों का चौक	,,	७	,,
१०३	,, डालूबाई बेवा दुर्गाराम	शिवबाड़ी	,,	७	,,
१०४	,, कौडी बेवा वृद्धराम	कानासर	,,	७	,,
१०५	,, मोनरी बेवा मोहनलाल	,,	,,	७	,,
१०६	,, लक्ष्मीदेवी बेवा भीखमचन्द	मूंधड़ों का चौक	,,	७	,,
१०७	,, कृष्णनन्द पुत्र भूरालाल	राणी बाजार	,,	१०	,,
१०८	,, लक्ष्मीबाई बेवा रुघनाथ	,,	,,	१०	,,
१०९	,, श्रीराम वल्द श्रीनारायण	रेल्वे कोलोनी	,,	७	,,
११०	,, केशरबाई बेवा चेतनदान	सेठियों की गवाड़	,,	७	,,
१११	,, मदनलाल पुत्र चुनीलाल	रुगनाथसर कुवा	,,	७	,,
११२	,, लक्ष्मण पुत्र चन्नीलाल	,,	,,	७	,,
११३	,, हरदासीदेवी बेवा रामोतसाह	चौतीना कुआ	,,	१०	,,
११४	,, पूरणराम पुत्र पुरखाराम	गांव कक्कू	,,	१०	,,
११५	,, गोपीराम पुत्र गंगाराम	बीटनोक	,,	८	,,
११६	,, सरदारो पुत्र हीरो	,,	,,	७	,,
११७	,, मीरां बेवा सरदारो	गड़ीवाल	,,	७	,,
११८	,, गवरा बेवा आशाराम	बीटनोक	,,	१०	,,
११९	,, बन्जी बेवा जेठाराम	,,	,,	१०	,,
१२०	,, आनन्दकवरी बेवा हिमतसिंह	हाडला	,,	७	,,
१२१	,, रामकुंवरी बेवा भैरूंसिंह	,,	,,	७	,,

शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, दिनांक २५ अक्टूबर, १९६२)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
२८२३	अन्तिम से ४	व्यक्यियों	व्यक्तियों
२८२७	४	fer	for
२८२७	७	वर्कस	वर्क्स
२८३१	अंतिम से ७	योग्यगा	योग्यता
२८४४	३	feet	fact
२८४४	६	feets	facts
२८५२	६	रिविलि	रिलीव
२८५५	१६	विधि	वित्त
२८५६	अन्तिम से ७	सर्कंत	संकेत
२८६५	५	seles	scales
२८७७	१	चित्तौरगढ	चित्तौड़गढ
२८८८	अंतिम से ७	फसला	फैसला
२९१२	१०	ward	word
२९१४	अन्तिम से ८	श्री नाथूराव मिर्धा	श्री नाथूराम मिर्धा
२९४४	अंतिम से ३	जितकी	जितनी
२९५३	११	प्रइसेज	प्राइसेज
२९५८	अंतिम से १०	चैथी	चौथी
२९५९	६	पंचवषीय	पंचवर्षीय
२९५९	अंतिम से १०	कम्पेनसेनस	कम्पेनसेसन
२९७१	१	वसा का वैसा	वैसा का वैसा
३०००	अंतिम से ११	उनकी	उनको